

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

29 मार्च, 1982

खंड 1 अंक 12

अधिकृत विवरण

विशय सूची

सोमवार 29 मार्च 1982

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(12)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(12)34
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(12)47
विशेषाधिकार का प्रश्न	(12)63
नलकूपों का पानी इस्तेमाल करने वाले किसानों को सहायता की अदायगी न करने सम्बन्धी	(12)63
विभागों / निगमों / बोर्डों आदि की वार्षिक रिपोर्ट देर से पेश करना	(12)65
विशेषाधिकार का प्रश्न	(12)67
वाक-आउट	(12)68
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	
मैडीकल कालेज तथा अस्पताल रोहतक की दिन-प्रति दिन बिगडती हुई हालत सम्बन्धी	(12)69

वक्तव्य	
स्वास्थ्य तथा पर्यटन मंत्री द्वारा उक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी	(12)71
वर्ष 1982-83 के बजट के अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान	(12)77
वाक आउट	(12)124
वर्ष 1982-83 के बजट के अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(12)125
राज्यपाल से संदे ।	(12)134
वि शेषाधिकार समिति की रिपोर्ट लौटाना	(12)134
वि शेषाधिकार का प्र न-वि शेष समिति की रिपोर्ट	(12)140
वि शेषाधिकार का प्र न-वि शेष समिति की रिपोर्ट (पुनरारम्भ)	(12)141
वर्ष 1982-83 के बजट के अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(12)144

हरियाणा विधान सभा
सोमवार 29 मार्च, 1982

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल,
विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़, में. प्रातः 11.00 बजे हुई।
अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: साहेबान, अब सवाल होंगे।

तारांकित प्र न संख्या 2586

यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय मानीय
सदस्य, राव इन्द्रजीत सिंह, सदन में उपस्थित नहीं थे।

Crop Insurance Scheme in the State

***2605. Chaudhri Sant Kanwar:**

Swami Aditya Vesh:- Will the Minister for
Agriculture be pleased to state-

(a) whether the crops insurance scheme has been
introduced in the State;-

(b) if so, the details thereof; and

(c) the names of districts in which the said scheme has been introduced?

कृषि मंत्री (श्री भामारे सिंह):

(क) जी हां।

(ख) सदन के पटल पर विवरण रखा जाता है।

(ग) खरीफ 1981 तथा रबी 1981-82 में जो जिले इसके अन्तर्गत लिये गये हैं वे निम्न प्रकार से हैं—

(1) खरीफ 1981			
	(i)	धान की फसल	हिसार, सिरसा, सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला और जीन्द।
	(ii)	बाजरा की फसल	हिसार, रोहतक और जीन्द
(2) रबी 1981-82			
	(i)	गेहूं	राज्य के सभी जिले।
	(ii)	चना	हिसार, सिरसा, रोहतक, सोनीपत और जीन्द
	(iii)	जौ	रोहतक, गुड़गांव,

			फरीदाबाद, तथा महेन्द्रगढ़।
--	--	--	----------------------------

विवरण

जनरल इन्सुरेन्स कारपोरेट्स ऑफ इण्डिया द्वारा एक पायलट फसल बीमा स्कीम जो भारत सरकार की सलाह से तैयार करके प्रयोजित की थी उसे राज्य में खरीफ 1981 से लागू किया गया था। यह स्कीम सामूहिक तथा स्वेच्छा के आधार पर है। इसके अन्तर्गत केवल ऋणी किसान ही आते हैं। यह एक ही प्रकार के क्षेत्र पर (तहसील) पर आधारित होगी। व्यक्तिगत आधार पर नहीं। इस स्कीम के अन्तर्गत एक लाख प्रति तहसील के हिसाब से कुल 17.00 लाख रुपये का 13 तहसीलों में धान तथा 4 तहसीलों में बाजरा पर बीमा व्यापार करने का लक्ष्य था। धान पर 543 किसानों के 475.7 हेक्टेयर क्षेत्र 9.40 लाख रुपये का बीमा किया गया जिससे 44387.73 रुपये प्रीमियम इकट्ठा किया गया जब कि बाजरा पर 66 किसानों के 111.4 हेक्टेयर क्षेत्र का 1.08 लाख रुपये का बीमा व्यापार किया गया तथा 5454.50 रुपये प्रीमियम इकट्ठा किया गया।

अधिकतम बीमा राशि सीमा प्रति हेक्टेयर/किसान धान पर 2250/- बाजरा पर 1700/- तथा 3000/- जहां धान व बाजरा इकट्ठे बोये गये थे/बिमीत राशि की प्रीमियम की दर 4.5 प्रति सैत से 5.00 प्रति सैत थी।

रबी 1981-82

रबी 1981-82 में यह स्कीम बढ़ा कर गेहूं के लिये सारे राज्य में चने के लिये 12 तहसीलों में और जौं के लिये 11 तहसीलों में लागू की गई। रबी 1981-82 में इस कार्य के लिये कुल निर्धारित राशि 40 लाख रुपये थी। चने के लिये 6.00 लाख तथा जौं के लिये 5.50 लाख तथा गेहूं के लिये 28.50 लाख रुपये हैं। अधिकतम बीमा राशि प्रति हैक्टेयर/किसान गेहूं के लिये 2250/- चने और जौं प्रत्येक के लिये 1300/- रुपये निश्चित किये गये हैं। प्रीमियम की दर बीमा राशि का 4.50 प्रतिशत से 5.00 प्रतिशत तक है।

यह स्कीम कम तः राज्य सरकार और जी.आई.सी. दोनों 25 प्रतिशत और 75 प्रतिशत के अनुपात में चलाई जा रही है।

चौधरी संत कंवर: स्पीकर साहब, कृषि मंत्री जी ने बताया है कि गेहूं का बीमा सारे जिलों में लागू कर दिया है। इन्होंने 'बी' भाग में यह बताया है कि गेहूं का जो बीमा है यह प्रति हैक्टेयर 2250 रुपये है यानि 900 रुपये प्रति एकड़। जहां -2 पर इब ओले गिरे हैं वहां पर सरकार 400 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब में मुआवजा दे रही है। इन्होंने अपने जवाब में कहा है कि फसली बीमा योजना के अन्तर्गत 900 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब

से देगें तो फिर ये 400 रूपये प्रति एकड के हिसाब से कम कैसे देने लग रहे थे?

श्री भामोर सिंह: मेरे साथी ने भायद बीमा स्कीम को पूरी तरह से पढा नहीं है। मुख्य मंत्री ने 400 रूपये प्रति एकड के हिसाब से जो रिलीफ उनाउस किया है यह स्पैल रिलीफ है जो बीमा योजना से अलग है। सर, यह स्कीम व्यक्तिगत स्कीम नहीं है बल्कि यह ग्रुप स्कीम है। इस स्कीम के तहत सारी तहसील को एक चूनिट काउन्ट किया जाता है। इस स्कीम के अन्तर्गत टोटल तहसील की फसल का एवरेज निकाल कर जो नुकसान होता है, उसके हिसाब से मुआवजा दिया जाता है। इस स्कीम के अन्तर्गत तहसील के सीपी किसानों को भामिल किया जाता है। इस स्कीम का फायदा सभी किसानों को मिलेगा। यह एक पायलेट स्कीम है। जो भारत सरकार की सलाह से इन्फोर्सेस कार्पोरेट्स एंड आफ इन्डिया के साथ चलाई गई है।

श्री अध्यक्ष: जिस इलाके में ओले पडे है क्या इस स्कीम का फायदा स्पैल रिलीफ से अलग होगा क्या इसके अन्दर टोटल तहसील की ईल्ड को भामिल किया जायेगा?

चौधरी संत कवर: एक तो ये 400 रूपया प्रति एकड के हिसाब से सहायता उन किसानों को देरहे है जिन किसानों की फसल ओलावृष्टि से खराब हो गई है। दूसरे यह कह रहे है कि फसल बीमा योजना के अधीन भी उन्हे 900 रूपये प्रति एकड की

सहायता दी जायेगी। क्या यह सहायता उनको उस समय मिलेगी जिस समय ये नुकसान का पूरा ब्योरा देंगे। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या किसानों को फसल बीमा के तहत भी सहायता मिलेगी?

श्री भाम ेर सिंह: यदि किसान की उसके लिये इन्टार्डिटलमेंट होगी तो उसको जरूर सहायता मिलेगी। यदि इन्टार्डिटलमेंट नहीं होगी तो उसको सहायता नहीं दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष: आप औसत कैसे निकालते हैं?

श्री भाम ेर सिंह: पर हैक्टैयर के हिसाब से एवरेज निकाली जाती है।

श्री अध्यक्ष: यदि किसानों का पूना नुकसान हो जाता है तो क्या उनको पूरी सहायता मिलेगी?

श्री भाम ेर सिंह: स्पीकर साहब, इस स्कीम के तहत किसान को लाभ उसकी हानि के अनुपात से दिया जाता है। इसस्कीम कालाभ देते समय उस की टोटल फसल का लौस निकाल लिया जाता है। जितना लौस होता है, उस हिसाब से किसान को सहायता दी जाती है।

श्री हीरानन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि गेंहूँ की फसल के बीमा के लिये जो रेट

2250 रूपये फिक्स किया गया है, यह किस माप दण्ड पर निर्धारित करते हैं?

श्री भाम ार सिंह: जितनी टोटल रकम का बीमा करवाया जाता है, उस रकम का 4½ से 5 प्रति ात तक प्रीमियम देने का मापदण्ड जी0आई0सी0 ने फिक्स किया है।

राव बंसी सिंह: जिला महेन्द्रगढ़ के अन्दर बाजरे की फसल ही अधिक मात्रा में पैदा होती हैं। उसको इस में भामिल नहीं किया गया है। इसलिये मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिले महेन्द्रगढ़ ऋ को क्यों नहीं भामिल किया गया है?

श्री भाम ार सिंह: अध्यक्ष महोदय, गेहूं और जौ के लिये तो इस जिले को भी इस स्कीम के तहत भामिल कर लिया गया है। जिला महेन्द्रगढ़ की बाजरे की फसल को भी इस स्कीम के तहत लेने के लिये जी0आई0सी0 से बातचीत हो रही है। हमारी यह को ि ा है कि इस स्कीम में जिला महेन्द्रगढ़ को भी इन्कलूड कर लिया जाये। अध्यक्ष महोदय मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि वहां पर बाजरे की फसल इनडैम्नीफीइबएल लिमिट अधिक है इसलिये जी0आईसी. नहीं मान रही। लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी -2 को ि ा कर रहे हैं।

चौधरी रिजक राम: इन्होंने अभी बताया है कि इस स्कीम में टोटल तहसील को भामिल किया गया है। नुकसान को ध्यान में रखते हुये टोटल तहसील की एवरेज किसानों के लिये

फायदेमंद नहीं है। क्योंकि कई बार इंडिविजुअल नुकसान हो जाता है। इंडिविजुअल नुकसान हो जाता है। इंडिविजुअल नुकसान होने की वजह से किसानों को फायदा नहीं हो पाता क्योंकि जैसा ये बता रहे हैं उस हिसाब से सारी तहसील के नुकसान को ध्यान में रखते हुये प्रत्येक किसान की सहायता दी जायेगी। इस तरह सहायता देने से इंडिविजुअल किसान घाटै में रहता है। दूसरी बात मेरी यह है कि ऐसे एरिया को इस स्कीम के तहत अलग से लेना चाहिये। तीसरी बात मेरी यह है कि मैक्सिमम ईल्डकिस तरह मुकर्रर करते हैं। इसलिये मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इंडिविजुअल नुकसान को निकाले के लिये कोई पैमाना निर्धारित करेगें?

श्री भाम ेर सिंह: सर, यह वालैन्टरी स्कीम है। कम्पलसरी स्कीम नहीं हैं जो किसान इस स्कीम से फायदा लेना चाहता है उसको मिलेगा और जो फायदा लेना नहीं चाहता उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा। जो किसान अपनी फसल का बीमा करवाना चाहेगा उसका बीमा हो जायेगा और वह अपना प्रीमियम खुद देगा। यह व्यक्तिगत फार्मर्ज का बीमा नहीं है यह एरिया के हिसाब से बीमा किया जाता है। एक बात इन्होंने कही थी कि मैक्सिमम ईल्ड किस तरह से मुकर्रर करते हैं। इस संबधं में मैं अपने साथी को बताना चाहता हूँ कि पिछले 10 सालों की औसत पैदावार फसल को ध्यान में रखते हुये निकाली जाती है। सभी

जिलों का रिकार्ड मेरे पास है। यदि मैनबर साहेबान आंकड़े पूछना चाहेंगे तो मैं बताने के लिये तैयार हूँ।

श्री भामोर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैनबर साहेबान ने जो भांका जाहिर की है वह ठीक है। मैं मानता हूँ कि इस स्कीम में अभी काफी त्रुटियाँ हैं और इसमें अभी काफी सुधार की जरूरत है। स्टेट गवर्नमेंट का ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट निरन्तर जी०ए०आई०सी० के साथ इस संबंध में बात कर रहा है और उन पर दबाव डाल रहा है कि एसको इम्प्रूव किया जाये। उनका कहना है कि यह पायलेट स्कीम है। इसे लागू करने से ग्रेजुअली जैसे जैसे ऐक्सपीरियंस गेन होता जाएगा आसमें सुधार लाते जाएंगे।

चौधरी हुक्म सिंह: क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कौप इंशोरेंस स्कीम भिवानी डिस्ट्रिक्ट में क्यों इंटरोड्यूस नहीं की गई? साथ ही मंत्री महोदय यह भी बताने का कशट करें कि प्रति फसल प्रति हैक्टेयर किसान को कितना प्रीमियम ले करना पड़ता है?

श्री भामोर सिंह: स्पीकर साहब, मैंने बताया है कि गेहूँ के लिये तमाम एरियाज शामिल है। जहां तक दूसरी फसलों का संबंध है, उसके बारे में जैसा मैंने पहले बताया जी०आई०सी० की एक इनडैम्नीफाइडलिमिट है। उससे ज्यादा नुकसान को वे पूरा करने के लिये तैयार नहीं हैं उसकी रेंज 10 परसेंट से 40 परसेंट तक है। वे हमारे केस में तीस परसेंट तक माने थे

लेकिन हमने उनसे पांच परसेंट और मनवा लिया है। जहां लौस की इनडैम्नीफाइडलिमिट इतनी हो, वहां वे कौप इं गोरेंस करते हैं। भिवानी, महेन्द्रगढ़, हिसार और सिरसा की लौस की वेरेज ज्यादा ाल करने की वजह से वे नहीं मानते। हम निरन्तर प्रयत्न कर रहे हैं कि वे इस बात को ऐक्सैप्ट कर ले।

प्रीमियम के बारे में भी मैं पहले बता चुका हूँ कि जितनी राशि का बीमा होगा उसका साढ़े चार परसेंट से पांच परसेंट तक प्रीमियम होगा।

श्री हीरानन्द आर्य: स्पीकर साहब, एक बात तो यह है कि ये मिनी बैक्स के थ्रू इं गोरेंस करते हैं जबकि सब जगह मिनी बैक्स नहीं हैं। (विधान)

श्री अध्यक्ष: मैं तो मिनिस्टर साहब को बधाई दूंगा। यह बहुत उलझा हुआ सवाल है। इन्होंने इसकी बहुत स्टडी की है और बहुत अच्छे ढंग से माननीय सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर दिये हैं। इन्होंने कहा है कि यह पायलेट स्कीम है। इसमें अभी बहुत सी खामियां हैं जो आहिस्ता-2 दूर की जायेगी। जहां तक मैंने जायजा लगाया है इसमें जी0आई0सी0 का मेन हिस्सा है। जी0आई0सी0 आप जानते हैं कोमर्शियल कंसर्न है और वह अपने प्रोफिट का ध्यान अवश्य रखेगा। जहां उसे लोस नजर आयेगा वह इस काम को नहीं करेगा।

श्री हीरानन्द आर्य: स्पीकर साहब, मेरा सवाल अधूरा रह गया था। जो व्यक्ति कोआप्रेटिव सोसाइटी का मेंबर है, उसी का इंशुरेंस ये करते है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि दूसरे लोगों की फसलों कायेबीमा क्यों नहीं करवाते?

श्री भामदेर सिंह: स्पीकर साहब, इनकी बात ठीक है कि जिन लोगों ने कोआप्रेटिव बैंक्स से कर्जा लिया है, कर्ज लोन लिया है, उन्ही को इंशुरेंस ये करते हैं। लेकिन हमने प्रैस किया है कि जो लोग दूसरे बैंक्स से लोनज लेते है या अपने पल्ले से पैसा खर्च करते है उनकी फसलों का भी बीमा किया जाये। अभी जी०आई०सी० इस बात के लिये नहीं मानी है। दूसरी स्टेट गवर्नमेंटस भी इस बात को प्रैस कर रही है लेकिन अभी वे इस बात के लिये माने नहीं है।

श्री मूलचन्द जैन: स्पीकर साहब, मैं अपकी मारफत मिनिस्टर साहब के नोटिस में यह यह बात लाना चाहता हूं कि आज के इंडियन एक्सप्रेस में हरियाणा की कौप इंशुरेंस स्कीम को फार्स बताया गया है उसमें यह भी कहा गया है। कि इस स्कीम को एक डिपार्टमेंट हैंडल नहीं कर रहा है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तो इसमें ब्रायनामा है। कोआप्रेटिव डिपार्टमेंट का इसमें ज्यादा हिस्सा है। उसमें यह भी लिखा है कि निमाना तो 40 लाख रूपये का था लेकिन कौप इंशुरेंस केवल 8 लाख रूपये की हुई है। क्या मंत्री जी बतायेगें कि यह बात ठीक है? यदि ठीक है तो इसके इलाज के लिये इन्होने क्या कदम उठाये है।

श्री अध्यक्ष: इसके लिये सैपरेट नोटिस की आवश्यकता है।

श्री भाम शेर सिंह: स्पीकर साहब, मैनेवह अखबार पढ लिया है। उसमें कुछ बात तो ठीक है लेकिन आंकडे गलत हैं अगर आप हुक्म दे तो मैं आंकडे इनको बता देता हूँ कि किस फसल में कितने रूपये की और कितने हैक्टेयर जमीन की इं गोरेंस हुई है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, उसके लिये बहुत समय लगेगा। क्वै चन लिस्ट पर और भी बहुत से जरूरी सवाल है। अब मैं इसको इससे ज्यादा समय नहीं दे सकता। पहले ही 15 मिनट हो चुके है। (विधान) अगला सवाल।

Accidents occurred on G.T. road from Delhi to Ambala

***2610. Shri Fateh Chand Vij:** Will the Minister for Home be pleased to state-

(a) the total number of accident of vehicles occurred on Delhi-Ambala portion of the G.T. road and the total number of details occurred as a result thereof from 1-10-1981 to date and especially within the municipal limits of Panipat; and

(b) whether it is a fact that the major cause of accidents is due to over-taking of vehicles; if so, whether the Government is proposing to check this over-taking of vehicles on G.T. road?

Home Minister (Shri Kanhiya Lal Poswal):

(a) Information is given as under:

Area	Number of Accidents	Number of deaths occurred
Municipal limits of Panipat	15	5
Remaining area of G.T. road	129	39
Total	144	44

(b) Yes. Overtaking of vehicles is one of the major causes of accidents. The Traffic Enforcement Staff is being strengthened and they are being provided with modern scientific equipment for checking any violation of Traffic Rules.

श्री फतेह चन्द विज: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने पार्ट 'ए' के जवाब में कहा है कि पिछले 6 महीनों में पानीपत में 15 ऐक्सिडेंट्स हुये है। क्या मंत्री जी बतायेगें कि वहां बाहर ट्रक स्टैंड के लिये जो जगह ईयरमार्क हुई है, उस पर ट्रक स्टैंड कब तक बन जाएगा?

श्री अध्यक्ष: ट्रक स्टैंड का तो इस सवाल से कोई संबंध नहीं है।

श्री फतेह चन्द विज: स्पीकर साहब, पार्ट 'बी' के जवाब में इन्होंने कहा है कि ट्रैफिक ऐनफोर्समेंट स्टाफ को मोड्रम साइंटिक इक्विपमेंट दिया जा रहा है। क्या यह इक्विपमेंट वास्तव में दिया भी जा रहा है या पेपर पर ही स्कीम है?

श्री कन्हैया लाल पोसवाल: सर, यह इक्विपमेंट बाकायदा इस्तेमाल हो रहा है।

चौधरी हरस्वरूप बूरा: स्पीकर साहब, एक्सीडेंट्स की वजह से या ट्रक उलट जाने से कई-2 घंटे तक जी०टी० रोड ब्लाक रहती है। क्या मंत्री महोदय उन्हें फौरन रोड से रिमूव कराने का प्रबन्ध करवायेंगे ताकि ट्रैफिक न रुके?

श्री कन्हैयालाल पोसवाल: स्पीकर साहब, दो-तीन महीने में 115 वीहकल्ज को रिमूव करवाया है।

श्री सुरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने एक्सीडेंट्स और डैथ का नम्बर दिया है। कुछ दिन पहले कई ऐसी जगहों पर जहां ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, स्पीड ब्रेकरज लगाये हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि पानीपत, जो कि आवेर'कगुडिड प्लेस है और जी०टी० रोड पर है, क्या वहां पर म्युनिसिपल लीमिट मूं इस स्कीम के स्पीड ब्रेकरज लगायेंगे ताकि ओवर कगुडिग और तेज स्पीड के कारण एक्सीडेंट्स कम हो सकें?

श्री कन्हैया लाल पोसवाल: जी०टी० रोड पर स्पीड ब्रेकर लगाने से पहले काफी सोचना पडता है, इसलिये जहां ऐसे हालत है वहां हम रोड को वाइडन करते है।

चौधरी गया लाल: स्पीकर साहब, रात के वक्त झोटाबुग्गी या ऊंट रेहड़ा रोड से गुजरते है तो उनके पास रैड लाइट नहीं होती है। जब सामने से कोइ ट्रक या गाडी आती है उसकी तेज लाइट होने के कारण से वे दिखायी नहीं देती। क्या मंत्री महोदय इस झोटा बुग्गी या ऊंट रेहड़ा पर रैड लाइट लगाने के बारे में विचार करेगें?

श्री कन्हैया लाल पोसवाल: हमारा स्टु इनको भी चैक करता है। हमने एक स्पै ल डी०एस०पी० तीन इन्सपैक्टर, 26 खेस० आई०, 66 हैड-कान्टेबल ओर कुछ ड्राइवर्ज चैक करने के लिये रखे हुये है। 24 घन्टें में 9 बीट्स बना कर चैक करते है।

श्री अध्यक्ष: मैंबर साहब यह पूछ रहे है कि क्या झोटा बुग्गी और ऊंट रेहड़ा पर लाल बत्ती होती है या नहीं?

श्री कन्हैया लाल पोसवाल: इनको भी हम चैक करेगें और जल्दी से जल्दी इन्हें ठीक करेगें।

श्री अध्यक्ष: सड़कों पर हम देखते है कि इनके पास लालबत्ती नहीं होती।

श्री कन्हैया लाल पोसवाल: इस बारे में ज्यादा से ज्यादा चैक करेंगे।

श्री भले रम: स्पीकर साहब, जिस प्रकार से हिमाचल की बसों में सफर करते हुये किसी बस दुर्घटना में अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसे 20 हजार रूपये दिये जाते हैं। इसी प्रकार यहां भी ट्रकों से या ट्रांसपोर्ट विभाग की बसों से जो लोग मर जाते हैं, क्या मिनिस्टर साहब यहां भी उसी तरह का मुआवजा देने की कृपा करेंगे?

श्री कन्हैया लाल पोसवाल: हम ऐसा नहीं कर सकते। वे कोर्ट के थू क्लेम कर सकते हैं।

एक आवाज: हवाई जहाज से एक्सीडेंट होने पर भी मुआवजा दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष: हवाई जहाज से इसका कोई संबन्ध नहीं है। हवाई जहाज सरकारी चीज है। अगर हवाई जहाज से मर जाता है तो सरकार ही जिम्मेदारी बनती है।

श्रीमती डा० कमला वर्मा: स्पीकर साहब, जो कोई भी सड़क बनती है उसके साइड पर मिट्टी डाली जाती है। कई बार या तो मिट्टी कम डाली जाती है या बरसात के दिनों में मिट्टी नीचे बैठ जाती है। जिसके कारण ट्रकों के या अन्य वीकल्ज के एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। अम्बाला से यमुनानगर जो सड़क जाती है उस पर आये दिन इसलिये ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि

वहां पर मिट्टी नीचे बैठ गई है। क्या मंत्री महोदय ऐसा इन्तजाम करेगें कि पी0डब्ल्यू0डी0 डिपार्टमेंट मिट्टी डालते समय पूरी मिट्टी डाले और सख्त भी डाले?

श्री कन्हैया लाल पोसवाल: हम गाहेबगाहे पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग को लिखते रहते हैं लेकिन इस सवाल का इससे कोई संबंध नहीं।

श्री फतेह चन्द विज: मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि चैंकिंग स्टाफ को सांइटफिक सामान दे दिया है लेकिन जो लिखित जवाब दिया है उसमें लिखा है कि साधन जुटाये जा रहे हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कौन सी बात ठीक है ?

श्री कन्हैया लाल पोसवाल: हमारी बडी कम्प्रीहैन्सिव स्कीम है जिसमें काफी स्टाफ है। यह स्कीम पूरे हरियाणा मे लागू है। ट्रैफिक इनफोरसमेंट स्टाफ की नफरी में वृद्धि की जा रही है।

Mr. Speaker: Any way, I am sure that the Government is alive of the problem and is doing a lot. But at the same time I must convey to the Government the grave concern of the House and my own that 44 deaths have occurred in five months whjich means nine deaths per monthe. It is a very high figure. जहां तक मेरा अन्दाजा है ओवर क्राउडिंग और आवेर स्पीडिंग की वजह से ज्यादा एक्सीडैन्टस होते हैं। इनको रोकने के लिये सरकार की कोर्िा होनी चाहिये।

Outstanding amount as Sales Tax

***2626. Chaudhri Ajit Singh:** Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state-

(a) whether it is a fact that there are firms/persons who have not paid Sales Tax so far in the State; if so, the district-wise names and addresses of the firms/ persons and details thereof;

(b) whether any steps have been taken so far in connection with therecovery of outstanding amount of sales tax, as referred to in part(a) above; if not, the manner in which the outstanding amount of sales tax is proposed to be recovered; and

(c) whether any persons have been arrested in connection with therecovery of the outstanding amount of sales tax; if so, the names and addresses of such persons togetherwith the amount outstanding against each one of them?

आबकारी व कारधान मंत्री (चौधरी मेहर सिंह राठी):

(क) हां, जिलावार पंजीकृत फर्मो / व्यक्तियों, जिनसे 50000 रूपये था उससे अधिक बिक्री कर की राशि देय है, के नाम व पत्तों की सूची सदन के पटल पर रखी जाती है। उन व्यक्तियों के नाम, जिनसे देय बिक्री कर की राशि 50000 रूपये से कम है, नहीं दिये जा रहे हैं क्योंकि ऐसी विवरण तैयार करने में जो समय और मेहनत लगेगी उसके मुकाबले में पर्याप्त लाभ नहीं होगा।

(ख) हां, हरियाणा सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1973 की धारा-34 के अन्तर्गत विक्रय करकी बकाया राशि की भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूल की जा रही है और विशेष तौर पर क्षीण आर्थिक स्थिति के मामलों में बकायों की वसूली किंतों में की जा रही है।

(ग) हां, जिन चूक-कर्ता व्यक्तियों को बकायों की वसूली हेतु गिरुतार किया गया था उनके नाम व पतों, उनसे देय सेल्ज टैक्स की राशि सहित, कीसूची सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूची 1

उन उद्योगपति/व्यापारियों जिनके विरुद्ध 1-2-82 को सरकार को 50000 से अधिक बकाया राशि की वसूली होनी है, के नामों तथा पतों को दर्शाने वाली सूची।

क्रमांक	उद्योगपति/व्यापारियों के नाम	बकाया राशि	
		हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम 1973 के अन्तर्गत	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 के अंतर्गत

1	2	3	4
जिला अम्बाला			
1	मै० एस०एस० ओबराय एंड कम्पनी, हमे ापुर	71769	3447
2	मै० लक्ष्मी फूड मैनुफैक्चरिंग एंड सप्लाई	628706	---
3	मै० हरियाणा रोडवेज, अम्बाला	240543	---
4	मै० में ईस्टर्न कर्मि टायल कारोरे ान पिन्जौर	45450	231605
5	मै० िव ट्रेडिंग कम्पनी, अम्बाला भाहर	119268	6074
6	मै० सोलर रेडियोज, अम्बाला भाहर	50557	---
जिला भिवानी			
7	मै० डी०डी०सी०.लि० चरखी दादरी	3836829	1955337
8	मै० अन्ती राम नन्द	270736	20093

	कि तारे, भिवानी		
9	मै० रिण बैजीटेबल प्रोडक्टस, भिवानी	624412
जिला फरीदाबाद			
10	मै० किलरेन इन्जीरियरिंग प्रव (लि०)	700	188488
11	मै० हरियाणा स्टील लि० मथुरा रोड, फरीदाबाद	86528	218903
12	मै० इण्डिया स्टील कारपोरे तन, मथुरा रोड, फरीदाबाद	53263	109860
13	मै० अतुल ग्लास इन्डस्ट्रीज फरीदाबाद	395846	924924
14	मै० हरियाणा एजेन्सीज (प्रा०) लि०	2313630	570
15	मै० हाडा स्टील प्रोडकअस लि०	227879	---
16	मै० स्टील पायनीरयरज,	125054	18716

	फरीदाबाद		
17	मै० राजधानी पेन्टस पंड कैमिकल्ज	71431	27155
18	मै०संजीवएन्टरप्राईजीज	104554	6502
19	मै०बरटन स्काट इन्टस्ट्रीज	26773	117841
20	मै० उशा फोरजिंगज एण्ड स्टम्पिज (प्रा०)	95460	108780
21	मै० गंगा इन्जीनियरिंग वर्क्स	29040	156988
22	मै०प्रैस्टोलाइट आफ इण्डिया	267148	3396668
23	मै०ग्लोब मोटर वर्क्स	352172	106486
24	मै० रैकमैन आटो वर्क्स	396643	318964
25	मै० रैकमैन को किनज	110533	14731
26	मै०डी०जी०एल० (प्रा०) लि०	11705	178772
27	मै० फरीदाबाद मैन्यूफैक्चरिंग इन्जीनियरिंग	21206	95570

28	मै० बी०आर० इन्जीनियरिंग	10511	113303
29	मै० इन्डस्ट्रीयल एंड एलाइड प्रोडक्अस	---	52111
30	मै० राजधानी इलैक्ट्रीकल्ज	75000	---
31	मै० बुल रैकरज (प्रा०) लि०	7035	473526
32	मै०सैको इन्डस्ट्रीज	3139	123774
33	मै०टाप स्टाईल एपरलज	...	344587
34	मै० हिन्दोस्तान इन्डस्ट्रीज	25794	56186
35	मै० गने ा पैकिंग इन्डस्ट्रीज	92917	100040
36	मै०स्वदे ा रबड इन्डस्ट्रीज	45753	242941
37	मै०क्लच आटो लि०	...	633866
38	मै० नैपको बावल गियर्ज आफ इण्डिया	13795	138902
39	मै० एच०एम०एम (प्रा०) लि०	85093	393191
40	मै० इन्सपी आटो इन्डस्ट्रीज (प्रा०) लि०	59577	286214

41	मै0 हरियाणा फुटवियर	129830	215242
42	मै0 एसोसिएटिड इन्डस्ट्रीज	1107691
43	मै0 इन्डियन गैस सिलेंडर	...	1070000
44	मै0 गोलडन पोलिएस्टर प्रा0लि0	30438	124868
45	मै0 फारमाचैम लैबारेटरीज	62513	21745
46	मै0ग्लोब स्टील लिमिटेड, बल्लभगढ़	1013202	938282
47	मै0 नार्दन इण्डियाआयरन एंड स्टील कम्पनी	537885	..
48	मै0 चन्द्रभान, एल02	303488
49	मै0 दिने 1 वाईन भाप एल0 2	75775
50	मै0 य 1पाल एल0 2	308568
51	मै0बी0 आर0 गुप्ता एल0 2	163421
52	मै0जे0एन0 भार्मा एंड भान्ज	236870	284675
53	मै0एपलाईन्स मैन्युफैक्चरिंग	166273	27797

	कम्पनी		
54	मै0ब्रंक लाइनिंग लि.	--	736770
55	मै0लक्ष्मी रतन इन्जीनियरिंग वर्कस	541031	712786
56	मै0फ्री व्हील इण्डिया	64423	--
57	मै0 ईस्टर्न इलैक्ट्रॉनिक्स लि0	--	196996
58	मै0 इन्डियन हार्डवेयरज इन्डस्ट्रीज लि0	12171	55052
59	मै0 एसोसियेटेड स्टील इन्डस्ट्रीज (प्रा0)	190765	37317
60	मै0हिनदोस्तान ब्राउन बोवरी फरीदाबाद	--	1800096
61	मै0ओरिएन्ट इलैक्ट्रीकल्ज इनेले न (प्रा0)	2433	95170
62	मै0 एकसैक्लसियरज प्लान्ट (लि0)	15293	424586
63	मै0भारत कारपेटस लि0	--	642733

64	मै० राणा ट्रेडिंग कम्पनी	157709	--
65	मै० लक्ष्मी ट्रेडिंग	558610	..
66	मै० इलाईड ट्रेडिंग कम्पनी	939563	..
67	मै० परल साईकिल इन्डस्ट्रीज लि०	239341	1201630
68	मै० यू०के० बिल्डरज (प्रा०) लि०	7931	425861
69	मै० करूसिनल स्टील इन्डिया	18043	39785
70	मै० सोभद्र टैक्सटाईलज	64566	..
71	मै० ब्रिस्टल पेन्टस	18	156612
72	मै० लिकर ट्रेडरज प्राईवेट लि०	112119	2782
73	मै० वैस्टैण्ड म गिनरी मार्ट	8300	56000
74	मै० हरियाणा सेल्ज कारोपरे गन, पलवल	135306	..
75	मै० बनवारी लाल पर गेतम	30744	28574

	दास, फरीदाबाद		
76	मै०कृष्णा कैमिकल्ज प्राईवेट लि०	30974	26315
77	मै० इन्डोजैम फारमौसयूटिकल्ज	3000	348838
78	मै०साहनी ब्रदर्ज, फरीदाबाद	98796	9361
79	मै०टैली साउण्ड इनिडया लि.	4794	442153
80	मै०करूसिबल स्टील इन्डिया	12645	47392
81	मै०गम ा पर्इप (प्रा०) लि०	74936	110582
82	मै० बल्लभगढ कोआपरेटिव मार्किटिंग सोसायटी लि० बल्लभगढ	68351	..
83	मै० एस०पी० ग्रामोफोनज एंड कं०	57000	..
जिला गुड़गांव			
84	मै० बैगल एंड कार्टनजं	..	471616

85	मै0ईगो मैटल वर्कस	26647	151330
86	मै0गोल्ड फील्ड मैन्यू कं0	36403	61627
87	मै0 मारुति लि0	1959791	3506458
88	मै0 एन्ट्रा कैमिकलज प्रा0 लि0	58837	10
89	मै0निबरो लिमिटेड	15950	502823
90	मै0राही ट्रेडिं कारपेरे ान	306000	..
91	मै0विजय कुमार रोजेन्द्र प्रसाद	288377	238157
92	मै0मारुति हैवी व्हीकल्ज	595899	72005
93	मै0 मोहन लाल एल02 सोहना	73179	..
94	मै0ने ानल ड्रग्ज मैन्यू0 क0	18350	40963
95	मै0बजाज मैटल वर्कस	51000	29949
96	मै0दुर्गा रबड इन्डस्ट्रीज	34048	36165
97	मै0बी0टी0 रीफैक्ट्रीज	5681	81933

98	मै0हरियाणा गुड़गाव	रोडवेज,	177373	..
जिला हिसार				
99	मै0 विव दत्त राय फतेह चन्द, हिसार		..	70000
100	मै0रघुवीरचनद पत राम, हिसार		..	31000
101	मै0 नत्थूराम नेम चन्द, हिसार		52160	144416
102	मै0विजय कुमार मुनी कुमार, हिसार		67957	112835
103	मै0पदम कुमार संजय कुमार, हिसार		145231	151189
104	मै0करण पाल अनिल कुमार, हिसार		17544	72088
105	मै0हरियाणा हिसार	कनकास्ट,	..	304277
106	मै0 कालू राम कि गोरी		4442	49925

	लाल, हिसार		
107	मै० मंगत राम राम अवतार, हिसार	54314	466452
108	मै० सेठ का ि राम, कैमिकल्ज (इण्डिया) हिसार	173798	..
109	मै० गोयल ब्रादर्स, हिसार	6668	485748
110	मै० हरियाणा रोडवेज हिसार	123560	..
111	मै० बिरला मिल्ज, जिनिंग प्रैसिंग फ़ैक्टरी फतेहाबाद	388399	..
112	मै० देस राज सुखदेव, फतेहाबाद	..	75000
113	मै० गने ा ट्रेडिंग मम्पनी, बरवाला	..	53832
114	मै० बरवाला दाल मिल्ज, बरवाला	29203	44432
115	मै० जे० सी० मिल्ज फ़ैक्टरी, फतेहाबाद	284971	..

116	मै०गोपाल दास चन्द्र मोहन, आदमपुर	149420	4744
117	मै०सरदार सिंह जगत सिंह	74500	..
118	मै०भारत ट्रेडिंग कम्पनी, हिसार	..	63774
119	मै० प्लांट प्रोजेक्टान इन्सपेक्टर, हिसार.	149729	..
जिला जीन्द			
120	मै० भयाम दत्त एंड कं० एल०-2 जीन्द	58075	..
जिला जगाधरी			
121	मै० मैगो वाच कं० यमुनानगर	84555	..
122	मै० दोलत राम एण्ड सन्ज यमुनानगर	140000	..
123	मै०मुकन्द लाल भार्मा एंड कं. यमुनानगर	60000	..
124	मै०यू०सी० ट्रेडरज,	83710	..

	यमुनानगर		
125	मै० भगवान दास एंड कं० जगारधरी	550859	34840
126	मै०आत्मा राम ज्ञान सिंह, जगाधरी	154492	..
127	मै०लक्ष्मी सिंह सोहन सिंह, जगारधरी	161951	128
128	मै०नेत्र सिंह दुर्गा सिंह, जगाधरी	86831	3344
129	मै० पुनाईटिड टिम्बर इन्डस्ट्रीज जगाधरी	127813	..
130	मै०प्रेमदास पाहवा एंड कं० जगाधरी	1151305	4877
131	मै० श्रमिक मैटल प्रोडक् इन कोपरेटिव इन्डस्ट्रीयल सोसाइटी लि० जगाधरी	56978	245
132	मै०किरण मैटल, इन्डस्ट्रीज	39429	23515

133	मै० इंकर स्टील	60000	..
जिला करनाल			
134	मै० गवर्नमेंट मैडिकल डिपो, करनाल	4130290	18296530
135	मै०गीताचावला एल० 2 करनाल	82834	..
136	मै०खोसला सैल्ज, जी०टी० रोड करनाल	148731	..
137	मै०हरियाणा रोडवेज, करनाल	234941	..
138	मै०सोलेव I आयल एंड फरटीलाईजर, जी०टी० रोड करनाल	146050	..
139	मै०11वैल्डवैल आर्क इलैक्ट्राडज करनाल	99164	44927
140	मै०नरे I कुमार एंड कं० एल-2 घरोंडा	89741	..
141	मै०कुन्दन लाल लाजीमल,	90000	..

	पानीपत		
142	मै0एस0के0 गांधी पानीपत	60335	60335
143	मै0नीलम बेकरी, पानीपत	60335	..
144	मै0करनाल डिस्टलरी, लिमिटेड, करनाल	117022	181040
145	जयकि टन जिन्दल, करनाल	107000	..
जिला कुरुक्षेत्र			
146	मै0हंस राज भगवान दास, कैथल	58303	..
147	मै0 हरियाणा रोडवेज, कैथल	113889	..
148	मै0 सन्त लाल टेकचन्द, कैथल	131455	..
149	मै0अवतार सिंह एंड कम्पनी	78822	..
150	मै0विनोद ऐे गोसियेट लिमिटेड, कुरुक्षेत्र	87460	..

151	मै० डिस्ट्रीक्ट फूड सप्लाय कन्ट्रोलर लाडवा	..	459244
152	मै० बलबीर सिंह जोगेन्द्र सिंह एल०२ लाईसैंसी पुन्डरी	58985	..
153	मै० अजीत सिंह चीमा एंडक० एल-२	89605	..
154	मै० रजनी बोन मिल्ज, कैथल	446	51709
जिला नारनौल			
155	मै० छोटे लाल चिरंजील, नारनौल	197622	..
156	मै० रामकिान भयोचन्द, राय नारनौल	..	395245
157	मै० मर्चेटस इण्डिया रिवाड़ी	163332	14107
158	मै० महेन्द्र कुमार संजय कुमार रिवाड़ी	65486	..
159	मै० त्रिखा राम राम	..	50000

	प्र गाद, रिवाडी		
160	मै0 सोनी इन्डस्ट्रीज रिवाडी	112186	95186
जिला रोहतक			
161	मै0मनोहर लाल सुरे I चन्द महम	71866	54877
162	मै0रायल बोडी बिल्डर, रोहतक	305278	160649
163	मै0पाहवा बोटल सप्लार्ई कम्पनी, रोहतक	53784	122396
164	मै0एन0आर0 इन्डस्ट्रीज, बहादुरगढ	14004	274429
165	मै0टरोक्स फारमैंसी यूटीकल्ज, बहादुरगढ	..	89300
जिला सोनीपत			
166	मै0 हरियाणा राईस पंड जनरल मिल्ज, गोहाना	104280	..
167	मै0डिपरी फूडज लिमिटेड	127517	1121739

	रायी		
168	मै0हरियाणा रबड इन्डस्ट्रीज सोनीपत	854951	1119861
169	मै0अ टोक मोटर स्टोर, सोनीपत	483550	7644
170	मै0फन्डली इन्जनियरिंग (प्रा0लि0) कुन्डली	19930	127743
171	मै0देवासिया अबराहम एंडकम्पनी, कुन्डली	270956	60
172	मै0अबथ इन्डस्ट्रीज, सोनीपत	11383	73196
173	मै0कपूर रबड लिमिटेड सेनीपत	..	56937
174	मै0औरगनी कैमीकल इन्डस्ट्रीज, सोनीपत	11223	1142520
175	मै0 सूरज स्टील लिमिटेड, सोनीपत	1473659	85939
जिला सिरसा			

176	मै0 सिरसा इन्डस्ट्रीज सिरसा	297788	58780
177	मै0पदमावती राजे कोटन जिनिंग फ़ैक्टरी सिरसा	231378	..
178	मै0भाखड़ा कोटन एंड जिनिंग फ़ैक्टरी सिरसा	182249	..
179	मै0चौधरी कोटन जिनिंग प्रेसिंग फ़ैक्टरी, डबवाली	155878	50086
180	मै0बैनी गोपाल महाबीरप्रसाद, सिरसा	128833	..
181	मै0गुप्ता एंड सन्ज, डबवाली	...	225391
182	मै0दुर्गा आयल एंड जनरल मिल्ज सिरसा	53194	..
183	मै0हरजी राम बलवन्त सिंह, सिरसा	164586	..
184	मै0गुप्ता काटन जिटिंग एंड प्रेसिंग फ़ैक्टरी डबवाली	328283	..

185	मै०गोपी चन्द टैक्सटार्इल मिल्ज, सिरसा	322067	2005597
186	मै०दीनानाथ सुभाश चन्द सिरसा.	119647	47981
187	मै०मित्तल एंड क० सिरसा	..	101800
188	मै०हनुमान ट्रेडिंग कम्पनी	..	92590
189	मै०रामनाथ मल्होत्रा, सिरसा	..	61552
190	मै०खेमजी विश्रामजी एंड सन्स, डबवाली	..	72748
191	मै०लक्षमण दास करतार सिंह, सिरसा	36965	87060
192	मै०मनोहर लाल राजकुमार, डबवाली	31148	23414
193	मै०सूरजा राम काटन जिलिंग प्रैसिंग फ़ैक्टरी कलांवाली	288743	30293
194	मै० योधन मल एंड कम्पनी, एलनाबाद	70000	..

195	मै0भारत कारपोरे टान, सिरसा	कांटन	144138	61696
-----	-------------------------------	-------	--------	-------

सूची II

गिरफ्तार किये गये व्यापारियों की सूची

कंसं0	फर्म / व्यक्ति का नाम तथापता	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति का नाम	बकाया राशि	
			हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम
1	2	3	4	5
जिला अम्बाला				
1	मै0 जवाहर लाल एल-2 पंचकुला	श्री जवाहर लाल	35000	..
2.	मै0 सोलर रेडियोज	श्री नरे ट चन्द,	50557	..

	अम्बाला भाहर	हिस्सेदार		
जिला भिवानी				
—	—	—	—	—
जिला फरीदाबाद				
3	सुरे ा फाईन आर्टस फरीदाबाद	श्री विजय कुमार, हिस्सेदार गांव कुराल, बल्लभगढ़	3094	..
4	मै० नानक चन्द राम किशन, होडल	श्री रामकि ान पुत्र नाथीमल होडल, हिस्सेदार	19856	..
जिला गुड़गावं				
5	मै० मोहन लाल एल-2	श्री मोहन लाल मलिक	73179	..

	सोहना			
जिला हिसार				
6	में0 करण पाल अनिल कुमार, हिसार	श्री करणपाल, हिस्सेदार	17544	72088
7	में0कालू रामकिेरी लाल हिसार	श्री महावीर प्रसाद हिस्सेदार	4442	49925
8	में0मंगत राय राम अवतार हिसार	श्री पुनम चन्द हिस्सेदार	54314	466452
9	में0 बाला जी दाल मिलज हिसार	श्री गोपीराम हिस्सेदार	..	32367
10	में0हरियाणा साल्ट कम्पनी हिसार	श्री बनारसी दास मालिक हिसार	4635	..

11	मैं0 ांकर ट्रेडिंग कम्पनी		..	9724
12	मैं0राम लाल, भयाम सुन्दर, फतेहाबाद	श्री तेलू राम हिस्सेदार	26271	..
13	मैं0अग्रवाल एंड सन्ज हिसार	श्री बलबीर सिंह हिस्सेदार	16639	..
14	मैं0भारत ट्रेडिंग कं0 हिसार	श्री सती I कुमार मालिक	..	63774
जिला जीन्द				
15	मैं0 तेलू राम निवास, उचाना	श्री सतपाल हिस्सेदार	39391	3058
16	मैं0रामचन्द्र रामे वरदास, जीन्द	श्री रामचन्द्र मालिक	30682	..

17	मै०सु गील मैटल इन्स्ट्रीज जगाधरी	श्री ओमप्रकाश अग्रवाल, हिस्सेदार	3148	9136
18	मै० किरण मैटल इन्डस्टीज जगाधरी	श्री कृष्ण लाल, हिस्सेदार	229429	23512
19	मै०बी०जी० एंड क० यमुनानगर	श्री बिटान स्वरूप हिस्सेदार	2384	..
20	मै०हरियाणा बोटल स्टोर	श्री गुरदित्त सिंह, हिस्सेदार	46600	..
21	मै० महेन्द्र सिंह भाटिया	श्री महेन्द्र सिंह मालिक	10857	771896
जिला करनाल				

22	में० नरे ा कुमार एंड कं० घरौंडा	श्री नरे ा कुमार, मालिक	89741	..
23	में०गीता चावला, एल-2 करनाल	श्री अजीत सिंह चीमा पार्टनर	82834	...
जिला कुरुक्षेत्र				
24	में० बसेसर दयाल परवीन कुमार, कुरुक्षेत्र	श्री बसेसर दयाल पुत्र श्री छज्जू राम, थानेसर हिस्सेदार श्री राधा कि ान पुत्र श्री दौलत राम, कुरुक्षेत्र हिस्सेदार	9813	..

जिला नारनौल				
—	—	—	—	—
जिला रोहतक				
25	मै०मोहन इन्डस्ट्रीज रेलवे रोड रोहतक	श्री ओम प्रकाश मालिक मै० मोहन इन्डस्ट्रीज रोहतक	36171	..
26	मै०सरन दयाल मेहता एल.2 रोहतक	श्री सरन दयाल मेहता हिस्सेदार	17200	..
27	मै०रायल बौडी बिल्डरज रोहतक	श्री श्रीयांज कुमार जैन हिस्सेदार	305278	160649
28	मै०माई धन सत नारायण	श्री माई धनुकर्ता	31260	..

	रोहतक			
जिला सिरसा				
—	—	—	—	—
जिला सोनीपत				
29.	मै0 जग्गा राम जय भगवान सोनीपत	री जय भगवान पुत्र श्री बिहारी लाल मालिक	47404	..

चौधरी अजीत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया कि 195 आदमियों की और हरियाणा जनरल सेल्स टैक्स और सैन्ट्रल सेल्ज टैक्स बकाया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि उनके खिलाफ टोटल कितना रूपया बनता है। दूसरे जो आपने 195 में से 29 आदमी गिरफतार किये है। उनमें सीरियल नम्बर 134 पर मै0 गर्वनमेंट मैडिकल डिपो, करनाल की तरफ 41 लाख रूपया बकाया है, उसे गिरफतार नहीं किया लेकिन 29 आदमी जो गिरफतार किये है उनमें सीरियल नम्बर 17 पर मै0 सु गील मैटल इन्डस्ट्रीज जगाधरी जिसकी तरफ 12284 बनता है, उसे गिरफतार किया है। क्या कारण है कि जिसकी तरफ ज्यादा

रूपया बकाया था उसे गिरफ्तार नहीं किया और कम वाले को गिरफ्तार किया?

चौधरी मेहर सिंह राठी: यह करनाल का मामला है। सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया हुआ है। दूसरे जो भी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी होती है उनके भोयर होल्डर्स होते हैं, उनकी लिमिटेड लायबिलिटीज होती है। उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जिसका जितना भोयर होता है, उसके मुताबिक पेमेंट करते हैं। गवर्नमेंट आफ इंडिया की फर्म है। सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया हुआ है।

श्री बीरेन्द्र सिंह: मंत्री महोदय बतायेंगे कि 195 डिफाल्टर्स में से कितने आदमियों ने स्टे लिया हुआ है। जिन्होंने स्टे नहीं लिया है क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है और अगर की गई है तो वह क्या की गई है?

चौधरी मेहर सिंह राठी: पांच करोड़ चालिस लाख के अमाउन्ट का लोगों ने स्टे लिया हुआ है। मेरे पास लिस्ट है। अगर आप कहें तो पढ़ कर सुना देता हूँ। (व्यवधान एवं भाोर)

श्री अध्यक्ष: क्या आपका कहना यह है कि आप बहुत जबरदस्त कार्यवाही कर रहे हो।

चौधरी मेहर सिंह राठी: बिल्कूल जी।

श्री अध्यक्ष: बजट में भी फाइनेंस मिनिस्टर महोदय ने यह बताया है कि रिकवरी अब पहले साल के मुकाबले में बहुत ज्यादा हो रही है। इसका मतलब यह है कि मंत्री महोदय बहुत जबरदस्त कार्यवाही कर रहे हैं। (गोर एवं व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह: हमें तो इनकी कार्यवाही बिल्कुल नजर नहीं आती।

श्री हीरानन्द आर्य: स्पीकर साहब, यह जबरदस्त कार्यवाही नहीं, जबरदस्ती कर रहे हैं।

श्री गुलजार सिंह: मंत्री महोदय का मन्ता यह है कि छोटी-मोटी रकम, जिसमें 500 रुपये से लेकर 1000, 2000 या 10000 रुपये तक बकाया है, के मामले बहुत ज्यादा हैं। मेरा कहना यह है कि ऐसे लोगों को तो अरैस्ट कर लिया जाता है लेकिन जिनकी तरफ लाखों रुपया बकाया पडा हुआ है, उनको कोर्टस के रस की वजह से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। क्या मंत्री महोदय कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे कि जिन आदमियों या कम्पनियों की तरफ लाखों रुपया बकाया पडा है, उनसे बकाया राशि की रिकवरी जल्दी से जल्दी की जा सके? गरीबों से तो आप ही कर लेते हैं लेकिन अमीरों से नहीं करते।

चौधरी मेहर सिंह राठी: जैसे मैंने बताया है कि जो बड़ी-2 रकम बकाया है, वह ज्यादातर ऐसी फर्मों की तरफ बकाया है जो प्राइवेट लिमिटेड फर्म हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कानून है

जिसके मुताबिक उनकी लायबिलिटी लिमिटेड ही है। उसके मुताबिक ही हम उनसे वसूल कर सकते हैं। कोई अगर कोर्ट में चला जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं? यह कोई लट्ठमार हकूमत तो है नहीं कि गोली मार दो। अगर कोर्ट उनको स्टे दे दे तो हम क्या करे क्योंकि कोर्ट में हम इन्टरफीयर नहीं कर सकते।

श्री सुरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने सवाल के पाट्र 'बी' के जवाब की आखिरी लाईन में कहा है—

“In hard cases instalments have also been allowed”

जिस इलाके में चार साल लगातार कहत पडता है, वहां पर तो यह सरकार किसान से रिकवरी करती है चाहे वह तकावी कह हो, किसी लोन की हो या किसी दूसरे किस्म के ऋण हो। जिस इंडस्ट्रीयलिस्ट के खिलाफ इतना पैसा बकाया है, उसके बारे में आप यह कहते हो कि हार्ड केसजि में आप इनस्टालमेंट में भी उसको अलाउ कर देते हो। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इस बात को तय करने के लिये कि यह वाकई हार्ड केस है। कौन सा पैमाना तय किया हुआ है जिसके तहत आप इन्स्टालमेंट में अलाउ कर देते हो जबकि आप 500 रुपये की अमाउन्ट को भी एज एरिज आफ लैंड रैवेन्यू वसूल करते हो, क्या इस बारे में मंत्री महोदय पोजीटिव क्लैरिफाई करेंगे?

चौधरी मेहर सिंह राठी: स्पीकर साहब, चौधरी सुरेन्द्र सिंह जी तो यह चाहते हैं कि मुर्गी को खा लिया जाये। हम यह

कहते हैं कि पहले अण्डा खाओ। अण्डा खाओगे तो मुर्गी तो जिन्दा रहेगी और अण्डा फिर भी मिलता रहेगा। अगर मुर्गी ही मर गयी तो अण्डा कहां से मिलेगा। हमारा इन्सपैक्टर पहले जाता है , फिर ए0ई0टी0ओ0 जाता है, फिर ई0टी0ओ0 और फिर ई0टी0सी0 भी जाता है। अगर कहीं पर अडचन हो तो मैं। खुद भी जाता हूँ। हम वहां पर जाकर इस बात की कोशिश करते हैं कि हमारी रकम किसी न किसी तरह से निकल जाये। (व्यवधान एवं भाोर)

स्वामी अग्निवेश : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक बात पूछना चाहता हूँ। मंत्री महोदय ने जो सूची इस सदन के पटल पर रखी है। उसमें इन्होंने यह बताया है कि सेल्ज टैक्स की इतनी-2 रकम की चोरी इन-इन फर्मों ने की है। इसके अलावा कुछ लोगों को गिरफ्तार करने की बात भी कही गयी है। (व्यवधान एवं भाोर) वैसे तो चोरी ही है आप इसको बेनाम अपने भावों में बकाया कह लो, यह आपकी अपनी मर्जी है। क्या यह सत्य नहीं है कि जो बड़े-2 मगरमच्छ हैं , उनके खिलाफ इसलिये एक कानून नहीं लिया जा रहा है क्योंकि वे सरकार को गाहे-बगाहे मदद करते रहते हैं।

चौधरी मेहर सिंह राठी: स्पीकर साहब, यह चोरी का सवाल नहीं है, यह रूपया फर्मों की तरफ बकाया पडा हुआ है। हम तो जो पैसीबल कार्यावाही कर सकते हैं, कर रहे हैं। लेकिन कानून की इन्टरप्रेटेशन में या किसी दूसरी जगह पर हमारे अफसरों की भी गलती हो सकती है। वह जे0ई0टी0सी0 के पास

अपील करे, फिर ट्रिब्यूनल को अपील करे, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाये, यह हर आदमी को डैमोक्रेसी में हम हासिल है। कोई भी आदमी किसी के फैसले को चैलेनज कर सकता है इनको छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले हम गिरफतार नहीं करते थे तो जैन साहब यह कहते थे कि इनको गिरफतार क्यों नहीं करते। दो साल 6 दिन तक इनकी सरकार रही, इन्होंने केवल 3 आदमी गिरफतार किये थे लेकिन हमने लगभग इतने ही अर्से में 17 आदमी गिरफतार किये है।

श्री देवी दास: स्पीकर साहब, जो सूची मंत्री जी ने सदन के पटल पर रख है, उसमें सोनीपत की एक फर्म सूरज स्टील की तरु 1473659 रूपया हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स का बकाया है यह एक बहुत बडी फर्म है मैं यह जानना चाहता हूँ कि इनहोने यह उससे यह राशि वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की है। यह इतनी बडी फैक्टरी है। क्या इस फैक्टरी ने कोर्ट से कोई स्टे वगैरा तो नहीं ले रखा है या किसी दूसरी वजह से इसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गयी है।

मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में थोडी सी पोजी तन क्लीयर करनाप चाहता हूँ। यह सरकार हरियाणा में पहली सरकार है जिसने , जिस किसी भी उद्योगपति के खिलाफ बकाया राशि खडी है, उसको एज एन्वियर्ज आफ लैंड रैवेन्यू वसूल करने का बाकायदा कानून बनाया है। (व्यवधान व भाोर) उसके तहत जैसे मंत्री महोदय ने बताया है,

हमने 17 आदमियों को जो बड़े-बड़े आदमी हैं, गिरफ्तार भी किया है और पूरी कार्यवाही कर भी रहे हैं। कुल बकाया राशि 12 करोड़ 82 लाख रुपये है जिससे से साढ़े आठ करोड़ रुपये के बारे में अदालतों से स्टे मिला हुआ है। (व्यवधान एवं भाोर) यह ठीक है कि साढ़े पांच करोड़ के बारे में अदालतों से स्टे मिला हुआ है। और 3 करोड़ रुपया बनता है जिसके बारे में हम फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। हमने अपनी तरु से पूरी कार्यवाही की है। किसी के साथ भी किसी किस्म की रियायत करने को तो कोई सवाली ही पैदा नहीं होता। पहले यहां पर यह एतराज उठाया जाता था कि किसान, जिसकी तरु अगर 500 रुपये भी बकाया हो, तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है लेकिन इन फ़ैक्टरी वालों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता। हमने इस बारे में कार्यवाही की है। उनको अन्दर भी किया है। पहले जब तक उनकी लायबिलिटी बनती नहीं थी हम उनको पकड़ते नहीं थे। हमने इस बारे में कानून बनाया है। (व्यवधान एवं भाोर) आप सुनने की तो कृपा करें। हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी की है। बाबू मूलचन्द जैन, सीनियर और पुराने मेंबर है। (व्यवधान एवं भाोर) आपके पास यह महकमा 2 साल 6 दिन तक रहा है और आप प्रानत के फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हो। (व्यवधान एवं भाोर)

श्री मूलचन्द जैन: मैं तो 6 महीने ही रहा हूँ। यह महकमा मेरे पास नहीं रहा है।

चौधरी भजन लाल: चलो आपके पास नहीं रहा होगा। किसी दूसरे के पास रहा होगा। मैं यह कहता हूँ कि सरकार चाहे कोई भी हो, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिजटी तो सब की सांझी होती है, जिम्मेदारी तो सब की इकट्ठी होती है। आपने जैसे मंत्री जी ने बताया आपने चौधरी देवी लाल जी की सरकार के दो साल 6 दिन के अर्से में केवल 3 आदमी गिरफ्तार किये। हमने सख्त से सख्त एकान लिया है ताकि जितनी ज्यादा से ज्यादा वसूली हो सकती है। वह की जाये और इस बारे में किसी से भी कोई रियायत नहीं बरती है।

चौधरी उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर कोई किसान अपने वक्त पर कर्ज की किताब न दे सके और उसकी मियाद पूरी हो जाये तो उससे सूद-दर-सूद चार्ज किया जाता है, क्या इसी तरह से इन फैक्टरी वालों से भी सूद-दर-सूद चार्ज किया जाता है जिनकी तरु सेल्ज टैक्स का रूपया बकाया है?

चौधरी मेहर सिंह राठी: इनसे सूद तो हम 12 प्रतिशत लेते हैं।

चौधरी वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, डालमिया सीमेंट फैक्टरी के खिलाफ हरियाणा जनललसेल्ज टैक्स का 38 लाख से ज्यादा रूपया बकाय पडा है। जब यह फैक्टरी बन्द हुई थी तो उसके मालिक ने सारा पैसा अपनी जेबों में डालकर इसको

दिवालिया डिक्लेयर कर दिया था। आपको मालूम ही है कि इसके बाद इस फैक्टरी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेक-ओवर करके फिर से चालू किया है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी धनराशि को इस फैक्टरी की तरफ बकाया है वह किस प्रकार वसूल करेंगे?

चौधरी मेहर सिंह राठी: स्पीकर साहब, हमने अपना क्लेम कमिशनर आफ पेमेन्ट के पास दाखिल कर दिया है।

चौधरी रिजक राम: स्पीकरसाहब, जो लिस्ट हाउस की टेबल पर रखी गई है उसमें अम्बाला रोडवेज और करनाल रोडवेज की तरफ टैक्स का पैसा बाकी दिखाया है और करनाल में ही गवर्नमेंट मैडीकल डिपों के अगेन्सट हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स का 41 लाख 30 हजार और सैन्टर्ल सेल्ज टैक्स का 1 करोड़ 82 लाख रूपया बाकाया दिखाया है। मतलब यह है कि अकेले मैडीकल डिपों के अगेन्सट दो करोड़ से भी ज्यादा रूपया सरकार का बकाया है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इन सरकारी एजेन्सियों के अगेन्सट टैक्स बकाया होने के कारण है और सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है?

चौधरी मेहर सिंह राठी: स्पीकर साहब, हमारी स्टेट की कारपोरेशन के साथ बातचीत चल रही है और जो फर्म है उसका केस सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है।

श्री मूलचन्द जैन: स्पीकर साहब, इस स्टार्ड क्वै चन के साथ ही साथ इस बारे में मेरा एक अनस्टार्ड क्वै चन था। उस लिस्ट में 132 आदमी ऐसे हैं जिनसे एक लाख से ज्यादा रूपया वसूल करता है और इनमें से केवल एक आदमी के खिलाफ ऐक्शन लिया गया है, 131 आदमियों के खिलाफ ऐक्शन नहीं लिया गया जबकि दूसरी तरफ मिनिस्टर साहब ने लिखित जवाब में बताया है कि 29 आदमियों के खिलाफ ऐक्शन लिया है। उनमें से 17 के खिलाफ गिरफ्तारी का ऐक्शन लिया गया है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि 131 आदमियों के खिलाफ ऐक्शन न लेने का क्या कारण है?

चौधरी मेहर सिंह राठी: स्पीकर साहब, कुछ आदमी सुप्रीम कोर्ट में गये हैं। हर आदमी का अलग अलग केस है। ये मेरे कमरे में आ जाएं मैं। इनको सारी बात समझा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल।

स्वामी अग्निवेश: अध्यक्ष महोदय, एक सवाल पर मैंने लिख कर हाफ एन आवर डिस्क्शन के लिये मांग की थी।

Mr. Speaker: I have not received it. When I receive it I will consider it. I will not be able to give a reply just now. If it is in order, I will consider it. If not, I am sorry.

Electricity connections for tubewells

***2629. Comrade Shankar Lal:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether any tubewell connections have been sanctioned recently in Rania Block of Distt. Sirsa; if so, their number;

(b) whether such connections were sanctioned after receiving due payment for the purpose;

(c) whether entries in respect thereof were duly made in the official record; if not, the reasons therefor;

(d) whether the government has suffered any loss as a result of non-entry of the connections, referred to in part (a) above; and

(e) if so, the extent of loss suffered and the action; if any, taken or proposed to be taken against the officers/officials found responsible for such lapses?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (सरदार तारा सिंह):

(क) हां, सितम्बर, 1981 से जनवरी, 1982 के दौरान सिरसा जिला के रानिया ब्लॉक के सभी औपचारिकतायें पूर्ण करने के बाद 48 नं० नलकूपों के कनैक्टिंग नों को स्वीकृति/जारी किया गया। निर्दिष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना जारी किये गये। 158 नं० कनैक्टिंग नों का सतर्कता कर्मचारियों द्वारा पता लगाया गया। बाद में इन को जुलाई तथा अगस्त 1981 के दौरान पूर्ण कराया गया तथा कनैक्टिंग नों का उचित हिसाब रखा गया।

(ख) हां, जुर्माने सहित देय राशि वसूल की गई।

(ग) हां, सभी जारी किये गये कनैक ानों की प्रविश्टियां (एंटर्रीज) पहले ही कार्यालय अभिलेखा (रिकार्ड) में जा चुकी है।

(घ) नहीं, सभी दिये गये कनैक ानों को हिसाब (एकाउंट) में लाया जा चुका है तथा देय राशि वसूल की जा चुकी है।

(ङ) यद्यपि सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ है फिर भी कनैक ान जारी करने से पहले औपचारिकताओं को पूरा न करने के लिये जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

कामरेड भांकर लाल: स्पीकर साहब, 210 कनैक ान ऐसे थे जो बिना इजाजत के चल रहे थे। मेरे कहने कामतलब यह है कि 210 कनैक ांज ऐसे थे जो नाजायज किस्म से चल रहे थे या चल रहे हैं और एच0एस0ई0बी0 का चीफ इंजीनियर वहां पर गया और उसने एक एस0डी0ओ0. को और एक ओवरसियर को मुअत्तिल किया लेकिन आगे उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। स्पीकरसाहब, जो कनैक ांज नाजायज चल रहे थे उनकी कोई सिक्योरिटी जमा नहीं की गई थी। रानियां बलाक में इस किस्म की बहुत हेराफेरी चल रही है। पांच लाख से लेकर पनद्रह लाख तक का घपला रानियां बलाक में चल रहा है। इससे सरकार का भी नुकसान है और जमींदार का भी नुकसान है। क्या मंत्री

महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस हेराफेरी को रोकने के लिये वे कोई कार्यवाही करेंगे?

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, मैंने अभी बताया है कि 158 केसिज इस किस्म के पकड़े गये हैं जिनमें इररैगुलैरिटी थी। हमने एक एस0डी0ओ0 को सस्पेंड किया और एक जे0ई0 को चार्ज फिट किया है जैसे ही ये इररैगुलैरिटी हमारे नोटिस में आई हमने आफसरान को भेजा और वहां पर रेड किया। सारे इलाके में रेड किये गये और ये केसिज डिटैक्ट किये। हमने इन पर पैनल्टी लगाई है। और पैनल्टी इस ढंग से लगाई है कि जैसे टयूबवैल्ज के लिये सौलह रूपया पर-होर्स पावर हमारा फ्लैट रेट है। तो हमने उन पर पचास रूपया पर होर्स पावर पैनल्टी लगाई है। और यह उस दिन से लगाई है जिस दिन से टैस्ट रिपोर्ट दाखिल दफतर हुई है। और उस दिन तक जिस दिन तक यह कनेक्टिंग रैगुलर हुये। हमने इस तरह से सारे हरियाणा में रेड कराया है और तकरीबन एक करोड 75 लाख रूपया थू पैनल्टी के वसूल किया है। स्पीकर साहब, मैं हाउस को वि वास दिलाना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी या ओफिसर अगर कोई इररैगुलैरिटी करेगा सरकार उसके खिलाफ ऐक्टान लेगी।

Mr. Speaker: While I agree that the H.S.E.B. is doing a very difficult job and it is commendable के जो आदमी डिफाल्ट करते हैं उनके उपर आपने जुर्माना लगाया है और रूपया वसूल किया है। लेकिन 158 आदमियों को एच0एस0ई0बी0 ने

प्राईमा फ़ैसाई बिजली की चोरी के जुर्म में गिलटी पाया है। उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही क्यों नहीं की गई?

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, मैंने पहले यही अर्ज किया है कि एस0डी0ओ0 को सस्पेंड किया है और जे0ई0 को चार्ज फ़ीट किया है। (गोर एवं व्यवधान)

चौधरी संत कवर: स्पीकर साहब, जिस एस0डी0ओ0 को सस्पेंड किया गया था उसको तो बहाल कर दिया गया है। (गोर एवं व्यवधान)

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, भागी राम जी कहते हैं कि एस0डी0ओ0 मेरा रि तेदार है, जो लोग पकड़े गये है वे मेरे रि तेदार है। ऐसा ये पिछले सै ान में भी कहते थे। स्पीकर साहब, मेरा कोई रि तेदार नहीं है। मैं इन लोगो को जानता तक नहीं हूं। यह बिल्कुल गलत बात है, इसतमें कोई सच्चाई नहीं। मैं उन आदमियों को पहचानता तक नहीं हूं। जहां तक एक ान लेने की बात है, स्पीकर साहब, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हमने 14 हजार 164 प्रिमिसिज पर रेड कराया और 1 करोड 97 लाख रूपया ऐज पैनेल्टी रिकवर किया। 1719 केसिल थैफट के पाये है और 263 डिपार्टमेंटल कर्मचारियों के खिलाफ एक ान लिया है। 158 केसिज इस किस्म के पकड़े है जिनमें इररैगुलैरिटी थी। स्पीकर साहब हम रात-दिन को ि । । कर रहे है कि कोई इररैगुलैरिटी न हो। हम किसानों को भी कहते है कि अगर आप

कर्मचारियों के साथ मिलते हो तो सरकार का और बोर्ड का नुकसान तो होता ही है लेकिन साथ में आपका भी नुकसान होता है। स्पीकर साहब, मैं सदन को वि वास दिलाता हूँ कि बोर्ड किसी भी आदमी को प्रोटेक्शन नहीं देगा।

श्री भागी राम: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मारफत मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि इस केस में जिस एस0डी0ओ0 को सस्पेंड किया था क्या वह बहाल कर दिया गया है या नहीं? दूसरा इस केस में जो 10 और 15 लाख रुपये का घोटाला बताया जाता है क्या वह सही है?

सरदार तारा सिंह: पहली बात जो आनरेबल मंत्री ने कही कि 15 लाख रुपये का इस केस में घोटाला है। यह बिल्कुल बेसलैस बात कही गयी है। इनरैगलैरेटी सिर्फ इतनी हुई कि एक कंजूमर ने टैस्ट रिपोर्ट दी, ओर उसका नम्बर दो या ढाई महीने के बाद आना था लेकिन ए0डी0ओ0 ओर जे0ई0 ने मिल कर उस कंजूमर को पहले कनेक्शन दे दिया। मैं इनकी यह बात मानता हूँ कि संबंधित कर्मचारी ने ऐसी इनरैगलैरेटी करते वक्त जरूर कुछ न कुछ इल्लिगल ग्रेटीफिकेशन लिया होगा लेकिन हमने उस आदमी के खिलाफ एक्शन ले लिया है, उसे चार्ज शिट कर दिया गया है और उसके खिलाफ केसजि भी बनाये गये हैं स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा सदन को यह बताना चाहता हूँ कि इस समय इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड में लगभग 36 हजार के करीब स्टैट में इम्पलाईज है और इतनी बड़ी एस्टैबलिशमेंट को कंट्रोल करना

कोई आसान बात नहीं है। चाहे कोई भी सरकार या आ जाये इस तरह के छोटे मोटे केसिज हो ही जाते हैं। कोई भी आदमी दूध का धोया नहीं होगा, जब हमारे नोटिस में यह बात आई है। हमने फौरी ऐक्टान लिया है और आगे के लिये भी ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों पर तुरन्त ऐक्टान लिया जायेगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। स्पीकर साहब, जहां तक एस0डी0ओ0 के सस्पेंशन की बात है, सुबह मेरी सूचना के अनुसार, वह सस्पेंडिड है। उसे चार्ज फिट कर दिया गया है और अभी तक उस का जवाब नहीं आया है।

श्रीमती डा0 कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि क्या उनकी नालेज में यह बात है कि कुरुक्षेत्र और हरियाणा में दूसरी जगहों पर इसी तरह के केसिज हुये हैं और क्या उनके खिलाफ कोई ऐक्टान लिया गया है या नहीं?

श्री अध्यक्ष: इन सप्लीमेंटरी का इस सवाल से कोई संबंध नहीं है, इसके लिये अलग से नोटिस चाहीये। यह प्रश्न तो केवल रानियां ब्लाक से संबंधित था।

कामरेड भाकर लाल: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि तीसरे और चौथे दर्जे के कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है और उन पर फौजदारी मुकदमें बनाये गये हैं? क्या इन कर्मचारियों के इलावा कोई और

उपर के अधिकारी भी भागमिल है, जिनको सस्पेंड किया गयाहो और उन पर फौजदारी मुकदमें बनाये गये हो?

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साह,ब इसके लिये सेपरेट नोटिस देगें तो बता दिया जाएगा।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं स्थिति स्पष्ट कर देता हूं कि एस0डी0ओ0 और जे0ई0 दोनों सस्पेंडिड है। एक्सीअन के खिलाफ हम इंकवायरी करवा रहे है, उसकी रिपोर्ट अभी तक हमारे पास नहीं आई है। मैं हाउस को बताना चाहता हूं कि किसी के साथ ऐसे केसिज मैं नर्मी नहीं बरती जायेगी और जिस किसी अधिकारी या कर्मचारी का फाल्ट मिलेगा, उसको माफ नहीं किया जायेगा।

Construction of Bus-stand at Uklana Mandi

***2866. Shri Jai Narain Verma:** Will the Minister for Transport be pleased to state-

(a) the progress so far made in teh construction of Bus-==Stand at Uklana Mandi; and

(b) the number of bus queue shelters constructed in Barwala constituency so far, together with the location thereof?

परिवहन मंत्री (श्री जगन नाथ):

(क) जगह का चयन किया जा चुका है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करने के प्रयत्न जारी है।

(ख) भून्य।

श्री जयनारायण वर्मा: स्पीकर साहब, मैंने अपने सवाल के पार्ट "बी" में यह पूछा था कि बरवाला निर्वाचन-क्षेत्र में अब तक कितने बस-क्यू भौल्टरों का निर्माण किया गया है तथा वे कहां-2 पर स्थित है तो मंत्री महोदय ने इसका जवाब दिया कि भून्य। कहने का मतलब यह है कि कोई नहीं बनाया है इसलिये मैं आपकी मार्फत मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि सारी स्टेट के अन्दर कितने बस-क्यू भौल्टर बने है और इन के अपने हल्के में कितने बने और आदमपुर में कितने बनाये गये? दूसरा मेरा सप्लीमेंटरी मेरे सवाल के पार्ट "ए" से संबंधित है जिसके उत्तर में मंत्री महोदय ने यह कहा है कि उकलाना मंडी में बस-अड्डे के निर्माण हेतू जगह का चयन किया जा चुका है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करने के प्रयत्न जारी है। "प्रयत्न" भाब्द का क्या तात्पर्य है, क्या मंत्री महोदय का कश्ट करेगें?

श्री जगरनाथ: स्पीकर साहब, वर्मा साहब ने अपनी सप्लीमेंटरी के पहले भाग में यह पूछा है कि सारी स्टेट में कितने बस-क्यू भौल्टर बनाये गये है। इस वक्त सारी स्टेट के आकड्डे तो

मेरे पास उपलब्ध नहीं है। वैसे स्पीकर साहब, ये विधायक अपने हल्के में तो रहते ही नहीं हैं। वम्र साहब तो हर वक्त हियर में ही घूमते रहते हैं। सुशमा जी दिल्ली रहती हैं। वर्मा साहब, जब जनता पार्टी की सरकार थी, उस वक्त दो अढाई साल हमारे साथ रहे। उस वक्त भी यह विभाग मेरे पास था। अगर इनहें सचमुच अपने हल्के का ख्याल होता तो उस समय यह इन बातों का कभी न कभी जिक्र अव य करते। कभी मुझे कहते या चीफ मिनिस्टर साहब को कहते। लेकिन इन्होंने कभी भी मुझे इस बारे में लिखित रूप में भी नहीं दिया। ये स्वयं तो ऐसे कामों को करवाने के हक में नहीं हैं, औ न ही थे। इन्होंने कभी यह नहीं हमें कहा कि मेरे हल्के में बस-क्यू भौल्टर्ज का निर्माण किया जाए। कभी ऐसी बात इन्होंने कह ही नहीं। (गोर एवं व्यवधान)

श्री जयनारायण वर्मा: अध्यक्ष महोदय, यह बडे दुख की बात है कि सरकार जवाब देने की बजाये यहां हाउस में यह कहे कि मैबरसाहेबान उनको कीी डिवैल्पमेंट के काम के बारे में उनके पास आकर नहीं कहते। यह उनका जवाब देने का कोई तरीका नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरे सप्लीमेंटरी का जवाब उनसे दिलवाया जाना चाहिये। मेरे प्र न का जवाब ही नहीं आया है। (गोर एवं व्यवधान) मैंने उनसे पूछा था कि उनके अपने हल्के में कितने बस-क्यू भौल्टर बने हैं, आदमपूरी के कितने बने हैं और मेरे हल्के में कितने बने हैं? ऐसा भेदभाव अपोजी न के एम0एल0एज0 के हल्कों के साथ क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या

वहां पर रहने वाले लोग टैक्स नहीं देते हैं? क्या वे लोग इंसान नहीं हैं? बवानी खेडा के लोगों के साथ अलग तरह का व्यवहार और बरवाला क्षेत्र के लोगों के साथ अलग तरह का व्यवहार किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: वर्मा साहब, आप सवाल पूछिये। (गोर व व्यवधान) मिनिस्टर साहब ने आपके सवाल के जवाब में कहा है कि इस वक्त सारी स्टेट के आंकड़े उनके पास उपलब्ध नहीं हैं, इसलिये आप सैपरेट नोटिस दे। अगर आपको बवानीखेडा, बरवाला, आदमपुर वगैरह या दूसरी जगहों के बारे में सूचना चाहिये थी तो आपको पहले ही अपने सवाल में मैं उन कर देना चाहिये था।

श्री बीरेन्द्र सिंह: मिस्टर स्पीकर सर, सप्लीमेंटरी पूछने का मतलब ही यही है। अगर माननीय सदस्य पहले ही अपने सवाल में इन सारी बातों का जिक्र कर देते तो फिर सप्लीमेंटरी का मतलब ही क्या रह जाता है। स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब के पास, इनकी फाइल का सारी जवाब है, वह फाइल पढ़कर जवाब नहीं देना चाहते। अगर ये मुझे फाइल दे दे तो मैं पढ़कर बता सकता हूं। ये जवाब देना ही नहीं चाहते। (गोर व व्यवधान)

श्री जगननाथ: स्पीकर साहब, मैं हाउस को यह बता देना चाहता हूं कि सरकार किसी भी हल्के के साथ चाहे वे अपोजी उनके मੈंबरोँ का हल्का हो, चाहे रूलिंग पार्टी के मੈंबरोँ

का हल्का हो, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरतेगी और सब के साथ एकसां सलूक यिका जा रहा हैं मैंबर साहब का यह कहना बिलकूल गलत है कि उनके हल्के के लोगों के साथ भेदभाव की नीति बरती जा रही है। हमने यमुनानगर, हांसी , गोहाना ,पलवल जोकि अपोजी ान के हल्के है,में डिपोज बनाये है। सब के साथ एकसां व्यवहार यिया है।

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैंबर्ज, मैं मंत्री जी की बात को मानता हूं और वर्मा साहब को चयह चाहिये था कि वे सरकार को इस बारे में चिट्ठी लिखते कि उनके हल्के में डिवलपमेंअ का काम नहीं हो रहा है लेकिन वर्मा साहन ने मिनिस्टर साहब के कहने कू मूताबिक, सरकार को इसबारे में कोई पत्र—व्यवहार नहीं किया है। हरेक एम0एल0ए0 का यह फर्ज बनता है कि वे अपने—2 हल्कों की डिवलपमेंट के बारे में सरकार को लिखे कि उनके हल्के में डिवलपमेंट का काम बडा स्लो हो रहा हैं वर्मा साहब को भी इस बारे में मिनिस्टर साहब का लिखना चाहिये था।

श्री जयनारायण वर्मा: स्पीकर साहब, हमने तो इसी संबध में प्रश्न पूछा है लेकिन हमारे सवाल का सही उत्तर नहीं दिया जाता।

श्री जगननाथ: स्पीकरसाहब, मेने तो किसी भी हल्के के साथ कोई भेदभाव नहीं बरता हैं गोहान, हांसी यमुनानगर जोकि अपोजी ान के हल्के है, वहां पर भी बस—स्टैंण्ड बनाये गये है।

पलवल में भी इस तरह के तरक्की के काम किये गये हैं। पूरी स्टेट के बारे में अगर ये पूछते तो हम बता देते। (व्यवधान व भाोर)

Mr. Speaker: Question Hour is over.

**नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये
तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर**

**Acquisition of land for allotment of residential plots to
Harijans**

***2894. Shri Ishwar Singh:** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the government to acquire land for the allotment of residential plots to Harijans near the villages where the Village Panchayats have no land or have land far away from the villages in the State?

Revenue Minister (Chaudhri Sher Singh): Yes please.

Construction of Bridge over River Yamuna

***2616. Chaudhri Ram Lal Wadhwa:** Will the Minister for Public Works (B & R) be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the government to construct a bridge in district Karnal over river Yamuna to link Haryana with Uttar Pradesh; and

(b) if so, the exact site where such bridge is proposed to be constructed , together with the time by which construction work in respect thereof is likely to be started.

लोक निर्माण मंत्री (कंवर राम पाल सिंह):

(क) जी हां।

(ख) इस पुल की साईट हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपसी सहमति से तय की जायेगी क्योंकि इस कार्य का खर्चा 50 : 50 अनुपात में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ बांटे जाने का विचार है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुल के खर्च की बांट की लिखित सहमति अभी आनी है। उसके अतिरिक्त निर्माण कार्य के लिये भारत सरकार द्वारा कर्ज दिये जाने की सहमति भी अभी अपेक्षित है। इन कारणों द्वारा इस समय यह बताना संभव नहीं है कि पुल की साईट क्या होगी या निर्माण कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा।

Construction of Roads in the State

***2713. Rao Ram Narain:** Will the Minister for Public Workds (B & R) be pleased to state-

(a) the constituency-wise length of roads constructed since the date Shri Bhajan Lal took over as Chief Minister of the State; and

(b) the constituency-wise expenditure incurred thereon?

लोक निर्माण मंत्री (कंवर राम पाल सिंह):

(क) व (ख) वांछित सूचना विवरणी में सदन के पटल पर रखी जाती है।

विवरणी

Constituency-wise length of road constructed and expenditure incurred thereon since Shri Bhajan Lal took over as Chief Minister, Haryana i.e. from 28-6-1979 to 28-2-1982.

S.N	Name of Constituency	Name of M.L.A.	Total and length (constructed i.e. metalled)KM	Total expenditure incurred on these roads (from 7/79 to 28-2-82) Rs. in lacs.
1	2	3	4	5

I. AMBALA DISTRICT				
1	Kalka	Sh. Lachman Singh	54.48	118.99
2	Naraingarh	Sh. Lal Singh	60.54	5931
3	Sadhaura	Sh. Bhag Mal	66.89	62.95
4	Chhachharuali	Sh. K.L. Poswal	51.21	58.21
5	Jagadhri	Sh. Brij Mohan	27.08	34.45
6	Yamuna Nagar	Smt. Kamla Verma	11.15	11.85
7	Mullana	Sh. Sher Singh	19.09	26.14
8	Ambala Cantt.	Smt. Sushma Swaraj	--	--
9	Ambala City	Sh. Shiv Parshad	3.87	7.86
10	Naggal	Sh. Sumer Chand	33.83	37-86
Total			328.14	417.58
II. KARNAL DISTRICT				

11	Indri	Sh. Des Raj	22.85	25.02
12	Nilokheri	Sh. Shiv Ram Verma	19.91	23.42
13	Karnal	Sh. Ram Lal Wadhwa	3.17	6.05
14	Jundla	Sh. Prem Singh	53.41	83.41
15	Gharaunda	Sh. Ram Pal Singh	67.54	113.31
16	Assandh	Sh. Jogi Ram	68.09	102.26
17	Panipat	Sh. fateh Chand	--	1.11
18	Samalkha	Sh. Mool Chand Jain	16.50	29.74
19	Naultha	Sh. Satbir Singh	35.09	43.61
Total			286.56	427.93
III. KURUKSHETRA DISTRICT				
20	Shahbad	Sh. Surinder Singh	18.17	23.26
21	Radaur	Sh. Lehari Singh	68.61	89.67

22	Thanesar	Sh. Devinder Singh	13.84	18.12
23	Pehowa	Sh. Tara Singh	30.69	35.59
24	Guhla	Sh. Ishwar Singh	40.06	67.39
25	Kaithal	Sh. Raghu Nath Goel	22.08	17.52
26	Pundri	Swami AgniVesh	33.87	44.82
27	Pai	Sh. Jagjit Singh Pohloo	12.09	12.28
Total			248.41	308.65
IV. ROHTK DISTRICT				
28	Hassangarh	Sh. Sant Kanwar	9.63	14.53
29	Kiloi	Sh. HariChand Hooda	3.70	4.80
30	Rohtak	Sh. MangalSein	--	--
31	Meham	Sh. HarSwarup	7.69	14.76

		Bura		
32	Kalanaur	Sh. jai Narain	12.87	22.44
33	Beri	Sh. Ajit Singh	17.84	22.81
34	Salhawas	Sh. Ram Narain	23.70	25.57
35	Jhajjar	Sh. Mange Ram	30.77	37.95
36	Badli	Sh. Udey Singh Dalal	22.68	28.74
37	Bahadurgarh	Sh. Mehar Singh Rathee	19.76	31.80
	Total		148.64	203.40

V. SONEPAT DISTRICT

38	Baroda	Sh. Bhale Ram	10.15	9.71
39	Gohana	Sh. Ganga Ram	7.65	6.40
40	Kailana	Smt. Shanti Devi	18.08	22.47
41	Sonepat	Sh. Devi Dass	2.10	3.33
42	Rai	Sh. Rizaq Ram	13.09	17.45

43	Rohat	Sh. Om Parkash	8.63	12.43
	Total		59.70	71.82

VI. JIND DISTRICT

44	Kalyat	Sh. Preet Singh	16.60	33.49
45	Narwana	Sh. Shamsheer Singh	18.06	22.79
46	Uchanan Kalan	Sh. Birinder Singh	5.79	9.76
47	Rajound	Sh. Guljar Singh	7.10	8.83
48	Jind	Mange Ram	8.64	29.33
49	Julana	Sh. Zile Singh	16.93	19.07
50	Safidon	Sh. Ram Kishan	10.60	20.97
	Total		83.72	144.24

VII. FARIDABAD DISTRICT

51	Faridabad	Sh. Deep Chand	-	--
52	Mewla	Sh. Gajraj	20.50	48.16

	Maharajpur	Bahadur Nagar		
53	Bllabgarh	Sh. Rajinder Singh	5.03	11.64
54	Palwal	Sh. Mool Chand Mangla	16.55	22.43
55	Hassanpur	Sh. Gaya Lal	21.99	27.05
56	Hathin	Swami AgniVesh	14.32	22.87
	Total		78.39	132.15

VIII. GURGAON DISTRICT

57	Ferozepur Jhirka	Sh. Shakrullah Khan	17.00	27.57
58	Nuh	Sh. Sardar Khan	22.79	10.63
59	Taoru	Sh. Khurshid Ahmed	22.99	31.58
60	Sohna	Sh. Vijay Pal Singh	44.14	74.08
61	Gurgaon	Sh. Partap Singh	6.01	10.21

		Thakran		
62	Patuadi	Sh. Narain Singh	26.30	33.38
	Total		139.23	187.45

IX. BIWANI DISTRICT

63	Bhadra	Sh. Ran Singh Mann	10.59	9.30
64	Dadri	Sh. Hukam Singh	-	1.07
65	Mundhal Khurd	Sh. Tek Ram	5.55	7.30
66	Bhiwani	Sh. Bir Singh	1.88	2.07
67	Tosham	Sh. SurinderSing h	4.20	3.44
68	Loharu	Sh. Hira Nand Arya	5.84	7.29
69	Bawani Khera	Sh. Jagan Nath	29.44	44.40
	Total		57.50	74.87

X. HISSAR DISTRICT

70	Barwala	Sh. Jai	18.39	26.54
----	---------	---------	-------	-------

		Narain		
71	Narnaud	Sh. Virender Singh	11.81	12.07
72	Hansi	Sh. Baldev Tayal	7.82	11.67
73	Bhatu Kalan	Sh. Ran Singh	39.43	66.07
74	Hissar	Sh. Balwant Rai	0.82	1.38
75	Ghirai	Sh. Kanwal Singh	23.08	21.47
76	Tohana	Sh. Karam Singh	22.57	29.88
77	Ratia	Sh. Peer Chand	46.86	56.61
78	Fatehabad	Sh. Harphul Singh	50.62	90.83
79	Adampur	Sh. Bhajan Lal	93.77	157.44
	Total		315.17	473.96
XI. SIRSA DISTRICT				
80	Dabra Kalan	Sh. Jagdish	49.33	63.56

		Kumar		
81	Ellanabad	Sh. Bhagi Ram	76.26	111.45
82	Sirsa	Sh. Shankar Lal	23.79	32.35
83	Rori	Sh. Sukhdev Singh	41.79	56.86
84	Dabwali	Sh. Mani Ram	30.43	32.54
	Total		221.60	296.76

XII. MAHENDERGARH DISTRICT

85	Bawal	Smt. Shkuntla Bhagwaria	28.50	30.62
86	Rewari	Sh. Ram Singh	17.81	26.36
87	Jatusana	Sh. Inderjit Singh	28.09	22.53
88	Mahendergar h	Sh. Dalip Singh	24.19	20.27
89	Ateli	Sh. BansiSingh	7.77	7.54
90	Narnaul	Sh. Phusa	3.44	2.65

		Ram		
	Total		109.80	109.97
	Grand Total		2076.86	2848.78

4th Afro-Asian Regional conference of I.C.I.D.

***2732. Shri Satvir singh Malik:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether any Chief engineers of the Irrigation Department, Haryana submitted any paper in the 4th Afro-Asian regional Conference of I.C.I.D.; if so, their number together with the number of those whose papers were accepted; and

(b) the number of Chief Engineers who applied to the Government for attending the said Conference together with the names of those granted permission?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (सरदार तारा सिंह):

(ए) जी हां, श्री आर०के० चौधरी, मुख्य इंजीनियर, एस०वाई०एल० सिंचाई विभाग, हरियाणा तथा सर्व श्री जगमान सिंह और आर०एन० पण्डित मुख्य इंजीनियर, सिंचाई विभाग, हरियाणा जो हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम में बतौर प्रबन्ध निदेशक तथा मुख्य इंजीनियर कम आ: प्रतिनियुक्त पर था/है, ने अपने पत्र (4th Afro-Asian Regional Conference of ICID) को भेजे थे और कान्फ्रेंस ने उनहें स्वीकार कर लिया था।

(बी) उक्त (ए) में वर्णित अधिकारियों ने काँफ्रेंस में जाने की आज्ञा मांगी थी। 2, सर्व श्री जगमान सिंह तथा आर०एन० पण्डित को काँफ्रेंस में जाने की आज्ञा प्रदान की गई।

Constituencywise roads Constructed during 1981-82

***2739 Rao Bansi Singh:** Will the Minister for Public workds (B & R) be pleased to state the distrcit-wise and constituency-wise kilometers of roads constructed during the year 81-82 (upto 28- 2-1082) in the State?

लोक निर्माण मंत्री (कंवर राम पाल सिंह): वांछित सूचना विवरणी में सदन के पटल पर रखी जाती है।

विवरणी

A- Districtwise length of roads constructed during 1981-82 (upto 28-2-1982)

S.N.	Name of District	Length in Kms. Constructed (metalled) during 1981-82 upto 28-2-1082
1	Ambala	35.84
2	Karnal	107.52
3	Kurukshetra	29.89

4	Rohtak	26.20
5	Sonepat	20.92
6	Jind	21.14
7	Faridabad	12.98
8	Gurgaon	8.85
9	Bhiwani	36.90
10	Hissar	106.93
11	Sirsa	37.55
12	Mahendergarh	17.65
	Total	462.37

B. Constituency-wise length of Roads constructed during 1981-82 (upto 28-2-1982)

S.N.	Name of constituency	Name of M.L.A.	Road lengthj (in K.M.) completed during 1981-82 upto 28-2-1982
1	Kalka	Sh. Lachhman Singh	7.55
2	Naraingarh	Sh. Lal Singh	4.63

3	Sadhaura	Sh. Bhag Mal	2.82
4	Chhachhrauli	Sh. Kanhiya Lal Poswal	7.63
5	Jagadhri	Sh. Brij Mohan Gupta	1.35
6	Yamunagar	Smt. Kamla Verma	--
7	Mullana	Sh. Sher Singh	4.29
8	Ambala Cantt	Smt. Sushma Swaraj	--
9	Ambala City	Sh. Shiv Prashad	--
10	Naggal	Sh. Sumer Chand Bhatt	6.57
11	Indri	Sh. Des Raj	4.70
12	Nilokheri	Sh. Shiv Ram Verma	4.08
13	Karnal	Sh. Ram Lal Wadhwa	1.50
14	Jundla	Sh. Prem, Singh	25.28

15	Gharauda	Sh. Ram Pal Singh	23.85
16	Assandh	Sh. Jogi Ram	33.69
17	Panipat	Sh. fateh Chand Vij	--
18	Smalkha	Sh. Mool Chand Jain	3.60
19	Naultha	Sh. Stavir Singh Malik	10.82
20	Shahbad	Sh. Surinder Singh Aujla	2.12
21	Radaru	Sh. Kehri Singh Mehra	2.50
22	Thanesar	Sh. Devender Sharma	3.00
23	Pehowa	Sh. Tara Singh	--
24	Gulha	Sh. Ishwar Singh	2.72
25	Kaithal	Sh. Raghu Nath Goel	3.00
26	Pundri	Sh. Agnivesh	12.98

27	Pai	Sh. Jagit Singh Pohloo	3.57
28	Hassangarh	Sh. Sant Kanwar	4.90
29	Kiloi	Sh. Hari Chanda Hooda	--
30	Rohtak	Sh. Mangala Sein	--
31	Meham	Sh. HarSwarup Bura	2.19
32	Kalanaur	Sh. jai Narain	3.79
33	Beri	Sh. Ajit Singh	1.70
34	Salhawas	Sh. Ram Narain	-
35	Jhajjar	Sh. Mange Ram	0.80
36	Bdli	Sh. Udey Singh Dalal	-
37	Bhadurgarh	Sh. Mehar Singh Rathee	12.82
38	Broda	Sh. Bhale Ram	4.50

39	Gohana	Sh. Ganga Ram	-
40	Kailana	Smt. Shanti Devi	7.67
41	Sonepat	Sh. Devi Dass	-
42	Rai	Sh. Rizaq Ram	6.03
43	Rohat	Sh. Om Parkash	2.72
44	Kalayatt	Sh. Preet Singh	1.85
45	Narwana	Sh. Shamsheer Singh	6.26
46	Uchana Kalan	Sh. Birinder Singh	-
47	Rajound	Sh. Gulzar Singh	1.33
48	Jind	Sh. Mange Ram	-
49	Julana	Sh. Zile Sigh	8.40
50	Safidon	S. ram Kishan	3.30
51	Faridabad	Sh. Deep Chand Bhatia	-

52	Mewla Maharajpur	Sh. Gajraj Bahadur Nagar	5.72
53	Ballabhgarh	Sh. Raninder Singh	1.93
54	Pawal	Sh. Mool Chand Mangla	0.36
55	Hassanpur	Sh. Gaya Lal	1.08
56	Hathin	Sh. Adiya Vesh	3.00
57	Ferozepur Jhirka	Sh. Shakrullah Khan	-
58	Nuh	Sh. Sardar Khan	3.50
59	Taoru	Sh. Khurshid Ahmed	-
60	Sohna	Sh. Vijay Pal Singh	2.95
61	Gurgaon	Sh. Partap Singh Thakran	-
62	Patuadi	Sh. Narain Singh	2.40

63	Bahdra	Sh. Ran Singh Mann	7.79
64	Dadri	Sh. Hukam Singh	-
65	Mundhal Khurd	Sh. Tek Ram	5.55
66	Bhiwani	Sh. Bir Singh	1.38
67	Tosham	Sh. SurinderSingh	-
68	Loharu	Sh. Hira Nand Arya	2.40
69	Bawani Khera	Sh. Jagan Nath	19.78
70	Barwala	Sh. Jai Narain	8.20
71	Narnaund	Sh. Virender Singh	2.02
72	Hansi	Sh. Baldev Tayal	3.32
73	Bhattu Kalan	Sh. Ran Singh	22.01
74	Hissar	Sh. Balwant Rai	--
75	Ghirai	Sh. Kanwal	8.50

		Singh	
76	Tohana	Sh. Karam Singh	-
77	Ratia	Sh. Peer Chand	10.10
78	Fatehabad	Sh. Harphul Singh	15.03
79	Adampur	Sh. Bhajan Lal	34.30
80	Dabra Kalan	Sh. Jagdish Kumar	6.70
81	Ellanabad	Sh. Bhagi Ram	11.44
82	Sirsa	Sh. Shankar Lal	5.89
83	Rori	Sh. Sukhdev Singh	10.63
84	Dabwali	Sh. Mani Ram	6.34
85	Bawal	Smt. Shkuntla Bhagwaria	6.10
86	Rewari	Sh. Ram Singh	4.80

87	Jatusana	Sh. Inderjit Singh	1.80
88	Mahendergarh	Sh. Dalip Singh	4.35
89	Ateli	Sh. BansiSingh	0.60
90	Narnaul	Sh. Phusa Ram	-
	Grand Total		462.37

Road from Kalanaur to Pilana in Distcirt Rohtak

***2909. Chaudhri Jai Narain:** Will the Minister for Public works (B & R) be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a road from Kalanaru to Pilana in Distrcit Rohtak; if so, the time within which it is likely to be constructed; and

(b) the names of roads in Kalanaur constituency on which earthwork has been done?

लोक निर्माण मंत्री (कवरं राम पाल सिंह):

(क) जी हां, किन्तु इस समय यह बताना संभव नहीं है कि यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा।

(ख)कलानौर विधान सभा क्षेत्र की उन सड़को के नाम जिन पर मिट्टी का काम पूरा हो गयाहै, विवरण में दिय है जो कि विधान सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

List of Roads of Kalnaur constituency on which earth wrk has been done:-

Sr. No.	Name of the road
1	Kalanaur to Nigana.
2	Garhi Ballabh to Patwapur,
3	Mokhra Khas to Kalanaur.
4	Basana to Meham
5	Bahu Akbarpur to Samargopalpur.

अतारांकित प्र न एवं उत्तर

Foundation stones laid by the Chief Minister

650. Chaudhri Ram Lal Wadhwa: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the total number and names of the projects whose foundation stones have been laid by teh present Chief Minister since he took over as such together with the dates on which teh said foundations stones were laid, separately;

(b) the names of projects as referred to in part (a) above, which have started functioning (to-date) togetherwith the dates these started functioning, separately; and

(c) whether there are any projects which have not yet started functioning; if so, the reasons therefor?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क), (ख) व (ग) अपेक्षित सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है और इसे सभी सरकारी विभागों से एकत्रित करना होगा। लगभग तीन वर्ष की अवधि के बारे में ऐसी ब्यौरवार सूचना एकत्रित करने में लगने वाला समय तथा परिश्रम उससे प्राप्त हो सकने वाले किसी लाभ के अनुरूप नहीं होगा।

Foundation stones for the construction of Middle and High Schools

651. Chaudhri Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) the district-wise and year-wise total number of foundation stones laid for the construction of Middle and High Schools in the State during the period from 1st April, 1979 to-date togetherwith the names of such schools, separately;

(b) the dates on which the schools, as referred to in part (a) above, started functioning, separately; and

(c) the district-wise and year-wise names of Middle and High Schools which were proposed to be opened during

the period from 1st April, 1979 to-date, togetherwith the dates of their opening, separately?

शिक्षा मंत्री (चौधरी देस राज):

(क) दिनांक 1-4-1979 के आज तक किसी भी माध्यमिक तथा उच्च विद्यालय के नये भवन निर्माण हेतू कोई आधार-शिला नहीं रखी गई।

(ख) उपर के भाग (क) के दृष्टिगत, प्र न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) 1-4-79 के आज तक माध्यमिक तथा उच्च स्कूल खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Foundation stones for the construction of Hospitals and Dispensaries

652. Chaudhri Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Health be pleased to state-

(a) the district-wise total number of foundation stones laid for construction of Hospitals and Civil Dispensaries in the State during the years 1979-80, 1980-81 and 1981-82 (to-date) togetherwith the names of such Hospitals and Civil Dispensaries, separately;

(b) the district-wise and year-wise total number and names of Hospitals and Civil Dispensaries which were proposed to be opened in the State during the period from 1st

April, 1979 to-date togetherwith the dates of their sanction and dates of start of construction thereof, separately, and

(c) whether the Hospitals and Dispensris, as referred to in part (a) above, have stated functioning; if so, the dates of their functioning commenced, separately?

स्वास्थ्य मंत्री (चौधरी गजराज बहादुर नागर):

(क) जिलावार हस्पतालों तथा सिविल औशधालयों के िलान्यासों की संख्या निम्न प्रकार है:-

1979-80

जिला	संख्या	हस्पताल	सिविल औशधालय
अम्बाला	1	सामान्य हस्पताल, अम्बाला	भून्य
करनाल	1	रूरल रैफल हस्पताल, असंध	भून्य
रोहतक	1	सामान्य हस्पताल, खरहर	भून्य
सोनीपत	1	सामान्य हस्पताल, सोनीपत	भून्य
फरीदाबाद	1	सामान्य हस्पताल, होडल	भून्य
महेन्द्रगढ	1	रूरल हस्पताल, बावल	
सिरसा	1	सामान्य हस्पताल, सिरसा	भून्य

हिसार	3	1. सामान्य हस्पताल, आदमपुर	भून्य
		2. सामान्य हस्पताल, उकलाना	भून्य
		3. सामान्य हस्पताल, फतेहाबाद	भून्य
1980-81			
कुरुक्षेत्र	1	रूरल रैफरल हस्पताल, गुहला	भून्य
1981-82			
फरीदाबाद	1	बी०के० हस्पताल, फरीदाबाद	भून्य

(ख) वांछित सूचना अनुबन्ध "ए" में दी गई है।

(ग) सामान्य हस्पताल आदमपुर दिनांक 14-5-81 से कार्यरत हो गया है।

अनुलग्नक-ए

कं.स.	1-4-79 से अब तक खोले जाने वाले जिला संख्या वार	स्वीकृति की तारीख (निर्माण के लिये प्र तासकीय स्वीकृति	निर्माण कार्य भारू करने की
-------	--	--	----------------------------------

	प्रस्तावित अस्पताल और औशधालय	की तिथि)	तिथि
1	2	3	4
	अम्बाला		
	सामान्य हस्पताल, अम्बाला	12-6-80	19-2-82
2	कुरुक्षेत्र		
	जिला क्षयरोग केन्द्र कुरुक्षेत्र (गहरी ओशधालय	26-8-80	भारु नहीं हुआ है।
3	करनाल		
	(क)	सामान्य हस्पताल, करनाल	---
	(ख)	रुरल रैफल हस्पताल, नीलोखेडी	हस्पताल में 7-5-79 से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वर्तमान भवन में कार्य करना भारु कर दिया है।

	(ग)	सामान्य हस्पताल उकलाना	26-8-80	9-5-81
	(घ)	रूरल रैफल हस्पताल, असंध	26-11-81	भुरू नहीं हुआ है।
4.	रोहतक			
	(क)	सामान्य हस्पताल, खरहर	29-5-80	29-12-80
	(ख)	सामान्य हस्पताल, कलानौर	---	---
5	सोनीपत			
		सामान्य हस्पताल, सोनीपत	24-3-81	9-11-81
6	फरीदाबाद			

	(क)	बी०के० हस्पताल	---	---
	(ख)	सामान्य हस्पताल, होडल	21-8-80	20-11-81
7.	महेन्द्रगढ़			
	रूरल रैफल हस्पताल, बावल		---	---
8	हिसार			
	(क)	सामान्य हस्पताल, आदमपुर	8-8-79	2-11-79
	(ख)	सामान्य हस्पताल, उकलाना	19-9-80	30-12-80
	(ग)	सामान्य हस्पताल, फतेहाबाद	6-12-79	23-1-80
9	सिरसा			
	(क)	सामान्य हस्पताल, सिरसा	23-8-79	30-11-79

	(ख)	जिला क्षयरोग केन्द्र, सिरसा (तहरी ओशधालय)	5-6-80	कार्य अलाट कर दिया गा है। परन्तु भुरु नहीं हुआ है
	(ग)	सामान्य हस्पताल, कलांवाली	*	—

*इन स्थानों पर सरकार की सैद्धांतिक स्वीकृति , भवन निर्माण की पहले ही जारी हो चुकी है।

Donations/Funds given by Minsiters out of their Discretionary Grants

653. Chaudhri Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Finance be pleased to state:

(a) the names with addresses of institutions given donations funds by the Chief Minister, Cabinet Mini9sters, State Ministers Deputy Ministers, Chief Parliamentary Secretary, out of their descretionary grants together with the amount given in each case dueing the yearsw 1980-81 and 1981-82 (to-date) separately;

(b) whether the Chief Minister sactioned any mount, other than his descretionary grant to any institutions during the years, 1980-81 and 1981-82 (to-date); if so, amount thereof, separately;

(c) whehte the payments of the amount , as referred to in parts (a) and (b) above, have been madel if so, the dates thereof and, if not, the reasons therefor?

विकास मंत्री (राव दलीप सिंह): इस प्र न का उत्तर तैयार करने में बहुत अधिक समय व श्रम लगेगा तथा वांछित सूचना के उत्तर से समय लाभ भी नहीं होगा।

Hotels, Motels, etc. run by the Tourism Department and Hospitality Organisation

691. Shri Mool Chand Jain: Will the Minister for Health be pleased to state-

(a) the details of the income and expenditure incurred by the various hotels and motels run by the Tourism department and the Haryana tousism Corporation in the State during the years 1978-79, 1979-80, 1980-81 and 1981-82 upto date;

(b) whether it is a fact that different Hotels and Motels, the State Guest House at Chandigarh, M.L.A.'s Hostel at Chandigarh and the Haryana Bhawan Canteen at Delhi are being run by the Hospitality Organisation; and

(c) if so, whether it is also a fact that the units, referred to in part (b) above, are running into loss but the losses thereof are not being shown and are being declared as service units?

Health Minister (Chaudhri Gajraj Bahadur Nagar):

(a) The Tourism Department in Haryana is not directly running and hotels or motels. The haryana Tourism Corporation is, however, managing the various tourist complexes in Haryana including the motels set up by the Tourism Department Year-wise details of income and expenditure incurred on the tourist complexes and the motels run by Haryana Tourism corporation are given below:-

(i) Details of income and expenditure incurred on tourist complexes as a whole including motels.

		(Unaudited figures in lakhs)
Year	Income	Expenditure
1978-79	215.77	201.92
1979-80	260.38	236.22
1980-81	346.95	301.12
1-4-1981 to 31-12-1981	336.76	296.11
(ii) Details of income and expenditure incurred on motels alone.		
		(Unaudited figures in lakhs)
Year	Income	Expenditure
1978-79	16.93	15.60

1979-80	20.20	19.14
1980-81	23.79	18.88
1-4-1981 to 31-12-1981	23.53	16.81

(b) It is a fact that State Guest House, M.L.A's Hostel Canteen at Chandigarh and Haryana Bhawan Canteen at New Delhi are being run by the Hospitality Department Haryana while the different Hotels and Motels in the State are run by Haryana Tourism Corporation.

(c) The Haryana Hospitality Organisation runs these units on no profit no loss basis. While fixing the prices of eatables, drinks etc. non-commercial factors are taken into account. The price of the articles supplied in the canteens is equivalent to the actual cost of raw material plus 5 percent. The other administrative charges/costs viz. on staff, utensils, building etc. are not included in the sale price, because these canteens are opened primarily for providing board and lodging facilities to V.I.P's/M.P's/M.L.A's, State Guests, Govt. Officers/officials etc. on nominal rates. To earn profit is not the objective of these units. Hence, Government have declared these canteens as service units in July, 1980, while the State guest House is working as service unit from joint Punjab times. Hence, no profit/loss accounts are maintained. However, the prices of articles are revised after every three months on the basis of the prevailing rates in the Market.

Adverse Remarks in A.C.R. Files

692. Shri Mool Chand Jain: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether adverse remarks in the A.C.R. files of the State Government employees regarding their doubtful integrity are required to be supported by facts; and

(b) if not, the reasons thereof?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) व (ख) इस विषय पर हिदायतों के अनुसार रिपोर्टकर्ता अधिकारियों को रिपोर्ट किये गये अधिकारी की ईमानदारी की ख्याति बारे अपनी राय व्यक्त करनी होती है और ऐसा करते समय उन्हें स्पष्ट रूप से बताना होता है कि क्या अधिकारी बारे भ्रष्टाचार का संदेह है अथवा उसे भ्रष्ट समझा जाता है यह राय आमतौर उन कारणों से समर्थित होनी चाहिये जो कि रिपोर्टकर्ता अधिकारियों के ज्ञान में हों।

Allotments of Residential Plots to Harijans and Weaker Sections

693. Shri Mool Chand Jain: Will the Minister for Finance be pleased to state-

(a) the number of residential plots so far allotted in each district to Harijans and other weaker sections of the Society in the State:

(b) whether possession of the said plots has been given to all the allottees; and

(c) the number of complaints received during 1979-80, 1980-81 and 1981-82 regarding (i) non-delivery of possession of the plots; (ii) allotment of plots in low lying areas including ponds (iii) non-allotment of such plots?

राजस्व मंत्री (चौधरी भोर सिंह):

(क) सूचना अनुबन्ध "ए" पर रखे विवरण में दी गई हैं।

(ख) नहीं। कुछ मामलों में प्लेटों के कब्जे अभी दिये जाने हैं।

(ग) सूचना अनुबन्ध "बी" पर रखे विवरण में दी गई हैं।

विवरण

अनुबन्ध "ए"

क्रमांक	जिला का नाम	उन पात्र व्यक्तियों की संख्या जिन्हें प्लेट अलाट किये जाचुके हैं।
1	2	3
1	अम्बाला	8793

2	कुरुक्षेत्र	118869
3	करनाल	41187
4	सोनीपत	19770
5	रोहतक	23673
6	हिसार	25187
7	सिरसा	12824
8	भिवानी	14424
9	गुड़गावां	21307
10	फरीदाबाद	14770
11	महेन्द्रगढ़	12916
12	जींद	19352
	जोड़	226089

अनुबन्ध "बी"

विकायतें जो राजस्व अधिकारियों को प्राप्त हुई

		1979-80	1980-81	1981-82	जोड़
--	--	---------	---------	---------	------

(i)	प्लाटों के कब्जे न देने	53	56	7	116
(ii)	तालाबों समेत निचले क्षेत्रों में प्लाटों की अलाटमेंट करने तथा	11	14	6	31
(iii)	ऐसे प्लाटों की अलाटमेंट न करने के बारे में	44	19	12	75
	जोड़	108	89	25	222

Arrears of Salex Tax/Central Sales Tax

694. Shri Mool chand Jain: Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to refer to reply to Starred Question No. 1972 answered on 10th March, 1981 and state-

(a) whether the arrears of sales tax amounting to more than Rs. 11 crores, outstanding on 31st March, 1980, have been realized; if not, the details of the action, if any, taken against the defaulters and

(b) the total amount of arrears of sales tax on 31st March, 1981 and on 28th February, 1982, together with the names and addresses of the persons and parties against whom arrears of sales tax/central sales tax amounting to more than Rs. one lakh are outstanding?

आबकारी व कराधान मंत्री (चौधरी मेहर सिंह राठी):

(क) 31-3-1980 को 11.14 करोड रूपये के विक्रय कर के बकायों में से विभाग ने 28-2-82 तक 2.71 करोड रूपये वसूल कर लिये है। 8.43 करोड रूपये की भोश बकाया राशि में से जिन चूक कर्ताओं की ओर से एक लाख रूपये से अधिक राशि वसूल हेतू बकाया है, उनके मामले में 3.20 करोड रूपये की वसूली उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा अन्य अपील अधिकारियों के द्वारा अवरूद्ध है। 8.27 लाख रूपये किस्तों में वसूल किये जा रहे है। 1.75 करोड रूपये ऐसी फर्मों से वसूली हेतू बकाया है जो लीक्वीडेट हो गई है और जिनके बारे में सरकारी लीक्वीडेटर्ज के पास क्लेम दर्ज करा दिये गये है। 34.43 लाख रूपये की राशि का क्लेम भारत सरकार द्वारा नियुक्त कमि नर आफ पेमेंट के पास रजिस्टर करवा दिया गया है। 41.09 लाख रूपये ऐसे चूककर्ताओं की और बकाया है। जो कि दूसरे राज्यों में चले गये है। और ऐसे केसों में उनसे सम्बन्धित जिला संग्रहकों को वसूली हेतू प्रमाण पत्र जारी कर दिये गये है। 86.68 लाख रूपये के बकाया के केसों में सम्बन्धित चूककर्ताओं की सम्पत्ति कुर्क कर ली गई है। 8.52 लाख रूपये की राशि हरियाणा राज्य के अन्य विभागों से वसूली हेतू बकाया है जिसके बारे राजय सरकार सम्बन्धित विभागों की और से किये गये कर मुक्ति अनुरोध पर विचार कर रही है। 1.90 लाख रूपये की बकाया राशि को बट्टे खातों में डालने बारे सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है बकाया के भोश अन्य मामलों में वसूली हेतू सक्रियता

से कार्यवाही की जा रही है। इसप्रकार बकाया राशि की वसूली में कोई और कसर नहीं रखी जा रही है।

(ख) 31-3-81 तथा 28-2-82 को क्रम क्रमः 10.88 करोड़ रुपये तथा 13.59 करोड़ रुपये की विक्रय कर की राशि वसूली हेतु बकाया थी। ऐसे चूककर्ताओं जिनकी और हरियाणा सामान्य विक्रय कर केन्द्रीय विक्रय कर की एक लाख रुपये या उससे अधिक की राशि वसूली हेतु बकाया है। के नाम तथा अन्य विवरण संलग्न अनुलग्नक 'ए' में उपलब्ध है।

अनुबन्ध –ए

उन व्यापारियों/व्यक्तियों जिनके विरुद्ध 28-2-82 को हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम/केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, के अधिनियम, के अन्तर्गत एक लाख से अधिक बकाया राशि की वसूली होनी है, के नाम तथा पते दर्शाने वाली सूची।

क्रमांक	व्यापारी/व्यक्ति का नाम व पता	बकाया राशि	
		हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम 1973 के	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 के अन्तर्गत

		अन्तर्गत	
1	2	3	4
जिला अम्बाला		(रूपयों में)	
1	मै० लक्ष्मी फूड मैनुफैक्चरिंग एंड सप्लाइ	628706	--
2	मै० हरियाणा रोडवेज अम्बाला	240543	--
3	मै०इस्टर्न कामि यिल कारपोरे टान पिंजौर	45450	231605
4	मै० टिव ट्रेडिंग कम्पनी अम्बाला भाहर	119268	6074
जिला भिवानी			
5	मै० डालमिया दादरी सिमेंट, लि० चरखी	3836829	1955337

	दादरी		
6	मै०किरण वैजीटेबल	624412	--
7	मै०अन्ती राम नन्द कि गोर	270736	20093
जिला फरीदाबाद			
8	मै०ग्लोब मोटर वर्कस	353172	106486
9	मै०परेस्टोलाईट आफ इंडिया	267148	3396668
10	मै०रकमैन आटो (प्राईवेट) लि०	396643	3118964
11	मै०रकमेन कोशाकीन	110533	14731
12	मै०डी०जी०एल० प्राईवेट लि०	11705	178772
13	मै०फरीदाबाद मनुफैक्चरिंग	21206	95570

	इन्जीनियरिंग		
14	मै० फोरजिंग (प्रा०) लि०	568000	---
15	मै०विकास प्रिंटिंग मीन	7256	107823
16	मै०एच०एम०एम० लि०	85093	393101
17	मै०इन्सपों आटो इन्डस्ट्रीज प्रा०लि०	59577	286214
18	मै०हरियाणा फुट वीयर	129830	215242
19	मै०एसोसिएटिड इन्डस्ट्रीज	1107691	---
20	मै०इण्डियन गैस सिलैण्डर्स	---	1070000
21	मै० परिसीजन स्टील एंड इन्जीनियरिंग	169137	890

	वर्कस		
22	मै०बरत राम स्कोट इन्डस्ट्रीज फरीदाबाद	26773	117841
23	मै०साहनी ब्रदर्स	98796	9361
24	मै०स्टील पाईनर्स फरीदाबाद	125054	18716
25	मै०रुशा फोरजिंग	95460	108780
26	मै०गंगा इन्जी. वर्कस फरीदाबाद	29040	156988
27	मै०संजीव इन्टरपराईसिज	104554	6502
28	मै० रोक्स एंड मिनरलज	101346	--
29	मै०रामा ट्रेडिंग कम्पनी फरीदाबाद	157709	--

30	मै०लक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी	558610	---
31	मै०अलाईड ट्रेडिंग कम्पनी	939563	---
32	मै० एक्सलजीयर प्लांट कारपोरे ान लि०	15293	424586
33	मै०भारत कारपेट लि० फरीदाबाद	---	642733
34	मै० टेलीसांडड इण्डिया लि०	4794	241153
35	मै०धम ा पार्स प्रा० लि०	74936	110582
36	मै० परल साइकिल इन्डस्ट्रीज	239341	1201630
37	मै०यू०के० व्हिर्स प्राईवेट लि०	7931	425861

38	मै० जे०एन भार्मा एंड सन्ज	236870	284675
39	मै०एपलाईन्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी	166273	27797
40	मै०ब्रंक लाइनिंग लि.	--	736770
41	मै० ईस्टर्न इलैक्ट्रोनिकस लि०	--	196996
42	मै०लक्ष्मी रतन इन्जी० वर्कस	541031	712386
43	मै० एसोसियेटेड स्टील इन्डस्ट्रीज	190765	37317
44	मै०हिनदोस्तान ब्राउन बोवरी	--	1800096
45	मै० अतुल ग्लास इन्डस्ट्रीज प्रा० लि० फरीदाबाद	395846	924924

46	मै० किलरने इन्जी. प्रा०लि०	700	188488
47	मै०हरियाणा स्टील लि०	86528	218903
48	मै०इण्डिया स्टील कारपोरे ान फरीदाबाद	53263	109860
49	मै०हांडा स्टील प्रोडक्टस लि०	227879	---
50	मै० वुलरैकर्स प्रा०लि०	7035	473526
51	मै०टोप स्टाईल अपीरल	---	344587
52	मै०स्वदे ा रबड इन्डस्टरी	45753	242941
53	मै०क्लच आटो लि० फरीदाबाद	---	533866
54	मै० नैपको बेवल गीयर आफ	13795	138902

	इण्डिया लि० फरीदाबाद		
55	मै०चन्द्र भान एल-2 बल्लभगढ़	303468	---
56	मै०य तपाल एल-2 फरीदाबाद	308668	---
57	मै०बी०आर० गुप्ता एल-2 फरीदाबाद	163421	---
58	मै०बी०आरी० इन्जीनियरिंग फरीदाबाद	10511	113303
59	मै० ताको इन्डस्ट्रीज	3191	126774
60	मै०गणे त पैकिंग इन्डस्ट्रीज फरीदाबाद	12917	140000
61	मै०गोल्डन पोलिस्टर	30438	124868

	प्रा०लि०फरीदाबाद		
62	मै०ग्लोब स्टील लि० बल्लभगढ़	1013202	938282
63	मै०नादर्न इण्डिया आयरन एंड स्टील क० फरीदाबाद	537885	—
64	मै० लीकर ट्रेडर्स प्रा० लि० फरीदाबाद	112119	2782
65	मै०बरास्टील पैन्टस फरीदाबाद	18	156612
66	मै०इन्डोगम फरमैस्टीकलज फरीदाबाद	3000	348838
67	मै०हरियाणा एजैन्सीज	2313530	570
68	मै०हरियाणा सैलज	135306	—

	कारपोरे ान		
जिला गुडगांव			
69	मै0बैगज एण्ड कारटनस गुडंगाव	—	471616
70	मै0इगो मेटल वर्कस गुडगांव	26647	151330
71	मै0मारुति लिमिटेड गुडगांव	1959791	3506458
72	मै0निबरों लिमिटेड गुडंगाव	15950	487823
73	मै0राही ट्रेडिंग कारपोरे ान	306000	---
74	मै0विजय कुमार राजेन्द्र प्रसाद	288377	238157
75	मै0मारुति हैवी व्हीकल्ज	595899	72005

76	मै० हरियाणा रोडवेज गुडगांव	177373	---
जिला हिसार			
77	मै० बिरला काटन एंड जिनिंग मिल्ज फतेहाबाद	388339	---
78	मै०जे०सी०मिल्ज फतेहाबाद	284971	---
79	मै०हरियाणा कन्कास्ट, हिसार	---	304277
80	मै०रघबीर चन्द पत राम हिसार	--'	310000
81	मै० नत्थू राम नेम चन्द हिसार	52160	144416
82	मै० सेठ कांि । राम कैमिकल्ज इण्डिया हिसार	173798	---
83	मै०गोयल ब्रादर्स	6668	485741

	हिसार		
84	मै०विजय कुमार मुनीश कुमार, हिसार	67957	112835
85	मै०पदम कुमार जीव कुमार हिसार	145231	151189
86	मै०मंगत राय अवतार हिसार	54314	466452
87	मै०प्लांट परोटैक एन इन्सपैक्टर हिसार	149729	---
88	मै०हरियाणा रोडवेज हिसार	123560	---
जिला जीन्द		---	---
जिला जगाधरी			
89	मै०दौलत राम एंड कम्पनी	135000	---

	यमुनानगर		
90	मै०किरण मैटल स्टोर	229429	--
91	मै०भगवान दास एंड कम्पनी जगाधरी	550859	34840
92	मै०लक्ष्मी सिंह सोहन सिंह यमुनानगर	161951	128
93	मै० युनाईटिड डिम्बर इन्डस्ट्रीज यमुनानगर	127813	--
94	मै०प्रेम दास पाहवा एंड कम्पनी यमुनानगर	1151305	4877
जिला करनाल			
95	मै०गवर्नमेंट मैडिकल डिपो	4130290	18296530

	करनाल		
96	मै0फूड कारपोरे टान	8939947	146382
97	मै0खोसला सेल्ज जी0टी0 रोड करनाल	148731	---
98	मै0हरियाणा रोडवेज करनाल	234941	---
99	मै0सौल्कस आयल एंड फर्टलाइजर जी0टी0 रोड, करनाल	146050	---
100	मै0वैल्डवैल आर्क इनक्वोट्रोज करनाल	99164	44927
101	मै0एस0के0 गांधी, पानीपत	66335	60335
102	मै0करनाल	17022	181040

	डिस्टीलरी जि० करनाल		
103	मै०जयकि ान जिन्दल करनाल	103000	—
जिला कुरुक्षेत्र			
104	मै०हरियाणा रोडवेज कुरुक्षेत्र	113889	—
105	मै०सन्त लाल टेकचन्द	131455	—
106	मै०डिस्ट्रिक्ट फुड एंड सप्लाय कन्ट्रोलर	—	459244
जिला नारनौल			
107	मै०छोटे लाल रिंजी लाल नारनौल	197622	—
108	मै०रामकि ान भयोचन्द राय	—	395245

	नारनौल		
109	मै0मर्चेन्टस इण्डिया रिवाडी	163332	14107
110	मै0सोनी इन्डस्ट्रीज रिवाडी	115186	95186
जिला रोहतक			
111	मै0रायल बोडी बिल्डरज रोहतक	305278	160649
112	मै0पाहवा बाटल सप्लाई कं0 रोहतक	53784	122396
113	मै0मनोहर लाल सुरे । चन्द, महम	71866	54877
114	मै0एन0आर0 इन्डस्ट्रीज बहादुरगढ़	14004	274429
जिला सोनीपत			

115	मै०डिपरी फूड लि० राई	127517	1121739
116	मै०हरियाणा रबड इन्डस्ट्रीज सोनीपत	354951	1319861
117	मै०अ गोक मोटर स्टोर सोनीपत	483550	7644
118	मै०कुण्डली इन्जीनियरिंग वर्कस प्रा० लि० कुण्डली	19930	127743
119	मै०देवसिया अब्राहिम एंड कम्पनी कुण्डली	270956	60
120	मै०सूरज स्टील लि० सोनीपत	147359	85949
121	मै०हरियाणा राईस एंड जनरल मिलज	104280	—

	गोहाना		
जिला सिरसा			
122	मै०सिरसा इन्डस्ट्रीज सिरसा	297778	58780
123	मै०पदमावती राजेकाटन गिनिंग प्रोसिंग फैक्टरी, सिरसा	231378	—
124	मै०भाखडा काटन गिनिंग एंड प्रोसिंग फैक्टरी	182249	—
125	मै० चौधरी काटन गिनिंग एंड प्रोसिंग फैक्टरी डबवाली	155878	50086
126	मै०बनी गोपाल महावीर प्र गद सिरसा	128833	—
127	मै०हरजी राम	164586	—

	बलवन्त सिंह सिरसा		
128	मै०गुप्ता जिलिंग प्रोसिंग फैक्टरी डबवाली	328283	—
129	मै०गोपी चन्द टैक्सटाइल मिलज सिरसा	322067	2005597
130	मै० भारत काटन कारपोरे टान सिरसा	142138	60695
131	मै०सुरजाराम काटन जिनिंग प्रोसिंग फैक्टरी काल-वाली	288743	30293
132	मै०गुप्ता एंड सन्स डबवाली	—	225391

विशेषाधिकार का प्रश्न

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैंने एक प्रिविलेज
मोशन दिया था.....

श्री अध्यक्ष: उसका जवाब आपके पास पहुंच चुका है।

(12.00 बजे) **डा० मंगल सैन:** स्पीकर साहब, आपने उसके जवाब में कोई कारण नहीं बताया कि वह मंजूर क्यों नहीं किया गया है।। कोई कारण तो बताना चाहिये था।

Mr. Speaker: Hon'ble Members, Dr. Mangal Sein, M.L.A. has given a notice of breach of privilege against the Chief Minister, Haryana alleging that he misled the House by making a wrong statement about the alignment of S.Y.L. Canal. The Chief Minister had already clarified his position in the House. Besides, on page 234 of the Book "Practice and Procedure of Parliament" by Kaul and Shakhder it is provided that a breach of privilege can arise only when the Minister makes a false statement or an incorrect statement wilfully, deliberately and knowingly. So I withhold my consent to the raising of this question of breach of privilege.

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, यह जानबूझ कर छिपाया गया है और बिल्कुल छिपाया गया है। (गोर) इन्होंने गलत स्टेटमेंट दिया था। (गोर)

Mr. Speaker: You know in your hearts of heart. यह कहना कि गलत स्टेटमेंट दिया है, ठीक नहीं है। मुख्य मंत्री ने कोई फाल्स स्टेटमेंट नहीं दिया। इतना तो आप जानते हैं कि अगर कोई भाब्द गलती से निकल भी गया तो उसे विलफुली नहीं कहा जा सकता।

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, इन्होंने विलफुली किया है।

श्री मूलचन्द जैन: मैं डा० साहब से अनुरोध करूंगा कि वे इसमामले को ड्राप कर दें। इस बारे में आपके चैंबर में भी बात हो गई थी, इसलिये वह कृपा करके इसमामले को ड्राप करें।

Mr. Speaker: Thank you very much. I am most grateful to the Leader of the Opposition for showing such a cooperative attitude in the interest of the State of Haryana.

नलकूपों का पानी इस्तेमाल करने वाले किसानों को सहायता की अदायगी न करने संबंधी चर्चा

श्री रण सिंह मान: स्पीकर साहब, आज खेती सेपूरी उपज लेने के लिये बहुत पैसा पहले ही खर्च करना पडता है। आपका भी खेती से काफी नजदीक का वास्ता रहता है इसलिये मेराआपसे निवेदन है कि वि. शेरकर, जो ट्यूबवैल एरिया है, जहां पानी 80 फुट तक गहरा होता है। वहां किसान को 10 हार्स पावर तक का इंजन लगा कर पानी निकालना पडता है इसवजह से उनको अधिक पैसा खर्च करना पडता है। ऐसे किसान बैंकों से पैसा लेकर अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं ऐसा कोई किसान नहीं है जिसने बीस या तीस हजार रूपये तक का कर्जा न ले रखा हो। इसी साल जिन लोगों को कर्जा न मिले है, उनकी पांच हजार रूपये की कितनी बकाया खड़ी है मेरा कहना यह है कि जहां ओले गिरे हैं व भीत लहर से नुकसान हुआ है उन लोगों

कोतो मुआवजा दिा जायेगा तथा आबियाना माफ किया जायेगा। क्या इन लोगों को भी उनके बराबर ट्रीट किया जायेगा जिन्होंने ट्यूबवैलों से सिंचाई की है? क्या उनके बिल भी माफ किये जायेगे?

श्री अध्यक्ष: आप कोई सबसटाटिव मोशन लायें, यह सरकार तो जमींदारों के हित के लिये बहुत कार्यवाही कर रही है।

श्री रण सिंह मान: स्पीकर साहब, इन्होंने मुआवजा देने के लिये तीन तरह की कैटेगरीज बनाई है। जिसका नुकसान 25 से 50 प्रति ात तक होगा उसको दो सौ रूपये प्रति एकड जिसका नुकसान 50 से 75 प्रति ात तक होगा उसको 300 रूपये प्रति एकड ओर जिसका नुकसान 75 से 100 प्रति ात तक होगा उसको 400 रूपये प्रति एकड दिया जायेगा। लेकिन चूंकि ट्यूबवैल ओनर्ज को बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पडता है और वे नुकसान की वजह से कि त नहीं दे पायेगें तो क्या उनको और इलाको के मुकाबले अधिक रिलीफ दी जायेगी?

श्री अध्यक्ष: वैसे तो यह बडी रीजनेबल बात है।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, इस बारे में पहले भी कई बार चर्चा हुई है ओर बार-बार मैं उस सवाल का जवाब दूं तो अच्छा नहीं लगा। िफर भी मैं इनको एक बार फिर बता देता हूं कि जहां ओले पडे है वहां हमनेदा सौ रूपये से लेकर चार सौ रूपये तक प्रति एकड के हिसाब से

मुआवजा देने की स्कीम बनाई है। वहां पर सबसे पहले गिरदावरी करवा रहे हैं और हमें कहीं से भी ऐसी रिपोर्ट नहीं आई कि गिरदावरी नहीं हो रही है। हमने बाकायदा कमिशनर तक की ड्यूटी लगाई है कि वह मौके पर जाकर देखे। जहां तक इनका प्लानेट है, यह भी वैलिड है। जहां भीतलहर की वजह से याओलों की वजह से नहरी जमीनों का नुकसान हुआ है। वहां के किसान का हमने आबियाना और मालिया मु कर दिा लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं, जहां ट्यूबवैल से पानी लेते हैं। हम चाहते हैं कि उसको भी रियायत मिलनी चाहिये। लेकिन आप जानते हैं कि इसका संबंध बिजली बोर्ड से है और बिजली बोर्ड एक अलग संस्था है। हमारी किसानों के साथ पूरी हमदर्दी है इस बारे में भी हम विचार करेंगे। मैं इस समय इसबात की घोषणा तो नहीं कर सकता कि उनको भी मुआवजा देंगे लेकिन हमारी उनके साथ पूरी हमदर्दी है, हम उस पर गौर करेंगे। जितना भी हम कर सकते हैं, करेंगे। उसके लिये हम कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे।

Mr. Speaker: I think , the assurance given by the Chief Minister should be appreciated.

डा० बृज मोहन गुप्ता: स्पीकर साहब, मैं हाउस के सामने एक बड़ी जरूरी चीज रखने जा रहा हूं कि हरियाणा के अन्दर पोटोप्लायम सायानाईट बेचने पर कोई पाबन्दी नहीं है। यह एक पौयजन है और इससे जगाधरी और यमुनानगर में कई नौजवान व्यक्ति मर गये हैं। कल भी दो बच्चों ने इससे सू-साइड

कर लिया। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इसके बेचने पर पूरी पाबन्दी लगाई जाये। पोटॉप्टायम सायानाईट इंडस्ट्रीज में टैम्पर देने के लिये बहुत काम आता है।

श्री अध्यक्ष: आप मेरे को इस बारे में लिख कर दे दीजिये, मैं उसे गवर्नमेंट को फारवर्ड कर दूंगा।

विभागों/निगयों/बोर्डों आदि की वार्षिक रिपोर्ट देर से पे ा करना

श्री मूलचन्द जैन: स्पीकर साहब, मैंने परसों यह सवाल उठाया था कि अभी इतने महकमों की एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टस नहीं आई है। आज अलग-2 डिमांडज पर बहस भुरू होगी लेकिन अभी तक भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टस हमारे पास नहीं पहुँची है। स्पीकर साहब, खास तौर पर जो सरकारी कार्पोरेशंज की रिपोर्टस है, एक दो को छोडकर बाकी की रिपोर्टस 4-5 वर्ष से नहीं आई है। इसके अलावा मैंने दो काल अटैन् ान मो ांज का नोटिस दिया है। एक तो भूगर केन की प्राइस के बारे में है। कोआप्रेटिव चीनी कारखानां को छोडकर आज भूगर केन की कीमत 10-12 रूपये प्रति क्विंटल तक पहुँच गई है। उधर भूगर मिलों में भी करण ान भुरू हो गई है। दूसरामेरा काल अटैन् ान मो ान फसलों के डैमेज के बारे में हैं ये गेंहूं की फसल की गिरदावरी तो करवा रहे है लेकिन सब्जियों , चने और सरसों की फसल की गिरदावरी नहीं करवा रहे। जैसे पानीपत के नजदीक जो लोग

सब्जी बोते हैं, उसके बारे में भी ये कोई गिरदावरी नहीं करवा रहे हैं।

श्री हीरानन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, बाबू मूलचन्द जैन जी ने अभी जो कहा है उसके बारे में यह बताना चाहता हूँ कि मैं भी कल आने हल्के में गया था। एक फसल तारेमीरे की होती है, ये उसके नुकसान की भी गिरदावरी नहीं करवा रहे हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि मेरे हल्के में कई गांवों में पटवारी और तहसीलदार घांधली कर रहे हैं। सरकार उनको हिदायत करे कि वे सावधानी से काम करें। स्पीकर साहब, अभी मुख्य मंत्री जी ने बताया कि महेन्द्रगढ़ भिवानी जिले के रेतीले इलाकों में जहां पर लोग ट्यूबवैल्ज से पानी लगाते हैं बारे में वे अभी मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि हम सहानुभूति से विचार करेंगे स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूँ कि रेतीले इलाकों में, जैसे भिवानी और महेन्द्रगढ़ जिले का एरिया है, उन इलाकों में जिन किसानों ने ट्यूबवैल के बिजली के कनेक्शन पहले से लिये हुये हैं यदि वे किसान लोड एक्सटेंशन करना चाहें तो क्या सरकार उन्हें प्रायर्टी बेसिज पर एक्सटेंशन देने के लिये विचार करेगी? स्पीकर साहब, जैसे किसी किसान ने अपने ट्यूबवैल की मोटर एक हजार हार्स पावर की लगाई हुई है और फिर अब वह 5 हजार हार्स पावर की मोटर लगाना चाहता हो तो क्या सरकार उन्हें प्रायर्टी बेसिज पर एक्सटेंशन देने का विचार करेगी?

श्री अध्यक्ष: आर्य साहब, अभी मुख्य मंत्री जी ने बड़ी एप्रि एबल बात कही है। श्री रण सिंह मान ने ट्यूबवैल्ज के बारे में जो कुछ कहा था उससे बारे में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, बाबू जी ने कहा कि चने, सरसों और तारेमीरे की गिरदावरी नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं बाबू जी को और सारे सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि जिस इलाके से मैं बिलौंग करता हूँ, उस इलाके में ज्यादातर चने, सरसों और तारेमीरे की फसल होती है। किसान की चाहे कोई भी फसल हो, चाहे सब्जी की भी फसल है, यदि ओलों की वजह से फसलों का नुकसान हुआ है, सरकार की तरफ से पूरा मुआवजा दिया जायेगा। ओलों की वजह से फसलों का जो नुकसान हुआ है। उसका मुआवजा देने के बारे में सरकार ने जो नीति बनाई है उस हिसाब से उनको मुआवजा दिया जायेगा। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, अभी हीरानन्द आर्य बोल रहे थे। ये कंफयुजड आदमी है। उस समय पता नहीं क्या बोल रहे थे? इनको खुद नहीं पता कि ये क्या कहने जा रहे थे। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक बिजली के बिलों के भुगतान का सवाल है, इस बारे में अभी श्री रण मान ने कहा था कि नहरों का आबियानला माफ कर दिया लेकिन ट्यूबवैल्ज से जो सुल पैदा होती है उसके बिजली के बिलों के एरियर के बारे में सरकार क्या विचार कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं मानीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि इस बारे में भी

सरकार पूरा विचार करेगी ओर सरकार की तरफ से जितनी भी सहायता हो सकेगी, किसानों की सहायता करने के लिये सरकार पूरी पूरी चेष्टा करेगी।

श्री अध्यक्ष: बाबू जी ने महकमों की एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स के बारे में पूछा था। आप उसका भी जवाब दे दे।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जहां तक महकामों की एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट का ताल्लूक है उसके बारे में मैं आकड़ों के हिसाब से बताना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, 1976-77 में जिस समय बाबू मूल चन्द जैन वित्त मंत्री थे, केवल तीन एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स आई थी, 1977-78 में केवल 11 रिपोर्ट्स आई। लेकिन अध्यक्ष महोदय इस सरकार के बनने के बाद 1978-79 में 22 की रिपोर्ट्स आई, 1979-80 में 34 रिपोर्ट्स आई और 1980-81 में 9 रिपोर्ट्स आ चुकी है, बाकी रिपोर्ट्स के लिये महकमों को कह दिया गया है कि सारी कार्यवाही पूरी करके रिपोर्ट्स जल्दी से जल्दी भेजें। अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस को यकीन दिलाना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स आपके सामने जल्दी से जल्दी आएगी। आज की सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स पे 1 करने के लिये पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा काम किया है और पूरी कार्यवाही की है।

श्री मूलचन्द जैन: स्पीकर साहब, 1981-82 के बारे में तो मुख्य मंत्री जी ने बताया ही नहीं है।

चौधरी भजन लाल: 1982 का साल तो अभी खत्म नहीं हुआ है।

Mr. Speaker: I had held discussion with the Chief Secretary on this subject and I am convinced के जितना पुराना एरियर्ज बकाया था वह तकरीबन सारा मेक-अप हो गया है। मुझे चीफ सैक्रेटरी साहब ने बताया है, लेकिन इसे कन्फर्म नहीं किया। But whatever the Chief Secretary has told me, I take it to be a pospel truth and he has told me कि इस साल 76 एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टस डिपार्टमेंटस से आई है।

डा० मंगल सैन: लेकिन स्पीकर साहब, हमारे पास तो एक भी नहीं आई।

Mr. Speaker: They ahve come from the Departments.

Dr. Mangal Sein: Sir, they have nt been laid on the Table of the House.

Mr. Speaker: They are under print.

श्री मूलचन्द जैन: अध्यक्ष महोदय, डिमांडज फार ग्राटंस पर डिस्क्ान तो आज भुरू होनी है।

श्री अध्यक्ष: बाबू जी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टस डिमांडज पर डिस्क्ान करने के लिये थोड़ी बहुत गाइड लाईन तो जरूर देती है लेकिन यदि रिपोर्टस आपके पास न हो, तो भी कोई खास अड़चन वाली बात नहीं हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टस तो आपको तीन

साल पुरानी गाइड लाईन दे सकजती है। I am quite convinced if they are right up to-date, ये बड़े काम की हैं लेकिन पुराने एरियरज के बारे में मुझे अभी चीफ सैक्रेटरी साहब ने बताया है कि हमने 76 रिपोर्ट्स तैयार कर दी हैं इससे मैं समझता हूँ कि अगले साल से स्थिति अच्छी हो जायेगी।

विशेषाधिकार का प्रश्न

स्वामी अग्निवेश : अध्यक्ष महोदय, बंधुआ मजदूरी निहायत ही मानविक समस्या है और मुख्य मंत्री ने इस बारे में जो जानकारी हाउस को दी उससे हाउस को गुमराह किया गया है। मुख्य मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उस पर आपके समक्ष एक प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया है।

श्री अध्यक्ष: स्वामी जी उसका जवाब मैंने आपके पास भिजवा दिया है। (गोर)

स्वामी अग्निवेश : अध्यक्ष महोदय, जो जवाब आपने भिजवाया है उसके अन्दर कोई कारण नहीं बताये गये कि यह क्यों रिजेक्ट किया गया है। मुख्य मंत्री जी ने हाउस को मिसलीड किया है। मुख्य मंत्री जी ने जानबूझ कर मिस-लीड किया है। (गोर एवं विघन)

Mr. Speaker: Swami Agnivesh had given notice of a breach of privilege against the Chief Minister alleging that while replying to his call attention motion in the House on 28th March, 1981, the Chief Minister had made a wrong

statement in the House. According to clause (ii) of Rule 263 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, governing conditions of admissibility of question of privilege-

“the question shall be restricted to a specific matter of recent occurrence.”

and it has been examined by me that there was no mala-fide intention on the part of the Chief Minister while giving any information which Swami Agnivesh has alleged to be wrong. Therefore, I withhold my consent to the raising of this question of privilege.

वाक आउट

स्वामी अग्निवेश : अध्यक्ष महोदय.....
...(गोर एवं विधान)

Mr. Speaker: Since the ruling has been given, it is not to be recorded.

चौधरी उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब,
...(गोर एवं विधान)

श्री अध्यक्ष: अखबरा की कोई खबर रिकार्ड न की जाये।
(गोर एवं विधान)

चौधरी उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, आप मेरी बात तो सुन लें। (गोर)

डा० मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट ने यह माना है कि हरियाणा में बंधुवा मजदूर है लेकिन मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि हरियाणा में बंधुवा मजदूर नहीं है। इन्होंने हाउस में गलत बयानी की है और हाउस को मिसलीड किया है। उसके बारे में स्वामी अग्निवे जी ने मुख्यमंत्री जी के खिलाफ एक प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया था आपने वह रिजैक्ट कर दिया इसलिये हम वाक आउट कर रहे हैं। (गोर एवं विघन)

(इस समय विरोधी पक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन से वाक आउट कर गये)

श्री भले राम: स्पीकर साहब, काफी दिनों से प्रिविलिज कमेटी की रिपोर्ट श्री संत कंवर और स्वामी आदित्यवे जी के संबंध में आप के पास आ चुकी है इसलिये मेरी आपसे गुजारि है कि उसे सदन में पेस कर दिया जाये। (गोर एवं विघन)

श्री अध्यक्ष: यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है आपको याद आ गया इसलिये आपने यह बात कह दी। (गोर एवं विघन)

चौधरी उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, यह बहुत जरूरी बात है। कई रिपोर्टें आपके पास आ चुकी हैं। प्रिविलिज कमेटी की रिपोर्ट भी आ चुकी है। उस पर चेयरमैन के और 8 सदस्यों के हस्ताक्षर हो चुके हैं और वह आपके आफिस में दे दी गई है। इसलिये मेरी आप से प्रार्थना है कि उसे पेस करना

चाहिये। (गोर) मुझे यह तो पता नहीं कि उसमें क्या लिखा गया है?

श्री अध्यक्ष: आप कमेटी के मेंबर है, आपको पता होना चाहिये। (गोर एवं विघन)

चौधरी उदय सिंह दलाल: वह बात तो अलग है। मैं किसी बात की लीकेज नहीं करना चाहता। आप चेयरमैन से भी पूछ लें उनके भी दस्तखत हो चुके हैं। (गोर एवं विघन)

श्री अध्यक्ष: मैंने 4-00 बजे का समय दिया हुआ है। इस संबंध में मैं चार बजे एनाउंसमेंट करूंगा। आप कब से इतने भोले हो गये हैं कि अखबारों पर लिखी गई सारी बातों पर यकीन कर लिया जाये। (हंसी, गोर एवं विघन)

श्री अध्यक्ष: मैंने कहा है कि उस पर चार बजे एनाउंसमेंट करूंगा।

ध्यानाकर्षण सूचना

मैडिकल कालेज तथा अस्पताल, रोहतक की दिन-प्रति-दिन बिगडती हुई हालत संबंधी-

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मेंबरज, मुझे सर्वश्री अजीत सिंह, उदय सिंह दलाल और संत कवर एम0एल0एज0 की तरफ से मैडिकल कालेज होस्पिटल रोहतक में बिगडती हुई हालत के बारे में काल अटेंशन मोड के नोटिसिज प्राप्त हुये हैं। मैं इन्हे

मंजूर करता हूँ। श्री अजीत सिंह अपना नोटिस पढ दें और हैल्थ मिनिस्टर साहब अपनी स्टेटमेंट दे दें।

श्री अजीत सिंह तथा चौधरी उदय सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यावश्यक लोक महत्व के मामले की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि मैडिकल कालेज तथा अस्पताल, रोहतक भारतवर्ष में क्षेत्रफल तथा रोगियों के रहने की व्यवस्था के हिसाब से प्रथम स्थान पर है परन्तु इससमय इसकी हालत मरणासन्न है। बिगाड़ तो लगभग 6 महीने पूर्व से चल रहा है परन्तु इस समय इसकी दशा अति भोचनीय एवं चिन्ताजनक है।

अस्पताल व कालेज की हालत दिन प्रति दिन बिगडती जा रही है। भारी अर्थसंकट के परिणास्वरूप ही सभी क्षेत्रों में परेशानियां व्यापत है।

यहां पर आने वाले रोगियों की दशा अति भोचनीय होती है। रोगियों को दवाईयों नहीं मिलती। गरीब व्यक्तियों द्वाराबाजार से मंहगें भाव पर दवाईयां खरीदना बहुत कठिन है। हजारों रोगी प्रति वर्ष दवाई न खरीद पाने के कारण मौत के करालगाल में समा जाते हैं रोगियों की खुराक का भी वहां नितान्त अभाव है। बिस्तरे व पट्टियों की भी हर समय कमी ही रहती है। मैले-कुचैले बिस्तरे, थूक, पेनाब, टट्टी के बर्तन न होने के कारण तथा भौचालयों व स्नानागारों में सफाई न होने के कारण रोगी कारोग घटने की बजाये बढ़ता चला जाता है। बिजली

की नंगी तारे सदैव मौत की तलवार के समान लटक रही है। वर्षा ऋतु में कितनी ही छतों से सीधा पानी रिसता है रोगी के साथ आने वाले सहायक रोगी को ठीक कराना तो दूर रहा स्वयं रोग मोल ले लेते है। सहायकों के रहने की व्यवस्था ले 1 मात्र भी नहीं है। घोशित धर्म ाला के निर्माण की भी अब तक कोई चर्चा नहीं है।

लगभग 500 डाक्टरों, तीन हजार कर्मचारियों व 350 नर्सों में आपसी सामंजस्य न होने का दुश्परिणाम भी रोगियों को ही भुगतना पडता है। डाक्टर रोगियों के इलाज की अपेक्षा प्राईवेट प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान देते है। डाक्टरों, कर्मचारियों, नर्सों व छात्रों की हड़ताल का नजला भी रोगियोंको भुगतना होता है।

कालेज में बहुत से महत्वपूर्ण पद रिक्त है जिसके कारण बहुत से कार्य विचारधीन हैं अच्छे डाक्टर विदेशों में जा रहे है।

विभागाध्यक्षों के हाथों में छात्रों के अधिकार होने के कारण सामान्य वातावरण नहीं रहता। चिकित्सा श्रेणी में छात्रों के प्रवेश की अनियमिततायें भी प्रकार 1 में आ रही है। छात्रों के छात्रावासों में भी असुविधायें निरन्तर बढ रही है।

सरकार द्वारा नियंत्रित मैडिकल कालेज व अस्पताल हेतु कमेटी भी निश्चिन्त है। समस्याएं सुलझाने की बजाये उलझी है।

सरकार के सभीवायदे आज कोरे सिद्ध हो रहे है तथा सरकार इस विशय में कुछ भी करने में पूर्ण विफल रही है ।

यह एक गंभीर तथा हाल ही का मामला है जिससे जनता में भारी अंसतोश व्याप्त है । यह मामला राज्य की अर्थव्यवस्था व सामान्य प्र तासन से भी संबधित है ।

अतः वे इस अत्याव यक लोक महत्व के मामले की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्शित करते है और संबधित मंत्री से प्रस्ताव करते है कि वे इस मामले पर सदन में एक वक्तव्य देकर स्थिति को सपश्ट करें और सदन को वि वास में लें ।

चौधरी संत कवर

श्री उद सिंह दलाल:—हम इस महान सदन का ध्यान एक अत्याव यक लोक महत्व के इस विशय की ओर दिलाना चाहते है कि हरियाणा के सबसे ब्रडे चिकित्सा केन्द्र मैडिकल कालेज, रोहतक में जो दवाईयों सरकार की तरफ से रोगियों के लिये भेजी जाती है उनको बाजार में बेच दिया जाता है । इस मामले को लेकर वहां की जतनतामें बडी ही रोश तथा तनाव है । इस मामले को लेकर जिला रोहतक के प्रमुख नागरिक उपायुक्त रोहतक से भी मिले लेकिन उन्होने अपनी असमर्थता प्रकट की । केवल यहीं नहीं बल्कि उक्त कालेज के बडे डाक्टर दवाईयों को अपने घर लेकर जाते है तथा वहां पर प्राइवेट प्रैक्टिस करते है और सरकारी दवाईयों को बेचते है । इसलिये सरकार का फर्ज

बनता है कि इस बुराई को रोकने के लिये तुरन्त जांच कराई जावे तथा इस बुराई को बन्द करने के लिये जो प्रयास सरकार केगी वे इस महान सदन को बताने की कृपा की जावे ।

वक्तव्य

स्वास्थ्य तथा पर्यटन मंत्री द्वारा उक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

Health & Tourism Minister (Chaudhri Gajraj Bahadur Nagar): Sir, it is not a fact that the condition of Medical College & Hospital, Rohtak, has been deteriorating. It has always been the special endeavour of the Government to provide most satisfactory services and care to the patients. The medicines are supplied to all the indoor and outdoor patients, as prescribed in the hospital pharmacopoeia. On an average, Rs.3/- are spent on each patient attending out-doors and about Rs. 25/- on each indoor patient for medicines. This is considerably higher than other hospitals in the country like the Post Graduate Institute, Chandigarh and All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, there are always two lists of medicines. One is for outdoor patients while the other is for hospitalised patients. This practice is followed strictly in this institution as well. These medicines are supplied to all. In some specialised cases, some more costly and sparsely used medicines are required. To procure such medicines for poor patients, help from the Red Cross Society as well as the Hospital Welfare Society is sought and, as far as possible, medicines are procured for them from these sources. Nobody has ever been denied medicines which have been listed in the

hospital pharmacopaeia. In the case of eligible patients requiring surgery, necessary operations are done without any charge. In such cases laboratory investigations are also done free of any charge. Diet is given free to all patients having income below Rs. 300/- per month and, on an average, diet is provided to about 700 to 800 patients every day. Ordinary diet costs about Rs. 5/- per diem in the hospital. There is provision for special diet also including eggs and milk in the needy cases. It is wrong to say that food is not available to the hospital patients.

There is not shortage of bandages and such facilities have been made available free to all the patients of general ward. The hospital bed strength is 1074. In addition to it, if the patient comes to the hospital with a serious illness, we provide him/her accommodation by providing extra beds in the concerned ward, and such patient is never refused admission in the hospital. Sometime about 100 extra beds have to be provided. Due to increasing demand for hospital facilities. Government is considering the question of increase in bed strength, but it will be possible only when funds are available. There are no dirt beds and the condition of bed-sheets has been satisfactory. There is no shortage of pans for sputum, urine and stool, which are very minor items and are being supplied to all patients. However, some of the patients take them away creating temporary difficulties, but then substitutes are provided. Cleaning of bath rooms is always taken care of and recently all the hospital bath rooms have been provided with exhaust fans to drive out the foul air. Besides, deoderants like phenyle and nanthalene balls are freely used. Adequate number of sweepers have been provided.

however, due to unfamiliarity of some attendants of the patients, and the patients, and the patients themselves, with the use of these facilities some incleanliness occurs.

There is no live wire of electricity hanging any where. Some work of laying of 15 amp. heating lines in the boys and girls hostels is being undertaken in order to provide better facilities to the students during winter. As a dispute with the contractor is going on in the court of law, some lines have yet to be properly fixed. It is totally incorrect to say that there is leakage of water from the roofs in the rainy season.

The Government have a scheme to build a Dharmshala for the comfort of attendants of the patients in the Medical College, Rohtak hospital. The project has been prepared, but the construction, however, could not be started due to lack of funds. The estimated cost of the project is about Rs. 55 lakhs.

There is no lack of coordination between the doctors, nurses and staff. There is no specific complaint about extortion of money from the patients by the doctors. Any specific complaint will be investigated and proper action will be taken.

In order to meet the requirements of the patients to get the treatment from the doctors of their own choice, system of paying clinics is in vogue. Out of the fee charged from the patients, share goes to the doctor also. The matter is under consideration of the government whether this system should be continued or abolished.

There has been no strike of any sort whatsoever either by the doctors, employees or nurses during the last one year. Some minor student problems cannot be ruled out in an institution of this size.

All the posts of Associate Professors are filled up. Only five posts of Professors out of 28 posts are lying vacant. This is however, not posing any problem because all sanctioned units in the College/hospital are functioning. In an institution of this size, some movement of doctors from the college is inevitable for training and short-term assignments in other institutions in India and abroad. However, nobody is permitted to go out of the department where the staff strength is less than 70 percent.

The recruitment processes of the college have now been streamlined and advertisements are in the process of issue to fill up the posts that are lying vacant. Government hopes to recruit the doctors twice a year in view of the special requirements of the college. It is incorrect that the doctors are going away and no doctor in regular service has resigned or left service in the last one year.

There is not a single case of irregularity in admissions in the last one year. No complaint whatsoever has been received in this regard by the Government or by the Director-Principal. In fact, the Government can take credit that both admission and recruitment processes have been totally above board.

No inconvenience to the student has been specified in the Motion. Of-course, additional hostel accommodation is

required in view of the increase in intake from 115 to 160 students in MBBS course last year and introduction of the Dental course. Construction work for the hostel accommodation for 325 students (cubicles) has been taken in hand and work has been allotted to the contractors.

The College is now being run directly by the government. It was taken over from the Maharishi Dayanand University in 1979. The decision making processes are quick and smooth and it will be no exaggeration to say that the atmosphere today in the College is much better, totally peaceful and free from agitation. This is a matter of gratification. The Committee referred to in the Calling Attention Motion is only advisory and does not affect the day-to-day functioning of the College. There is no promise of the Government is aware of the increasing demand of the public for continuous expansion of health facilities in the college. The demand is a proof of the quality of service rendered, rather than the mis-management. The Government is keen to expand this facility, but it will have to be done within the resources available to the State. Because of other demands for development, particularly the projects like Satluj-Yamuna Link Project, we have to stagger the expansion plans for the college.

It is incorrect to say that medicines supplied to the College are unauthorisedly resold in the market. The store of medicines is directly under the charge of Deputy Medical Superintendent of the College. The medicines brought to the Store are stamped in the college so that they cannot be sold in the market as fresh medicines. Cartons of medicines are destroyed. Regular stock taking has been introduced. No

complaint about the sale of medicines has been made in writing or orally by any responsible person to either the Principal of the College or to the government. Some anonymous complaints were received about the replacement of genuine drugs by spurious drugs. They were got verified and found to be false. Random checking by the State Drugs Inspector is also got done to see that the genuine medicines are not replaced by spurious ones. Such checks have not indicated any such practice in the College. On a case of theft was detected some years ago and shortages in the store were detected again in September, 1981. Disciplinary action was taken in the earlier case and one employee was dismissed and others involved were given various other punishments. In the shortages detected in September, 1981 disciplinary proceedings against the employees concerned have been started.

It will be observed that necessary system of checks and control over the medicines is in operation in the college and it is incorrect to say that the medicines are regularly sold by senior doctors in the interest of their private practice. Government is informed that recently when some citizens of Rohtak met the Deputy Commissioner on this question, the Deputy Commissioner advised the complainants to give specific instances with supporting documents and affidavits. No such documents or affidavits with definite complaints have been received by the Deputy Commissioner so far. It is possible in such a big institution that occasionally some employees may create some mischief, but the government is alert to the problem and will take necessary steps to proceed against any such person who is found to be indulging in this type of

mischievous. Action in such cases has been taken in the past and will be taken in future also in case of a specific incident. Speaker Sir, you will agree with me that it is somewhat irresponsible to make allegations of mis-appropriation of medicines against senior doctors of the College.

(At this stage Mr. Deputy Speaker occupied the Chair).

May I bring to the notice of the Members of the House that the college was recently visited by the Public Accounts Committee of this House. Though the formal report of the Committee has not yet come, the draft of the observations of the Committee indicate that they were satisfied with the arrangements in the college within the resources available, except for improvements in the kitchen. Steps have been taken to rectify this. With the change of the cooking gas lines and providing additional ventilation and exhaust fans which is likely to be done within a month, it will be brought to a satisfactory level. Any other recommendation of the Committee will also be fully acted upon.

In the end, I will like to assure the House that the problems of the College engage continuous attention of the Government. We are proud of this Institution and will continue to improve and expand it to the extent resources become available. There is no cause for anxiety.

चौधरी अजीत सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से दो तीन बातों का जवाब चाहूंगा। पिछले साल एम0बी0बी0एस0 में दाखिले हुये है, क्या उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट में कोई रिट चली

हुई है क्योंकि कुछ प्रभाव गाली आदमियों ने अपने लडकों को दाखिल करवा लिया था और योग्यता वाले लडके पीछे रह गये थे?

उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने स्टेटमेंट में कहा है कि छत कहीं से भी नहीं टपकती। उपाध्यक्ष महोदय यह बात ठीक नहीं है। गेट से एन्टर होते ही वहां पर जो बरामदा है उसकी छत टपकती है। रोगियों के साथ जो आदमी आते हैं, वे उसी बरामदे में विश्राम करते हैं और इससे उन्हें बड़ी असुविधा होती है।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने स्टेटमेंट में यह भी कहा कि पांच रूपये के स्तर की डाईट रोगियों को देते हैं। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पांच रूपये के स्तर की डाईट रोगियों के लिये बैलेंसड डाईट है? अगर नहीं तो क्या इसके स्तर को उंचा करवायेंगे?

चौधरी गजराज बहादुर नागर: उपाध्यक्ष महोदय, मेरे फाजिल दोस्त ने तीन चार बातें पूछी हैं। एक तो इनहोंने कहा कि वहां छत टपकती है। यह सरासर गलत है। कहीं भी छत नहीं टपकती। (विधान)

चौधरी संत कवंर: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अपने भीगे हुये कपडे इन्हें दिखा सकता हूं।

चौधरी गजराज बहादुर नागर: डिप्टी स्पीकर साहब, अगर ये अपने कपडों को नल में भिगों लें तो मैं इन्हें कैसे रोक सकता हूं?(व्यवधान) डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी संत कवंर जी

मुझे रेहतक रैस्ट हाउस में दो बार मिले इन्होंने यह बात कभी नहीं बतायी कि मैडिकल कालेज का बरांडा टपक रहा है।

चौधरी संत कवर: मैने रैस्ट हाउस में आपको यह बताया था कि किसानों को जबरदस्ती पकड कर बन्द कर रखा है, उन्हें छुडवाओं लेकिन आपने कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री उपाध्यक्ष: यह बात यहां पर इररेलैवेन्ट है।

चौधरी गजराज बहादुर नागर: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं दुबारा बिलिडिंग का मुआयना करने के लिये तैयार हूं। अपने फाजिल दोस्तों को न्यौता देता हूं , वे मेरे साथ चले। वहां पर हमारे डायरैक्टर है, वे मैडिकल कालेज के प्रिंसिपल है, उनके पास जाये वे भी दिखा देंगे आप किसी भी समय जायेंगे, आपको सहयोग देंगे।

डिप्टी स्पीकरसाहब, एक बात इन्होंने खुराक के बारे में कही है। मैने अपने जवाब में पढ़ा है कि पांच रूपये रैगूलर डाइट की एवरेज है। वैसे जैसा भी मरीज होता है वैसी ही डाइट दी जाती है। सपै गल इन्तजाम अन्डे और दूध का भी है। ज्यादा खुराक की जरूरत होती है तो ज्यादा देते है लेकिन पांच रूपये एवरेज है।

यह भी बात ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की गई थी जिसमें उनहोंने कई इररैगुलरेटिज को चैलेन्ज किया था लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, जितने भी दाखिले हुये है वे

बाकायदा मैरिट के हिसाब से हुये हैं। जहां तक डिस्ट्रिक्ट नरी कोटे सेएडमि न का सवाल है उसमें भी पूरा ध्यान रखते हुये मैरिट बेसिज पर किया गया है। कोई डिस्ट्रिक्ट बाकायत बकाया नहीं है।

चौधरी संत कंवर: डिप्टी स्पीकर साहिब, हमने काल अटैन् न मो न यह दिया था कि दवाईयां बाजार में बिकती है। जो डाक्टर प्राइवेट तौर पर प्रैक्टिस करते है, वे फीस ले करसरकारी दवाई देते है। हम यहां हाउस में दो तीन एम0एल0एज0 रोहतक के बैठे है। हम इनके साथ रोहतक चलने के लिये तैयार है। मंत्री महोदय इस बारे में जांच करायें कि क्या यह बात सच है? रोहतक के नागरिक डिप्टी कमि नर से मिले लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। आप दो एम0एल0एज0 की या दो आफिसर्ज की एककमेटी बना कर भेजें। हम उन डाक्टरज की लिस्ट बना कर देगें जो ऐसे प्रैक्टिस करते है। हम आपके साथ उनके मकान पर चलेंगे। वे डाक्टरज दो सौ दो सौ रूपये फीस मरीजों से लेते है और फिर उसका एक्सरे या दवाई मैडिकल हास्पिटल से देते है। कम सेकम 40 डाक्टरज ऐसे कर रहे है। इन डाक्टरज को सरकारी मकान दे रखे है। आप वहां पर जाकर छापामारी या इन्कवायरी करवाओं, तब आपको असल बात का पता लगेगा। दो-तीन डाक्टरों के साथ ऐसा हो जाये और उनहें सजा मिल जाये तो मैडिकल कालेज की हालत में सुधार हो सकता है और उसे बचाया जा सकता है।

चौधरी गजराज बहादुर नागर: डिप्टी स्पीकर साहब अभी मेरे फाजिल दोस्त ने जो कहा, उस बारे में मैं सबसे पहले वाजह करना चाहता हूँ। इसवक्त वहाँ पर 350 डाक्टरों का काम कर रहे हैं जिनमें से केवल 18 डाक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने की इजाजत है। बाकी सभी डाक्टरों को नान-प्रैक्टिसिंग अलाउन्स मिलता है। जिन 18 डाक्टरों को नान-प्रैक्टिसिंग अलाउन्स नहीं मिलता है वे प्राइवेट तौर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जहाँ तक डाक्टरों की फीस चार्ज करने का सवाल है वह सारी फीस उनकी जेब में नहीं जाती। पचास परसेंट डाक्टर को मिलता है और पचास परसेंट सरकार को देना पड़ता है। बाकायदा उनकी क्लिनिक्स बनी हुई हैं, वहीं प्रैक्टिस करते हैं। घरों पर नहीं कर सकते।

चौधरी सतं कंवर: 18 डाक्टरों को आपने प्रैक्टिस करने की इजाजत दे रखी है, वे फीस ले सकते हैं। आप हमारे साथ सरकारी गाड़ी की बजाये प्राइवेट गाड़ी में चलें, आपको हम दिखायेंगे कि वहाँ पर कितने डाक्टरों प्राइवेट तौर पर अपने घरों में फीस लेते हैं जो लोग फीस नहीं देते हैं वे बेचारे चिल्लाते रहे हैं कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। उन्हीं लोगों की ओर ध्यान दिया जाता है जो फीस देते हैं। आप हमारे साथ चलें, आपको दिखायेंगे किस प्रकार से वहाँ धांधली हो रही है।

चौधरी गजराज बहादुर नागर: जहाँ तक इसबात का संबंध है कि कुछ डाक्टरों नान-प्रैक्टिसिंग अलाउन्स भी ले रहे हैं और प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं उन्हें आप पकड़वाइये।

हरियाणा में कहीं भी ऐसे डाक्टर हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। उनमें पूरी सजा दूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि रोहतक में केवल 18 डाक्टर को प्रैक्टिस करने की इजाजत दी हुई है। वही प्रैक्टिस कर रहे हैं। वैसे आपको पता है कि मैडिकल एजुकेशन सैपरेट डिपार्टमेंट है। मुख्य मंत्री महोदय के पास यह विभाग है। मुख्य मंत्री जी पूरी निगाह रखते हैं। कोई रिक्वायर्मेंट आयी तो जरूर एक दिन लेंगे।

चौधरी उदय सिंह दलाल: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि रोहतक में मरीजों के लिये धर्म शाला बनायी जानी थी, उसकी अब क्या पोजीशन है, क्या नहीं बनायी जा रही है? आनन्दझा वालों से अपने नक्शा बनवाया है नक्शा बनवाने के हजारों लाखों रुपये दिये हैं लेकिन आज तक वहां पर एक भी ट्रक ईंटों का नहीं पडा है। यह धर्म शाला कब तक बना दी जायेगी?

दूसरी बात यह जानना चाहता हूँ कि मैडिकल कालेज में जो पुराने डाक्टर हैं, बहुत ही सीनियर और तजर्बेकार हैं, जैसे श्री मैनी हैं, वे तजर्बेकार और ऊंचे स्तर के डाक्टर वहां से जा रहे हैं क्योंकि उनमें दूसरी जगहों पर ज्यादा फ़ैसिलिटिज आफर की जा रही है। क्या मंत्री जी इस चीज को ध्यान में रखते हुये कि वे हरियाणा के मैडिकल कालेज से न जायें, उनहे कोई खास फ़ैसिलिटिज देंगे? जो भी डिपार्टमेंट के हैड हैं वे दो चार सालों में

रिटायर होने वाले है, ऐसे डाक्टरज को फ़ैसिलिटिज न दी गई, तो वे हरियाणा सरकार की सर्विस में नहीं रहेगें?

चौधरी गजराज बहादुर नागर: वैसे तो मैंने तफसील में जवाब दिया है इस साल वहां से कोई भी डाक्टर नहीं गया है। जैसे इनहोने डाक्टर मैंने का जिक्र किया। हम ऐसे सीनियर और तजर्बेकार डाक्टरों को फ़ैसिलिटिज देगे। वह मैंने जवाब में बता दिया है। दूसरे उनहोने धर्म ाला का जिक्र किया। यह बहुत ही जरूरी है। सरकार भी महसूस करती है कि वहां धर्म ाला बननी चाहिये।

श्री उपध्यक्ष: दलाल साहब, वे कह रहे हे कि एक साल से किसी ने भी इस्तीफा नहीं दिया।

चौधरी उदय सिंह दलाल: डिप्टी स्पीकरसाहब, अगर सरकार उन्हें कोई अन्य फ़ैसिलिटिज नहीं देगी तो वे दूसरी जगह जा सकते है।

चौधरी गजराज बहादुर नागर: डाक्टरज की एक एजुकेटिड क्लास है। हम सभी जूनियर और सीनियर डाक्टरज का ख्याल रखते है। धर्म ाला के लिये 7-8 लाख रूपया महर्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी ने देना है, लेकिन वह अभी तक नहीं मिला। चौधरी देवी लाल के समय में भी यह बात आयी थी लेकिन न तो हेल्थ डिपार्टमेंट को और न ही मैडिकल कालेज को यूनिवर्सिटी ने यह पैसा दिया है। डिप्टी स्पीकर साहब, हमने सारी स्कीम बना दी

है नक 10 पास कर दिये हैं सब काम करदिया हैं इसके अलावा हमारे मुख्य मंत्री महोदय न यह निर्णय लिया है कि 55 लाख रूपये की लागत से यह धर्म माला जरूर बनायेगें।

चौधरी उदय सिंह दलाल: डिप्टी स्पीकर साहब, इन्होंने यह कहा है कि यूनिवर्सिटी ने इनको कोई पैसा नहीं दिया है तो इनहोंने हजारों-लाखों रूपया नक 10 को बनाने का किस फण्ड से अदा कर दियाहैं यह जरा बताने की कृपा करेगें? (व्यवधान व भाोर)

चौधरी गजराज बहादुर नागर: डिप्टी स्पीकर साहब, यह पैसा उस वक्त के वाईस चांसलर हरद्वारी लाल जी ने पे किया है। हमारा इससे कोई ताल्लूक नहीं है।

वर्ष 1982-83 के बजट के अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

श्री उपाध्यक्ष: मैंबर साहेबान, अब वर्ष 1982-83 के बजट की डिमांडज फार ग्रांटस पर विचार होगा। पहली प्रैक्टिस के अनुसारऔर हाउस कासमय बचाने के लिये आर्डर पेपर पर रखी गयी सभी डिमांडज फार ग्रांटस तथा चौधरी राम लाल वधवा द्वारा दी गयी कट मो 10 एक साथ पढी और पे 10 की गयी समझी जायेगी। आनरेबल मैंबर्ज किसी भी डिमांड पर डिस्क 10 न कर सकते है लेकिन बोलते समय कृपया डिमांड कानम्बर बता दें जिस पर वे बोलना चाहते है।

That a sum not exceeding Rs. 84320573 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1982-83 in respect of the charges under *Demand No. 2-General Administration.*

That a sum not exceeding Rs. 279233064 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1982-83 in respect of the charges under *Demand No. 3-Home.*

That a sum not exceeding Rs. 49055580 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1982-83 in respect of the charges under *Demand No. 4- Revenue..*

That a sum not exceeding Rs. 28152650 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1982-83 in respect of the charges under *Demand No. 5- Excise and Taxation.*

That a sum not exceeding Rs. 585787790 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1982-83 in respect of the charges under *Demand No. 15-Irrigation.*

That a sum not exceeding Rs. 388844510 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1982-83 in respect of the charges under *Demand No. 17-Agriculture.*

That a sum not exceeding Rs. 42821300 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1982-83 in respect of the charges under *Demand No. 22- Co-operation*.

Demand No. 2 (General Administration)

Chaudhri Ram Lal Wadhwa:

That the demand be reduced by Re.1/-

Demand No. 3 (Home)

Chaudhri Ram Lal Wadhwa:

That the demand be reduced by Re.1/-

Demand No. 5 (Excise and Taxation)

Chaudhri Ram Lal Wadhwa:

That the demand be reduced by Re.1/-

Demand No. 15 (Irrigation)

Chaudhri Ram Lal Wadhwa:

That the demand be reduced by Re.1/-

Demand No. 17 (Agriculture)

Chaudhri Ram Lal Wadhwa:

That the demand be reduced by Re.1/-

Demand No. 22 (Co-operation)

Chaudhri Ram Lal Wadhwa:

That the demand be reduced by Re.1/-

राव राम नारायण (साल्हावास): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस हाउस के नोटिस में एक-दो बातें लाना चाहता हूँ । पिछले 2-4 रोज हुये इस हाउस में इसकिस्म की चर्चा हुई थी..... का हाथ था। यह बात सरासर गलत थी कयोकि सरदार भगत सिंह के और उसके साथियों की ट्रायल एक ट्रिब्यूनल के जरिये हुई थी जिसका प्रैजिडेंट एक अंग्रेज था। सर भाादी लाल हमारे हरियाणा के एक महान सपूत हूयें है जोकि रिवाडी से ताल्लुक रखते थे और एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन थे। वे मिन्टो मारले रिफार्म्ज के अन्दर 5 साल तक सैंट्रल असैम्बजी के मेंबर भी रहे। फिरवे चीफ जसिटस सिलैक्ट हुये ओर भाायद आल इंडिया में वह पहले ही इंडियन चीफ जस्टिस थे। उन्होने चीफ जस्टिस कीकुर्सी को करीब 15 साल तक ऐडोरकिया। उनके द्वारा दी गयी रूलिंगज को आज भी फोलो किया जाता है। उनके बारे में किसी भीकिस्म के डैरोगेटरी रिमाक्स हम टोलरेट करने के लिये तैयार नहीं है।

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा: आन ए प्वांयट आफ आर्डर, सर। डिप्टी स्पीकर साहब, वह भाब्द चौधरी राम लाल वधवा जी ने वापिस भी ले लिये थे। इसलिये उनको यहां पर दोहराना उचित नहीं हैं अगर उनहोने कोई ऐसे भाब्द कह दिये थे, तो वे वापिस भी तो ले लिये थे। (व्यवधान व भाोर)

Mr. Deputy Speaker: I further requested the Hon'ble Member then tokindly verify whether the death warrants were signed by Sir Shadi Lal? It he has verified it and he is saying so, he is correct. (Noises & interruptions)

राव राम नारायण: इसलिये सर भादी लाल का नाम वहां के होस्पिटल से जोडना निहायत ही अच्छा कार्य है। सरकार ने यह एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है और यह जरूर कायम रहना चाहिये क्योकि सर भादी लाल एक अच्छे पार्लियामेंटैरियन थे। यही नहीं, वह एक अच्छे जज भी थे और हिन्दुस्तान के एक माने हुये कानूनदान थे। एक दूसरे प्वायंट के बारे में भी मैं हाउस में कुछ कहना चाहता हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, एक्स-सर्विस मैन जो सिवविल एम्पलायमेंट लेते हैं, उनके साथ काफी ज्यादाती हो रही है। उनको रूलज के अन्दर मिलिट्री सर्विस का बैनिफिट टूवार्डज इन्कीमेंट और सीनियारटी मिलना चाहिये। यह बैनिफिट हमारी सरकार अकसर उनको देने में झिझकती रहती है। कुछ रूलज में इसतरह से परिवर्तन किया जा रहा है कि करीब-2 हरेक एक्स-सर्विसमैन को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाना पडता है। तब उन्हें कहीं जाकर इन्साफ हासिल होता है। पहले जोरूलज थे, वह ठीक रूलज थे लेकिन उनसे कुछ सरकारी अफसर जो पहले से ही सर्विस में थे, उनकी सर्विस-सीनियारिटी में अफैक्ट पडता था, इसलिये उनमें कुछ परिवर्तन किया गया। रूलज को थोडा सा डिस्टार्ट किया गया। लेकिन इस सब के बावजूद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जिसने भी एक्स-सर्विसमैन वहां पर गये , उनके

हक में फ़ैसला किया। मैंने इस बार में दो नोट लिखकर चीफ़ मिनिस्टर साहब को दिये थे लेकिन मुझे आज तक पता नहीं है कि उनका क्या बना है। न ही मुझे उनका कोई जवाब नहीं मिला है इसलिये मैं सरकार से यह अर्ज करूंगा कि एक्स-सर्विसमैनो को जो हमारे इस मुल्क की और इस वतन की खिदमत दिलोजान से करते है, फ़ंट पर लडते हैं। 1971 की लडाई में उन्होने बहुत अच्छी तरह से काम किया और बाद में अगर वह आकर सिविल सर्विस हासिल करते है तो उनके साथ इन्साफ़ होना चाहिये जोकि नहीं हो रहा है तीसरी बात मैं हाउस के समने एक और रखनाचाहता हूं। लैंड एक्वीजी न के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं पहले भी यह बात हाउस में रखी थी और मैंने अपनी पार्टी मीटिंग में भी इस बात को कहा था। लैंड एक्वीजी न के मसलेंका हरियाणा में कोई न कोई इलाज होना चाहिये। 10-10 साल से लैंड एक्वायर हुई है लेकिन उनको मुआवजा अभी तक भी नहीं मिला है ऐसे कई आदमी अब भी है। मेरा कहना यह है कि हरके आदमी को टाईम पर मुआवजा लि जाना चाहिये। एक आदमी जिसको सौ रूपया मुआवजा मिलना होताह " , उस बेचारे का दो सौ या तीन सौ रूपया तो वैसे आने-जाने में खर्च हो जाता है। कभी लैंड एक्वीजी न आफिसर के पास जाता है तो कभी डिस्ट्रिक्ट हैडक्वाटर पर जाता है मेरा कहना यह है कि इस सिस्टम को डीसैंट्रेलाइज किया जाना चाहिये। हरेक एस0डी0एम0 को यह अख्तियार होना चाहिये कि वह लैंड एक्वायर करसके। अगर किसी हल्के में कोई बडा प्रोजैक्ट टेक-अप होना है, उसके

लिये एडी इनल स्टाफ दिया जा सकता है। इस काम के लिये वहां पर एक एडी इनल तहसीलदार जो एस0डी0एम0 के तहत हो, दिया जा सकता है। जब तक आप इन पावर्ज को डीसैट्रेलाईज नहीं करोगे, यह प्रॉब्लम ज्यों की त्यों खड़ी की खड़ी रहेगी इस मामले में कई दफा तो इस हाउस में विचार हो चुका है लेकिन इसका कोई भी हल अभी तक नहीं निकल पाया है। सरकार ने कई बार हाउस में भी कहा है कि हम लैंड एक्वीजी इन आफिसर आपका अम्बाला में है और एक लैंड एक्वीजी इन आफिसर एचव0एस0ई0बी0 का भी वहां पर हैं मेरा कहना है कि आप पावर्ज को डीसैट्रेलाईज कीजिये। एस0डी0एम0 को यह पावर्ज दे दी जाये। अगर कहीं पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ जाये तो बे तक उसके लिये एडी इनल स्टाफ दे दें। जब तक आप इन पावर्ज को डीसैट्रेलाईज नहीं करेगें तब तक इस प्रॉब्लम का कोई हल निकलने वाला नहीं है। अब भी कई ऐसे केसजि मौजूद है जिनमें 10-10 साल से मुआवजा नहीं मिला है। मैं अपने हल्के के बारे में एक बात आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। मई, 1979 में एक झाल गांव में जहां सारे गांव के खलिहान में गेहूं की फसल रखी गई थी वहां पर आग लग गयी थी। वह फायर एक्सीडेंटल फायर थी। उससे सारा गांव तबाह हो गया क्योंकि सारे लोगों की ही फसल जल गयी। आज तक भी उसका मुआवजा नहीं दिया गया है। उस केसज को एक भाटल कौक बनाया हुआ है। रैवेन्यू वाले एच0एस0ई0बी0. को भेज देते है और एच0एस0ई0बी0 वाले रैवेन्यू वालों को भेज देते है। कभी रैवेन्यू वाले यह कहते थे कि यह

आग ट्रैक्टर से लगी है कभी कहते है कि भाोट सरकिट की वजह से लगी है। मैं जब डिवैल्पमेंट मिनिस्टर था, मैंने इसकी इन्कवायरी की थी। यह एक्सीडेंटल फायर थी ओर आज तक भी उसका मुआवजा दिया नहीं गया है। मैं यह कहताहूँ कि इस बारे में मुआवजा मिलनाचाहिये और जो रुकावटें डाली जा रही है, उनको दूर किया जाना चाहिये क्योकिं यह एक सही केस है।

(13.00 बजे)

डिप्टी स्पीकर साहब, एक मामला मैं रैवेन्यू डिपार्टमेंट और रैवेन्यू मिनिस्टर के नोटिस में लाना चाहता हूँ। मरे हल्के काएक पूरण नाम काआदमी है। उसने पार्टी इन का केस 1966 से फाईल कियाहुआहै लेकिन आज तक उसका फैसला नहीं हुआ है। 1974 में उसकी फाईल गुम कर दी गई या डिस्ट्राय कर दी गई या चोरी हो गई। दूसरी फाईल चलाई गई। उस फाईल का भी पता नहीं चला फिर तीसरी फाईल चलाई गई। इसवक्त यह केस दो मिसलों में चल रहा है। कमि नर तक इस केस का फैसला हो चुकाहै और पूरण के हम में फैसला हो चुकाहै लेकिन आज तक उस भाई का जो पार्टी इन काकब्जा मिलना था वह नहीं मिला। मैंने इस बारे में एक सवाल भी पूछा था लेकिन उसका जवाब भी इनकुरैक्ट दिया गया। इस पर एक पैटि इन मैंने रैवून्य मिनिस्टर को दी थी। इस आदमी के साथ सोली साल से खराबी हो रही है। मेरी दाखास्त है कि इसके साथ इन्साफ होना चाहिये। डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने पिछले सै इन में भी यह कहा था कि

मेरे हल्के में दस सडकें बननी बहुत जरूरी है। मीटिंगज के अन्दर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने तीन दफा वायदा भी किया है लेकिन वे बनने में नहीं आ रही है। आज सडकों के बारे में मेरा सवाल भी था। डिप्टी स्पीकर साहब, आप देखें कि सालहावास के हल्के में 23 किलोमीटर सडकें बनी है जिन पर 25 लाख रूपया खर्च हुआ है। भजन लाल के हल्के में 93 किलोमीटर सडकें बनी है जिन पर 157 लाख रूपया खर्च हुआ है रामपाल के हल्के में 67 किलोमीटर सडकें बनी और 113 लाख रूपया खर्च हुआ है। मेरा कहना यह है कि इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिये और मेरे हल्के में जल्दी से जल्दी सडकें बननी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के बीच से जवाहर लाल नेहरू कैनल गुजरती है और उसके साथ पुरानी कैनल भी है। वहां पर वाटर लौगिंग है और एक-एक मील तक दोनों तरफ जमीन खराब हो गई है। इरीगे इन डिपार्टमेंट को कई दफा लिखा भी है लेकिन इरीगे इन डिपार्टमेंट ने इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया है जिससे लोगों को रीलीफ मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, जवाहर लाल नेहरू कैनल का सिस्टम फ़ैलता जा रहा है, डिस्ट्रिब्यूटरी फ़ैल रही है लेकिन जहां गांव मिलते हैं वहां पर पुल नहीं बनाये जा रहे हैं। उसका नतीजा यह हो रहा है कि लोग खाल को तोड़ देते हैं इस तरह से गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है। इसलिये साथ-2 पुल भी प्रोवाइड करने चाहिये। डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे कुछ ग्राम सेवल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को दिये गये थे। उनको काफी अर्सा गये हुये हो गया है और अब वे वापिस डिवैलपमेंट डिपार्टमेंट में आना

चाहते हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में उनकी तरकी के कोई चांसिज नहीं है। मेरा सरकार को कहना है कि उनको वापिस आने देना चाहिये।

अब मैं कोसली के बारे में कहूंगा। वहां पर एक अस्पताल मंजूर हुआ था लेकिन वह बना नहीं है। वहां पर 1934 में एक मंडी मंजूर हुई थी, वह भी आज तक नहीं बनी। वहां पर एक हाउसिंग कालोनी होनी चाहिये। वहां पर एक सैनिक स्कूल होना चाहिये क्योंकि वहां के बहुत से लोग फौल में हैं और आसपास के इलाकों से भी कम से कम हर घर से एक आदमी फौज में हैं वहां पर एक टूरिस्ट कौम्प्लैक्स भी होना चाहिये। सासरौली के लिये एक 33 के 0वी 0 कापावर स्टेन मंजूर हो चुका है इसलिये उसका निर्माण होना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, इतना कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष: चौधरी संत कंवर।

(इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य चौधरी हर स्वरूप बूरा पदासीन हुये)

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: चेयरमेन साहब मुझे भी बोलना है इसलिये मुझे समय दिया जाये। (गोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति: आपको भीसमय मिलेगा। अब चौधरी संत कंवर को बोलने के लिये काल अपॉन किया जा चुका है। आप बैठ जाइये। आपको बाद में समय मिल जायेगा।

चौधरी संत कवंर(हसनगढ़): चेयरमैन साहब, मैं सबसे पहले डिमान्ड नम्बर 15 पर बोलना चाहता हूँ। यह सिंचाई की डिमांड है और सरकार हमसे इस डिमांड के लिये पैसा मंजूर कराना चाहती है। चेयरमैन साहब, आपको जानकारी है कि हमारे लोकदल के बाईस मैनबर है और सरकारने जैसा व्यवहारइन बाईस एम0एल0एज0 के हल्के के साथ किया है, उसकी मिसाल आपको इतिहास मे कहीं नहीं मिलेगी। आपको भी जानकारी होगी कि हामरा इलाका बाढ का इलाका है और बहुत ज्यादा बाढ हमारे यहां आती है। लोगों काबहुत ज्यादा नुकसान इस बाढ की वजह से होता है चेयरमैन साहब, काफी रूपयामेवात के इलाके , जहां के चौधरी खुर पीद अहमद है, पर खर्च किया जा रहा है । नौकरियों में भी ये लनोग अपने इलाके के लोगों की ही भर्ती कर रहे है। चेयरमैने साहब, हमारे यहां एक पाकसमा ड्रेन है और यहांपर पत्थर रखा हुआ है, लेकिन आज तक इसकी खुदाई नहीं हुई है। ठाकुर बरी सिंह हमारे यहां गिवैन्सिज कमेटी में आते रहते है और हमने बाकायदा यह मामला उठायाथा लेकिनआज तक म पीन भेजकर खुदाई नहीं हुई है। और हजारों एकड जमीन मेंपानी खडा है। चेयरमैन साहब, हमारे चहां एक कसरैटी गांव है सारे इलाके में यही एक गांव है जहां पर पीने कापानी नहीं हे औरतीन मील तक कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर मीठा पानी हो। रोहतक जिले में सिर्फ यही एक गांव है जहां मीठा पीनेका पानी भी नहीं है। इस कसरैटी गांव मे कोई आउटलैट नहीं है जिसके कारण सारी जमीन बारानी है क्योकिं जो रजवाहा इस गांव

के पास से गुजरता है उसकी लाइनिंग करते समय एक्स0ई0एन0 ने दूसरे गांव वालों से पैसा लेकर राजवाहे को उंचा उठा दिया जिससे इसगांव में पानी नहीं पहुंचता है और यह बात मैं कई बार मिनिस्टर महोदय के नोटिस में लाया हू। सारे गांव वाले एक्स0ई0एन0 और एस0इ0 से भी मिले और उनको बताया कि हमको इतनी तकलीफ है लेकिन अभी तक भी इस बारे में कुछ कार्यवाही नहीं की गई।

अब मैं डिमांड नम्बर तीन जो होम की है उस पर ला एंड आर्डर के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। चेयरमैन साहब, आप जानते हैं कि हरियाणा के अन्दर और खासकर सोनीपत और रोहतक के अन्दर ला एंड आर्डर की क्या हालत है कांग्रेस एम0एल0एज0 ने भी पार्टी के अन्दर इस बात को उठाया था लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। चेयरमैन साहब, सोनीपत और रोहतक के अन्दर जितने भी पुलिस के थाने हैं, वे आज रिक्त के अड्डे बने हुये हैं। मैं सदन को सोनीपत के एक केस के बारे में बताना चाहता हूँ। वहाँ पर एक बाल्मीकि लडके को सिकी लडाईं झगडे के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ समय बाद दोनों पार्टीज में राजीनामा हो गया। उस लडके को लेकर दोनों पार्टीज थाने में जाने लगी। बाल्मीकि के लडके ने कहा कि मैं थाने में नहीं जाऊंगा क्योंकि वह पुलिस के मार से बहुत अधिक डरा हुआ था लेकिन जब बिरादरी के लोग उसको

जबरदस्ती थाने मे ले जाने लगे तो उसी समय स्टै न पर रेल आ गई और उस लडके ने थाने के डर से खुदकु ि करली।

चेयरमैन साहब, इसी तरह से हरिजनों की एक लडकी की मौत हुई हैं इस बारे में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि रोहतक के अनदर एक आठवीं और नौवी क्लास मंपढने वाली लडकी के साथ बडा भारी अतयाचार हुआ। चेयरमैन साहब, लडकियों सब की एक समान होती है। आपकी हो, मेरी हो या किसी और की हो, हम सब को बडे आदर के साथ उनसे सव्यवहार करना चाहिये। एक लडकी सुबह अपने स्कूल में गई और वहां से उसको कोई बुलाकर ले गया। (गोर एवं व्यवधान)

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: चेयरमैन साहब, यह बात जो संत कवंर जी बता रहे हैं, यह तो एक साल पुरानी बात है। (गोर एवं व्यवधान)

चौधरी संत कवंर: अगर एक साल पुरानी बात है तो भी यह आपके सरकारी विभागों का..... है।
(गोर)

श्री सभापति: यह निकम्मापन भाब्द सदन की कार्यवाही में से निकाल दिया जाये।

चौधरी संत कवंर: चेयरमैन साहब, मैंने कोई ऐसा बूरा लफज नहीं कहा है जोकि आप एक्सपनज करवा रहे है। चेयरमैन साहब, मैं भाई बीरेन्द्र सिंह जी को यह बताना चाहता हूं कि जिस

स्कूल में वह लडकी पढती थी, उस स्कूल का जो मालिक था, वह कांग्रेस यूथ का जनरल सैकेटरी था। (गोर) वहां से उस लडकी को कोई बुलाकर ले गया, आधी छुट्टी के अन्दर लडकिया घर गई तो उनके घरवालों को किसी ने बताया कि आप की लडकी को कोई स्कूल से बुलाकर लेगयाहै। (गोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति: संत कंवर जी, फिर आपने इस बारे में क्या कार्यवाही की? क्या आपने पुलिस वगैरह में कोई रिपोर्ट दर्ज करवायी?

चौधरी संत कंवर: जब लडकी वाले थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिये गये तो उनहोने रिपोर्ट दर्ज नहीं की और टालमटोल कर दिया। गाम के वक्त तक लडकी की तलाश जारी रखी गयी। उस लडकी की लाश रोहतक मैडिकल कालेज के पास एक तालाब से मिली और डाक्टरी रिपोर्ट के मुताबिक उस लडकी के साथ रेप किया गयाथा और बाद में मारा गया था। मैं डाक्टर मंगल सैन और चौधरी हरिचन्द हुड्डा, चार बाररोहतक में एस0एस0पी0 साहब को मिले डी0आई0जी0 गुड़गांव रेंज को भी मिले, आई0जी0 साहब को भी इस बारे में रिपोर्ट की और फिर गृहमंत्री महोदय के दफतर में भी जाकर के यह सारी बात कही। फिर चेयरमेन साहब, आप ही बताये कि हम इसके इलावा क्या कर सकते थे? हम अपने वजीरों के नोअिस में भी यह बात लाये लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी।। हम जलसे-जलूसों में भी इन बातों का जिक्र करते रहे। इस कारण से

मेने पुलिस के लियेका भाब्द इस्तेमाल किया था। इसलिये मैं यह बातना चाहता हूं कि हमारे सोनीपत और रोहतक दोनों जिलों में इस तरह की ला एंड आर्डर की स्थिति चल रही है कि किसानों के ट्यूबवैल्ज तक भी चोरी हो जाते है। जो सामान बाहरखेतों में उनकी जरूरत का रखा होता है, वह भी चोरी हो जात है जिससे बेचारे किसानों को काफी नुकसान उठाना पडता है। किसानों को खेतों के अन्दर कोई भी सामान महफूज नहीं है। बार-बार वहां पर चोरियां हुई है। सांपला के पास एक ट्रेन में डकैती हुई। लडकी काकत्ल किया गया लेकिन अभी तक इसमामले मे कोई गिरफ्तारी नहीं की गयी। क्योंकि इनके यूथ कांग्रेस के लोगों का वह स्कूल था जहां पर वह लडकी पढती थी। हमने डी0आई0जी0. साहब को कहा कि हम तीन चार आदमियों के नाम आपको बताते है, असव य ही उन से आप के कातिल कापता लग जायेगा। आप इन लोगों को गिरफतार करिये लेकिन कोई भी अफसर उनमें से किसी को गिरफतार करनेके लिये तैयार नहीं है। चेयरमैन साहब, आज अगर हम आपके सामने उन नामों को बतायेगे तो हमें वि वास है कि उन्ही में से आपको कातिल मिलेगे। लेकिन सरकार इस बात की इंक्वायरी करवाने के लिये तैयार नहीं होगी क्योकिं इससे आपकी पार्टी की बदनामी होगी। इस तरह से आपकी पार्टी ऐसे लोगों को पनाह होती है या भाह देती है जिससे ऐसे लोगों को होसला बढ जाता है।

चेयरमैन साहब, इसी तरह से एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया और जब पुलिस उस बदमाश का मुंह काला करके बाजार में उसका जलूस निकालने के लिये तैयार हुई, वहां पर एक श्री बरा नाम के आदमी जोकि मुख्यमंत्री महोदय के काफी नजदीक माने जाते हैं, पुलिस स्टेशन में गये और एस0एच0ओ0 से बातचीत करके आये और उस बदमाश का मुंह धुलवाया और उसको बाहर ले आये, हालांकि उस बदमाश का थाने में मुंह काला किया जा चुका था। उसको वापिस थाने के अन्दर ले जाया गया और उसका मुंह साफ किया गया। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस तरह के कारनामों इनकी पार्टी के लोग करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि चेयरमैन साहब, रोहतक, झज्जर, मेहम, सोनीपत, बहादुरगढ़ बगैरह में जितने भी थाने हैं, वहां पर सब में रिवाज खुले आम चलती है और इसकारण इन दो जिलों में डकैतियां बहुत हो रही हैं और मुलजिम पकड़ें भी नहीं जा रहे हैं।

चेयरमैन साहब, मैं आपको बताता हूँ कि मोरखेड़ी के पास एक सरंपच जोकि बलियाना कारहने वाला था, ने रिवाज की कि एक चावलों का भरा हुआ ट्रक समगलिंग के लिये जाया जा रहा है। उसका जो मूलजिम था, वह मटिन्ड गांवका रहने वाला था। उसको पकड़ कर जब थाने के अन्दर लाया गया तो मैं अचानक वहां पर ही बैठा था और वहां पर ही टेलीफोन पर थानेदार पर दबाव डाला गया कि चूंकि यह आदमी किसी मंत्री महोदय के कुनबे से संबंधित है, इसलिये इसको छोड़ दिया जाये।

चेयरमैन साहब, कुछ दिनों के बाद जब मुख्यमंत्री महोदय खरखौदा में गये तो इसी आदमी ने मुख्यमंत्री महोदय को हाथी के उपर चढाकर उनका जलूस निकाला। इससे, चेयरमैन साहब, आप अन्दाजा लगकासकते है कि डकैतियों में और चोरियों में पुलिस को अगर मजबूर किया जाए तो फिर ला एंड आर्डर की हालत कैसे सुधर सकती है, इसी तरह से सहमदपुर के बार्डर पर चावलों का एक ट्रक नरेला की तरफ ले जाया जा रहा था और उस ट्रक में हमारी राज्य मंत्री श्रीमती भान्ति राठी जी को बेटा बैठा था। जब उसे रोका गयातो उसने थानेदार को कहा कि मैं मंत्री काबेटा हू। इस मामले में भी थानेदार के उपर एस0एस0पी0 द्वारा दबाव डाला गया। चेयरमैन साहब, हमारे दोनों जिलों के अन्दर ला एंड आर्डर की हालत बहुत खराब है। भगोलपुरी और सुलतानपुरी के अन्दर बड़े-बड़े चोरों के गैंगज है जो कि बाकायदा सोनीपत ओर रोहतक मे आते है और चारियें वे डाके डाल करके लोगों को लूट कर वापिस चले जाते है। लेकिन वे गैंगज पुलिस से मिले हुये है और रात को व दिन को किसानों के खेतों से उनकी मोटरें और दूसरा कीमती सामान, जोकि किसान की एक किस्म की सम्पति होती है जिसके बगैर किसान का कोई गूजारा नहीं है, उठाकर ले जाते है। इसतरह के कत्ल के कई केसिज है जिनमें सरकार ने जानबूझकर कर अपराधियों को गिरफतार नहीं किया है ओर न ही करनाचाहती है वायोकिं वे सभी इनके अपने ही पाले हुये आदमी है। दूसरी तरफ `हालत यह हो रही है कि लोग आजकल थानों में जाने से भी घबराते हैं लोग कहते हे कि पहले हरेक काम के लिये

फीस देनी पडती है। किसी की रिक्कायत करने जाना हो तो पहले सिपाही, फिर हवलदार और थानेदार को पहले रिक्कायत देनी पडती है। अगर रिक्कायत न दी जाये तो किसी भी रिक्कायत पर कार्यवाही नहीं होती। इसबारे में हमने आई0जी0 साहब ओर पोसवाल साहब को भी चिटठी लिखी कि आप कृपया इसतरफ ध्यान दे। गरीब लोगों को तंग किया जा रहा है, इस तरह की पुलिस की धांधलियों को समाप्त किया जाये लेकिन कोई मंत्री या कोई सरकारी अफसर इस तरफ ध्यान देने के को तैयार नहीं है। (घंटी)

चेयरमैन साहब, अब मैं एग्रीकल्चर की डिमांड पर आता हूं। चेयरमैन साहब, मैं। इस डिमांड नं0 17 पर बोलने के लिये आपके दो तीन मिनट लुंगा। आज किसानों की क्या हालत है? आज किसान की हालत बहुत बुरी है। एक तरफ तो ओले पडे है, दूसरी तरफ बरसात हो गयी और किसान बेचारा बुरी तरह से मारा गया। किसानों के खेतों में बहुत ज्यादा पानी खडा हो गया, गेहूं की फल बुरी तरह से बरबाद हो गयी और गेहूं की दो से तीन मन यील्ड पर—बीघा कम हुई है। सरकार यह कहती है कि 400 रूपये पर—एकड़ के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया जायेगा लेकिन बहुत थोडा है। हमारे को इस बारे में कोई बात कहने ही नहीं दी जाती है ओर अगर कुछ कहते है तो मालि द्वारा बाहर निकलवा दिया जाता है। आज हमें नंगा होकर यहां पर इसलिये बोलने पर विवर्त होना पडा है क्योंकि आज किसानों के हितों को बुरी तरह से कुचला जा रहा है उसे उसकी जिन्स की सही

कीमत नहीं मिल रही है। जो फसलें ओले पडने के कारण या बरसात के कारण किसानों की बरबाद हो गयी है, उन का मुआवजा सरकार की तरफ से सही रूप में नहीं दिया जा रहा है, इसलिये हमें यहां पर आवाज उठाना पड रही है। गरीब किसान की आज यह हालत है कि उसकी एक छोटी बच्ची जोकि आठ-नौ साल की है, अपने सिर पर तब तक रहता है जब तक उसकी अर्थी नहीं निकल जाती। बेचारे गरीब लोग इस तरह से अपने परिवारों को गुजारा कर रहे है तरफ से सही रूप नहीं दिया जा रहा है इसलिये हमें यहां पर आवाज उठानी पड रही है परन्तु सरकार बिल्कुल चुप है। उसे किसी गरीब के उपर किसी किस्म की कोई दया नहीं आ रही है। गरीब किसान की आज यह हालत है कि उसकी एक छोटी बच्ची जोकि आठ नौ साल की है अपने सिर के उपर गोबर की टोकरी उठाती है और उस गोबर की टोकरी का भार उसके सिर पर तब तक रहता है जब तक उसकी अर्थी नहीं निकल जाती। बेचारे गरीब लोग इस तरह से अपने परिवारों का गुजारा कर रहे है लेकिन सयह सरकार टस से मस नहीं हो रही हाऔर गरीब किसानों का खून चूस रही है।

चेयरमेन साहब, यहां पर किसान की फसल के बीमे की बात भीकही जाती है कि किसानों की फसलों के लिये सरकार बीमा करना चाहती है लेकिन इस बीमे की रकम केवल 28 लाख ही रखी है जोकि बहुत थोडी है। आप ही बताइये कि इतनी थोडी राशि से किसानों का भला नहीं होने वाला है। फिर इस पर भी

सरकार को सबर नहीं। सरकार यह कहती है कि इस पैसे को भी तब किया जाएगा जब फसलों की एवरेज निकाली जायेगी। चेयरमैन साहब आज अगर एक गांव में ओलने पडते है और आधे दूसरे गांव मे ओले नही पडते तो इस हालत में सरकार क्या करेगी। इसलिये सरकार को सारी बातों का ध्यान रखना चाहिये।

अब मैं डिमांड नम्बर 22 पर कुछ बोलना चाहता हूं जो कोआपरे इन विभाग से संबंध रखती है। इस विभाग में लोगों की अप्वायमेंट्स के बारे में काफी गडबड हुई है। केवल एक ही कौम के 100 में से 80-90 लडको को लिया गया है या फिर दूसरी तरफ मुख्य मंत्री महोदय की तरफ से जो लिस्ट थी उसमें से लडकों को लिया गया है। मतलब कि ठाकुर बिरादरी ओर बि नोई बिरादरी के लोगों को ही नौकरिया दी गयी है। एक कौम का अछुत बना दिया, दुसरी को यह कह दिया कि आप तो चौधरी चरण सिंह जी के आदमी हो। जो जाट थानों में लगे हुये थे, उनको एक दू मुधबन में भेज दिया। चेयरमैन साहब, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो थानों में लगे हुये जाट बिरादरी के आदमी थरे उन सब को पुलिस लाइन में भिजवा दिया गया।

Mr. Chairman: It is neither in the interest of your community nor of these officers.

चेयरमैन साहब, अब मैं जनरल एडमिनिस्ट्रे न पर बोलना चाहता हूं। हमारे तमाम अफसरों को ये अपनी-2 मर्जी की जगह लगा रहे है। यही नहीं, बकायदा लिस्टें बनने लग रही है,

क्योंकि अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं इसलिये अपनी मर्जी के अफसर लगाने लग रहे हैं। (विधन) हम तो इसलिये नहीं घबराते कि हम तीन साल तक लडती रहे अब तो सिर्फ 15 दिनों का मामला है। अगले महीने की 10 तारीख को मामला तय हो जाएगा। जनता हमारी सरकार बनवायेगी और हम उधर के बैचों पर होंगे। (विधन) चेयरमैन साहब, एक तरफ तो सरकार कितना खर्च करने लग रही है। ये कहते हैं कि इस घाटे का हम पूरा करेंगे। आप घाटे को पूरा करना चाहते हैंलेनिक मैं बताता हूँ। आप किसी भी जिले में चले जाये।.....

.....ये जीपें तो अफसरों को इसलिये मिली हुई है ताकि वे गांवों में लोगों की तकलीफें सुनने के लिये जाये। केवल इतना ही नहीं है ये जीपें दिल्ली तक भी जाती हैं।.....

.....जिस ड्राइवर की डियूटी नहीं थी उसको घर से बुला कर ल गया और खुद जीप चलाने लगा रास्ते में जब जीप का एक्सीडेंट होने लगा तो ड्राइवर को साईड पर बिठा दिया। उस एक्सीडेंट में ड्राइवर मारा गया। बाद में कागजों की खाना पूरी कर दी कि ड्राइवर जीप चला रहा था। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार पैसा बचाना चाहती है तो वह इस पर अकुं । लगायें। कार्पोरे ांज पर जिस तरीके से पैसा खर्च हो रहा है, वह सबको मालूम है।.....

.....

.....

Finance Minister(Chaudhri Khurshed Ahmed): Sir, this general type of allegations cannot be allowed on the floor of the House against a section of employees of a Corporation.

Mr. Chariman: They are expunged.

श्रीमती डा० कमला वर्मा (यमुनानगर): सभापति महोदय, मैं डिंमाड नं०३ पर बोलना चाहती हूँ जिसमें २७ करोड ९२ लाख ३३ हजार ६४ रूपये मांगे गये हैं। पैसा तो इन्होंने ले लिया। इसका मुझे दुख नहीं लेकिन इस वक्त हरियाणा की जो कानून व्यवस्था है उसको अगर अच्छी तरह से देखा जाये तो सचमुच भार्म आतीळें इस वक्त हरियाणा में बसों के अन्दर बैकों के अन्दर और बस-डिपुओं के अन्दर किस तरह से डकैतियां और चोरियां हो रही हैं? हरियाणा की पुलिस चाहे कितने ही नये पुलिस स्टेान खोल ले लेकिन क्या वह हरियाणा की जनता को विवास दिलायेगी कि वह लोगों के जान व माल की रक्ष करेगी? आज हरियाणा के अन्दर लडकिसें की इज्जत सुरक्षित नहीं है। यमूना नगर में अक्टूबर मास में एक केस हुआ। एक गरीब आदमी जोकि दिहाडी पर काम करने वाला था वह रात को पेपर मिल में डियटी पर गया। बाद में उसकी घर वाली अपने घर में अकेली थी। वह लडकी बहुत दलेर उसका नाम चिन्ता है। लेकिन २४ अक्टूबर की रात को ११ बजे उसके घर के अन्दर कोई व्यक्ति

घुस गया। उस लडकी ने बड़ी हिम्मत की, जब उस व्यक्ति ने उसकी इज्जत लुटने का प्रयास किया तो बाहर उसके आंगन में एक कुल्हाड़ी पड़ी थी जिसे उसने उस आदमी की तरफ फेंक दिया। मैं मानती हूँ कि उस कुल्हाड़ी को फेंकने की वजह से उस आदमी को चोट आई होगी लेकिन मैं उस लडकी को बधाई देती हूँ कि उसने अपनी इज्जत बचाने के लिये इतनी बहादरी दिखाई। दूसरे दिन उस लडकी के पति को पुलिस पकड़ कर ले गई तो मेरे पास वह लडकी आई। मैंने उस लडकी से कहा कि पहले आप मुहल्ले के आदमियों को बुला कर लाओ और अगर वे मुझे को विवास दिलायेंगे कि तुम रात को अकेली थी और घर में वह आदमी घुसा था तो मैं आपकी सहायता करूंगी। थोड़ी देर बाद उस मुहल्ले के कुछ आदमी और कुछ औरतें उसके साथ आ गये और उनहोंने मुझे विवास दिलाया। मैं उनके साथ थाने के अन्दर गई। एस०एच०ओ० ने मेरी बात सुनी और कहा कि हम देख लेंगे। लेकिन इतने मकें ही वहां डी०एस०पी० साहब आ गये मैंने कहा चौधरी साहब अगर एक लडकी अपनी इज्जत बचाने के लिये ऐसा काम करती है तो क्या यह गलत है यह ठीक है कि उसने कानून को अपने हाथ में लिया है तो डी०एस०पी० ओर पोसवाल साहब से इस बारे में नोन पर बात की ओर बताया कि अगर सैल्फ डिफेंस में कोई लडकी ऐसा करती है तो क्या आप उसकी मदद नहीं करोगे? उन्होंने कहा कि हम ऐसे केसिज में मदद करते हैं लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। केस उसी आदमी का दर्ज किया उस के पति को नाजायज तंग किया गया फिर उस की पांच छः सौ

रूपये खर्च करके सै । न कोट से जमानत हुई । कच्ची दिहाड़ी पर काम करने वाले ने कर्ज लेकर जमानत कराई । आज भी केस चल रहा है । क्या गरीब आदमी को यही न्याय मिलता है? ऐसी बातों को देखते हुये कौन सी लडकी अपनी इज्जत बचाने के लिये सैल्फ डिफेंस में आगे आयेगी । क्या गृह मंत्री जी मुझे इस बात का जवाब देंगे कि ऐसी लडकियों की वे क्या सहायता कर रहे हैं? आज पुलिस ने दह शत का वातावरण पैदा किया हुआ है " इसी तरह से दो महीने पहले नारायणगढ में एक घटना हुई । एक शिमला के डी0आई जी0 ने अपना मकान बनाने के लिये शिमला से लकड़ी लाने के लिये एक ट्रक हायर किया । वह नानक सिंह का ट्रक था जो नारायणगढ का रहने वाला था । जब वे वापिस नारायणगढ पहुँचे तो रास्ते में नानक सिंह अपनी लकड़ी अतारना चाहता था जो वह उसी ट्रक में लाया था । उस ट्रक में लकड़ी लाने वाला डी0आई0जी0 का रीडर था उस रीडर के साथ ट्रक मालिक की कुछ तू-तू-मैं-मैं होगई । उसने पुलिस को टेलीफोन किया और नानक सिंह व अन्य दो आदमी अरैस्ट करवा दिये । उन तीन आदमियों की थाने में पिटाई की गई । पिटाई करने के बाद सारे भाहर के अन्दर दह शत फैलाने के लिये उनके मुह काले किये गये । तीनों के हाथ उंचे करके मजबूर किया गया कि तुम बोलो कि हम डकैत हैं और चोरी करते हैं । इस प्रकार की दह शत अगर पुलिस ने सारी जनता के अन्दर फैलानी है तो गृह मंत्री जी को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी । आज पुलिस के अन्दर अगर कोई रिपोर्ट लिखवाने जाता है तो उसकी

रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। अगर किसी मारपीट के मामले में लिखी भी जाती है तो मरने वाले को भी पैसे देने पड़ते हैं और मार खाने वाले को भी पैसे देने पड़ते हैं हमारे यहाँ जेलों भी हैं जिनको सुधार घर बनाने की योजना थी। जनता राज में एक जेल रिफॉर्म कमिशन बना था। मैं जानना चाहती हूँ कि उसने जो रिपोर्टें की थी, वे लोगों के सामने और यहाँ पर हम विधायकों के सामने क्या रखी गई है? हम जानना चाहते हैं कि जेलों के अन्दर क्या सुधार किया गया है। मैंने एक बात सुनी थी कि कैदियों को चीनी वाला चाय मिला करेगी लेकिन वह आज तक नहीं मिली। मैं जानना चाहती हूँ कि कमिशन ने जो रिपोर्टें की थी, उनको क्यों नहीं माना गया है? लगता है सरकार चाहती नहीं, इसलिये कोई काम होता नहीं। जेलों में क्या हो रहा है आप को सुनकर आश्चर्य होगा एक आम आदमी के पास एक छटांक नहीं, बल्कि कुछ मिली ग्राम या कुछग्राम अफीम हो तो उसको जेल की हवा खानी पड़ती है गृह मंत्री जी बतायेंगे कि क्या यह तथ्य है कि अम्बाला जेल के अन्दर वहाँ की डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट जेल के अन्दर ही अफीम बेचती रही। यह नवम्बर की बात है। मुझे पता है कि अम्बाला जेल के अन्दर अफीम बेची गई है। लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या अफसर होने के बाद उसको इतनी छूट है कि वह जेल के अन्दर अफीम छिपा कर भी बेच सकती है जबकि आम आदमी के पास कुछ ग्राम भी अफीम हो या उसको बेच दे तो वह जेल की हवा खायेगा। यह कैसी व्यवस्था है? क्याक नून का मापदंड माने

के लिये अलग अलग राज होगा? सभापति महोदय, जेल में कुछ अन्य भी विचार्यते हैं काम करने वाले अुसरों को यदि स्टेटस और वेतन ठीक न मिले तो उनके अन्दर कुछ विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाती है। जेल रिफार्म कमिशन ने जेल अधिकारियों को वेतन देने के लिये सरकार से कुछ सिफारिशें की थी लेकिन उनकी पेमेंट में कुछ एनोमलीज रह गई हैं। इस सरकार ने असिस्टेंट सुप्रीन्टेंडेंट (जेल) की पोस्ट तक तो एनोमलीज दूर की दी लेकिन डिप्टी सुप्रीन्टेंडेंट और सुप्रीन्टेंडेंट (जेल) के वेतनमानों में जो फर्क बताया जाता था, उसके बारे में सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इस लिये जेल अधिकारियों में फस्ट्रेन आना स्वाभाविक है। इसी तरह से मैडिकल अफसर का स्केल 940-2000 का हो और सुप्रीन्टेंडेंट का स्केल 900-1700 का हो जबकि परिजन एक्ट के अनुसार मैडिकल अफसर सुप्रीन्टेंडेंट के अंडर होता है लेकिन इस पे-स्केल का डिफरेंस होने के बाद यह अंडर कैसे रहेगा? सभापति महोदय, सुप्रीन्टेंडेंट (जेल) यदि 900-1700 के स्केल में होना तो मैडिकल अफसर उसकी बात नहीं सुनेगा। एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर डिस्सिप्लिन कैसे रहेगा और कानून की व्यवस्था कैसे पूरी होगी? इसलिये मैं होम मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि इनके वेतनों में जो फर्क है उसको दूर करने के अवयव को विचार करे। इसके अलावा होम मिनिस्टर साहब यह भी बतायें कि जिस जेल आफिसर ने जेल के अन्दर अफीम बेची है उसको क्या सजा दी गई है और अब वह अफसर कहां पर लगा हुआ है? सभापति महोदय, मुझे पता चला है कि उस

जेल आफिसर को जीद में डीपीओ की पोस्ट पर लगाया हुआ है। मैं सरकार से यह जानना चाहती हूँ कि सरकार ने उसके खिलाफ क्या एकान लिया है?

इसके अतिरिक्त सभापति महोदय, अब मैं डिमांड नम्बर 4 पर बोलना चाहती हूँ। सरकार ने कहा है कि ओलावृष्टि और ज्यादा बारिश के कारण जिन किसानों की फसलें खराब हो गई हैं उनको मुआवजा दिया जायेगा। सभापति महोदय, मैं अम्बाला जिले में जिन किसानों की फसलें खराब हुई हैं, उनके बारे में सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूँ। अम्बाला जिले में कुछ ऐसे भी लोग खेती करने वाले हैं जिनकी गेहूँ की फसल तो ठीक है लेकिन उस गेहूँ की फसल के साथ वाले एक या दो एकड़ में चना, सरसों या तोरियां बोया हुआ था और वह सारी फसल नष्ट हो गई हैं उनको मुआवजा दिया जायेगा। सभापति महोदय, बार-2 बारिश होने के कारण हमें यह भी डर है कि गेहूँ की फसल के अन्दर भी दाना पड़ेगा या नहीं क्योंकि लगातार बारिश होने के कारण गेहूँ की फसल पर जो बूर आता है वह नीचे गिर गया है और बूर नीचे गिर जाने से सिट्टी में दाना पूरा नहीं पड़ता। इसलिये मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे तो ऐसा लगता है कि गेहूँ की फसल भी पूरी तरह से नहीं हो पायेगी। जिन किसानों की गेहूँ की फसल इस तरह से नष्ट हो गई है या कम पैदा होगी उनको भी सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहिये। पटवारियों व तहसीलदारों को आदेश मिलने चाहिये कि ऐसे किसानों की

सहायता के लिये भी पूरी जांच की जाये। सभापति महोदय, यह हसरकार बडे बडे दावे करनी है कि हमने हरिजनों औ भूमिहीनों को सरप्लस जमीन बांट दी है। लेकिन मैं यहकहना चाहती हूं कि मेरे हल्के मेंरेलवे कर्व 1प यमुनानगर के पास महरमपुर एक छोटा सा गांव है। उस गांव में कुछ हरिजनों को सरप्लस की जमीन दी गई थी लेकिन इस सरकार ने उस गांव के 8 हरिजनों को बेदखल कर दिया जो बेरोजगारी की वजह से मारे-2 फिर रहे है। वे कहां से अपनी रोटी कमायेगें? इसी तरह से सभापति महोदय, मरे हल्के मेंएक खजुरी गांव हैं उस गांव में 1966 में रूप सिंह जमीदार की 64 एकड सरप्लस जमीन थी जो हरिजनों मे और भुमिहीनों में बांटी गई थी लेकिन रूप सिंह ने कोर्ट में जाकर अपने रि तोदारों के नाम जोकि यू0पी0 या राजस्थान में रहते है अनाट करवा जी है ओर उन भूमिहीन गरीब किसान जिनके नाम मंगत सिंह और चांद सिंह वगैरह है उनसे वह सरप्लस की जमीन आज 6-7 वर्ष के बाद वापिस ले ली है। इसलिये सभापति महोदय, इस सरकार से मैरी प्रार्थना है कि जो सरप्लस की जमीन भूमिहीनों और हरिजनों को दी गई है उसे उनके पास ही रहने देना चाहिये। उसे मंत्री अपने रि तेदरों या मिलों को ही न बांटे। यह एक तथ्य है कि मंत्रियों ने अपनी मनोपली बना रखी है। जितनी सरप्लस की जमीन है या कास्टोडियन की जमीन है या पंचायत की भामलात जमीन है वह अपने भाई भतीजों में ही बांट रहे है। इसलिये मैं कहती हूं कि सरकार को इतने बडे बडे दावे नहीं

करने चाहिये कि हमने हरिजनों और भूमिहीनों को जमीन बांटी लें। यह सब थोथे दावे गरीब लोगों को धोखा देने के लिये है।

सभापति महोदय, अब मैं डिमांड नम्बर पांच के बारे में अपने विचार रखना चाहती हूँ। हरियाणा के परिश्रमी व कुशल लोग हरियाणा विकास के लिये बहुत काम कर रहे हैं और बहुत सी ओद्योगिक वस्तुयें बन रही हैं जो बहर भेजी जाती हैं। इसलिये हरियाणा प्रान्त के लिये यह गौरव की बात है यहाँ पर चाहे साईस का सामान हो, चाहे हैंडलूम कपडों का काम हो, याहे जुते हों और चाहे जगाधरी के बर्तनों का या सोनीपत में साइकिलों का काम हो इन कामों में हरियाणा ने काफी प्रगति की है और काफी सामान बाहर भी भेजा जाता है। लेकिन इस सरकार ने फैक्टरीज के लिये ऐसा कानून बना दिया जिसके तहत रा-मैटीरियल पर भी प्रचेज टैक्स लगा दिया और रा-मैटीरियल से कोई चीज बन जाती है तो उसके उपर भी प्रचेज टैक्स लगा दिया। सभापति महोदय, हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स एक्ट की क्लॉज 9 और 24 के अन्तर्गत सरकार ने यह आदेश दिये हैं। इस सरकार को देखना चाहिये कि इस एक्ट के अन्दर सैक 11 9 और 24 के अतिरिक्त एक सैक 12 भी है। जिसके अन्दर स्पष्ट लिखा हुआ है कि वह आइटम चाहे रा-मैटीरियल की हो या चाहे रा-मैटीरियल से बना हुआ पक्का सामान हो अगर वह भारत से बाहर भेजा जायेगा तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जायेगा। केन्द्रीय सरकार ने केवल मात्र निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये व व्यापारियों को

काम बढ़ाने के लिये इंडियन सेल्जट टैक्स एक्ट की सैक्शन 286 के माध्यम से कुछ सुविधायें भी दे रखी हैं। सभापति महोदय, भारत सरकार को विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है क्योंकि हमें तेल बाहर से खरीदना पड़ता है। यदि भारत तेल बाहर से खरेदेगा तो विदेशी मुद्रा की जरूरत होगी। भारत सरकार एक्सपोर्ट करने वाले व्यापारियों को फ्लैट चार्ज में वह सेल्जट टैक्स में रीबेट देती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिये सस्ते रेट पर ऋण भी देती है ताकि हमारा सामान बाहर जाये और बाहर से हमें विदेशी मुद्रा मिले। लेकिन हरियाणा सरकार ने इस प्रकार का एक्ट बना कर व्यापारियों पर प्रचेज टैक्स लगा कर हरियाणा का जितना माल बाहर जाता है उसके उपर एक प्रकार से प्रतिबंध लगा दिया है। सभापति महोदय, रा-मै।टीरियल लेने वाला व्यक्ति भी इस प्रचेज टैक्स से दुखी है और उसके बाद जब वह कारखाने में सामान के रूप में माल तैयार हो जाता है तो उसके उपर भी प्रचेज टैक्स लगता है। आज जगाधरी के अन्दर या फरीदाबाद के अन्दर जो उद्योगपति अपना माल बना बाहर भेजते हैं इस तरह से टैक्स लगा कर इस सरकार ने उनकी कमर तोड़ दी है। जिस प्रकार से कई वर्ष पुराना उन पर प्रचेज टैक्स लगा कर पैनल्टी के रूप में उन्हें तंग किया जा रहा है। इससे व्यापारी निराश हैं। इसका परिणाम स्वरूप उत्पादन में कमी आएगी और हरियाणा की राजस्व आय में भी कमी आयेगी। इसी तरह से सभापति महोदय एक्साइज एंड टैक्स एक्ट के अन्दर भी अजीब ही नीति बनी हुई है। चाहे उससे हरियाणा का अहित ही हो। इस बारे में मैंने पिछले सत्र में भी

कहा था कि यमुनानगर में लकड़ी का बहुत काम होता है वहां पर टिम्बर मार्किट है लेकिन इससरकार की गलत नीतियों के कारण वहां पर जितने फोरेस्ट लीज होल्डर है वे यह महसूस करते हैं कि हरियाणा में 4 परसेंट टैक्स टिम्बर पर लगता है। जबकि जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में ले गये हैं। यमुनानगर की लकड़ी मंडी आज विरासी पड़ी हैं टिम्बर से चलने वाले आराम के व्यवसाई अलग दुखी है। लकड़ी की चिराई करके बक्से बनाने पर भी सरकार ने अलग 4 प्रतिशत सेल्ज टैक्स लगाया हुआ है। सरकार को अपनी टैक्स नीति पर पुनर्विचार करना चाहिये। कम से कम अपने पड़ोसी प्रान्तों के साथ तो कुछ तालमेल रखना चाहिये ताकि व्यापारियों के मन में रोश न रहे और हरियाणा को भी घाटा न पड़े।

सभापति महोदय, हरियाणा सरकार को अपने व्यापारियों को अधिक से अधिक सुविधायें देनी चाहिये। आज उनकी सुविधायें नहीं मिल रही हैं इसलिये वे मजबूर हो कर हरियाणा प्रान्त से बाहर अपने उद्योग लगाने की सोच रहे हैं। खासकर यमुनानगर और जगाधरी के व्यापारी प्रान्त से बाहर अपने उद्योग लगाते जा रहे हैं। हरियाणा सरकार को इस बारे में गहराई से सोचना चाहिये। व्यापारियों पर सरकार द्वारा अपनी गलत नीतियों से दबाव नहीं डालना चाहिये। इससे उत्पादन और रोजस्व दोनों में कमी आयेगी। (घंटी) सभापति महोदय, अन्त में मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो बातें अभी मैंने हाउस में रखी हैं उन पर

सरकार को व्यवहारिक रूप देना चाहिये। इन भावदों के साथ मैं आपका धन्वाद करते हुये आना स्थान लेती हूँ।

मास्टर जोगी राम(असन्ध-अनुसुचित जाति): सभापति महोदय , आज सदन के अन्दर वर्ष 1981-82 की अनुदान मांगो पर चर्चा हो रही है। मैं डिमांड नं02, 15, 5, 17 पर बोलना चाहूंगा हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने यह वर्ष उत्पादकता का वर्ष घोषित किया है। देश का किसान, देश का मजदूर जो मेहनत करता है जो खेतों में काम करता है और फक्टरीज में काम करता है उनकी भावनाओं को देखते हुये उनका मान बढ़ाने के लिये देश की प्रधान मंत्री इस बात को लेकर आगे चली है इसलिये इस देश के अन्दर एक परिवर्तन की संभावना है। कुछ समय पहले प्रधान मंत्री जी ने हमारे देश के सामने 20 सूत्री कार्यक्रम रखा था। उस समय जो लोग गरीबों के विरोधी थे, जो लोग समाज में दलित वर्ग का उत्थान नहीं चाहते थे वे सब लोग इक्ठ्ठे हो गये थे और इण्डस्ट्रीयलिस्ट्स यानि उद्योगपति और पंजीपति सीी लोगों ने मिल कर उस वक्त कांग्रेस पार्टी को पराजय दी थी। अब फिर दुबारा मेहनतकश लोगों के कारण ही श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के हाथ मजबूत किये गये है। दलित वर्ग को आगे ले आने के लिये नया 20 सूत्री कार्यक्रम आगे आया है।

(इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य चौधरी बीरेन्द्र सिंह पदासीन हुये)

आज हमारे देश के अन्दर स्थिति ऐसी है कि किसान और मजदूर को उपर उठाना है। प्रधानमंत्री जी का सबसे पहला सूत्र सिंचाई से संबंधित है। श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने हमारे हरियाणा को रावी-ब्यास का पानी देकर हरियाणा के लिये सबसे बड़ा तोहफा दिया है। इस पानी के आने से किसान और मजदूर दोनों को फायदा होगा। इससे लोगों को खेतों में पानी मिलेगा। जब उन लोगों को खेतों में काम करने को मिलेगा तो यहां पर एक नई रौनी आयेगी। इससे प्रान्त के एक नई दिशा मिलेगी। मैं अपने वित्त मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उनहोने अपने परिश्रम से और श्रीमती इन्दिरा गांधी के आशीर्वाद से यह पानी लाने में सफलता प्राप्त की है।

मैं कुछ सुझाव सदन के सामने रखना चाहता हूं कि सब कठिनाईयों के बावजूद हम सब लोगों ने मिलकर ही किसी काम को आगे बढ़ाना है। इस देश के लोगों का भला करने के लिये हमारे उपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। इसलिये हम सब का यह कर्तव्य है। कि हम सब लोगों के भले के लिये इस महान सदन के अन्दर रहकर उनके हितों की रक्षा करें। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि जो इस प्रान्त में श्रम करता है मेहनत करता है, उस इंसान को उस मजदूर को या उस खेतीहर मजदूर को इतना वेतन मिलना चाहिये जितने की कम से कम उस के परिवार की आवश्यकतायें पूरी हो सकें जिससे कि वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि

हमारा प्रान्त देशके तमाम प्रान्तों में दूसरे नम्बर पर आता हैं हरियाणा के प्रत्येक नागरिक को मैडिकल एड मिलना चाहिये और एजुकेशन मिलनी चाहिये। इस प्रान्त के अन्दर मुख्य मंत्री जी ने एक कार्यक्रम चलाया हुआ हैं यह कार्यक्रम है देहात के अन्दर उद्योगीकरण करना यह स्कीम इसलिये चलाई गई ताकि देहात के गरीब लोगों को और हमारे नौजवानों को काम मिल सके। कुछ मेरे विपक्ष के साथियों ने इस बात को लेकर के आलोचना की कि जो भी उद्योग या लघु उद्योग स्टेट के अन्दर लगाये गये है, वे लगभग मर से गये है। मैं मुख्यमंत्री जी के इस प्रयत्न की सराहना करता हूं कि उन्होंने इस काम को अपने अठ्ठाई साल के अरसे में काफी आगे बढ़ाया है। इनहोंने अठ्ठाई वर्ष की अवधि के अन्दर लगभग 8 हजार लघु उद्योग सारे हरियाणा के अन्दर लगाये है। इससे लगभग 30 हजार व्यक्तियों को काम मिला हैं इन 30 हजार में से 50 प्रतिशत ऐसे लोगों को काम मिला है जिन्हे हम हरिजन कहते हैं आज हमारे ये विरोधी लोग हरिजनों के ठेकेदार बनते हे और कहते है कि हमने इन हरिजनों का उत्थान कियाथा। अब ये इन उद्योगों के पतन की बात करते हैं जब इनका समय था उस समय इन्होंने क्या किया वह भी मैं अभी बताता हू। जिससमय चौधरी देवी लाल जी मुख्य मंत्री थे तो उनहोंने इस काम को चलाया था। लेकिन उनहोने इसमें एक भात लगा दी कि एक हरिजन, एक बैकवर्ड, एक किसान का बेटा और एक व्यापारी होना चाहिये। मैं पूछना चाहता हूं कि जब घर के चार सदस्यों का आपस में मेल नहीं है तो क्या बाहर के चार सदस्यों का अपस में

काम करना ठीक समझकेगी या उनके लिये ऐसा करना संभव हो सकेगा। उनहोंने अपने दिमाग से इस काम को करने के लिये सोच तो लिया लेकिन जिस ढंग से चालू किया गया वह गलत था। वे हरिजनों और गरीब लोगों का भला नहीं चाहते थे। इस सरकार ने पावर में आने पर यह सोचा कि जो कुछ पहली सरकार ने गरीब लोगों का भला करने के लिये सोचा था वह गलत था। तब हमारी मौजूदा चौधरी भजन लाल की सरकार ने इस बात को दौबारा देखा है और इस स्कीम को बदल कर किसी एक बेरोजगार व्यक्ति को वह काम करने का हम दिया। इस स्कीम के बारे में मैं सरकार को एक सुझाव दूंगा। लघु उद्योगों के अन्दर जो माल बनता है, गांव में उसे खरीदने वाली आज कोई एजेन्सी नहीं है। मार्केट में जब वे लाग बेचने जाते हैं तो बाहर में बने हुये माल में और गांव में बने हुये माल के भाव में फर्क होता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि सरकार ने जो कंज्यूमर स्टोर्ज खोले हैं वह इस माल को खरीदे तथा आगे लोगों को बेचे। इससे लघु उद्योग ठीक चलेंगे।

चेयरमैन साहब, यहां अध्यापक की बात बड़े जोर भाव से आई। कहा गया कि वह राष्ट्र निर्माता है। वाकई ही वह राष्ट्र निर्माता है। भूखें रह कर भी वह राष्ट्र निर्माण करता हैं उसे वे सुविधायें नहीं मिलती जो दूसरे कर्मचारियों और अधिकारियों को मिलती है। देहात में वह उन सब बातों से अलग-थलग पडा रहता है जिन बातों का बाहर के लोग फायदा उठाते हैं। कई बार मांग आई कि उनको मैडिकल भत्ता दे दिया जाये। उनको देहात में

हाउस रैंट दे दिया जाये। मैं कहता हूँ कि हमारी बड़ी अच्छी सरकार हैं वित्त मंत्री जी बड़े भले मानस है। मुझे उम्मीद है कि वे इस बात को मान जायेंगे क्योंकि इसमें थोड़े से पैसे का सवाल है जो लोग देहात के अन्दर सर्विस कर रहे हैं उन्हें वहाँ पड़े-पड़े सारी उमर हो जाती है चैयरमैन साहब, उनकी जिन्दगी वहीं बीत जाती है। उन लोगों को कभी मैडिकल भत्ता नहीं मिलता जितनी उनकी तनख्वाह होती है। (विधान व भाोर) अन सब बातों के होते हुये भी सरकार पता नहीं इस मांग को मानने में क्यों असमर्थ है? हमारी बहिन भान्ति जी जी अध्यापिका रही है मगर पता नहीं ये भी क्यों ऐसा नहीं कर पाई। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि फिलहाल जिस भी हैडमास्टर या बी०ई०ओ०को डी०डी०ओ० की पार्वज हो यानि उसे मैडिकल बिल पास करने की पावर दे दे, जिससे देहात में सर्विस करने वाले अध्यापक को कुछ राहत मिल सके।

श्री सभापति : आपका समय हो गया है। (विधान) इसके अलावा बात यह है कि आज ऐजूके इनकी डिमांड ऐजेन्डे पर नहीं है

मास्टर जोगी राम: चैयरमैन साहब, सामान्य प्र पासन के अन्दर सभी कुछ आ जाता है।

श्री सभापति: आप वाइन्ड अप कीजिये।

मास्टर जोगी राम: चेयरमैन साहब, मैं कह रहा था कि डी0डी0ओ0 की पावर्ज जिन अधिकारियों के पास है उन सबको मैडिकल बिल पास करने की पावर दे ही जाये। अब क्या होता है? आज उसे 10-15 रूपये का मैडिकल बिल भी काफी देर के बाद मिल पाता है क्योंकि वह कई जगह घुमता रहता है। (विधन) चेयरमेन साहब, आप जानते है कि मुलाजिमों को तो पैन् इन मिलती है लेकिन हमारे जो दुसरे बुढे लोग होते है, जिनका इस अवस्था में पहुंचने के बाद उनके बच्चे कोई ख्याल नहीं करते, उनकी सरकार की तरफ से कोई इमदार नहीं की जाती। उनकी देखभाल की भी सरकार कोजिम्मेवारी लेनी चाहिये तथा उनहे भी पैन् इन मिलनी चाहिये।

मैं सरकार से यह भी निवेदन करूंगा कि पढे लिखे बेरोजगारों को भी सरकार को बेरोजगारी भत्ता देना चाहिये जिससे वे अपना जीवन सुचारु रूप से चला सके।

चेयरमैन साहब, अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने बहुत अच्छे कार्य किये हैं इसकी उपलब्धियां, बहुत प्रोत्साहनीय है। इनहीने बहुत से पेड लगाये है और काफी संख्या में नये स्कूलों खोले है और अपग्रेड किये हैं इन भाब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूं।

चौधरी उदय सिंह दलाल (बादली): चेयरमैन साहब, मैं आपकी इजाजत से डिमांड नं0 2, 3, 4, 5, 15, 17 और 22 का

जिक करना चाहूंगा। (विघन) पन्द्रह दिन से चेयरमैन साहब सरकार यह ढिंढौरा पीट रही है कि हमने यह कर दिया है और वह कर दिया है लिखने वाले भी इस बात से छक गये हे और सुनने वाले भी छक लिये है। चेयरमैन साहब, हकीकत यह है कि आज रोजमर्रा के काम में भी कोई अफसर या कर्मचारी अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता और इन्साफ नहीं कर सकता। चपडासी से लेकर कमि नर तक और सिपाही से लेकर आई0जी0 तक हरके व्यक्ति के पास सरकार की इतनी दखल अन्दाजी है कि सरकार के टैलिफोन के बगैर कोइ कारोबार नहीं होता। यहां तक कि बस और रेल के टिकट भी तब तक नहीं मिलते जब तक किसी वजीर या एम0एल0ए0 का टेलिफोन न चला जाये। ऐसा रिवाज इस सरकार ने डाल दिा है। कचहरियों तक के काम काज में ये दखल देने लग गये है। मैं किसी का नाम नहीं लेंगा क्योकिं वह बात अच्छी नहीं लगती। इनके सैन्टर में एकबहुत सीनियर मिनिस्टर हैं उसने बहादुगढ के एक मैजिस्ट्रेट को चिट्ठी लिख दी। उस आदमी ने उस चिट्ठी को भरी कचहरी में सरे वकीलों के समने पकडा दिया। वकीलों ने बडा भाोर मचाया। (विघन) वह सरप्लस जमीन का केस था। राठी साहब के हल्के का केस था। इनको भी इस बात का पता है। इन हालात में एकअधिकारी की बडी बुरी हालत होती हैं अगर वह इनकी बात नहीं मानता है तो नैकरी से जाता है और अगर मानता है तो इन्साफ का तकाजा पूरा नहीं होता।

चेयरमेन साहब, एक बात मैं आपको और बताउंगा । यह बात डिमांड नं० 15 की हैं । चेयरमैन साहब, इन्होंने जिलेदारों की भर्ती की है । जो कुछ मैं बताने लग रहा हूँ । इससे आप अन्दाजा लगा लेना कि इस सरकार की क्या कारगुजारी है । जिलेदारों की 62 लगह थी जो सरकार की तरफ से एस०एस०एस० बोर्ड कोखाली बताई गई थी । जब भर्ती का समय आया तो वेकेन्सीज 80 हो गई । लेकिन चेयरमेन साहब, इन्होंने 205 जिलेदार भर्ती कर लिये । मन्जूरी तो 62 की थी लेकिन भर्ती 205 करलिये । उन्हें ट्रेनिंग पर भेज दिया । (विघन) इन्होंने सोचा कि इलैक्शन के बाद देखा जायेगा जो बीतेगी सो सही । मूझे पता नहीं कि कांह से ये उनको तनख्वाह देगे? सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह है कि जो जिलेदार भर्ती किये गये हे वे या तो मुख्य मंत्री ने जो लिस्ट भेजी थी उसमें से भर्ती हिकये गये या फिर पन्द्रह-5 और बीस-बीस हजार रूपये लेकर के सीटें नीलाम हुई । मेरे पास ऐसे लडको के नाम है और उनहें मैं आपके सामने पे भी कर सकता हूँ जिन्होंने पन्द्रह-2 बीस-2 हजार रूपये देकर के सिलैक्शन लिस्ट में अपना नाम लिखवाया है अनका नाम सीरियल नम्बर 175 सेलेकर के 200 के बीच में हैं वे बेचारे आज बडे परेशान है क्योकिं ट्रेनिंग के बाद उनहें नौकरी नहीं मिलेगी और उनका पैसा यों ही जाया जायेगा । (विघन) बोर्ड वालों ने लिस्ट न छापते तो लोगों ने उनको घेर लेना था और वे अपने रूपये वापिस मागंते । इस तरह से यह सरकार नौकरी लगा रही है । इस प्रकार की इनकी कारकरदगी है । यह गलत हिसाब-किताब है ।

बातें बड़ी-2 करते हैं कि हम यह करने जा रहे हैं। कहते हैं कि हम स्टैट को आसमान पर ले जा कर छोड़ेंगे यानी जमीन पर नहीं रहने देंगे।

(14.00 बजे)

अब मैं। डिमांड नम्बर चार के बारे में अर्ज करूंगा। चेयरमैन साहब, आप भी किसान घराने से ताल्लूक रखते हैं। एक एक्ट सन 1800 में अंग्रेजों के समय में बनाया गया कि अगर किसी किसान के खेत में आग लग जाये, घर में आग लग जाये तो उसे रिलीफ देंगे यह कानून बना तो हुआ है लेकिन उस बेचारे गरीब को पूरा रिलीफ नहीं मिल पाता है एक्ट में खामी होना एक ऐसी अड़चन है जिसके कारण रिलीफ नहीं मिलता। अगर किसी आदमी की फसल, मवेशी या घर जल जाये तो इनका एक्ट इजाजत नहीं देता है। मिनिस्टर साहब ने कहा कि दस परसेन्ट दे सकते हैं अगर कानून इजाजत दे तो और भी ज्यादा दे सकते हैं आप लोगों ने बीस सूत्री कार्यक्रम बनाया उस वक्त यह भी सोचना चाहिये था कि गरीब किसान का नुकसान हो जाये तो उसे पचास परसेन्ट दे दिया जाये। किसान की मदद का सवाल आता है एक्ट अड जाता है। अगर उस एक्ट को बदल देते तो आप लोगों का भी कुछ नाम हो जाता। चौधरी भोर सिंह जी इस एक्ट को बदलने के लिये यहां पर बिल क्यों नहीं रखते? यदि ये ऐसा बिल रखेंगे तो सब भाई एक रय से उसे पास करेंगे और उससे गरीब लोगों

का भला होगा लेकिन इनके पास एक्ट बदलवाने के लिये फुरसत नहीं है और न ही इस बारे में ये सोचते हैं।

चेयरमैन साहब, आज दे 1 को आजाद हुये 30-35 साल हो गये लेकिन ठीकरी पहरे का मसला आज भी बना हुआ है। पुलिस की भाहर में जरूरत पडे तो डियूटी लगा देते हैं। अगर भाहर में दुकान या किसी और चीज का खतरा है तो पुलिस की डियुंटी लगा दी जाती है लेकिन गांवों में किसानों की कटाई कासमय चल रहा होता है लामनी करके राम को घर पहुंचते है उधर से ठीकरी पहरा निकला हुआ मिलता है। पुलिस का थानेदार या तहसीलदार गांव में जाता है कि आज 10-20 गांव के लोग रेलवे लाईन का पहरा देंगे। रेलवे लाईन की हिफाजत रेवले वाले करें या पुलिस वाले करे। गांवों के किसानों की डियूटी लगाने की क्या जरूरत है? यह ठीकरी पहरा बिल्कुल बेगार एक्ट है। अंग्रेजों के समय का एक्ट है। उस समय ठीक था लेकिन अब इस खत्म किया जाना चाहिये। (गोर एवं विघन) ये इन लोगों की कारकरदगी है। मैं न पहले वजीर था और न ही इससौदे के साथ वजीर हूं लेकिन इससल को 1 1 करेगें कि हमें भी लाइसेंस मिल जाये। (गोर एवं विघन) अगर इस एक्ट को बदल दे तो बडी ही अच्छी बात होगी और इस सरकार का नाम भी होगा। (इस समय सभापतियों की सूचि में से एक सदस्य चौधरी राजेन्द्र सिंह पदासीन हुये चेयरमैन साहब, सरदार तारा सिंह भले आदमी है। उनकी मैं क्या निन्दा करूं? लेकिन इन्होने फरीदाबाद, सोनीपत

और बहादुरगढ़ के कारखानों की पौने तीन करोड़ रूपये की बिजी की एक्साइज डियूटी माफ करदी। इन जगहों पर बड़े बड़े अमीर लोगों ने फ़ैक्टरीज लगायी है। नन्दा जैसे अमीर लोग बैठे है उनकी एक्साइज डियूटी माफ कर दी और गरीब किसानों की हजामत कर दी। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि उनकी एक्साइज डियूटी क्यों माफ की गई है। आप सुन कर हैरान होंगे मन्दि गुरुद्वारे आर्य समाज मन्दिर और धर्म ाला को कनैव न कमि रियल बेसिज पर देते है। इन पवित्र स्थानो से बिजली के चार्जिज दुकानदारो के रेटस पर लिये जाते है। धार्मिक स्थान बडी मु किल से बनाये जाते हैं कम से कम उन स्गिनों से धरों वाला चार्ज कर सकते है। अगर कोई भारीफ आदमी धर्म ाला बनवाये तो क्या उसने कोइ तिरारत कर ली है। उसने धर्म का काम किया है आम आदमी को सुसविधा दी है। अगर उस धर्म ाला मन्दिर, गुरुद्वारे के आगे दुकान बनी हुई है। उससे अलग से चार्ज कर सकते हो यानि उसका अलग से मीटर लगादे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि धर्म ाला से भी दुकान बाला ही बिल लिया जाता है। बड़े बड़े करोडपतियों की आपने एक्साइज डियूटी माफ कर दी है। यह इसलिये किया है कि चुनाव आ रहे है और उनसे पैसे लेने है या ले लिये है। अब भाायद और भी कोइ कागज बना रहे है ताकि और जयादा पैसे मिल जाये। मैं आपके जरिये रदार तारास सिंह जी से प्रार्थना करुंगा कि मस्जिद, गुरुद्वारे आर्य समाज मन्दिर, सनातन धर्म मन्दिर ओर धर्म ाला से बिजी के चार्जिज कम से कम लिये जाये।

चेयरमैन साहब, मेरा और भाई राठी साहब का ताजा समझौता हुआ है अगर न मानूं तो भी मुक्ति कल है और अगर मानता हूं तो अपनी सही बात नहीं कह सकता । लेकिन फिर भी उकने नोटिस में लाना चाहता हूं कि बादली और बहादुरगढ़ के बार्डर से सैकड़ों ट्रक बिना चैकिंग कराये गुजरते हैं । सारे के सारे सैलज टैक्स की चोरी करते हैं आप इन्क्वायरी करवा लें । कितने ही ट्रक मिलेंगे जो रोजना सैलज टैक्स की चोरी करते हैं । वहां जो स्टाफ लगा हुआ है वह भी उनके साथ मिला हुआ है जब वे दिल्ली की ओर जाते हैं तो उकने कागज रख लेते हैं वापिस आते वक्त ले लेते हैं । अगर कोई ट्रक आगे पकड़ा जाये तो कह दिया जाता है । कि हमारे कागजात बार्डर बैरियर पर चैकिंग के लिये रख लिये हैं । आज ही सुबह एक सवाल के जवाब में मंत्री जी ने माना है कि छोटे-2 अमाउन्टस की चोरी करने वाले या न जमा कराने वालों को गिरफ्तार किया जाता है । और जो बड़े -2 लोग हैं जिनकी तरफ चालिस-2 लाख रूपये बकाया है उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता । सरकार को कोई ऐसा कानून बनाना चाहिये जिससे जिन आदमियों की तरफ पैसा बकाया है । उनसे पैनल्टी लगा कर वसूल किया जाये । जो उनके पास पैसा है वह एक किस्म से लोन के रूप में है । जब एक व्यापारी ने कोई चीज बेच दी और सैलज टैक्स भी लेलिया फिर उसे तीन महीन की रियायत देने की क्या जरूरत है? तीन महीने वह बिना ब्याज के उस पैसे को रख सकता है । दुकानदार ने पार्टी से पैसा वसूल कर लिया फिर उसे रखरने का क्या अधिकार है? जिन दुकानदारों की

तरफ चालिस-2 लाख रुपया बकाया है वह पांच-पांच साल पे नहीं करते है। पे न करने पर उनसे केवल 12 परसेंट ब्याज लिया जाता है। जो आदमी स्टे लेता है उससे 30 परसेंट ब्याज लिया जाना चाहिये जब तक इतनी पैनल्टी नहीं होगी तबग तक वह पैसा जमा नहीं करायेगा इसलिये मैं अपने भाई से कहूंगा कि वक्त बदलता रहता है। क्या पता कि दो महीने बादक्या होनेवाला है? दो महीने में ही आप अपना नाम कमा लो। सेल्ज टैक्स जितनी भी सख्ती के साथ वसूल करोगें, स्टेट का उतना ही फायदा होगा और आपका नाम होगा। किसी को भी माफ न करो। एक बार तो हल्ला बोल दो। तैसे ताबें मैने बहुत कहनी थी लेकिन अब कसम खा रखी है इसलिये ज्यादा नहीं कहनाचाहता।

चेयरमेन साहब, पुलिस के बारे मे भी अर्ज करना चाहता हूं। डी0एस0पी0 के ग्रेडज के बारे में चौधरी देवली लाल ने और चौधरी भजन लाल ने वायदा कियाथा कि एस0डी0एम0 के बराबर के देगें। वे कागज इधर उधर ही घूमते रहेते है। वेबेचारे न झंडा लेकरखडे हो सकते है और न ही कोई हड़ताल आदि कर सकते हैं इसलिये मेरा सुझाव है कि उनके स्कूल एस0डी0एम0 के बराबर करने का जो वायदा किया गया था वह पूरा किया जाये। इसके अलावा पुलिस में सिपाही, हवलदार या जितने भी छोटे रैंक के आदमी है उनके लिये क्वार्टर बनाये, उनके बच्चों को पढायें और उनकी ज्यादा से ज्यादा तरक्की करवायें क्योकिं यह एक डिस्प्लिन्ड फोर्स है और बोल नहीं सकती। आप बडे-2 अफसरों

का बे तक कुछ भी करो लेकिन इन गरीब आदमियों की तरफ जो जुल्म का िकार होने लग रहे हैं, खास ध्यान दो ताकि यह अपना काम अच्छी तरह से कर सकें। हर महकमा अपनी डिमांड रख सकता है हर महकमों के आदमी अपना झंडा उठा सकते हैं, नारे लगा सकते हैं और हडताल कर सकते हैं लेकिन यह तो बेचारे बेजुबार हैं, इनकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

एक बात मैं चेयरमैन साहब, कोआप्रेटिव डिपार्टमेंट के बारे में कहना चाहूंगा। इस बारे में बहुत सी कहानियां हो चुकी हैं। मैं उनके चक्कर में न पडकर एक दूसरी बात कहना चाहता हूं। कोआप्रेटिव मिनिस्टर यहां पर नहीं बैठे हैं लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब यहां पर बैठे हैं। जितने भी आदमी कोआप्रेटिव डिपार्टमेंट में लगाये जाये हैं, उनका सिलैबस इन इन्साफ के तकाजे पर पूरा नहीं उतरता। उसमें भेदभाव की बदबू आती है। इस तरह से भेदभाव बरतना लोगों की नजरों में कोई अच्छी बात नहीं है और उससे सरकार का इमेज अच्छा नहीं बन सकता। मैं सारे हरियाणा के बारे में तो कुछ नहीं कहता। मैं रोहतक की बात बता सकता हूं जो वहां पर बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में मैंबरज है, उनमें से 6-7 हमारे अपने मित्र हैं। हमने उनसे यह कहा कि भाई, तुमने यह क्या किया। आपने नौकरी का यह क्या सिस्टम भुर्रु किया है? उन्होंने यह कहा कि आप बे तक हमें मुख्य मंत्री के पास ले चलो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में ले चलो। हमने तो बंटवारा कर लिया। छोटी छोटी नौकरियों पर हमने लगा लिये। बडे -2 ओहदों पर सरकार

लगा लेगी। तीन साल तक तो फैसला होता नहीं। हम तो इस फैसले पर कायम हैं। चेयरमेन सहाब, इसके अलावा एक बात करके तो इन्होंने कोआप्रेटिव इन्स्टीच्यू ांज को चुनाव में चुने हुये आदमियों की मैजोरिटी भी होगी तो भी वे अपने आदमी को चेयरमैन नहीं चुन सकें। सरकार अगर किसी आदमी को चेयरमैन बनने नहीं देना चाहती तो जो बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में इनके आदमी होंगे, यानि सरकारी अफसर होंगे, वे अपने वोटों से उसको नहीं बनने देंगे। क्योंकि 6-7 राय सरकारी आदमियों की होगी, इसलिये ये अपनी मर्जी का चेयरमेन बनवायेंगे। मान लीजिये 9 आदमी चुनकार आ गये अनमें से 7 जिनकी मैजोरिटी है, एक आदमी को चुनना चाहते हैं लेकिन दो आदमी उन को चुनना नहीं चाहते तो वह आदमी नहीं बन सकेगा क्योंकि गवर्नमेंट अपने अफसरों को इस बारे में हिदायत दे सकती है। किसी अफसर की इतनी हिम्मत नहीं है कि यह गवर्नमेंट की बात को टाल सके। मैं यह चाहता हूँ कि अगर सरकार इन इन्स्टीच्यु ांज में नौमीने ान करना ही चाहती है तो बे ाक करे लेकिन वह किस बात के लिये हो, यह बात पहले तय हो जानी चाहिये। उसका प्रयोग अगर बोर्ड कोई गलत काम करता है या कोई गलत पालिसी डिस्सीजन लेता है, वहां पर करना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि चेयरमैन का चुनाव हो ाऔर उसमें उनका दखल हो। मेरा कहना यह है कि कम से कम पब्लिक के चुने हुये नुमायंदों को अपनी राय से अपने मतलब का चेयरमैन बनाने का तो हम होना चाहिये। वरना तो डैमोकेसी या प्रजातन्त्र इस मुल्क में कायम रखने से कोई फायदा

नहीं होगा। अगर मंत्री जी जो महकमें का इन्चार्ज होगा, वह टेलीफोन कर देगा, तो किसी अफसर की हिम्मत नहीं हो सकती कि उसकी बात को टाल सके और अपनी राय इधर उधर दे। इसके लिये मैंने जैसे सुझाव दिया है या तो वैसे कर लियोजाये वरना नौमिनेशन ही खत्म कर दिया जाये। (घंटी) चेयरमेन साहब, मुझे थोडा सा टाईम और दे दे मैंने अभी एक दो बों और कहनी है।

श्री सभापति: आपका समय समाप्त हो गया है, आप अब बैठिये।

चौधरी उदय सिंह दलाल: चेयरमैन साहब, आपके और हमारे तो घरेलू ताल्लुकात भी है। मुझे कम से कम अपनी आखिरी बात तो कह लेने दें। मैं खेती बाडी के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। आप एक बात से अन्दाजा लगा ले। एक बात के बारे में चीफ मिनिस्टर साहब ने भी बडे जोरो से कह दिया और सरदार लछमन सिंह जी ने कह दिया। सब कहते है कि अनाज की मूवमेंट पर कोई पाबन्दी नहीं है लेकिन यह बात मैं दावे के साथ कहता हूं कि पाबन्दी है। यह सरकार बे एक हां करे या ना। सारे हरियाणा सरकार के आदमियों को यह पता है कि एक तरफ तो यह कहते है कि हम किसानों की तरक्की करवायेगे, किसानो को उनकी पैदावार का उंचा मुल्य दिलवायेगे। यह इस बात का ढिढोरां भी पीटते है कि हम किसान के लिये मर मिटेगें लेकिन यह करते कुछ है नही। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं कि किसी

गांव में किसी दुकानदार के पोता हो गया। उसने गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। बोला भई मेरे पोता हुआ है। गांव वालों ने पूछा तो क्या करोगे। वह बोला कि भई कुछ धर्म पुण्य करूंगा। गांव वाले कहने लगे कि तू हमें भैसों के लिये बिनौले ही पूरे तोल दियाकरो, इतना ही काफी है। ययदि कोई किसान अपनी फसल को कुछ मंहगा बेच सकता है तो उसको मंहगा बेच लेने दे। लेकिन इनकी पालिसी तो उल्ट है यहां पर कुछ कहते है, अफसरों को कुछ और कहते हैं मैं यह बात मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप ऐसा करके पुलिस और किसान के बीच टकराव न पैदा करो। या तो कानून ही ऐसा बना दो कि दिल्ली में गेहूं जाने ही नहीं देंगे अगर ऐसा कहते हो कि कोई पाबन्दी नहीं है फिर सबको ले जाने दो। अब आपकी पुलिस तो यह कहती है कि जाने नहीं देंगे ओर आप कहते हो कि कोई पाबन्दी नहीं है। ऐसा करके आप टकराव की स्थिति पैदा कर रहे हो। छोटा मोटा भाई तो सब्र कर लेगा लेकिन अगर कोई भाई आपको खब्खी खान टकरा गयातो किसी को आप मुकाबले में मार दोगे और यह कहोगे कि वह तो पुलिस के साथ मुकाबले में मारा गया किसी को आप सेल्ज टैक्स की चोरी में पकडोगे। इसलिये अगर कानून ऐसा बनाते हो कि गेहूं की मूवमेंट पर कोई पाबन्दी नहीं है, तो उस पर अमल भी करो। यह नहीं कि कहो, कुछ और करो कुछ। ऐसा करके आप किसान और पुलिस के बीच में टकराव पैदा कर रहे हो। मैंने तो यह सोचा था कि नजफगढ यानरेला में कुछ गेहूं ले जाऊं। राठी साहब मेरे मित्र है। इनको दिखा दूं। लेकिन फिर

सोचा कि अगर मैं ले भी गया तो इससे दूसरे किसानों को फायदा नहीं होगा क्योंकि वे बेचारे तो ले जा नहीं सकेंगे। इसलिये मैं यह कहता हूँ कि यह किसानों को केवल दुख न दे तो इनकी बड़ी मेहरबानी। अगर कोई भला कर दे तो इनकी और भी ज्यादा मेहरबानी। न करे तो इनकी मेहरबानी। चेरमैन साहब, आखिर में मैं एक बात और कहूँगा। (घंटी) चेरमैन साहब, यह कहते हैं कि हम गरीब हरिजनों का भला करेंगे। अब इस भले की बात सुन लो। दिल्ली में और उसके आस पास तो अमीर आदमी रहते हैं। वहाँ पर एक आदमी को 900 ग्राम चीनी कोटा से मिलती है। आप ही देखें कितनी गरीबों की भलाई होने लग रही है। वह दिल्ली जहाँ पर कि हिन्दुस्तान के अमीर से अमीर आदमी रहते हैं वहाँ पर 900 ग्राम चीनी मिलने लग रही है। चण्डीगढ़ जो इस गरीबी में सैकिण्ड नम्बर पर आता है, वहाँ पर 500 ग्राम चीनी मिलने लग रही है। और हरियाणा में केवल 300 ग्राम। मेरे मांडौठी या बादली में 300 ग्राम चीनी और दिल्ली और चण्डीगढ़ में 900 और 500 ग्राम चीनी। यह आप अन्दाजा खुद लगा लें कि कितना गरीबों का भला यह सरकार कर रही है। अगर सरकार इस बारे में कुछ महसूस करती है तो क्यों नहीं यह भारत सरकार से इस बारे में लिखा पढ़ी करते कि सब जगह पर एक सी चीनी की डिस्ट्रिब्यूशन होनी चाहिये। इससे भेदभाव की बू आती है। इससे यह पता लगता है कि गांवों के लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। (घंटी) (और एवं वयवधान) आखिर में मैं डिमांड नं० 2,3,4,5,15,17 और 22 का

विरोध करता हूँ और यह दरखास्त करता हूँ कि इनको पास न किया जाये।

श्री लहरी सिंह मेहरा (रादौर, अनुसूचित जाति):
सभापति महोदय, मैं डिमांड नं० 15, 17, 22, 2 व 3 पर बोलूंगा आपको पता ही है और सारादे । जानता है कि हमारी लोकप्रिय नेता प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने दे । को एक नारा दिया है कि हिन्दुस्तान में गरीबों के उत्थन के लिये यह वर्ष उत्पादकता का वर्ष मनाया जाये। उनहोने श्रम कानारा दिया है। चेयरमेन साहब, इस नारे के अनुसार इस दे । में उसी आदमी कम्पोजीने का हक है जो मेहनत करता है। यह दे । तभी तरक्की कर सकता है यदि हर आदमी अपने हाथ से मेहनत करके खाये और मेहनत करके इस दे । का पालन पोषण करे। अब मैं आपके सामने डिमांड नम्बर 22 रखता हूँ यह डिमांड कोआप्रान डिपार्टमेंट से सम्बन्धित हैं सभापति महोदय, आप अच्छी तरह से जानते है कि गरीबों की भलाई के लिये अगर कोई महकमा काम करता है तो वह यही महकमा है सब से ज्यादा योगदान हमारा सहकारी विभाग करता है । आज हमारे हरियाणा में जो भी पंच हजार की आबादी का गांव है, उसके बारे में सरकार ने फैसला किया है कि वहां पर कन्जुमर स्टोर द्वारा सारी चीजें मुहैया करवाई जायेगी गांवों में जो चीजें भेजी जायेगी वह ठीक रेट पर आम आदमी को दी जायेगी। चेयरमैन साहब, अगर सरकार गरीब आदमियों की भलाई का कोई काम करती है याकोइ ऐसा काम

करती है जिससे आम गरीब आदमी का फायदा हो तो अपोजी उनके भाइयों को महसूस होता है क्योंकि वे अपने समय में कुछ भी नहीं कर पाये। सरकार से मेरा निवेदन यह भी है कि जब सरकार ने इतना बोल्ट फ़ैसला लिया है कि हर पांच हजार की आबादी वाले गांव में कंज्यूमर स्टोर खोला जायेगा जिसमें हर जरूरी चीजों की उपलब्धि होगी, वहां सरकार को यह भी करना चाहिये कि जहां पर सरकार स्टोर खोले वहां पर वे सारी चीजें जैसे मिट्टी कातेल, दाल चीनी तथा और चीजें जो रोजना काम में आती हैं, उन स्टॉर्ज में उपलब्ध कराई जाये। इन चीजों की वहां पर कोइ कमी नहीं होनी चाहिये। सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कोआप्रे इन डिपार्टमेंट गरीब से गरीब आदमी को टयूबवैल लगाने के लिये और जमीन खरीदने के लिये और जमीन ठीक करने के लिये कर्जा देता है लेकिन रेट आफ इंटरैस्ट बहुत ज्यादा है इसको कम करना चाहिये। जिसरेट पर डी0आर0डी0ए0 का लेन मिलता है। उससे सिर्फ एक या दो परसेंट ज्यादा लिया जा सकता हैं गरीब आदमी इतना ब्याज नहीं देसकता और वास्तव में जो गरीब आदमी होता है वह ब्याज ही पूरा कर पाता है उसका मूल यूं का यूं ही खडा रहता है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस कर्ज पर आठ परसेंट से ज्यादा ब्याज नहीं होना चाहिये। सभापति महोदय, इस महकमे कमेबारे में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। कि कल ही एक क्वैश्चन आया था और बताया गयाकि इस महकमे में 66 आदमियों को भत्ती किया गयाओर उनमें से केवल तीन हरिजन लिये गये। आज भी

बिजली विभाग के बारे में एक सवाल आया था और सरदार तारा सिंह जी ने बताया कि 324 आदिमी भर्ती किये गये उनमें आठ हरिजन स्पै ाल तोर पर भर्ती किये गये जो अस्सी आदमी भर्ती किये जाने थे वे नहीं किये गये। मेरा निवेदन है कि जब सरकार ने गरीबों का इतना ख्याल किया है उनकी तरखाह भी बढाई जा रही है, ज्यादा चीजें उनको मुहैया की जा रही है। उनको कर्जा दिया जा रहा है और दूसरी तरह की सहूलियतें दी जा रही है तो फिर नौकरियों में भी उनको ख्याल रखा जाना चाहिये। रिजर्वे ान को सर्विसिज में पूरा किया जाना चाहिये मैं चौधरी भजन लाल को दाद देना चाहता हूं कि जहां पहले पुलिस में तीन चार और छः परसेंट की रिजर्वे न थी वहां इन्होंने 16 परसेंट तक की रिजर्वे ान पुलिस में पूरी की हैं मेरी प्रार्थना है कि रिजर्वे ान का जहां इतना ख्याल दूसरे विभाग रखते हैं वहां पर बिजली विभाग और कोआप्रे ान विभाग को भी ख्याल रखना चाहिये ओर इन दोनो विभागों में जो रिजर्वे ान के कोटे में कमी रही है उसको पूरा किया जाना चाहिये। (व्यवधान).....तो हरिजनों के बारे में चेयर के आदे ानुसार रिकार्ड नहीं किया गया। बोलने भी नहीं देते थे। चेयरमेन साहब, मैं होम मिनिस्टर और मुख्य मंत्री क बहुत आभारी हूं कि उन्होंने पुलिस विभाग में हरिजनों की भर्ती में बढौतरी कराई है। (ओर एवं व्यवधान) सभापति महोदय, आप जानते हे कि जाहं तक रिजर्वे ान का ताल्लूक है, ये हमारे अपोजी ानक `भाई जो हरिजनों का दम भरते हे ये बसबसे पहले उनके खिलाफ बोलते थे और हमें कहा जाता थाकि

तुम हरिजनों के ठेकेदार हो। उस समय चौधरी.....कहते थे कि क्या तुमने हरिजनों का ठेका ले रख है। (गोर एवं व्यवधान) चेयरमैन साहब, मैं कहना चाहता हूं कि जब हम ट्रेजरी बैन्चिंग पर बैठते थे तो हमें कहा जाता था.....

चौधरी भले राम: आन ए प्वायंट आर्डर सर। चेयरमैन साहब, ये कह रहे हैं कि जब मैं ट्रेजरी बैन्चिंग पर बैठता था तो ये हमारे साथ ही ट्रेजरी बैन्चिंग पर बैठते थे। ये भी बैठते थे और हम भी बैठते थे। (गोर एवं व्यवधान)

श्री लहरी सिंह मेहरा: चेयरमैन साहब, यह क्रेडिट तो चौधरी भजन लाल को जाता है जिन्होंने चार और छः परसेंट से सोलह परसेंट की भर्ती पुलिस में हरिजनोंकी कराई है। पिछली सरकार को हम बार बार कहते थे कि हरिजनों के उत्थान के लिये, हरिजनों के फायदे के लिये निगम की कैपिटल बढ़ाओं लेकिन उस सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। चौधरी भजन लाल ने निगम की कैपिटल दो करोड से पांच करोड की हैं

श्री भागी राम: आन ए प्वायंट आर्डर सर। चेयरमैन साहब, क्या ये बता सकते हैं कि निगम की बैठकें कब कब हुई हैं। मेरी जानकारी के अनुसार पिछले डेढ़ साल से इसकी कोई मीटिंग नहीं हुई है

श्री लहरी सिंह मेहरा: आप तो हरिजनों को लोन नहीं देना चाहते थे। चेयरमैन साहब हर तीसरे महीने निगम की बैठक

होती है। अगर भगी राम उसमें न आये तो क्या कियाजा सकता हैं
चेयरमैन साहब, चौधरी टेकराम यहां पर बैठे हुये पिछली बार.....
.....ने इनको 17 कमेटीज का मेंबर बनाया था और
.....को इक्कीस बाईस कमेटीज का मेंबर बनाया था।
(गोर एवं व्यवधान)

श्री जय नारायण वर्मा: सभापति महोदय, जो आदमी
सदन में नहीं हैं उनका नाम यहां सदन में नहीं लिया जाना
चाहिये। इसलिये लहरी सिंह ने जो नाम लिये हे वे एकसपन्ज करा
दिये जाये।

श्री सभापति: जो आदमी सदन में आने आप को
डिफैन्ड नहीं कर सकता उसका नाम यहां नहीं लिया जाना
चहिये। लहरी सिंह जी आप सिर्फ डिमांड पर ही बोले। जो नाम
इनहोने बोले है उनको रिकार्ड न कियाजाये।

श्री लहरी सिंह मेहरा: चेयरमैन साहब, मैने अपने लैट
पर प्रैस कांफ्रैस बुलाई और मैने चार्ज लगाया था किके
दामाद और समधी है वे 21-22 कमेटीज के मेंबर है लेकिन बाद
मे इनहोने इस बात को डिनाई किया। (गोर एवं व्यवधान)

श्री जय नारायण वर्मा: चेयरमैन साहब, जो आदमी
हाउस मे अपने आपको डिफैन्ड न कर सकते हो, उनका नाम
यहां हाउस में नहीं लिया जाना चाहिये।

श्री सभापति : चौधरी टेकराम जी तो हाउस के सदस्य है वे तो अपने आपको डिफेन्ड कर सकते हैं। (गोर एवं व्यवधान)

श्री लहरी सिंह मेहरा: चेयरमैन साहब, ये बार-2 अब मेरे बारे में कह रहे हैं अगर मैंने कोई बात कह दी तो इनको बुरी लगेगी। अब मैं अपनी अगली डिमांड पर आता हूँ।

श्री सभापति: चौधरी लहरी सिंह जी , आपका समय खत्म होने वाला है आप बोलने से पहले यह बता दें आप कौनसी डिमांड पर बोलना चाहते हैं।

श्री लहरी सिंह मेहरा: मैं अब डिमांड नं0 17 पर बोलना चाहता हूँ जोकि एग्रीकल्चर से संबंधित है। चेयरमैन साहब, जहां तक एग्रीकल्चर विभाग का ताल्लुक है इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस विभाग ने पिछले दोसालों से काफी तरक्की की है। जहां तक बीज का ताल्लुक था सस्ते और अच्छे बीज किसानों को उपलब्ध हो रहे हैं। लेकिन वास्तवक में जितने बीत किसानों को दिये जाने थे वह नहीं दिये गये हैं। अब मैं सरकार से यह रिक्वैस्ट करूंगा कि पहले तो ने नल सीड कारपोरे न के द्वारा बीज लिये जाते थे लेकिन अब तो हरियाणा स्टेट की अपनी ही हरियाणा सीड कारपोरे न है, अब तो किसी प्रकार की सरकार को बीजों के मामलों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। अब तो सरकार को और अच्छी किसम के बढ़िया बीज किसानों को सप्लाई

करने चाहिये। इस सारे काम के लिये एग्रीकल्चर विभाग के ईमानदार और समझदार अधिकारी भी प्रोत्साहनों के पात्र हैं।

चेयरमैन साहब, इससे आगे मैं यह कहना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रान्त के अन्दर मार्किट कमेटियों के लिये मंडियों का निर्माण हो रहा है यह भी एक बड़ा सराहनीय काम है। इसके साथ-2 सरकार से निवेदन करूंगा कि आज किसान को अपनी जिन्स मंडियों तक पहुँचाने के लिये बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और उसे दूर का और गन्दार रास्ता, टूटा-फूटा रास्ता मंडियों तक आने के लिये तय करना पड़ता है मंडियों तक जाने के लिये डेढ़ डेढ़ दो-2 फर्लांग का जो रास्ता खराब है, उस रास्ते की सरकार को ठीक करवाने के लिये भीघ कदम उठाने चाहिये ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। मार्किट कमेटियों की तरफ से इन सड़कों का निर्माण करने के लिये पैसा लगाना चाहिये। सरकार को इस और अवयव पर ध्यान देना चाहिये ताकि किसान ठीक समय पर और बिना तकलीफ के अपनी जिन्स मंडियों के अन्दर ला सकें। (घंटी) बस चेयरमैन साहब, मैं एक दो बातें और कह कर आना स्थान लूंगा।

चेयरमैन साहब, अब मैं इरीगेशन के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ इसके लिये मैं सरदार तारासिंह हजी और श्री देवेन्द्र भार्मा जी को बधाई दिये बगैर नहीं रह सकता कि उनहोंने वास्तव में बहुत अच्छा काम कर दिखाया है। जो बड़े-2 नदियाँ,

नाले, लोगों के रास्ते में रूकावट थे उन पर पुल बना दिये है और इस तरह से 10-10, 20-20 और 30-30 गांव आपस के में एक दूसरे से कट आफ हुये पडे थे, पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बार्डर की तरह दूर-2 थे, अब उन सबको आपस में मिला दिया गयाहैं यह एक बहुत ही अच्छा औरसराहनीय कदम हमारे इरीगे इन मिनिस्टर महोदय ने उठाया है। इससे लोगों को बडी सहूलियतें मिल गई है। इसी तरह से मैं यह कहुंगा कि जिस तरह से कि यू0पी0 वालें ने यमुना नही के उपर अपनी तरफ बांध बनायाहै उसी प्रकार से हमारी सरकार को भी ताजेवाला से होडल तक युमना नदी पर बांध बनाने के लिये प्रयास करने चाहिये ताकि किसानों को इस से लाभ होसकें इन भाबदों के सथ मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं कि आपने मुझे बोलने कासमय दिया। धन्यवाद।

श्री सभापति: डाक्टर बृज मोहन गुप्ता।

श्री वीरेन्द्र सिंह: चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंअ आफ आर्डर हैकं पहली बात तो यह है कि आपके होते हूये भी हमें बोलने कासमय नहीं मिला। हम तो इसी इन्तजार में थे कि हमें बोलने का समय दिया जायेगा और इसी इन्तजार मे हमें खाना भी नहीं मिला।

स्वामी अग्निवे T: चेयरमेन साहब, मैं भी बार-2 बोलने के लिये खडा हो रहा हूं मुझे भी अपनी पार्टी की तरफ से बोलने

काटाईम मिलना चाहिये लेकिन आप हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे है।

श्री सभापति: ठीक है जी, स्वामी जी आपको भी समय दियाजायेगा। अब आप बैठिये।

डा० बृज मोहन गुप्ता(जगाधरी): चेयरमैन साहब, आपका धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया। सबसे पहले मैं डिमांड नं०22 पर अपने विचार रखूंगा जोकि कोआपरे इन विभाग से सम्बन्धित है और 13 करोड रूपये के लगभग की है सभापति महोदय, ट्रिब्यून अखबर ने अपने आर्टिकल के हैंडिंग में ये लिखा है "कोआपरे इन और करप् न मूवमेंट इन दि कंट्री"। मुझ भी यह आर्टिकल पढने का मौका मिला। भायद सभापति जी, आपने भी यह पढा होगा। नहीं पढा तो पढ ले। यह जो मूवमेंट सरकारी पैटर्न पर चलाई गई थी इस मूवमेंट का इस अब असली मकसद छोड दिया गया है और अब इस इलैक् इन और करप् इन मूवमेंट में बदल दिया गयाह । मैं तो यह बताना चाहता हूं कि हरियाणा के अन्दर जितने भी मैडीकल स्टेरज है उन सबसमें घटा ही चल रहा है मैं आपको अम्बाला कौन्ट की एक मिसाल देता हूं। वहां पर एक सुपर बाजार है वहां पर दो अढाई साल पहले एक बडा भारी घपला हुआ था ओर सरकार की तरफ से वहां पर एक सीनियर आडीटर आडिट करने के लिये भेजा गया था उसका नाम रामगोपाल था। उसने अपने आडिट नोट में यह लिखा है कि यहां पर बडा भारी घपला हुआ है वहां के जी०एम० साहब ने उस

आडीटर को यह कहा कि या तो नोट को बदलो नहीं तो हम किसी न किसी केस में आपको फंसायेगें उसने कहा कि आखिर मैं किसी लिये यहां पर आया हूं। अगर कोई खरबी होगी तो मे। अब य प्वायंट आउट करूंगा। वह न माना तो फिर उसके उपर एक झूठा केस बनाया गया और उसे सस्पेंड कर दिया गया आज उस आदमी को लगभग दो साल हो चुके हैं। वह सस्पेंड ही चला आ रहा है जबकि कानूनों के मुताबकि सस्पेंडिड आदमी को 6 महीने के अन्दर-2 रि-इंस्ट्रट करना होता है आज तक उस का कोई चालान भी पुलिस किसी आदालत में पे । नहीं कर सकी। उसमें जो जूनियर आदमी थे, वे सारे के सारे परमोट हो चुके हैं। यह हालत तो इस सरकार के राज्य में एक ईमानदार आदमी की है। जी०एम० साहेबान भी फंसे हुये हैं इस प्रकार से यह तो इनके कोआपरे टन विभाग का हाल है।

चेयरमैन सहाब, इसके साथ साथ में डिमांड नम्बर 5 पर जोकि एक्साइज विभाग वगैरह से सम्बन्धित है पर भी कुछ कहना चाहता हूं। वे मिनिस्टर बैठे नहीं हैं मैं उनको बताता। आज सुबह भी इस मसले पर बात हो चुकी है कि एक दवाई पोटां टायम सायानाईड है, जोकि बहुत ही खतरनाक है जिसके सेवन से आदमी क्षणों तक भी जिन्दा नहीं रह सकता, वह दवाई खुलेआम बिक रही है। उस पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। जगाधरी और यमुनानगर में परसों ही एकलडका और लडकी इसके खाने से मर गये हैं।

इससे आगे मैं यह कहना चाहता हूँ कि जगाधरी आज हरियाणा के अन्दर ही नहीं, बल्कि सारे भारतवर्ष के अन्दर बर्तनों की इंडस्ट्रीज के नाम से प्रसिद्ध है। सारे हिन्दुस्तान में वहां से बर्तन भेजे जाते हैं। और कुछ बाहरभी जाते हैं। चूंकि हरियाणा के अन्दर उसका रा-मैटीरियल नहीं होता इसलिये वह भी बाहर से आता है हमने एक मांग रखी थी कि वहां पर सैन्ट्रल सैल्ज टैक्स 4 प्रति टन से घटा कर 1 प्रति टन कर दिया जाए। वह ट्रायल के आधार पर कुछ महीनों के लिये किया भी गया और उसके बाद उसको एक्सटेंड करना था उस वक्त गवर्नमेंट हमारी थी लेकिन जब ट्रायल का समय निकल गया तो बदकिस्मती यह रही कि गवर्नमेंट बदल गई। फिर उस पर विचार हुआ। मैं किसी पर इल्जाम लगाने वाली बात नहीं करूंगा कि किसी मंत्री ने किसी से चन्दा लिया या नहीं लिया लेकिन मैं मंत्री जी से एक बात जरूर कहूंगा कि यह बहुत जरूरी मसला है। जगाधरी में बर्तनों की काटेज इंडस्ट्री है घर-2 में बर्तन बनते हैं और वहां पर चारों तरफ से मजदूर आकर अपना पेट भरते हैं। वहां पर मजदूरों का हीन नहीं बल्कि बाकी सब का भी धंधा चलता है लेकिन यह सरकार इस इंडस्ट्री को बिल्कुल तबाह करने पर तुली हुई है। मैंने पहले भी बताया था कि कई स्टैप्स में से होकर गुजरने के बाद ये बर्तन बनते हैं। पहले रा-मैटीरियल को ग्लाना फिर उसका पीतल बनाना फिर उसको रोल करना, काटना, दबाना और डाई पर लगाना इत्यादि। यानि इसके कई प्रोसैस हैं तब कहीं जाकर बर्तन बनते हैं कोइ आदमी कुछ प्रोसैस करता है और कोइ कुछ करता है। आप

जानते हैं कि मजदूर लोग पढ़े लिखे नहीं होते। रा-मैंटिरियल का कुछ पोरान जिस जगह उसकी इंडस्ट्रीज होती है वहां से इधर-उधर जाता है। इस मुवमेंट पर मिनिस्टर साहब ने विवास दिलाया था कि किसी की भी चैकिंग नहीं होगी। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इनके अयोरेंन्स के बावजूद जगह जगह पर चैकिंग होती है। बेचारे गरीब लोगों का सामान पकड़ करले जाते हैं और उनको जुर्माना भी करते हैं। उनका सामान भी खा जाते हैं और जो जुर्माना होता है वह फिफ्टी-फिफ्टी हो जाता है मेरी मांग यह है कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे। इसके बाद मैं डिमांड नं03 पर आता हूँ। मेने पिछले साल भी हाउस में एक किस्सा सुनाया था रोहतक जिले के पास एक छोटा सा गांव खोरडा है। वहां पर एक बेवा मां थी जिसका एक 6-7 साल का बच्चा था और कोई और सहारा नहीं था। उस बच्चे को पहले तो वहां से गायब किया गया और जाते-2 लिख गये कि दस हजार रुपये फलां जगह पर भेज दो या रख दो, आपका बच्चा मिल जाएगा। वह बेचारी मां कहां से दस हजार रुपये देती। महीने डेढ़ महीने के बाद उस बच्चे का पत्थर बांध कर एक कुये में डाल दिया गया यह केसी साल्हावास पुलिस स्टेशन का है उसके बाद किसी ने बेचारी गरीब बेवा को पत्र लिखा कि आपका बच्चा फलां कुये में पड़ा है वह बेचारी चिट्ठी लेकर पुलिस के पास गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जब दोबारा पुलिस के पास गई तो तीन दिन बाद पुलिस आई और उस बच्चे को कुये से निकाला गया। मुझे आज तक उस केस

का पता नहीं था कि क्या बना लेकिन अब मुझे पता चला है कि वह कैसे अम्बाला इन्वैस्टीगेशन सेंटर में दे दिया गया है।

इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मैंने मंत्री जी से मांग की थी कि जगाधरी एक इंडस्ट्रीयल टाउन होने के नाते और वहाँ ज्यादा आबादी होने के नाते हमने क्या कसूर कियसा है कि अभी वहाँ पर एक छोटा सा थाना है वह भी अपग्रेड न हो। अगर वहाँ का थाना अपग्रेड होगा तो वहाँ पर एक इंस्पेक्टर पुलिस आ जायेगा। कुछ एस0आईज0 आ जायेगे और कुछ ए0एस0आई0 तथा कांस्टेबल आ जायेगे। एक बात यह है कि वहाँ पर सट्टा बड़ा काम चलता है। उनकी बाकायदा मन्थली बंधी हुई है। यानि जो सट्टा चलाने वाले लोग होते हैं, वे महीना बांध देते हैं और अपना काम आराम से चलाते हैं।

इसके उपर और ज्यादा न कहते हुये मैं डिमांड नं0 2 पर कहना चाहूंगा। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पडता है कि जब पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का रीआर्गेनाइजेशन हुआ था तो उस समय सर्विस रूल्ज बने थे। उन सर्विस रूल्ज को ऐतरफ रखकर हरियाणा के अन्दर कुछ और अमेंडमेंट्स कर दी गईं और सारी पावर सैन्ट्रलाईज कर दी गई। चाहे उसमें इंजीनियर्स हो, चाहे डाक्टर हो या और हो, इन सब की एनुअल कंफिडेंशियल रिपोर्ट एक आदमी लिखेगा। वह आदमी उनके महकमें का सीनियर अफसर नहीं होगा बल्कि एग्जैक्टिव का होगा। इसके बारे में मैंने एक सवाल भी दिया हुआ है भायद उसका

जवाब कल आएगा। आप ही बताये कि टैक्नोक्रेटस के बारे में दूसरे डिपार्टमेंट का आदमी क्या जानसकता है। इस बारे में अभी तक कोई सोच विचार नहीं हुआ। मुझे दुख के साथ कहना पडता है कि हरियाणा में दो आर्डिनैस आये और उनके माध्यम से रीआर्गेनाइजे इन के बाद रूल चेंज किये गये। रीआर्गेनाइजे इन एक्ट में यह बात थी कि जो फैसिलिटीज सरकारी मुलाजिमों को एक स्टेट देगी वही दूसरी स्टेटों को भी देनी पडेगी लेकिन हरियाणा में उस तरह से नहीं हुआ। एक आर्डिनैस के द्वारा हरियाणा के अन्दर एवरेज रिपोर्ट जिसके साथ कोई रिमाक्स न हो, उसको एडवर्स कहा गया है। बडे दुख की बात है कि एवरेज रिपोर्ट कनवे भी नहीं की जाती। दूसरा आर्डिनैस यह इ पू किया गया कि जो आफिसर 50 साल की एज कास कर जाएगा और उसकी 10 में से 6 कन्फीडेंशियल रिपोर्टस अगर खराब होगी तो उसको कम्पलसरी रिटायर कर दिया जाएगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो पावर सैन्ट्रलाइज कर रखी है, इसका मुद्दा केवल एक ही है और वह यह कि किसी तरीके से इलैव न जीत ले। मंत्री जी क्यों नहीं जवाब देते कि हम इनको डिसेन्ट्रलाइज करेगें। जो कम्पलसरी रिटायरमेंट के बारे में बात की गई है इस पर पुनर्विचार करेगें। मैं चाहता हूं कि जो सहूलियतें पंजाब और हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को दी गई है वही हरियाणा के कर्मचारियों को दीजाये। इसके साथ—2 मैं अन्त में यह कहूंगा कि ये जो डिमांडज रखी गई है, मैं इनका विरोध करता हूं। इनहें पास न किया जाये। धन्यवाद।

स्वामी अग्निवे 1 (पून्डरी): सभापति महोदय, मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया। मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी है कि आपने मुझे पहली बार अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ कर बोलने का मौका दिया। मैं मांग संख्या 2, 3, 4, 5, 15 और 17 पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। सभापति महोदय, इस सरकार ने पिछले बजट सत्र के दौरान बड़े जोर-शोर के साथ यह घोषणा की थी कि हरियाणा के अन्दर 31-3-81 तक तमाम हरिजनों को जितनी भी सरप्लस जमीन थी, वह अलाट कर दी गई है। और उनको 31 मार्च से पहले पहले पूरी तरह से कब्जा दिला दिया जायेगा। सभापति महोदय, मैं इस सरकार की सबसे बड़ी गलत बात आपके सामने बताना चाहता हूँ। मैं चौधरी भजन लाल की सरकार पर यह आरोप भी लगाना चाहता हूँ। कि इस सरकार ने इतनी बड़ी असत्य बात फैलाई है जिसका मुकाबला नहीं होसकता कि सरप्लस जमीन हरिजनों में बांट दी गई है, न केवल बांटी जा चुकी है बल्कि पूरी तरह से कब्जा भी दिलाया जा चुका है। सभापति महोदय, मैं दावे के साथ यह कह सकता हूँ कि यदि यह सरकार पूरे हरियाणा के अन्दर यह सिद्ध कर दें कि इनहोने तमाम हरिजनों को, जो हरियाणा प्रान्त के रहने वाले हैं, सरप्लस जमीन बांट दी है, तो मैं आज ही विधान सभा से अपना इस्तीफा देने के लिये तैयार हूँ। सभापति महोदय, इस तरह की घोषणायेँ करके इस सरकार को हरिजनों के साथ मजाक नहीं करना चाहिये। यह कोई तरीका नहीं है पहले तो हरिजनों को जमीन दी ही नहीं

जाती ओर उनको कब्जा नहीं दिला सकती हैं सभापति महोदय, यह सरकार पूरी तरह से बड़े-बड़े जमींदारों का पक्ष लेती है। हरियाणा में ऐसे हजारों जमींदार हैं जिन्होंने सरप्लस जमीन अपने कुत्ते बिल्लियों के बेनामी नामों से करवा कर रखी हुई हैं अपने रि तेदारों के बेनामी नामों में रखी हुई हैं अपने लडके-लडकियों के नाम करवा रखी है और अपनी अपनी पत्नियों के नाम करवा रखी है। यही नहीं बल्कि अपनी पत्नियों से तलाक लेकर जमीन अलग-अलग नाम पर रखी हुई हैं सभापति महोदय, तलाक होने के बाद आज भी उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसलिये मैं इस सरकार पर बड़ी गम्भीरता के साथ यह आरोप लगाना चाहता हूँ कि इस सरकार की हरिजनों को जमीन देने की बात सरासर गलत है और गरीब हरिजनों की आंखों में धूल झोंकने के समान है। इसके अलावा सभापति माहोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ और वह बड़ी गम्भीर बात है। हरिजनों को खेती करने के लिये जमीन देने की बात तो दूर रही, उनको रिहायशी प्लॉटस भी नहीं मिले हैं। गरीब हरिजनों को रहने के लिये अपना सिर छुपाने के लिये उनको जगह चाहिये। यदि कहीं पर उनको प्लॉटस दिये भी गये हैं तो वे भी जोहड़ों और कब्रिस्तान जैसी जगहों पर लिये गये हैं जहाँ पर कोई भी आदमी नहीं रह सकता। ऐसी जगहों पर उनको प्लॉटस दिये गये हैं और उनका भी कब्जा नहीं मिला है सभापति महोदय, आप मेरी इन बातों की पूरी तरह से छानबीन कर लें यदि एक भी बात असत्य हो तो मुझे आप जो मर्जी सजा दें। सभापति माहोदय, मुझे यह भी मालूम है कि ट्रेजरी बेंचिज पर

बैठे हुये लोगों में से भी कुछसदस्य ऐसे है जो ईमानदारी से यह महसूस करते है कि हरिजनों के साथ यह मजाक हो रहा है। जब वे लोग हमें अलग से मिलते है, तो कहते छे कि स्वामी जी आपकी बात ठीक है। इसलिये मैं उन्हें यह कहता हूं कि वे यदि महसूस करते है तो किसी स्टेज पर खडे होकर उन्हें इस बारे में बोलना चाहिये तरना कल अगर वे हरिजनों से वोट मांगने के लिये उनके पास जायेगें तो हरिजन लोग उनको अपना वोट नहीं देगे। इसके अलावा सभापति महोदय, हरिजन बस्तियों मेंस्ट्रीट लाइट देने की बात भी आई है। इस बारे में मैं कुछ बातें आपके सामने कहना चाहताहू। सभापति महोदय, जनतापार्टी के भासन के दौरान हरिजन चौपालों की बात भुरू की गई थी और उस समय इस बारे में बहुत से सदस्यों ने इधर से भी ओर उधर से भी यह कहा था कि यह बहुत अच्छा काम हो रहा है। सभापति महोदय, हरिजनों के नाम पर चौपाल बना कर हरिजन बस्तियों में बिजली लगे या कुछ और काम होने लगता है तो यह कहते है कि हरिजनों की भलाई के लिये काम हो रहे है। लेकिन सरकार हरिजनों के नाम पर यदि अलग से चौपाल बनाती है तो इसका मतलब यह हुआ कि वह चौपाल नहीं चौपाड बना रही हैं चौपाल जहां पर होगी वहां पर चारो वर्ण इकट्ठे बैठने चाहिये। ब्राहमण,गुजर अहीर, जाट और चूहडा सब के लिये एक चौपाल होनी चाहिये। जहां पर गांव के सभी जाति के लोग इकट्ठे बैठें। लेकिन यदि गांवो मे हरिजनो क लिये अलग चौपाल होगी तो उनके अन्दर भी यह भावना पैदा होगी कि कविदासियों की अलग

चौपाल होनी चाहिये और रविदासियों की अलग चौपाल होनी चाहिये। इस तरह से करके इस सरकार ने गांवों को उजाड़ने की कोशिश की है, उनको बसाने की कोशिश नहीं की। सभापति महोदय, आप भी गुड़गांव जिले के दयालपुरा गांव के रहने वाले हैं। आप जानते हैं कि सारे हरियाणा के अन्दर किसी भी गांव में हरिजनों के लिये पीने के पानी के कुयें अलग मिलेंगे। उनके मोहल्ले अलग मिलेंगे सभापति महोदय, हम सब भारत माता की संतान हैं स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। सबके हक एक बराबर होने के बातजूदभी गांवों में हरिजनों के लिये कुयें अलग हैं, उनके मोहल्ले अलग हैं और उनकी चौपालें भी अलग हैं। सभापति महोदय, पीने के पानी को नहीं बांटना चाहिये। परमात्मा ने पीने का पानी सबके लिये बराबर दिया है। किसी को अलग बांटने के लिये नहीं दिया। इस तरह से करके यह सरकार हरियाणा में जातिवाद को बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा मैं यह भी चाहूंगा कि सभी सदस्य ईमानदारी के साथ इस बात को महसूस करे कि हरियाणा में एक आन्दोलन भुरू किया जाये कि गांवों में पीने के लिये पानी सब के लिये बराबर होगा। गांवों में सब मोहल्लों के लिये एक ही कुआं होना चाहिये। इस बारे में सभी सदस्यों को मिल कर एक आन्दोलन चलाना चाहिये। इसके अलावा हरिजनों के लिये अलग चौपालें भी नहीं बनानी चाहिये। सभापति महोदय, जब हमारी जनता पार्टी की सरकार थी उस समय मैंने अपने हल्के के किसी भी गांव में जाकर चौपालों की नींव नहीं रखी। इसलिये मैं इस सरकार से कहना चाहता हूँ कि गांवों में एक ही चौपाल होनी

चाहिये। गांवों में किसी जाति विशेष के नाम पर चौपाल नहीं बननी चाहिये।

सभापति महोदय, सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मैं एक और बात आपके और सदन के ध्यान में लाना चाहता हूँ। कि हम विधायक जनता द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं इसलिये हमें कोई भी सरकारी अफसर डी०सी० या एस०डी०एम० वगैरह बरखास्त नहीं कर सकते। डायरेक्ट जनता द्वारा चुने हुये सदस्यों का यह अधिकार है कि उनको बरखास्त नहीं किया जा सकता जो गांवों में सरपंच होते हैं वह भी जनता द्वारा बरखास्त नहीं किया जा सकता जो गांवों में सरपंच होते हैं वह भी जनता द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं लेकिन उनको सरकारी अफसर सस्पेंड या डिसमिस कर देते हैं। जब एक आदमी गांवों में पूरे मतों से जीत जाता है तो उसको भी वही प्रिविलेजिज होने चाहिये जो एक विधायक को प्राप्त हैं जो विधायक है वे भी जनता द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं यदि उनको कोई सरकारी अफसर डिसमिस या सस्पेंड नहीं कर सकता तो सरपंच को कैसे किया जा सकता है। क्या सरपंच की कोई गलती है, जिसके लिये सरकार इतनी बड़ी सजा देती हैं किसी को सस्पेंड कर देती है और किसी को डिसमिस कर देती हैं सभापति महोदय, सरपंच के हाथों में गांवों के अधिकार दिये हुये हैं। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि गांव के पूरे अधिकार सरपंच के हाथ में होंगे लेकिन यह सरकार सरपंचों के साथ ऐसा व्यवहार करके स्वर्गीय महात्मा गांधी के स्वप्न पर कुठाराघात कर रही है।

इसलिये में कहना चाहता हूं कि सरकार को यह अधिकार सरकारी अफसरों को नहीं देने चाहिये कि वे सरपंचों को सस्पेंड या डिसमिस कर दे। सभापति महोदय, सामान्य प्रशासन पर कल भी मैंने एक सवाल उठाया था। उस समय चेयर पर अध्यक्ष महोदय थे, वे मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सके। पता नहीं उनको मेरा सवाल समझ नहीं आया या मैं उनको समझा नहीं सका। मैंने यह सवाल उठाया था कि हरियाणा बने हुये आज 15 साल से भी ज्यादा समय होने जा रहा है लेकिन हिन्दी के नाम पर बने हुये हरियाणा के अन्दर इस समय भी सारे के सारे काम कानून या विधि के काम अंग्रेजी में होते हैं। इस सरकार के जो काले अंग्रेज आफिसर बैठे हैं, क्योंकि भूरे अंग्रेज आफिसर तो हिन्दुस्तान छोड़ कर चले गये लेकिन जो काले अंग्रेज आफिसर बैठे हुये हैं वे हरियाणा की छाती पर मूंग दल रहे हैं और कहते हैं कि हम पहले अंग्रेजी में काम करेंगे और फिर उसका अनुवाद हिन्दी में करेंगे। सभापति महोदय, हाउस की टेबल पर जितने भी कागज रखे जा रहे हैं वे सारे अंग्रेजी भाषा में होते हैं और फिर उनका अनुवाद हिन्दी भाषा में किया जाता है। सभापति महोदय, हरियाणा में कुरुक्षेत्र की धरती पर रह रहे आज ये काले अंग्रेज आफिसर हिन्दी भाषा की बिना पर बने हुये हरियाणा प्रान्त में आज भी सारे के सारे काम अंग्रेजी भाषा में कर रहे हैं। सभापति महोदय, हर साल 15 अगस्त को यह अनाउन्स किया जाता है कि 26 जनवरी तक सारा काम हिन्दी भाषा में करेंगे लेकिन इन बातों को सुनते हुये हमें आज पूरे 12 साल हो चुके हैं। लेकिन इस तरफ सरकार को कोई ध्यान नहीं है

इस सरकार के काले अंग्रेज आफिसर 6-6 महीने की एक्सटेंशन ले ले करके हिन्दी भाशा को लागू नहीं होने दे रहे हैं कानून का सारा मूल कार्य अंग्रेजी भाशा में किया जा रहा है। जो दूसरे हिन्दी भाशी प्रान्त है उन्होंने अपना कानून का काम ओर दूसरे सारे काम भी हिन्दी भाशा में करने शुरू कर दिये है लेकिन हरियाणा में अभी भी यह काम अंग्रेजी भाशा में किया जा रहा है। सभापति महोदय, इस लानत को दूर करने के लिये हम सरकार से अनुरोध करते है कि वह भीघ्राति पीघ स्वयं कोई कदम उठाये । **(15.00 बजे)** यदि सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं देती है तो किसी वक्त हरियाणा के अन्दर इस बारे में आन्दोलन शुरू किया जायेगा और सरकार के काले अंग्रेज आफिसरों का घेराव किया जायेगा। यह अंग्रेजी भाशा हरियाणा प्रान्त में ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। सभापति महोदय, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पडता है कि जनता पार्टी के भासन काल में जब चौधरी भजन लाल जी मंत्री हुआ करते थे, उसक वक्त फरीदाबाद में गोली कांड हुआ था। 17 अक्टूबर 1979 को वहां पर वह अत्याचार हुआ जो नहीं होना चाहिये था। बेचारे मजदूरों पर गोलियां चली। वे लोग न्यूनतम मजदूरी की मांग कर रहे थे। वहां पर धारा 144 नहीं लगनी चाहिये थी। वे अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे। चौधरी भजन लाल की सरकार ने वहां पर 12 मजदूरों को भून डाला। जो लोग उस एजीटे इन में हिस्सा नहीं ले रहे थे उन को भी भून डाला गया। वहां पर बड़ा अंसतोश फैला हुआ था। उस समय मैं चौधरी देवी लाल जी की सरकार में शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन था। जब

मैने इस बारे में सी०एम० साहब से बात की और जुडि०ायल इन्कवायरी की बात की तो मुझे वहा से उस समय की सरकार ने निकाल कर बाहर कर दिया। मुझे स्वयं निकलने का कोई दुख नहीं है। सभापति महोदय, बड़े दुख के साथ कहना पहात हे कि 17 अक्टूबर, 1979 से लेकर आज 29 मार्च, 1982 तक सरकार ने जुडि०ायल इन्कवायरी तो क्या मैजिस्टीरियल इन्कवायरी की रिपोर्ट भी नहीं पे ा की। जुडि०ायल इनकवायरी की मांग की गई थी लेकिन उसके बदले में मैजिस्टीरियल इन्कवायरी के आदे ा दिये गये थे। मैं पूछना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट आज तक क्यों पे ा नहीं की गई? उसको क्यों रोक कर रखा गया है?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (सरदार तारा सिंह): रिपोर्ट तो आ चुकी है?

स्वामी अग्निवे ा: सभापति महोदय, आज तक कोई रिपोर्ट नही आई हैं सभापति महोदय, आप जानते हे कि डबवाली में बहन भीला देवी के साथ क्या हुआ। उसके साथ बलात्कार किया गया और बाद में उस बेचारी की हत्या कर दी गई। सरकार ने कुछ समय बाद जुडि०ायल इन्कवायरी रिपोर्ट पे ा की। उस रिपोर्ट के अन्दर जो दोशी थे उनको गिरफतार नहीं किया गया। सरकार कहती हे कि हमने उनको गिरफतार कर लिया। जब इन्कवारी करने के लिये एक हाई कोर्ट के जज श्री एम०आ० भार्मा वहां पर जाते है, तो उनको कुछ और ही मिलता है। इन्कवायरी के अन्दर एस०एच०ओ० को लोकअप में दिखाते है। एस०एच०ओ०

लोक अपन में नहीं मिलता। वह अपने आपको अस्पताल के अन्दर दिखाता है। जब जज महोदय वहां पर जाते हैं तो एस0एच0ओ0 वहां पर भी नहीं मिलता और बाजार में घूमता हुआ मिलता है। यह आज की सरकार का हाल है। सभापति महोदय, आप ही बतायें कि कहां तक इंसाफ की आ जा इस सरकारसे रखी जा सकती है। उन दोशियों को सजा होनी चाहिये। उनहोंने उस बहन से मुंह काला किया था लेकिन उनको कुछ सजा नहीं दी जा रही है। सभापति महोदय, इसी तरह से दूसरी जगहों के अन्दर भी घटनायें घटी हैं। इसी प्रकार से एक और घटना परसों गुडगांव के अन्दर घटी है। उस बहन के साथ बलात्कार किया गया और बाद में उसे मार दिया गया। सारे हिन्दुस्तान भर में इस बात की चर्चा है। लेकिन यह सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार की जरा सी भी हिम्मत नहीं है कि अभियुक्तों को गिरफ्तार कर सके। जो बूढ़ा बाप कल तक अपनी लउकी को यह कहता था कि बेटी यदि रास्ते में कुछ हो जाये तो थाने में चले जाना आज वही बूढ़ा बाप कहता है कि बेटी अगर तुझे मेले में कोई गुण्डा छेड दे तो थाने में मत जाना उसी से हाथ पांव जोडकर अपनी इज्जत बचा लेना।,

“पा वां जब चोर हो तो कौन रखवाली करे।

उस चमन का हाल क्या जिसका माली मालीपना न करे।

ऐसा आज के समय में हो रहा है आज बेटियों की दिन दिहाड़े इज्जत लूटी जा रही हैं (तोर) सभापति महोदय मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। कुरुक्षेत्र वि विद्यालय के अन्दर एक हरिजन लडके श्री वेद प्रकाश नरे जो एल0एल0बी0 में पढता था एक ब्राह्मण की जीवन आशा नाम की लडकी के साथ भादी कर ली। लेकिन सभापति महोदय उसके बाद क्या हुआ वह भी मैं आपको बताना चाहूंगा उस क्षेत्र के कुरुक्षेत्र के विधायक ने जो मिनिस्टर भी है लडकी वालों पर जबरदस्ती दबाव डाला। ओर उस हरिजन लडके को पिटवाया गया ओर उसे थाने में बंद करवाया। उस लडकी से झूठा ब्यान दिलवाया गया। सभापति महोदय, इस प्रकार की भादियों को तो बढावा देना चाहिये था। इनहोने बढावा देने के बजाये उल्टा काम किया। सरकार को उस लडके और लडकी को प्रोत्साहित करना चाहिये था ताकि ऐसी और भी भादियां हो सकें। लेकिन बड़े भार्म के साथ कहना पड रहा है कि आज ऐसे नौजवानो का सताया जा रहा है (घंटी) सभापति महोदय, मैं एक बात डिमांड नं04 जो कि रैवून्यू से सम्बन्धित है कहना चाहता हूँ। आज किसान अपना काम चलाने के लिये कुछ पैसा को-आप्रेटिव बैंको से लोन लेते है। लेकिन धारा 67-ए के अधीन ऐसे कर्जदारों के साथ बडी बदसलूकी की जा रही है। यदि कोई किसान अपना काम चलाने के लिये 100 रूपये या 500 रूपया को आप्रेटिव बैंकों से कर्जा ले लेते है तो उनहें बहुत ही बुरी तरह से परेशान किया गया है। यह धारा 67-ए अंग्रेजो के समय से चली आ रही है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस को बदला जाना

चाहिये। प्रातः प्र नलोतरकाल के दौरान ी यहाँ पर चर्चा हो रही थी। जो लोग लाखों करोड रूपया सरकार को टैक्स का नहीं देते , उनका कुछ नहीं किया जाता। न ही उनको पकडा जा रहा है और न ही उन पर कोइ मुकदमा आदि चलाया जा रहा है जो लोग सेल्ज टैक्स की चोरी कर रहे है उनहे ये बढावा दे रहे है। उनकी तिजोरियों से अपनी जेबें और अपनी पार्टी की जेबें भर रहे है। इससे ज्यादा बडे भार्म की बात ओर क्या हो सकती है? आज इन लोगों ने एग्रीकल्चरल जमीन पर तो सीलिंग लगाई हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो बडे बडे सरमायेदार है, उनको को नहीं पकडते। आज जनता काफी परे ान है। उनको नाजायज तौर पर दबाया जा रहा ळैं आज ये कह रहे हे कि कोइ किसान 18 एकड़ से ज्यादा जमीन अपने पास नहीं रख सकता। 18 एकड़ कोई 3-4 लाख रूपये की ही जमीन होगी। उसको तो ये परे ान कर रहे है लेकिन जो करोडो रूपया सेल्ज टैक्स आदि का नहीं दे रहे है उनको कुछ नहीं कह रहे । जो बडे-2 इन्डस्ट्रीलिस्टस है उनको ये बढावा दे रहे है। यह एक बहुत ही राष्ट्रव्यापी प्र न है। इस पर सोचसमझकर कदम उठाना होगा। आज इन्होंने किसानों पर तो सीलिंग लगा रखी है लेकिन जो बडी-बडी इंडस्ट्रीज के मालिक बने बैठे है उन्हे कुछ नहीं कहा जा रहा। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि बडे-2 इंडस्ट्रीलिस्टस को छोडा न जाये, उनपर भी सीलिंग लगनी चाहिये। (व्यवधान एवं भाोर) सभापति माहेदय, आप भी आर्यसमाजी है और आर्य समाज से बहुत गहरा सम्बन्ध रखते है। भाराब की बात कहते हुये और सुनते हुये भार्म आती है।

लेकिन चौधरी भजन लाल की सरकार भाराब को अधिक से अधिक बढ़ावा दे रही हैं जब अब सआप स्वयं आर्य समाज की सभा के मंच से बोलते हैं तो उस समय भाराब की आलोचना करते हैं लेकिन जब चौधरी भजन लाल, आप की सरकार गांव गांव में ठेके खोल रही है। भाराब के कट्टे गांवों में बांटे जा रहे हैं। बोतलें भर-2 गांवों में पहुंचाई जा रही है। सरकार नारा लगा रही है कि भाराब खूब पियो और खूब जीयो। पीने का पानी तो उपलब्ध नहीं करा रही लेकिन भाराब अब य उपलब्ध करवा रही है। (घंटी) सभापति महोदय, मैं सिर्फ एक ही बात और कहना चाहता हूँ। सरकार यहां पर कह रही है कि एस0वाई0एल0 की एलाइनमेंट की बात हो गई है। पंजाब के सदन के अन्दर वहां के मिनिस्टर री कां पी राम ने कहा है कि एलाइनमेंट अभी नहीं हुआ है। ये यहां पर कह रहे हैं इलाइनमेंट हो चुकी है इस तरह से सदनको गुमराह कर रही है बड़े भार्म की बात है। इस तरह की बातों को आगे आने वाले समय में कोई सहन नहीं करेगा। सभापति महोदय मैं अन्त में ज्यादा न कहते हुये जो ये डिमांडज पे आ हुई है, उनका विरोध करते हुये अपना स्थान लेता हूँ।

श्री मनी राम(डबवाली –अनुसूचित जाति): चेयरमैन साहब, मैं डिमांड नं0 3, 4, 15, 17 और 22 पर बोलना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। (विधन) चेयरमैन साहब, हरियाणा के अन्दर बहुत छोटे-2 किसान हैं जिनके पास चार-पांच एकड़ या

दस-पन्द्रह एकड़ जमीन है ऐसे बहुत कम किसान हैं। ये सब लोग कर्ज से दबे हुए हैं। हमारे हरियाणा की आबादी एक करोड़ उन्नतीस लाख है। किसानों के उपर सारी किस्म के कर्जे 50 करोड़ रुपये के हैं लेकिन वे कर्जे माफ नहीं किये जाते। दूसरी तरु हिन्दुस्तान के अन्दर 200 घर ऐसे हैं जिनके पास 10 अरब के करीब कर्जे हैं जो कि माफ हो जाते हैं। यह बात मुझे बड़े अफसोस से कहनी पडती है। फिर चेरमेन साहब, किसान अपने खेत में जो जिन्स पैदा करता है उसका उसे पूरा भाव नहीं मिलता बाहर से तो मंहगे भाव से गेहूं मंगवा लिया जाता है लेकिन अपने किसान को सरकार ठीक भाव नहीं देती। यह भी बड़े दुख की बात है।

चेयरमैन साहब, इसके बाद मैं इरीगे इन डिपार्टमेंट के बारे में कहना चाहता हूं। हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है। खेती बाडी आप जानते हैं, सिचाई से होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे पास आज पूरा पानी नहीं है। हमारे हरियाणा का एक तिहाई हिस्सा सूखा पडा हुआ है। अगर इसे पानी मिल जये तो हमारा हरियाणा आधे भारवर्ष को खाना खिला सकता है। इरीगे इन डिपार्टमेंट के अन्दर एम0आई0टी0सी0 आता है। वह खालों की लाईनिंग कर रहा है। हमने समझा था कि लाईनिंग करने से पानी की बढोतरी होगी लेकिन इन्होंने इस किस्म का डिजाईन बनाया है जिससे पानी टेल के खेतों को नहीं पहुंच पाता। नहरों का लैवल इन्होंने उंचा बना दिया है। इससे टेल पर

पानी नहीं पहुंच पाता। मैटीरियल भी सब स्टैंडर्ड लगाया हुआ है। परिणास्वरूप खालें टूट जाती है। इस बारे में मैं सरकार को एक सुझाव दूंगा। ये फ्री बोर्ड तीन ईंच का लगाते हैं। इसकी वजह से खालों का पानी ओवर फलों हो जाता है और खेत तक नहीं पहुंच पाता। फ्री बोर्ड 6 ईंच काहोना चाहिये। ताकि टेल के खेतों को भी पानी मिल सके।

अब मैं डिमांड नं० 22 पर जो कि कोआप्रे इन डिपार्टमेंट के बारे में है। बोलना चाहता हूं। मेरे भाई भागी राम जी ने सवाल पूछा था। वह सवाल सिरसा के एक बैंक में हुई भर्ती के सम्बन्ध में था। वहां एम०कौम० और बी०कौम० सडकों को तो नजरअन्दाज कर दिया गयालेकिन कम क्वालिफिके गन्ज के लडके लगा लिये गये। रिजर्वे इन ऐसा कह कर पूरी नहीं की गई कि क्वालीफाईड लडके अवेलेबल नहीं थे। यह हरिजनों के साथ बहुत भारी ज्यादाती है। यही हाल फूड एण्ड सप्लाइज डिपार्टमेंट का है यहां फूट इन्स्पैक्टर्ज से 8ए०एफ०एस०ओज० प्रमोट किये गये लेकिन उनमें भी एक भी हरिजन नहीं लिया गया। यह भी हरिजनों के साथ ज्यादाती है।

सरकार यहां कहती है कि हरिजनों को बडी भारी जमीन दे दी है। मैं सिरसा की बात आपको बताता हूं। वहां हरिजनों को सरप्लस जमीन ऐसी जगहों पर दी गई है जहां तक जाने के लिये रास्ता नहीं होता। पिदली बार मैंने इस बारे में सवाल भी पूछा था लेकिन बात इधर उार की बातें करके टाल दी

गई। मेरी सरकारसे यह प्रार्थना है कि रास्ते का प्रोविजन जरूर होना चाहिये। अगर ऐक्ट में तरमीम करनी पड़े तो तरमीम भी की जानी चाहिये। आज जमीन मालिक की मर्जी के मुताबिक मिलती है। यह बात नहीं होनी चाहिये।

अब चेयरमैन साहब, मैं एक बात और अर्ज करना चाहूंगा। रोहिडावाली गांव में जमींदारों ने हरिजनों की खड़ी फसलो पर ट्रैक्टर फेर दिया लेकिन उनको ठीक मुआवजा नहीं दिलवाया गया। इसके बावजूद भी सरकार कहती है कि हम हरिजनों के लिये बहुत कुछ कर रहे हैं।

इसके बाद चेयरमैन साहब मैं ला एंड आर्डर के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमारी सरकार कहती है कि प्रानत में सब कुछ अच्छा है। पिछले दिनों आपको पता है डबवाली में दिन दिहाडे बैंक में डकैती पडी थी। पुलिस को उसी वक्त इंफार्म कर दिया गया था। अगर पुलिस उसी वक्त आ जाती तो हो सकता है कि डकैती पडने से बच जाती लेकिन पुलिस वहां आधे घंटे के बाद आई।

इसी तरह का वहां का एक केस और है। पिछले साल की बात है कि तरसेम लाल नाम के व्यक्ति के लडके को यू0पी0 से आये हुये कुछ बमा 1 उठाकर यू0पी0 ले गये थे जिसे पुलिस आज तक बरामद नहीं कर सकी।

चेयरमैन साहब, एक और बात मैं आपको बताता हूँ। डबवाली हल्के में खुड़ियामलकाना एक गांव है। वहां एक कांग्रेसी आदमी ने, जिसका का नाम मैं लेना नहीं चाहता एक सांड मरवा दिया था। उसकी एप्रोच उपर तक होने की वजह से वह बात वहीं दब गई। इनसब बातों से पता लगात है कि ला एंड आर्डर की हालत हरियाणा में अच्छी नहीं हैं हरियाणा में आज दिन दिहाडे बैंक लूटे जाते है, बसों में और रेलों में डकैतियां होती है। लोगों को जान और माल खतरे में है। इसलिये मैं कहता हूँ कि यह सरकार निकम्मी है और इस निकममी सरकार को हमें बदलना है। इन भाब्दों के साथ मैं इन डिमांडज का विरोध करता हूँ।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह (उचाना कला): सभापति महोदय, मैं डिमांड नं0 4, 15, 17 और 22 पर अपने विचार रखने चाहूंगा। (विघन)

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: चेयरमैन साहब, मुझे समय नहीं मिल रहा हूँ। मैं कई बार लिखकर भी दे चुका हूँ।

श्री सभपति : चौधरी साहब, आपको भी समय मिलेगा। अभी आप बैठिये।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: सभापति महोदय, 1982-83 के लिये जो बजट सदन में पे 1 किया गया था उसमें बजट का लगभग 78 प्रति शत सिंचाई बिजली व कृषि पर खर्च करने का सरकार का निश्चय है जिससे यह बात जाहिर होती है कि हरियाणा की

सरकार हरियाणा के अन्दर किसान की और मजदूर की आर्थिक अवस्था को सुधारने के लिये एक निचय लिये हुये है। इतनी बडी धनराशि जो सरकार कृषि पर खर्च करने जा रही है। वह इस बात की प्रतीक है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा जो नया बीस सूत्री कार्यक्रम पेश किया गया है, उस पर यह सरकार पूर्ण रूप से अमल कर रही है। सभापति महोदय 20 सूत्री कार्यक्रम में 9 सूत्र कृषि से या सिंचाई से सम्बन्धित है और 5 सूत्र गरीब हरिजनों, पिछडी जाजियों और आदिवासियों आदि से सम्बन्धित है। सभापति महोदय विरोधी पक्ष के भाइयों की ओर से भिन्न-2 मदों पर दिये गये पैसे के विशय में दलीलें दे कर क्विटिसिज्म किया गया है। मैं उनकी दलीलों का जवाब न दे कर कुछ सुझाव सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। मेरे दिये हुये सुझावों पर सरकार विचार करे। आज हरियाणा खेती के मामले में अग्रणीय है। हमें सोचना है कि हरियाणा किसी प्रकार से आगे बढ सकता है। आज दन में प्र नोत्तर काल में फसलों के बीमों के विशय में काफी चर्चा हुई। मंत्री महोदय ने जवाब देते हुये बताया कि किस प्रकार से पायलट स्कीम फसलों के बीमों के लिये इन्ट्रोडयुस की गई है? चेयरमैन साहब जिस प्रकार से यह स्कीम इन्ट्रोडयुस की गई है, उस प्रकार से किसानों का भला होने वाला नहीं है उन्होंने हाउस में बताया किसारी तहसील को एक यूनिट बनाकर ओर उसकी एवरेज निकाल कर उसकी धन राशि मिलेगी। अगर एवरेज कम निकली तो उसे बहुत कम मिलेगा। मेरा सुझाव है कि कान का व्यक्तिगत तोर पर बीमा कराये या न कराये। इतने

कम्पलीकेटिड प्रोसीजर से एवरेज निकालेंगे तो बड़ी परे ानी होगी। स्टैटीस्टिकल और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा एवरेज निकालने पर जी०आई०सी० बीमा करेगी तो गलत बात होगी। एग्रीकल्चर मार्किटिंग बोर्ड जिसकी सालाना आच 20 करोड के लगभग है, उसका सारा का सारा पैसा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंडियों पर खर्च किया जाता है। यानि मंडी की हदूद में खर्च होता है। मैं आपके जरिये सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि हरियाणा मार्किटिंग बोर्ड एक्ट में तरमीम की जाये। वह तरमीम इस बात को ध्यान में रखते हूये की जाये कि जो पैसा हरियाणा मार्किटिंग बोर्ड से आता है उसे कौमन पूल में डाल दिया जाये। अगर बीस करोड़ को हम कौमन पूल में डालेंगे तो किसानों की कि त दी जा सकती है।। इसलिये मेरा सुझाव है कि किसानों के प्रीमीयम की कि त मार्किटिंग बोर्ड अदा करे। यदि मार्किटिंग बोर्ड 60 परसैंट किस्त अदा करता है तो 40 परसैंट किसान अदा करे ताकि किसान का भी इन्ड्रसट बना रहै। ऐसा करने से किसान पर भी ज्यादा भार भी न होगा और वह अपनी फसल बीमा करा सकेगा। पहले सभी फसलों का बीमा करने का प्रोग्राम नहीं था लेकिन अब सरकार ने फैसला किया हे कि गेहूं की फसल का बीमा किया जाये। गेहूं की फसल तो बहुत ही ज्यादा होती है। ओलावृष्टि या प्राकृतिक प्रकोप न हो तो गेहूं की फसल 25-30 मन फी एकड के हिसाब से तो निकल ही आती है। लेकिन बाजरा, सरसों और खासकर चने की फसल तो ऐसी है जो किसानों के लिये जुये के समान हैं इन् गारेन्स भी जुआ ही है। अगर किसान

बीस एकड में गेहूं बोता है तो सारी विपदाओं के बाद भी दो सौ या तीन सौ मन पैदा कर लेता है। बीस एकड में चना बोता है तो वह बीससेर भी नहीं ले सकता। चने की फसल का बीमा बहुत ही जरूरी है। जिस प्रकार से आदमी कापता नहीं होता कि वह किस समय गुजर जाये। उसी प्रकार से चने की फसल का पता नहीं होता कि कब वह मर जाये। उसी आधार को रखते हुये पालिसी तय की जानी चाहिये। हरियाणा का किसान खलिहान से उठनके के बाद भी सोचता रहता है कि फसल घर आयेगी या नहीं। हरियाणा में पैडी और गेहूं की तो मेन क्रेप है लेकिन जो फसलें बिल्कुल उन कौमन है, उनके बारे में भी भयोरिटी किसान को मिलनी चाहिये कि अगर उसका नुकसान हो जायेगातो बीमें से कुछ मिल जायेगा। बीस सूत्री प्रोग्राम में भी तिलहन की फसल की बढौतरी का प्रोग्राम रखा गया है।

तिलहन की फसल का ऐतबार नहीं है। बारि 1 न होतो भी खतरा है और बारि 1 अधिक हो गई तो भी खतरा है। इसके अलावा अगर दूसरी विपदा आ गई तो भी फसल बरबाद हो जाती है। इसलिये मेरा सुझाव है कि मार्किटिंग बोर्ड द्वारा इन फसलों का बीमा कराया जाये।

चेयरमैन साहब, कृशि भुमि को मैं तीन वर्गों में बांटता हूं। एक वर्ग है जिसमें बहुत ही उपजाउ भुमि आती है। इस में जिला करनाल, कुरुक्षेत्र व कुछ हिस्सा अम्बाला, हिसार और जीन्द का भी आता है जो बहुत ही उपजाउ है। हमारा िवालिक हिल्ज

का एक बहुत लम्बा एरिया है। कालका से भुरु होकर हथनी कुंड तक जाता है आज अगर हम उनकी आर्थिक अवस्था को देखें तो हमें पता चलेगा कि उनके पास कोई साधन नहीं है जिससे कि वे अपनी रोजी रोटी चला सके। सरकार ने वहां पर कुछ स्कीमों के लिये पैसा दिया है। एग्रीकल्चर फोरेस्ट और इरीगे इन डिपार्टमेंट को वाटर टैक्स के लिये यानि पानी इक्ठा करके सिंचाई के साधन जुटाने के लिये पैसा दिया है सरकार ने मारकन्डा और टांगरी पर बांध बना का इरीगे इन करने का भी प्रोग्राम बनाया था लेकिन इस बजट में इस प्रोजेक्ट के लिये पैसा नहीं दिया गया है वाटर टैक्स बनाने का तीन डिपार्टमेंट काम करते है। इस तरह से डिपार्टमेंटस मे काम की इतनी डुपलीकेसी होती है कि कोई भी डिपार्टमेंट काम नही कर सकता है। फोरैस्ट को अलग पैसा दिया जाता है। इरीगे इन को अलग और एग्रीकल्चर को अलग पैसा दिया जाता है इसलिये मेरा सुझाव है वाटर टैक्स बनाने के काम को युद्धस्तर अपने हाथ मे ले और दूसरी बात यह कि यह काम एक ही महकमे का सौपना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि भिवानी, महेन्द्रगढ़ और हिसार का रेतीला इलाका है। वहां सिंचाई के साधन तभी अवेलेबल हो सकते है जब हरियाणा में रावी-व्यास का पानी आयेगा, लेकिन हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इस बात की रिसर्च को जाती है कि ड्राई फारमिंग कैसे की जाये? कैसे उपज बढ़ायी जा सकती है, लेकिन किसानों को इस बारे मे कुछ नहीं बतलाया जाता वह ज्ञान

न तो उनको होता है न उनके पास पहुंचता है और न ही पहुंचाने की कोशिश की जाती है। यदि उनको ड्राई फारमिंग का ज्ञान हो जाये तो किसान अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं।

इसके अलावा मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि आपके इलाके में और खासतौर पर रोहतक और गुडगांव के इलाके में बंजर जमीन है। इसकी रीकलेमेशन का काम लैंड पर जो काम हुआ है उसमें काफी प्रगति हुई है लेकिन सलाइन लैंड एक इंच भी रीकलेम नहीं की है। आज इस जमीन को ठीक करने के लिये बहुत फंड की जरूरत है। लाखों एकड़ भूमि बेकार पड़ी है। इसके लिये सरकार को कितने ही करोड़ का प्रबन्ध करना पड़े जरूर करना चाहिये। कृषि के बारे में एक बात और कहना चाहता हूँ। हरियाणा के लोग दिल्ली को लूटें तो हरियाणा की आर्थिक व्यवस्था बहुत सुधार सकती है। लूट से मेरा अभिप्राय सिर्फ इस बात से है कि दिल्ली की आबादी 60 लाख की है। उसके साठे तीन तरफ हरियाणा पड़ता है यानि दिल्ली आधी तरफ से तो यू0पी0 से घिरा हुआ है लेकिन साठे तीन तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है। करोड़ों रुपये की सब्जी हर महीने दिल्ली की मंडियों में जाती है। सभापति महोदय, कृषि विभाग की यह जिम्मेवारी है कि वह हरियाणा के किसानों को दिमागी तौर पर ऐसा बनायें कि वे अपना क्रप पैटर्न इस तरह से अपनायें कि दिल्ली के नजदीक जितने भी किसान हैं वे सब्जी से अपनी आर्थिक हालात को सुधारें। इसके लिये इस प्रकार का आर्थिक

ढांचा तैयार करें जिससे कि किसानों को सरकार हरप्रकार की सहायता दे और उन्हें हर किस्म का इन्सैटिव मिले। सभापति महोदय, इसके साथ-2 मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूँ कि हरियाणा के किसानों को जो दिल्ली के चारों तरफ बैठा है सब्जी प्रिजर्व करने के लिये डिब्बे भी मुहैया करवाने चाहिये। बे तक इसके लिये कोआप्रेटिव सैक्टर में कारखानें लगायें जिससे कि किसान हरी सब्जी डिबें में बन्द करके गल्फ कंट्रीज की ओर अरेबीयन कंट्रीज को भेज सके। अगर ऐसा हो जाये तो करोडो रूपये की सरकार को आमदनी हो सकती है और करोड़ों रूपये की किसान को आमदनी हो सकती है। इससे किसानों की आर्थिक हालत में भी खसस तौर पर सुधार हो सकता है। इसके साथ-2 एक बात मैं और कहना चाहता हूँ (घटी)... सभापति महोदय, मैं एक बात कहकर बैठ सजाउंगा। रैवेन्यू के महकमे के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मुख्य मंत्री महोदय ने यहां पर एलान किया है कि सरकार उस लोगों को जिनकी फसलें ओलावृष्टि से खराब हुई है, 400 रूपये, 300 रूपये और 200 यपये प्रति एकड के हिसाब से कम्पनसे न देगी। सभापति महोदय, मैं ऐसे इलाके से ताल्लुक रखता हूँ जहां पर ज्यादा फसल चने की होती है। अब की बार जब मैं हल्के में गया तो लोगों ने मेरे सामने पूरे गट्टे के गट्टे चने की सुल के लाकर रख दिये और कहने लगे कि आप खुद देख लें, इन सारे पेडो के अन्दर एक भी टाट नहीं है। सभापति महोदय, यह हकीकत है। पता नहीं ऐसा क्लाइमैटिक चेंजिंज की वजह से हुआ है औलावृष्टि की वजह से हुआ है या

किसी दूसरे कारण से हुआ है। लोग तो यह कहते हैं कि भायद जो 9 ग्रह इकट्ठे हुये हैं उस वजह से हुआ है। (व्यवधान) मंत्री महोदय की यह बात भी ठीक हो सकती है। कि फसल में कोई बीमारी ऐसी लग गयी होगी जिस वजह से उस हरे पौधे को अब जानवर भी नहीं खाते। सरकार ने इसके लिये ब्रेक गिरदावरी के आर्डर जारी कर दिये हैं। (व्यवधान व भाोर) लेकिन ऐसे केसिज में जरूर विचार किया जाना चाहिये। आप चाहे क्लाइमैटिक चेंजिज या कैमीकल रिएक्शन की वजह से या किसी दूसरे भी कारण से ऐसा समझें लेकिन मैं यह जरूर समझता हूँ कि ऐसे केसिज में तकावी और आबियाना सरकार को माफ करपा चाहिये। सभापति महोदय, अगर भारत सरकार ऐसे किसानों को कोई पैसा नहीं देती तो हरियाणा सरकार की यह जिम्मेवारी बनती है कि कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते ऐसे लोगों को भी कम्पनसेशन दे। इसके अलावा एक बात मैं और कहना चाहूंगा। मेरे साथियों, बहन कमला वर्मा और संत कवर जी ने विशेष रूप से एक बात कही। उनहोंने यह कहा कि हरियाणा में ला एंड आर्डर ठीक नहीं हैं पुलिस इसकम्प्लेंट हैं ला एंड आर्डर खराब है। मैं तो इस बारे में केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ। सभापति महोदय, एक दिन डाक्टर कमला वर्मा जी मेरे पास बैठी हुई यह कह रही थी कि भाइयों हम यंहा पर हरियाणा में अच्छे हैं यू0पी0 में 7 बजे के बाद तो लोग बहर नहीं चलने देते।

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। सभापति महोदय, इसका मतलब यह नहीं है कि अगर एक रोगी या बीमार आदमी हास्पिटल में जाता है तो सरे वहां जाये। अगर वहां पर हालत इतनी अच्छी नहीं है तो हरियाणा में भी उतनी ही बिगडनी चाहिये। आज हरियाणा मे जो इतने कांड हो रहे है बलविन्द्र कौर कांड और संतोश कुमारी कांड वगैरह इनकी वजह से इनको चिन्ता होनी चाहिये। परसैंटेज का थोडा बहुत फर्क होसकता है लेकिन इनको इस तरह से बात नहीं कहनी चाहिये।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: मैं तो इतना कह सकता हूं कि जिस तुस्तैदी के सागि जिस नेक नीयती के साथ पुलिस के महकमे में काम होना चाहिये, उसके साथ नहीं हो रहा है।

श्रीमती डा० कमला वर्मा: पानीपत में कल ही डाका पडा हैं उसमें 3 आदमी मर गये हैं (व्यवधान व भाोर)

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: सभापति महोदय, मैं इस बारे में इतना जरूर कह सकता हूं कि हरियाणा के अन्दर जब भी कोई डाका, राहजनी या चोरी की घटना हुई या बसों को लूटा गया तो उसके मुलजमों को गिरफ्तार भी किया गया और उनसे सामान भी बरामद हुआ। एक बात मै। पुलिस के रवैये के बारे में कहना चाहता हूं कि जो उसका इन्वैस्टीगे इन या इन्टैरोगेन इन का तरीका है वह 50 साल पुराना है जिसमे सिर्फ टौर्चर करके और

गलत तरीके इस्तेमाल करके गरीब आदमी को सताया जाता है वह तरीका इस युग में भाँभा नहीं देता। यह जरूरी है कि इस युग में पुलिस को मानव को मानव समझ कर एक इन्सान जैसा व्यवहार करना चाहिये ताकि आने वाले समय में पुलिस का रैपुटै न बढे और उसका रूतबाबढे। उसमें लोगों का वि वास बढनाचाहिये न कि घटना चाहिये। इन भाब्दों के साथ मैं सभी डिमान्डज को स्पोर्ट करता हूँ। धन्यवाद।

श्री भले राम (बडोदा-अनुसूचित जाति): चेयरमैन साहब, मैं डिमांड नं.2 से लेकर डिमांड नं0 22 तक जो आज के एजेंडे पर है, बोलना चहाता हूँ। डिमांड नं. 2 जनरल एडमिनिस्ट्रे न के बारे में है।

श्री सभापति: क्या आप सारी डिमांडज पर इक्टठा ही बोलेंगे।

श्री भले राम: सभापति महोदय, मैं नाम ले दूंगा। जहां तक जनरल एडमिनिस्ट्रे न का सवाल है हरियाणा के एडमिनिस्ट्रे न की तरह भाायद ही किसी दूसरी स्टेट का एडमिनिस्ट्रे न ढीला होगा। सै न कु कुछ दिन पहले अखबारों में एक खबर छपी थी कि हरियाणा में सारे सैक्रेटेरियेट में कोई भी मंत्री नहीं बैठा हुआ था, सारा सैक्रेटेरियेट ही खाली पडाह आथा और फाईले सारी पैंडिंग पडी हुई थी।

चौधरी खुर गद अहमद: सभापति महादेय, अगर हम किसी गीी दिन सैकटेरियेट खाली छोड दे तो भले राम जी इतने भले नहीं है कि उसको बिना कब्जा किये छोड दे। दूसरे ही दिन वहां पर कब्जा कर लेंगे। (व्यवधान व भाोर)

श्री भले राम: येचरमैन साहब , मैं यह कहना चाहता हूं कि इलेक गन नजदीक है इसलिये चीफ मिनिस्टर ओर जितने दूसरे वजीर है सारे टूर कर रहे ह। चीफ मिनिस्टर ओर दूसरे वजीर जगह-2 पत्थर लगाते जा रहे हैं मैं तो चौधरी भजन लाला को पत्थरों काराजा कहता हूं । एक पत्थर लगाते है और कहते है हे काली माई! हे देवी, मैं आपकी पूजा कर रहा हू। श्रीमती इन्दिरा गांधी आई है बीस सुत्री कार्यक्रम लाई है। मेरी इलैक गन में लाज रखना। मैं जीत गया तो मैं तुम्हें राजी कर दूंगा(गोर एवं व्यवधान)। येचरमैन साहब, मैं दावे के साथ कहता कि आज ऐडमिनिस्ट्रे न की हालत बहुत खराब है। मैं आपको एक मिसाल बताना चाहता हू। मेरे हल्के में एक मुडलाना ब्लौक हैं वहां का टेचन्द नाम का आदमी एक साल पहले रिटायर हो गया था लेकिन हैड औफिस से उसकी चिट्ठी जाती है कि तुम्हारा स्थानान्तरण हो गयाहैं एक साल रिटायर हुये हो गयाऔर साल के बाद ट्रांसफर आर्डर भेजा जा रहा है। इस तरह की हालत आज ऐडमिनिस्ट्रे न की है। येचरमैन साहब, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि आज कल जितने भी इंटरव्यू चल रहे है चाहे एस0एस0एस0 बोर्ड के चल रहे है या डिपार्टमेंटस इंटरव्यू चल रहे है, चाहे वे इंटरव्यू

हैडमास्टर्ज के हैया पटवारियों के है इनमें सिलैव इन गलत ढंग से होगी, मैरिट पर कोई नहीं आयेगा। इसलिये मेरा कहना यह है कि सारे इंटरव्यू इलैव इन तक बन्द कर देने चाहिये क्योंकि रूलिंग पार्टी नाजायज ढंग से भर्ती करेगी ओर जो लोग मैरिट पर हों उनको नहीं लिया जायेगा। आज हमारे जो एम्पलाईज हे उनके अन्दर बडी भारी रिजन्टमेंट हैं कहीं पर आज हडताल होरही है और कहीं पर डिमोस्ट्रे इन किया जा रहा है सरकार कहती है कि हमने एम्पलाईज के पे सकेल्ज में जो ऐनीमोलीज थी वेखत्म करदी है, ग्रेड रिवाइज कर दिये है और एम्पलाईज को सिलैव इन गेड दे दिया हैं लेकिन पिछले दिनों पी0डब्ल्यू0डी के एम्पलाईज धरने पर बैठे थे। सरकार ने उनकी डिंमाड को मानने की बजाये उनके लीडर्ज की जिनकी आठ-2 साल की सर्विस थी, सर्विसिज टर्मिनेट कर दी। एम्पलाईज कहते है कि मंहगाई बढ रही है और प्राईस इंडैक्स पिछले साल से बहुत उंचा चला गया हैं सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने अपने एम्पलाईज को चार डी0ए0 की कि ते रिलीज करे। चेयरमैन साहब, इस सरकार ने दावा किया हे और गवर्नर ऐड्रेस में भी कहा गया है कि यह सरकार हरिजनों की रक्ष करेगी। आज हरियाणा में हालत यह है कि जगह-2 डाके पड रहे है और लूटमार हो रही है। हरिजन लोग जो गांवों में रहते है, वे कहते है कि हम किसी से तंग नहीं है हम तो केवल पुलिस से तंग हे। इसलिये मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर आपके मन में वाकई हरिजनों की रक्ष करने की इच्छा है तो फील्ड में ज्यादा से ज्यादा हरिजन अफसर लगाओ। सरकार यह तो कर

नहीं सकती कि जो हरिजन अफसर है उनको सिर्फ तंग ही कर सकती है। एक हरिजन डी०आई०जी० जो स्टेट से आठ साल तक बाहर रहा है और जिसका नामहै उसको मधुबन में लगा दिया.....

Chaudhri Khurshid Ahmed:Mr. Chairman, I think, he should not name the official.

श्री सभापति: चौधरी भले राम ने जिस डी०आई०जी० का नाम लिया है उसको रिकार्ड न किया जाये। चौधरी भले राम जी आप किसी का नाम न ले।

श्री भले राम: चेयरमैन साहब, जो हरिजन डी०आई०जी० है या दूसरे अफसर है उनको तंग कर रखा है। चौधरी मुख्तियार सिंह और चौधरी रिजक राम भी कहते रहते हैं कि यह सरकार जाटों के खिलाफ है। मैं भी यह कहता हूँ कि यह सरकार जाट और हरिजन अफसरों के खिलाफ है। चेयरमैन साहब, इनको पता है कि देहात के जाट और हरिजन अब नजदीक आ रहे हैं इनको यह भी पता है कि आगे आने वाले इलैक्शनों में ये लोग कांग्रेस को वोट नहीं देंगे इसलिये जाट और हरिजन अफसरों को बाहर भेजा जा रहा है। चेयरमैन साहब, अब मैं कृषि के बारे में कहना चाहता हूँ। सरकार बडी-2 घोशणाये करती रहती है कि किसानों के लिये यह किया जा रहा है वह किया जा रहा है। किसानों को बढ़िया और सस्ती खाद दी जा रही है फील्ड स्टाफ प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि किसानों को टैक्नीकल नो हाउ मिल सके लेकिन

चेयरमैन साहब, प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो रहा है फील्ड में कोई आदमी नहीं जाता। सारे ऑफिसर्ज दफतर में ही बैठे रहते हैं। चेयरमेन साहब, जैसे अभी ओले पड़े गये तो एग्रीकल्चर को गांवों में जाना चाहिये था और वहां जाकर किसानों को सुझाव देना चाहिये था कि इस वक्त यह फसल बीजों लेकिन हकीकत यह है कि सब लोग दफतरों में ही बैठे रहते हैं रेडियों से जो सुसलों के बारे में बताया जाता है उसी से किसान लोग ज्यादा फायदा उठाते हैं। चेयरमैन साहब, अब मैं एग्रीकल्चर के बारे में कहना चाहता हूँ। यह सरकार भेदभाव की नीति रखती है। जिससमय चौधरी देवी लाल की सरकार थी तो उनहोने इलान किया था कि भूगर मिलज वहां पर लगाई जायेगी जहांपर भूगरकेन यानि गन्ना ज्यादा पैदा होता है चेयरमेन साहब, हमारे गोहाना में बहुत अधिक गन्ना पैदा होता है लेकिन जो तीन भूगरमिले सरकार लगा रही है उसमें गोहाना का कही नाम भी नहीं है इरिगेशन का भी यही हाल है यह तो ठीक है कि इस साल भगवान की दया रही ओर ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पडी लेकिन इन्होने यह किया कि जो लोकदल के एम0एल0एज0 काएरिया है या जहां पर लोकदल के विचारों के लोग डौमीनेट करते हैं, वहां की माइनर्ज को ओर डिस्ट्रीब्यूटरीज को तंग कर दिया। चेयरमेन साहब, मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि एक बुटाना डिस्ट्रीब्यूटरी है ओर बुटाना माइनर है उसको तंग कर दिया गया है। वहां की मिट्टी अपने आप कट गई लेकिन किसानों पर झूठे केस बनाये गये ओर कोर्ट में उनको ले गये। दो सोा या

अढाई सौ के करीब केसिज इसतरह के कोर्ट में ले गये है जबकि वास्तविकता यह है कि वह मिट्टी अपने आप कटी थी। किसी ने भी कोई कट नहीं लगाया था। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस तरह के झूठे केसिज को सरकार वापिस ले।

चेयरमैन साहब, सरपंचों के लिये यह किया गया था कि वे बसों में फ्री सफर करेंगे और उनको तीन सौ रूपया अलाउन्स फिक्स मिलेगा। सरपंचों के आइडैटिटी कार्ड भेज दिये गये वे बी०डी०ओ० के पास पडे हुये है उनको नहीं दिये गये है मुझे कई सरपंच मिले ओर उन्होने मुझे बताया है कि इस बारे में अभी तक कुछ नहीं हुआ। एस०टी०सी० और जनरल मैनेजर कहते है कि हमारे पास कोई इंस्ट्रक् टन्ज नहीं हैं कई सरपंचों से दस गुणा किराया वसूल किया गया है। अब मै कोआप्रेटिव डिपार्टमेंटस की डिमान्ड नम्बर 22 के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। थोडी देर पहले आपने कोआप्रेटिव डिपार्टमेंट के बारे में सुना होगा कि वहां पर किस तरह से अपायटमेंटस की गई। चेयरमेन साहब, आज तक कोआप्रेटिव बैंक्स के चेयरमैनज की इलैक् टन नहीं हुई। चेयरमैन साहब, मै। एक बात ओर कहना चाहता हूं कि गोहाना के एरिया के कुछ गांवों में खेडी, सरसाना, घनोरकला, घनौरखुर्द और गोहाना में ओलेपडे थे और वहां पर काफी नुकसान हुआ था। मै तो किसान के बारे में कहना चाहता हूं:

किसान की कठिनाई को किसान जानै सै।

औरों को क्या बेरा भगवान जाने सै ।

चेयरमेन साहब, गोहाना में घनौर खुर्द गांव में भ सयैन्ट परसै।ट किसानों की फसले बरबाद हो गयी हैं मैं ने इस बारे में सरकार से कहा भी था ओर सुझाव भी दियाथा कि वहां पर फौरी तोर परफुड फार वर्क वाली नीति काएलान कर दिया जाये क्योंकि जो छोटै-2 किसान थे, हरिजन भाई थे, जिनके पास बहुत थोडी बहुत जमीन थी वे बिल्कुल बेघर हो गये है और उनकी फसलें सैनट परसैनट तबाह हो गयी हैं वे लोग बिल्कुल खाली बैठे हुये हैं फसलें खराब हो जाने के कारण उनके पास कोई काम नहीं है जिससे वे कमाई करके आने व अपने बालबच्चों का गजुजारा कर सके क्योकि वे खेतीबाडी पर ही निर्भर करते है इसलिये अब मेरी इस सरकार से फिर रिक्वैस्ट है कि वे इस तरह काएलान करे ताकि किसानों और हरिजनों को सरकार की तरफ से कुछ राहत मिल सके ।

इससे आगे चेयरमेन सहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि एमरजैनी के दिनों मे फार्मर्ज को 1000/500 रूपये की सहायता दी गयी थी। सहायता देते समय यह कहा गया था कि यह रकम सहायता के तोर पर दी जा रही है वापिस नहीं ली जायेगी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि लोगों के सिर के उपर वह कर्जा दिखयाा गया है और वे जिन लोगों को वह ग्रान्ट दी गयी थी, आज जेलों में बैठे है क्योकि उनके पास देने को कुछ नहीं है। इसलिये मैं सरकार से पूरजोर दरखास्त करूंगा कि जिन लोगों

को एमरजैन्सी के वक्ल ग्रन्ट दी गयी, उन सब का यह पैसा माफ कद दिया जाना चाहिये अन्त में मैं इन सब डिमांडज का विरोध करता हुआ अपना स्थान लेता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री सभापति: चौधरी ई वर सिंह।

चौधरी ई वर सिंह(गुहला-अनुसूचित जाति): चेयरमैन साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया। सबसे पहले मैं डिमांड नं0 3, 15, 17, और 22 पर बोलूंगा।

वाक –आउट

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: चेयरमेन साहब, आप वायदे के मुताबि मुझे समय नहीं दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी के बहुत से सदस्य पहले ही बोल चुके हैं.....(गोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति: पोहलू साहब, 16 मिनट आप गर्वनर एड्रैस पर बोल चुके है और 14 मिनट बजट पर बोल चुके है लेकिन इनको समय नहीं दिया गयाथा। आप बैठिये, आपको भी समय मिलेगा।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: मुझे बोलने का समय मिलना चाहिये था, आप जानबूझ कर नहीं दे रहे हैं, इसलिये मैं प्रोटैस्ट के तौर पर सदन से वाक आउट करता हूँ।

श्री सभापति : पोहलू साहब, आप बैठिये आपको बोलने के लिये समय जरूर दिया जायेगा। (तौर)

(इस समय चौधरी जगजीत सिंह पाहलू सदन से वाक आउट कर गये)

वर्ष 1982-83 के बजट के अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

चौधरी ई वर सिंह: चेयरमैन साहब, मैं कह रहा था कि मैं डिमांड नम्बर 3, 15, 17, और 22 पर बोलूंगा। डिमांड नम्बर 15 जो है, वह सिंचाई से सम्बन्धित है। चेयरमैन साहब, मैं इस बारे में कुछ कहना और सुझाव देना चाहता हूँ जहां तक इस बात का ताल्लूक है कि आज हमारी सरकार ने सिंचाई की बात को सिरे चढाया है उसके लिये वह धन्यवाद की पात्र है। लेकिन इसी सिलसिले में बड़ी भारी समस्या हमारे सामने खड़ी है कि हमारे हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिले का इलाका पंजाब के साथ लगता है पंजाब की जो माईनर हरियाणा में आती है, उसका यह हाल है कि जब हमारे यहां किसानों को पानी की आव यकता होती है तब तो उस माईनर में पानी छोडा नहीं जाता है और जब हमारे किसानों को पानी की आव यकता नहीं होती है तब पानी का

बहाव इतना ज्यादा हो जाता है कि किसानों की फसलेकं भी तबाह हो जाती है। इस बारे में मैंने आई0पी0एम0 साहब, को एक पत्र भी लिखा था। लेकिन भायद इस बारे में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इसलिये मेरी सरकार से रिवैस्ट है कि वह पंजाब सरकार के साथ बैठकर इस मसले को हल करे। जिस प्रकार दूसरी नदियां जैसे घग्घर वगैरह, है वे भी पंजाब और हरियाणा की सीमा के साथ साथ गुजरती है, वहां पर पानी की रोकथाम के लिये पूरा प्रबन्ध है, उसी प्रकार से इस माईनर के बारे में भी हमारी सरकार पंजाब सरकार से बातचीत करे ताकि जो पानी हरियाणा में आकर बरबादी करता है उससे हमारे किसान बच सकें और किसानों को किसी प्रकार की क्षति का सामना न करना पड़े। कई बार तो इस माईनर में इतना ज्यादा पानी आ जाता है कि वह बांध पार कर लेता है इसलिये मेरा कहना यह है कि वैसे तो हमारी सरकार किसानों के हकों में नहरो को पक्का करने में माइन्सर्ज बनाने में सब तरह से अग्रसर है लेकिन उसी तरह से सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये।

इसके बाद मैं सहकारिताके बारे में भी अपने विचार रखना चाहूंगा। इसमें गरीब आदमियों के उपर एक तरह से एक हदबन्दी कर दी गई है कि जो थोड़ी जमीन का मालिक है या छोटा किसान है, उसको 1000 रूपये से ज्यादा कर्जा नहीं दिया जायेगा। यह जोलिमिट है, वह बहुत कम है। यदि कोई आदमी अपने ही खेत के उपर गुजारा करता है और उसका कोई दूसरा

कमाई का साधन नहीं है वह छोटा किसान है यदि वह दूसरे की जमीन ले कर खेती करना चाहता है तो भी यह वह चाहेगा कि उसे ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें मिले खाद मिले, बीज मिले पानी मिले। हर तरह के खेती के साधनों की हर आदमी को जरूरत है लेकिन इस छोटी सी मदद से किसानका भला होने वाला नहीं है इससे क्या होगा कि किसानका गुजारा नहीं चलेगा और वह फिर दूसरे अदायों से कर्जा लेना शुरू कर देगा और उससे वह कर्ज ई बन जायेगा और उसे भारी इन्टरस्ट देना पड़ेगा। इसलिये मेरी रिक्वेस्ट है कि इस ओर सरकार ध्यान दे और किसानों को ओर ज्यादा कर्जा दिया जाना चाहिये इस थोड़ी सा इमदाद से किसान का भला नहीं होगा।

दूसरी बात जो मैं अपनी सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूँ वह यह कि जो कर्ज किसानों को दिये जाते हैं, वे मिनि बैक्स के द्वारा दिये जाते हैं और वहां पर अधिकारी जो है वे फर्जी इन्टरियां करके किसानों के नाम पर कर्जा चढा देते हैं। किसान तो बेचारा अनपढ है। इससे होता क्या है कि उसको मिलता कुछ नहीं है और दो-दो बार वैसे ही उसके नाम पर कर्जा चढा दिया जाता है। इससे उसके लिये बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है और वह कर्जा उतारे का नाम ही नहीं लेता (घंटी) इसलिये चेयरमैन साहब, मैं अपनी सरकार से कहूंगा कि जो कोआप्रेटिव में फाड है, इसकी तरफ सरकार अब ध्यान दे और कोई ऐसा तरीका

निकाला जाये जिससे किसानों के साथ किसी किस्म का कोई खिलावाड न किया जा सके ।

इससे आगे मैं अपनी सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि सरकार ने छोटी इकाई के लोगों को नीचे से उपर उठाने में काफी कदम उठाये है । चौकीदार और स्वीपर, जो दूसरे लोगों को गन्दगी से निकाल कर खुाबू में लाता है, वगैरह की तनखाह एकदम 50 रूपये बढ़ा दी है । इसके सरकार बधाई की पात्र है । (इस समय री उपाध्यक्ष पदासीन हुये ।) इसक साथ-2 उपाध्यक्ष महोदय, स्वामी जी ने यहां पर बोलते हुये कहाकि सरकार ने जो धर्मालाओं का या चौपालों का बनाने का इन्तजाम किया है, उसका बहुत बुरा असर होगा , मैं उनके इस विचार से सहमत नहीं हूँ । भायद स्वामी जी को इसका ज्ञान कम है वे गृहस्थी नहीं है जो उनको इन सारी तकमलीफो का एहसास हो सके । अतः मैं अपनी सरकार से यह कहूंगा कि जो चीफ मिनिस्टर साहबन ने यह अनाउंस यिका है कि जो जो चौपालें अधूरी पडी हुई है उनको बनाने के लिये सरकार की तरफ से हरके को 5000-5000 हजार रूपये की मैचिंग ग्रान्ट दी जायेगी यह इन-सफीरियेंट है, यह राशि तो कुछ भी नहीं है । कई-2 जगहों पर चौपालें ऐसी जगहों पर बन रही है जहां के लोग मैचिंग ग्रान्ट के लिये 5000 रूपये की राशि इकट्ठी करके नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं हैं ऐसी चौपालों के लिये 5000-5000 रूपये की राशि भी सरकार से मैचिंग ग्रान्ट के रूप में लेना बहुत मुश्किल

है। इसलिये मेरा कहना यह है कि ऐसे इलाकों में सरकार को 5000 से भी ज्यादा रूपये की ग्रांट देनी चाहिये ताकि वहां पर चौले पुरी की जा सके।

इसके बाद मैं डिमांड नं० 17 के बारे में कहना चाहता हूँ। हम (16.00 बजे) सुविधा तो बहुत देने जा रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकली एक आध बात गलत हो जाती है जिस आदमी का नुकसान हो गया उसको तीन चार सौ रूपये के हिसाब से मिल जायेगा लेकिन जो सीरी सांझी है उनको बडा किसान पूरा हिसाब नहीं देता और अगर पूरा हिसाब देता है तो पैसा समय पर नहीं देता। मेरी गुजारि है कि पटवारी या तहसीलजदार जो सुविधा दें, वह मौके पर दें ताकि सांझी को भी उससे पूरी सुविधा मिल सके। मैं डिमांड नं० 15 के बारे में एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे यहां कई माइनर्ज जो पक्के होने लग रहे हैं उनके अन्दर, सीमेंट और रेत की रेंगों ठीक नहीं लगती। हम जो खालें पक्की कर रहे हैं वे इसलिये कर रहे हैं ताकि हमारा पानी बढे। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस तरफ सरकार की तरफ से पूरा ध्यान दिया जाये। धन्यवाद।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू (पाई): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं डिमांड नं० 2, 15 ओर 17 पर बोलना चाहता हूँ। डिप्टी स्पीकर साहब, किसी भी एक बात के लिये किसी एक सरकार को बलेम नहीं दिया जा सकता क्योंकि सरकार आती है और चली जाती है। सरदार तारा सिंह मेरे दोस्त हैं यदि खाल पक्का करने

के लिये सीमेंट पूरा नहीं लगता उसमें इनका कसूर नहीं है बल्कि ठेकेदारों का कसूर है। मैं अपने दोस्तों को कहना चाहता हूँ कि हरियाणा सब का है, किसी अकेले का नहीं है जो लोग ट्रेजरी बैन्चिज पर बैठ जाते हैं वे समझते हैं कि हमारा राज है इसलिये वे अपोजी उन वालों को कुछ नहीं समझते लेकिन हमारा सब का यह हक है कि हम सब इन्तजाम को देखें। हम यहां पर जो 90 के 90 मेंबर बैठे हैं, हम सब किसान हैं। किसान का मतलब यह नहीं होता कि जो हल चलाये वही किसान है। जो खेती पर गुजारा करता है वह भी किसान है और जो मेरे जैसा वकील है वह भी किसान है। क्योंकि एक वकील भी किसान पर ही निर्भर करता है। अगर किसान की खेती खराब हो जाती है तो उसका असर दूसरे लोगों पर भी पड़ता है। नहर और खेती के महकमे बहुत जयर महकमे है। जो नाले पक्के हो रहे हैं उनमें सीमेंट पूरा नहीं लग रहा है। इसके लिये कन्सर्ड वजीरसाहब को चाहिये कि वे जाकर छापे मारे और कसूरवार अफसरों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही करें। जैसे सन 1967 में जब मैं वजीर था, उस समय हमने किसानों की भलाई के बहुत काम किए थे। हमने अपने टाइम में 9महीनों में सारा टिप-टाप कर दिया था। उस समय अगर चण्डीगढ़ का मसला न उठता या हम इन्दिरा जी की सालसी मान लेते तो हमारी सरकार पूरे पांच साल चलनी थी। हमने फैसला किया कि इन्दिरा जी की सालसी नहीं माननी।। अगर हम इन्दिरा जी की सालसी मान लेते तो उन लोगों का क्या होता जिन्होंने रिवाडी में गोलियां खाई थी। मैं अब भी सरकार से कहूंगा कि

बड़े-2 ठेकेदारों की जायदाद जब्त करके किसानों की खुहाल बना दो। सभी किसानों के खाल पक्के कर दो और और सारा खर्च सरकार बर्दा त करे। अगर पानी बढेगा तो आपका आबियाना भी बढेगा। सरकारे तो आती जाती रहती है इसलिये मै। कहता हूं कि किसानों की भलाई का यह काम कर दो। यहां पर हाहाकार मची हुई है कि किसानों का भला होना चाहिये। लेकिन चौधरी भामदेर सिंह ने एक इन्डियोरेंस की पालिसी रख दी जो न तो हमारी समझ में आई और न ही स्पीकर साहब की समझ में आई मैं चाहता हूं कि इस बारे में एक कमेटी बना दी जाये। वह फैसला करे कि किसानों को किस तरीके से कम्पनसेट करना है इस स्कीम को तहसील बेस न रख कर इन्डीविजुयल बेस बनाया जाये।

मैं यह भी चाहता हूं कि जिन बड़े-2 कारखानेदारों से करोडो रूपये सेल्ज टैक्स का सरकार ने लेना है उसे जल्दीकरवर किया जाये और किसानों की कुर्की बन्द की जाये। डिप्टी स्पीकर साहब, राठी साहब मेरे भाई मै। इनको अपने हल्के मे ले गयाथा। मेरे हल्के में एक कसान ड्रेन है वह ड्रेन जब वीरेन्द्र सिंह जी मिनिस्टर होते थे, उन के समय में निकाली थी। जब मैंने राठी साहब को बताया कि यह ड्रेन इधर से निकलनी चाहिये थी तो इन्होंने मेरी बात को मानते हुये अफसरों को हुक्म दिया कि इसे ऐसेनिकाला जाये। लेकिन इनके हुक्म केबावजूद भी वह उधर से नहीं निकाली गई। उसकानतीजा यह हुआकि वहां का सारा इलाका

डूब गया। मैं चाहता हूँ कि इसमें जिन-2 अफसरों और ठेकेदारों का कसूर है उनसे नूक्सान का सारा पैसा वसूल किया जाये। एकमेरे हल्के में छात्र माजरी रजवाहा है, उसकी एक्सटैन्शन मन्जूर हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि उसके लिये पैसे का लन्तजाम किया जाये।

इसके बाद होम का महकमा भी बहुत जरूरी महकमा है मैं चाहता हूँ कि पुलिस को बढ़ायाजाये। इसके बाद जो चौधरी भजन लाल जी ने कन्ज्यूमर स्टोर खोल दिये हे और सारी मालिकौम उन दुकानों पर लगा दी है यह बात ठीक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमारे हरियाणा के लडको कोअफसर बनाया जाये। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पुलिस की स्ट्रैन्थ दोगनी होनी चाहिये। पुलिस में देहाती लडको की भर्ती होनी चाहिये। दुकानें तो गांवों मेंवैसे ही बहुत ज्यादा है। इसलिये मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि पुलिस के अन्दर मालिकौम के नौजवान भर्ती करने चाहिये। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर सहाब, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जो बात दलाल साहब ने कह है वह ठीक है किपुलिस में जो देहात के लडके है उनकी बहुयें तो गांवों में रहती है और लडकों की डियूटी भाहरों में होती है इसलिये उनके लिये फ़ैमिली क्वार्टर बनाने चाहिये ताकि उनके साथ उनकी बहुयें भी रहे सके। मैं होम मिनिस्टर साहब से यह भी प्रार्थना करूंगा कि पुलिस के नौजवानों को जहां पर डियूटी होती है वहां पर उनके लिये फ़ैमिली क्वार अवय बनने चाहिये। इसके अलावा मैं

एक बात और कहना चाहता हूँ। थानेदारों को कई बार मजबूर किया जाता है कि वे झूठी रिपोर्ट्स दर्ज करे क्योंकि एस०पी० मंथल मीटिंग में थानेदार से रिपोर्ट मांगते हैं कि आपन कितने केसिज दर्ज किये। केस दर्ज करने के लिये थानेदारों को कोटा मुकर्रर किया हुआ है कि इतने केस जरूर दर्ज किये जाये। इसलिये थानेदार को कोटा पूरा करने के लिये झूठे केस दर्ज करने पडते हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि केस दर्ज करने के लिये कोटा मुकर्रर नहीं होना चाहिये। अगर थानेदार पर एस०पी० का दबाव नम्बर पूरा करवाने के लिये पड़ेगा तो वह उसे पूरा करने के लिये झूठे केस दर्ज करेगा और खास करके एक्सार्ज के केसिज दर्ज करेगा। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूँ कि पुलिस वाले तफती करने के लिये खामखाह लोगों की पिटाई करते हैं। केसों की तफवी साइक्लोजिकल तरीके से की जाये। इसके लिये पुलिस वालों को रीफरैर कोर्स करवाया जाये ताकि लोगों को खामखाह पीटना न पड़े। डिप्टी स्पीकर साहब, आज राज्य सभा के मैंबर का इलैक न भी हो चुका है और इस वजारत का भी आखिरी टाईम आ गया है मेवल दो महीने की मियाद बाकी रह गई है। इसलिये इस सरकार ने जो सी०आई०डी० पुलिस एम०एल०एज० के पीछे लगा कर एम०एल०एज० का हाजमा खराबकर दिया है। उसे हटाकर कही दूसरी जगह लगाया जाये। हर वक्त सी०आई०डी० का आदमी हमें अपने सिर पर खडा मिलता है। इसलिये मैं होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूँ कि आपके सी०आई०डी० वाले बहुत हो गियार

है इसलिये उनको बंगला देश के बोर्डर पर नहीं भेजना चाहते तो इस होस्टल का नाम हरियाणा एम0एल0एज0 होस्टल चण्डीगढ की बजाय सी0आई0डी0 पुलिस लाईन हरियाणा चण्डीगढ रख दिया जाए। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक और बात की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। हरियाणा बने हुये 16 साल हो गये हैं और 16 साल से हमारा हाई कोर्ट इकट्ठा चला आ रहा है। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हरियाणा का हाई कोर्ट अलग होना चाहिये। जब हमारी पंजाब से सारी चीजें अलग हो चुकी है तो हाई कोर्ट भी अलग होना चाहिये। इसके अलावा चण्डीगढ को भी हरियाणा में शामिल किया जाना चाहिये क्योंकि पंजाब वाले यहां पर अपने गेस्ट हाउस और दूसरे मकान वगैरह बना रहे हैं। मैं सरकार से यह भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जैसे दिल्ली में हमारा हरियाणा भवन बना हुआ है उसी तरह से यहां चण्डीगढ में भी हरियाणा भवन बनाया जाना चाहिये। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहब, कैथल सब-डिवीजिन में एडी अनल सै अन जज की कोर्ट होनी चाहिये। एक बार सी0एम0 साहब ने यह वायदा भी यिकाथा कि कैथल को जिला बनाया जायेगा लेकिन वह अभी तक नहीं बनाया गया है कि कैथल को जिला तो जब मैं सी0एम0 बनूंगा उस समय बना दूंगा लेकिन मुख्य मंत्री जी वहां पर एक एडी अनल सै अन जज की कोर्ट जरूर बना दें। इन भावों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने बोलने का समय दिया।

श्री इन्द्रजीत सिंह (जाटूसाना): स्पीकर साहब, जो बजट हमारे वित्त मंत्री जी ने पे 1 किया हे उसको देखते हुये आज उस पर हमारे सामने डिमांडज आई है। मैं इन डिमांडज का समर्थन करने के लिये खडा हुआ हूं। लेकिन साथ-2 कुछ ऐसी बाते है। जिनका जिक बजट स्पीच में भी नहीं आया और गवर्नर एड्रेस में भी नहीं आया। मैं उन बातों की तरफ सरकार का ध्यान इन डिमांडज पर बोलते हुये दिलाना चाहता हू। स्पीकर साहब जिन बातों का इस हाउस में आये हुये मुद्दत हो गई है और उन पर बार-बार चर्चा होने के बावजूद भी सरकार की तरफ से , उन बातों के बारे में सरकार की क्या पालिसी है, वह क्लीयर नहीं हुड। इसलिये मैं चाहूंगा कि सरकार उन पर अपनी पालिसी बताये। स्पीकर साहब, सबसे पहले मैं मौरल एजुके ान के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। सरकार टीचर्ज को सिटी अलाउन्स देती हैं स्पीकर साहब, जो टीचर्ज सिटीज के करीब 15 या 20 किलोमीटर के रेडियस के अन्दर रहते हे। उनको सरकार की तरु से एक फालतू अलाउन्स दिया जाता है लेकिन जो टीचर्ज रूरल एरियाज में रहते है उनको वह आलाउन्स नहीं दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो टीचर्ज पोलिटिकल इनफ्ल्युन्स रखते है वे अपनी पोलिटिकल पुल्ल की वजह से सिटीज एरिया को हमे ा के लिये काबू कर जाते है और 15 या 20 साल तक सिटी मे या उसके आसपास रहते है और रूरल एरिया में नही जाते है। इसलिये स्पीकर साहब, मै। आपके माध्यम से सरकार से इस बात की कलैरीफिके ान लेना चाहता हूं कि जो सिटी अलाउनस टीचर्ज

को दिया जाता है, वह रूरल एरियाज के टीचर्ज को क्यों नहीं दिया जाता? यदि यह अलाउंस सब टीचर्ज के लिये यकंसा कर दिया जाये तो सरकार को टीचर्ज की ट्रांसफर्ज की जो परे गानियां रहती है वह भी नहीं होगी और टीचर्ज भी परे गान नहीं होंगे। इसलिये मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि रूरल एरियाज के टीचर्ज को भी यह अलाउंस मिलना चाहिये। जो टीचर्ज सिटीज के पास लगे हुये है, वे रूरल एरियाज के टीचर्ज से अच्छे नहीं है। सब टीचर्ज बराबर है। इसके साथ—2 स्पीकर सहाब, हमारे देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के 20 सूत्रीय प्रोग्राम के अन्तर्गत हरिजनों को प्लाटस देने की बात भी आती है। हरिजनों को प्लाटस देने के लिये इससदन के अंदन भी जिक्र हुआ है। स्पीकर सहाब, 1975-76 में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने हरिजनों को प्लाटस बांटे थे। उसके बाद किसी भी सरकार ने हरिजनों को प्लाटस नहीं बांटे। आज उन बातों को लगभग 6-7 साल हो गये है उसके बाद हरिजनों को कोई भी रिहायशी प्लाटस नहीं दिये गये हैं इसलिये स्पीकर सहाब, मैं सरकार से इस बात की क्लैरीफिकेशन चाहता हूँ कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी के 20 सूत्रीय प्रोग्राम के अन्तर्गत यह सरकार हरिजनों को रिहायशी प्लाटस कब तक दे देगी? इसके अलावा स्पीकर सहाब, मैं मंत्रियों के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। यदि कोई एम0एल0ए0 मंत्रियों से मिलने के लिये चण्डीगढ़ में आता है तो उसको मंत्री जी नहीं मिलते है चाहे वह एम0एल0ए0 चार पांच दिन लगाता यहां पर आता रहे फिर भी कोई भी मंत्री चण्डीगढ़ में नहीं मिलता है। इस

बारे में मैं मुख्य मंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि वे हफले में रहेगी क्योंकि लोग मंत्रियों के मिलने के बाद लोगों को यह तसल्ली तो होजाती है कि उनकी बात सरकार के कान तक पहुंच गई है।

इसके अलावा स्पीकर साहब , मैं इरीगे ान के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप जानते है कि जवाहर लाल नेहरू कैनल जब से खुदी है, उस समय से ही लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड रहा है मैं यह मानता हूँ कि सरकार ने लोगों की बातें सुनकार जो उस नहर पर पुल बनाने के नामर्ज थे, वेकुछ कम कर दिये है। लेकिन अब भी जो नामर्ज है उनके मूताबिक यदि किसी जरूरी जगह पर पुल बनना है तोवह नहीं बन पाता है । सरकार के पास हमारी तरफ से कुछ सुजै ांज भी गई थी और इस बारे में मैंने इरीगे ान मिनिस्टर साहब से बात भी की थी लेकिन इस बारे में आज तक कोई जिक्र नहीं आया। स्पीकर साहब, अगर कोई 10 किलोमीटर लम्बी कैनल है और उस पर यह सरकार 10 पुल मंजूर करती है तो हर किलोमीटर के बाद एक पुल बनाया जाता है। इस बारे में मैं एकसुझाव देना चाहता हूँ। कि एक किलोमीटर के बाद एक पुल बनाने की बजाये सरकार यह अलाउ कर दे कि 10 किलोमीटर लम्बी कैनल पर जहां पुल की जरूरत है वहां पर पुल बनाया जाये। यह कोई जरूरी नहीं है कि हर एक किलोमीटर के बाद एक पुल बनाया जाये। जहां भी पुल की जरूरत हो, वहीं पर बना

दिया जाये। इस वक्त जो पुल बन रहे है वे जैसी मैंने सजै आन दी है उसी हिसाब से बनाये जाये ताकि लोगों को कोई दिक्कत न हो। स्पीकर साहब, मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि सरकार इस बारे में आज कोई न कोई जवाब अव य दे। स्पीकर साहब, नहरे बनाने के लिये जमीन एक्वायर की गइ हैं सदन के अन्दर कई बार यह आ वासन दिया गया है। कि जिन किसानों की जमीन ली गई है। उनको पूरा मुआवजा दिया जायेगा। स्पीकर साहब, आज यहां पर कई जगह ऐसी है जहां पर किसानों को 5-5, 7-7 साल से पैसे नहीं मिले है और न ही उनका उनहें इन्ड्रैस्ट मिला है। इस संबंध में मेरी सरकार से गुजारि है कि जो पैसा दिया जाये उसके साथ किसानों को इन्ड्रैस्ट भी दिया जाये। समय पर पैसा न मिलने की वजह से कई व्यक्ति मर चुके है। और यह पैसा लेने के लिये उन लोगो की बेटियों को इधर उधर जाना पडता हैं इस संबंध में मेरा सुझाव है कि जब जमीन सरकार लेती है तो पैसा भी सरकार को उन किसानों के घरों में यानि उन गांवों में जा कर देना चाहिये जहां की जमीन जी गई है ताकि जो हमारी बहन बेटियां है उनको इस से परे आन न होना पडे।

इसके अलावा मैं इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड और को-आप्रे आन की डिमांडज पर बोलना चाहता हू। स्पीकर साहब, सदन में रिक्रूटमेंट की काफी चर्चा हुई है। हमारे जो नामर्ज फिक्स होते है, उनके हिसाब से रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। एक एक्ट है जिसका नाम मैं आपको पढ कर सुना देता हूं The employment

Exchanges Compulsory Notification of Vacancies Act, 1959.' यह सैन्टर्ल सरकार का एक्ट है। इसके तहत अगर वैकेंसीज भरनी है या रिक्तमेत करनी है तो जो बोर्ड का चेयरमैन है या किसी विभाग का हैड है या और कोई आफिसर है उसको एम्पलायमेंट एक्सचेंज द्वारा दी जाने वाली सर्विसिज को कम्पलसरी नोटीफाई करना पडता है कि हमारे यहां पर इतनी वैकेंसीज है। इन वैकेंसीज को अदर सौर्स से भरने के लिये एम्पलायमेंट एक्सचेंजिज से "नो औन्जैव इन सर्टिफिकेट" भी लेना होता है। इस एक्ट के अन्दर यह भी व्यवस्था है कि यदि किसी बोर्ड का अधिकारी गलत काम करता है तो उसको पहली दफा 500 रूपये जुर्माना किया जा सकता है और यदि दोबारा गलती करता है तो उस पर 1000 रूपया जुर्माना किया जासकता है। इस एक्ट को ध्यान में रखते हुये मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने ऐसे कितने आफिसरों हद तक रिक्तमेत ठीक हो सकती है। हमारी कांग्रेस पार्टी की नीति है कि लोगों को एम्पलायमेंट दी जाये। यदि लोगों को एम्पलायमेंट ठीक ढंग से दी जाये तो इस बात पर किसी को कोठ एतराज नहीं है। सदन के अन्दर मंत्री जी ने भी मान है कि रिक्तमेत में गडबडी हुई है। यदि हम 2-4 अफसरों को इस प्रकार की सजा दे देंगे तो काफी हद तक इस मामले को सुलझाया जासकता है। स्पीकरसाहब, इसी प्रकार सेबिजली बोर्ड के अन्दर गडबडी हुई है। वहां पर जो पिछले चार सालों के अन्दर लोअर डिवीजिन कलर्क्स भर्ती किये गये है उनकी संख्या 324 है। इन पोस्टों की सिर्फ एक बार एडवर्टाइजमेंट की गई थी। इन में से भी सिर्फ 28 रिक्तमेत

कास्ट कौन्डीडेटस लिये गये है। मेरे कहने का मकसद इतना ही है कि यदि रिक्लूटमेंट में गडबडी करने वाले आफिसरों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये और उनको सजा दी जाये तो जो हमारा 19 करोड रूपये का घाटा है वह भी काफी हद तक कम हो सकता है। इसके साथ-2 मैं यह भी बताना चाहता हूं। कि 1968 से ले कर आज तक बिजली बोर्ड के अन्दर 6773 आदमी भर्ती किये गये है। इसके साथ-2 मेरी एक और रिक्वैस्ट है कि जितने भी बडे-2 इंडस्ट्रियलिस्टस है उनसे बिजली के बिलों का पैसा पूरा लिया जाना चाहिये। जितनी बिजली वे कनज्यूम करते है, उसका खर्चा उनेस लेना चाहिये। उनसे साल में या 6 महीने में हर बार लेने की बजाये वीकली खर्चा लिया जाये। उनके पास बिजली बोर्ड की तरफ से 6-6 महीने बाद बिजली के बिल जाते है। आपको मैं यह भी बताना चाहता हूं कि पिछले चार सालों में इंडस्ट्रियलिस्टस की तरफ 4,28,43,483 रूपया बिजली बोर्ड का बकाया है पिछले साल का 39 लाख है उससे पिछले साल का 53 लाख है और उससे पिछले सालों का 3 करोड 35 लाख रूपया बकाया है। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि इतना पैसा उनकी तरफ छोडना नहीं चाहिये। जितने भी बडे-2 इंडस्ट्रियलिस्टस है, उनको कोई छूट नहीं होनी चाहिये। यदि वह पैसा समय पर जमा न करवाये तो उनके कुनैव इन काट दिये जाने चाहिये। एक कम्पनी का एक सप्ताह में 10-15 लाख रूपये बिजली का खर्च आता है। इस संबंध में मेरी सुजै इन है कि आप उनसे वीकली पेमेंट लेलें। यदि वे एक सप्ताह के बाद पैसे न दे तो उनका बिजली का कुनैव इन काट

दिया जाये। पिदले 10 सालों का न जाने कितना पैसा इसी तरह का बकाया होगा।

स्पीकर साहब, इसी प्रकार से कन्ज्यूमर स्टोर के अन्दर रिक्लूटमेंट की गई है। हमारी कांग्रेस आई सरकार की नीति है जो कन्जूमर्स स्टोर खोले जायेंगे वे देहातों के अन्दर यानि गांवों में खोले जायेंगे। इस संबंध में मेरी सुझाव है कि कन्जूमर्स स्टोर्स के लिये जो भी भर्ती की जाये वह उसी जिले से की जाये जहां पर स्टोर खोला जाना हो। मान लो रोहतक के अन्दर कोई स्टोर खोला जाना है तो वहां पर जो रिक्लूटमेंट की जाये, वह उसी जिले के लोगों की होनी चाहिये। इसे साथ-2 में यह भी कहना चाहता हूं कि जिस गांव में स्टोर खोलना हो वहां पर स्टाफ जहां तक संभव हो सके, वहीं का लगाना चाहिये। इसका दो फायदे होंगे एक तो यह कि उस गांवों के बुजुर्गों का उस पर दबाव होगा और दूसरे जो गांव के नीचे के तबकके के लोग हैं उनको आवकतानुसार चीजें मिल सकेंगी। यदि बाहर के लोगों को वहां पर लगाया जाता है तो वे लोग पावर फुल हो जाते हैं और आना काम ठीक प्रकार से नहीं कर सकते। किसी एक आदमी को पावरफुल नहीं बनाना चाहिये। यदि एक आदमी को पावरफुल बना दिया जात है तो उससे वहां पर रहने वाले लोगों को नुकसान हो सकता है। इसलिये मेरी राय है कि इस काम में एक आदमी को पावरफुल नहीं बनने देना चाहिये यह हमारी भारत सरकार की नीति है कि इस काम में कोई गडबडी नहीं होनी चाहिये। (घंटी)

मेरी सरकार से दोबारा रिकवैस्ट हैं कि इस नीति को अच्छी तरह से लागू करे। मैं और अधिक न बोलते हूये आपका धन्यवाद करते हुये अपना स्थान लेता हूँ।

राज्यपाल से संदे ।

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैबर्ज, मुझे गवर्नर साहब की तरफ से एक चिट्ठी आई है। उसे मैं आपके सामने पढ देता हूँ। इसमे लिखा है:—

‘Dear Mr. Speaker, I write to acknowledge with thanks the receipt of your Demiofficail letter No. HVS-LA/8568, dated 23rd March, 1982, forwarding a copy of the Motion of thanks passed by Haryana Vidhan Sabha at its meeting held on the 22nd March, 1982. Please convey my thanks and appreciation for this kind thought in accepting the Motion.’ (Thumping)

वि शेषाधिकार समिति की रिपोर्ट लौटाना

Mr. Speaker: Gentlemen, the Privileges Committee had submitted a Report for being presented to the House. This was the Report on Swami Aditya Vesh’s case. Today, the Chairman of the Privileges Committee has requested that the Report may be returned to him as some fresh matters have com to light and without them the Reort will be imcomplete.

In view of this, I do not see any reason as to why the Report should not be returned to the Committee.

Accordingly, I have ruled that the Report should be returned to the Committee as requested by the Chairman.

Dr. Mangal Sein: Sir, I want so submit something.
(Interruptions).

Mr. Speaker: Let me read out other annoucement---
----- (Interruptions).

(इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिये खडे हुये)

डा० मंगल सैन: आन ए प्वांयट आफ आर्डर, सर।
स्पीकर साहब,.....

श्री अध्यक्ष: मुझे अपनी बात तो पूरी करने दो।

चौधरी उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, एक-2 बात का फैसला कर लेते है क्योकिं इससे आगे कोई नौबत नहीं आयेगी। (गोर एवं व्यवधान)

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, एक विशय सदन में आया और आपने तथा सदन ने उसे प्रिविलेज कमेटी के सुपुर्द कर दिया। उस कमेटी ने बडी डिटेल में सब चीजों को स्टडी किया है। यहां तक कि पुलिस के जरिये गवाह बुलाने पडे। वे आने को तैयार नहीं थे। प्रविलेज कमेटी ने उन्हें यही पर पैसे दिलवाये ताकि कहीं ऐसा न हो कि उनहें बाद में पैसे ही न मिले। (गोर)

श्री अध्यक्ष: डा० साहब, इसका रूलिंग से क्या सम्बन्ध है? (गोर)

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, एक बार इन्होंने पहले भी टाईम लिया था। दोबार फिर टाईम लिया। उनके बार-2 समय लेने का मतलब क्या है? ये इनके डिलेंडिंग टैक्टिक्स है। ये कमेटी की रिपोर्ट को हाउस में पे 1 नहीं होने देना चाहते। (गोर) हमें भाक है कि रिपोर्ट कहीं इनके मेंबर के खिलाफ न हो। इनकी इस बात से हमारा यह भाक और पुख्ता होता है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस रिपोर्ट को वापस नहीं भेजा जाना चाहिये। आज तक यह कभी नहीं हुआ कि रिपोर्ट आपको सबमिट हो गई हो, चेयरमैन ने उसे साईन कर दिया हो ओर उसे दुबारा कंसिड्रे 1 न के लिये वापिस भेजा गया हो।

श्री अध्यक्ष: मेरा यह फर्ज है कि जो चीज मुझे प्रेजेंट की जाये, उसे मैं हाउस में पे 1 करूं। चेयरमैन, प्रिविलेज कमेटी ने मुझे रिपोर्ट दी लेकिन दो दिन के बाद वे कहते है कि इसमें कूछ खामियां रह गइ है इसलिये इसे उनहें वापस कर दिया जाये। आप मुझे बतायें कि मैं किस बिना पर उसे रोक सकता हूं। जबकि जिस चेयरमैन ने उसे मुझे दिया है वही इन राइटिंग मेरे से उसे वापस करने के लिये रिक्वैस्ट कर रहा है?

डा० मंगल सैन: क्या चेयरमेन इस बात के लिये बार-2 कहेगा? (गोर)

चौधरी उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, आप मेरी बात एक मिनट सुन लीजिये। मैं इस कमेटी का मेंबर हू। आठ मेंबरज

और चेयरमेन ने इत्तेफाक राय से पूरी छानबीन करके, एक एकफिकरा पढ रक, चार-पांच ड्राफ्ट देख कर यह रिपोर्ट दी हैं जब इत्तेफाक राय से रिपोर्ट पे 1 हुई हो तो अकेले चेयरमेन को कोठ पावर नहीं है कि वह इस तरह की चिट्ठी आपको लिखे। चेयरमैन साहब से मेरी बात हुई है। (गोंर) उन्होंने मुझे कहा है कि मैं तो जिन्दा ही मर गयाहूँ। मुझे जीने का हक नहीं हैं मैं हाउस मं बैठने के लायक नहीं रहा हूँ। (गोंर) अगर स्पीकरसाहब, यह बात होनी है तो मैं और कुछ न कहते हुये हाउस से सिर्फ यही कहूंगा कि आज के बाद अपोजी 1न का कोड्रु मैंबर किसी कमेटी का मैंबर न बने। (गोंर) इस तरह से तो कमेटीज बिल्कूल बेसलैस हैं। लाखों-करोडो रूपया कमेटीज के उपर जाया किया जा रहा है। और किसी कमेटी की रिपोर्ट हाउस में आने नहीं दी जाती। (गोंर)

मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल): आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। अध्यक्ष महोदय, दलाल साहब ने कमेटी की रिपोर्ट के बारे में पूरा भाषण दे दिया। स्पीकर साहब, प्रिविलेज मिटी को वह मैटर रैफर हुआ था जिसमें चौधरी संत कंवर ने स्वामी आदित्य वे 1 के खिलाफ ओर स्वामी आदित्य वेश ने चौधरी संत कंवर के खिलाफ ऐलीगे 1न्ज लगाये थे। (विघन) क्या यह बात ठीक है कि स्वामी आदित्यवे 1 के बारे में तो रिपोर्ट आ जाए लेकिन दूसरे मैंबर के खिलाफ रिपोर्ट न आये? (विघन)

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, यह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज बनता है। मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि एक मੈंबर के खिलाफ तो रिपोर्ट आ गई लेकिन दूसरे मੈंबर के खिलाफ रिपोर्ट नहीं आई। यह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। इन्हें कैसे पता लगा कि रिपोर्ट उनके खिलाफ है?

चौधरी भजन लाल: स्पीकर लाल, मैंने यह कहा है कि क्या यह बात ठीक है कि एक आदमी के बारे में तो रिपोर्ट आ जाये लेकिन दूसरे के बारे में न आये? (विघन)

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मैं रूल पढ देता हूँ। रूल 273 में लिखा है:—

“The Report of the Committee of Privileges, with minutes of Dissent, if any, shall be presented to the Assembly by the Chairman or in his absence by any Member of the Committee.”

आप रूल 274 भी देख लीजिये । इसमें लिखा है:—

“(1) After the report has been presented, the Chairman or any member of the Committee or any other member may move that the report be taken into consideration , whereupon the Speaker may put the question to the Assembly.”

स्पीकर साहब, मैं आपके गौर करने के लिये तीन बातें कहूंगा। पहली बात तो यह है कि यह रिपोर्ट हाउस में अब य आनी चापयिहे क्योंकि हाउस इसके बाद बैठने वाला नहीं हैं हाउस प्रोरोग हेने के बाद यह रिपोर्ट खत्म हो जाएगी। (विघन) हम यह समझते हैं कि इस रिपोर्ट को खत्म करने के लिये यह साजि ा हो रही है। (गोर)

दूसरी बात, स्पीकर सहब, यह हे कि प्रविलेज कमेटी जोबनी हुई है उसके चेयरमैन मालिक नहीं है।

Mr. Speaker: I do not understand, what do you mean by Malik? Chairman is Chairman.

चौधरी राम लाल वधवा: यह ठीक है कि चेयरमैन, चेयरमैन है, लेकिन जो प्रोसीडिंगजं प्रिविलेज कमेटी की फाइनेलाइज हो चुकी है, जिस रिपोर्ट को प्रिविलेज कमेटी युनानिमसली या मैजोरिटी के साथ दे चुकी है चेयरमैने अपने अपाप कैसे वापस मांग सकता है?

श्री अध्यक्ष: वधवा साहब, आपका तो प्वायंट आफ आर्डर था लेकिन आपने पूरा भाशण दे दिया ।

चौधरी राम लाल वधवा: सर, मैंने जो तीन प्वाटंस रेज किये हैं मैं उन्ही के बारे में बोल रहा हूं। कमेटी जो प्रोसीडिंगज लिखती है, उसमें चेयरमैन को सर्इन करने के लिये इजाजत देती

हैं चेयरमने ने उस पर साईन कर दिये और रिपोर्ट आपके पास आ गई ।

गृह मंत्री (श्री कन्हैया लाल पोसवाल): सर, मैं इस प्वायंट पर आपकी रूलिंग चाहूंगा कि स्पीकर साहब की रूलिंग आने के बाद क्या उसी मामले पर डिसकशन हो सकती है? (विधान)

Mr. Speaker: There can be no discussion on Speaker's ruling.

चौधरी उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, आप मेरी एक मिनट बात सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष: मैं कह चुका हूँ कि जो रिपोर्ट आती है वह मुझे हाउस में रखनी पडती है लेकिन जब रिपोर्ट अन्डर एग्जामीनेशन हो..... (गोर एवं व्यवधान)

डा० मंगल सैन: अन्डर-एग्जामीनेशन से आपका क्या मतलब है?

श्री अध्यक्ष: अन्डर एग्जामीनेशन का मतलब यह होता है कि पहले सैक्रेटरी देखता है फिर मेरे पास आती है । चेयरमैन ने यह रिपोर्ट 29 या 30 तारीख को पेन करना थी लेकिन उससे पहले ही चेयरमैन की ओर से लिखित रूप से रिक्वेस्ट आ गई कि वह रिपोर्ट वापिस की जाये । जब लिखित में रिक्वेस्ट आ जाये तो मुझे इन्फॉर्मेशन देना पडता है कि जस्टिस की मिस कौरेज न हो

जाये। मैंने इस बात को माना। मुझे इस बात का भी पता लगा कि स्वामी जी ने भी रिकवैस्ट की है कि मैं फरदर एवीडैन्स प्रोड्यूस करना चाहता हूँ। जब एक रिकवैस्ट चेयरमैन की तरफ से आ जाये कि फरदर एवीडैन्स आनी हे तो मेरा फर्ज है कि चेयरमैन की रिकवैस्ट को एक्सपैक्ट करूँ। इसी आधार पर रिकवैस्ट मानी है।

श्री सुरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, आने जो रूलिंग दी है उस पर कमेटी के इन आठ मੈंबरों में से किसी ने भी यह नहीं कहा कि स्वामी जी की ओर से और एवीडैन्स देने के लिये दरखास्त नहीं आयी। अब ये ज्यादा से ज्यादा इन्टैरिम रिपोर्ट की मांग कर सकते हैं।

चौधरी उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, अभी लीडर आफ दि हाउस ने कहा कि अभी दूसरा मामला पेंडिंग था और उस पर कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन दूसरा मामला तो आपके हुक्त के कारण स्टे था। वह हमारे पास हीयरिंग के लिये नहीं आया। वह फाइल डिप्टी स्पीकर साहब के पास चली गई। सारे हिन्दुस्तान के रूलज रैगुले इंज हम एग्जामिन करते रहे हैं।

Shri Kanahiya Lal Poswal: You cannot discuss this point now, (Interruptions).

चौधरी भजन लाल: अभी यह रिपोर्ट दोबारा आपके पास आनी है।

चौधरी उदय सिंह दलाल: इन्साफ का तकाजा है कि यह रिपोर्ट पे 1 होनी चाहिये। आज तक 30-35 साल में किसी भी कमेटी ने ऐसा नहीं किया। (गोर एवं व्यवधान) हमारे आनरेबल मैबर चौधरी हरस्वरूप बूरा ने उनहें पूरा-2 मौका दिया हैं उनहोने उस रिपोर्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा है। जितने अच्छे ढंग से उन्होंने स्टडी किया हे और कोई कर ही नहीं सकता। बहुत अच्छी रिपोर्ट दी हैं (गोर एवं व्यवधान)

श्री मूलचन्द जैन: स्पीकर सहब, मैं आपके प्रार्थना करने के लिये खडा हुआ हू। कृपया आप अपनी रूलिंग को री-कंसिडर करे। मैने रूलज भी सरसरी तौर पर पढ़ें है। जहां तक मेरा ज्ञान है आज तक कभी भी चेयरमैन देताहै तो उसे कमेटी अथोरिटी देती है कि इसे वह हाउस में पेश करे। जब यह रिपोर्ट कमेटी के कहने पर चेयरमैने ने दे दी तो इस रूलज की किताब में कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि चेयरमेन को उस रिपोर्ट को वापिस लेने का अधिकार हो। स्वामी आदित्यवे 1 ने जो लिख कर दिया है उसके बारे में चेयरमेन को अकेले ही फैसला लेने का अधिकार नहीं हे क्योकिं यह मामला कमेटी से ताल्लूक रखता हैं केवल कमेटी की डायरेक्ट न पर चेयरमने आगे की कार्यवाही का सकता है। लेकिन मैं बहुत ही अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि स्पीकर को कोई अधिकार नहं हैं कि वह रिपोर्ट वापिस करे। कमेटी एक मिनी-हाउस है। यह एक मिनी-हाउस की ही रिपोर्ट है। हाउस ही इसे रिजैक्ट या स्वीकार कर सकता है। लेकिन स्पीकर को कोई

अख्तियार नहीं है कि वह चेयरमैन साहब के कहने पर उसे वापिस करदे।

श्री अध्यक्ष: बाबू मूलचन्द जेन जी ने दुरुस्त कहा है। रूलज मं कोई प्रोवीजन नहीं है कि चेयरमैन के कहने पर रिपोर्ट वापिस की जा सके और न ही रूलज मे यह प्रोवीजन है कि चेयरमैन को रिपोर्ट वापिस नहीं की जा सकती। इस मामले में रूलज साइलेंट है। When the rules are silent, the Speaker has to use his discretion and using the discretion.....(interruptions) Please do not interrupt when I am speaking.

श्री मूल चन्द जैन: अगर रूलज साइलेन्ट है तो फिर प्रेसीडेंट देखना होगा। (गोर)

श्री अध्यक्ष: आप मेरी बात सुनिये। मैं आपको रूलज को तोड कर टाईम दे रहा हू। अभी पोसवाल साहब ने प्वायंट आफ आर्डर उठाया था कि क्या स्पीकर की रूलिंग आने के बाद डिस्कान हो सकती है? रूलज में है कि डिस्कशन नहीं हो सकती लेकिन फिर भी मैं रूलज को तोड कर आप लोगों को आईम दे रहा हू। अभी बाबू जी ने कहा कि रूलज साइलेंट हैं अगर रूलज साइलेंट है तो उस पर भी स्पीकर की ही डिस्कान कामकरती है। दूसरा प्वायंट बाबू जी ने प्रैसीडेंट का उठाया। डैमोक्रेटिक प्रोसीजर एवोलूशनरी प्रौसैस है। I think, from what little I have studied. the democratic process is an evolutionary process. It must change with the times.

चौधरी कंवल सिं जी ने पिछले दिनों एक प्वायंट रेज किया था कि क्या कमेटी माइनोरिटी में रिपोर्ट दे सकती है? लोक सभा की रूलिंग है कि कमेटी माइनोरिटी में रिपोर्ट नहीं दे सकती। माइनोरिटी की ओपीनियन रिपोर्ट में नहीं आती लेकिन प्रोसीडिंग्स में आती है but I have discussed this matter with hundreds of people and I have given a ruling that the Committee is at liberty to give a minority report. Had I gone by the precedents, then I thin at times injustice could be done. आप सोचिये कि क्या कोई हमारे यहां ऐसा रूल है कि माइनोरिटी रिपोर्ट न दे? अगर कोई कमेटी युनानिमसली रिपोर्ट न दे ओर माइनोरिटी देना चाहे तो क्या मैं उसे रोक सकता हूँ? इसलिये हालात के मुताबिक प्रेसीडेंट बने हैं जिस समय वे प्रैसीडेंट बने उन हालात में ओर आज के हालात में फर्क होसकता है। इसलिये प्रैसीडेंट बेरी करते रहते है। टोटली पहले के हालात पर ही डिपेंड नहीं करना चाहिये। जब उन्होनों लिखकर दिया है तो वे स्वामी जी ` और पी एवीडेंस लेसकते हैं मैंने यह इसलिये किया ताकि कोई मिस-कैरिज आफ जस्टिस न हो जाये ओर इस बारे में कोई जल्दी भी नहीं है। अगर चेयरमेन री-कंसीडर करना चाहता है तो कर ले। कोई चेयरमैन सुओ-मोटी तो उस रिपोर्ट को चेंज नहीं कर सकता। He has to put it before the Committee again and if there is a question of its being put before the Committee for reconsideration, I am not in such a hurry कि मैं उसे ओवर रूल करूँ। ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी को फांसी के तख्ते

पर अभी चढाया जाना है और मैं 24 घंटे की मोहलत नहीं देसकता।

श्री कंवल सिंह: स्पीकरसाहब, आपको याद होगाकि इसी सदन के अन्दर दोनो 'सदसयों' की तरफ से चार्जिज और काउन्टर चार्जिज लगाये गये थे।(व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्ष: मैं उस समय चेयर पर नहीं था। उस वक्त डिप्टी स्पीकर साहब थे। I have read about it. I have also listened to the tape recorder.

श्री कंवल सिंह: स्पीकर साहब, उस वक्त स्वामी जी ने स्पैसिफिक चार्जिज लगाये थे। उन्होंने चौधरी संत कंवर पर चेयरमैन एग्रो-इंडस्टरीज रहने के दोरान धांधलेबाजी के स्पैसिफिक चार्जिज लगाये थे। (व्यवधान व भाोर)स्पीकर साहब, जब उन्होंने स्पैसिफिक डैलीबे ान्ज की। स्वामी आदित्यवे ा जी से यहां तक पूछा गया कि इसके अलावा आपका कोई चाज्र हो तो बतायें जिस पर उनहोने कहा नहीं,। जहां तक मेरी इततलाह है उनको बार-2 मौका दिया गया कि उन्होंने जो चार्ज लगाया है , उसको प्रूव करे।

श्री अध्यक्ष: क्या आप कमेटी के मैबर हो? (गोर व व्यवधान)

श्री कवल सिंह: जी नहीं, लेकिन हमारे दूसरे साथी हैं जो इस कमेटी के मेंबर हैं, वे हमें बताते रहते हैं। (व्यवधान एवं भाोर)

Finance Minister (Chaudhri Khurshid Ahmed): He is revealing the proceedings of the Committee. This is a breach of privilege itself. (Interruptions).

Mr. Speaker: Kanwal Singh Ji, you can please see me in my Chamber; जहां तक रिपोर्ट की बात है जह मुझे चेयरमैन आफ दी कमेटी लिखकर देते हैं तो मैं रिपोर्ट को वापिस कर सकता हू। (व्यवधान एवं भाोर)

चौधरी उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, इस तरह से तो कोई भी मेंबर महफूज नहीं रहेगा। अपोजी उन की बात को दबाने का आप अवसर क्यों दे रहे हो? इससे हरियाणा की जनता के दिमाग में भाक-सुबह पैदा होगा.... (व्यवधान एवं भाोर)

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, अगर आप इजाजत दे तो मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। एक वाया मीडिया बताना चाहता हूँ। (व्यवधान एवं भाोर)

वि शेषाधिकार का प्र न वि शेष समिति की रिपोर्ट

Mr. Speaker: Hon'ble Members on 16th instant after discussing the matter concerning the presentation for Shri Baldev Tayal Enquiry Committee Report with the leaders of the various parties, I had observed that as regards the notice of

notice of question of the breach of privilege, I would appoint a Special Committee to determine the source of leakage and fixing responsibility thereof. The next day, I also observed that I would allot time for discussion of the Baldev Tayal Committee Report on receipt of the Report of the Special Committee.

Accordingly, I appointed a Committee headed by Rao Ram Narain M.L.A. and consisting of Ch. ram Lal Wadhwa, Ch. Birender Singh, Ch. Preet Singh Rathee and Ch. Rajinder Singh, M.L.A's to enquire into the circumstances about the Report of One Man Baldev Tayal Enquiry Committee to the press and to fix responsibility for the same. This Committee has submitted its Report to me. According to this Report, the Committee has stated that it cannot help expressing its inability to pin point the source of leakage of the Report and fix responsibility of leakage on any one.

As the Committee has not been able to pin point the responsibility for the leakage of the Report on anyone, no prima facie case of breach of privilege is made out against Shri Baldev Tayal, M.L.A. Accordingly, I withhold my consent to the raising of the question of breach of privilege against, Shri Baldev Tayal , M.L.A.

I have received notices for the discussion of Baldev Tayal Committee Report from S/Shri Ajit Singh, Jagdish Kumar Beniwal and Ran Singh Mann, M.L.As. As also from Ch. ram al Wadhwa and Dr. Mangal Sein, M.L.As.

I have convened a meeting of the Business Advisory Committee on 30th March, 1982 at 11.30 A.M. to fix the time for its discussion.

वि शेषाधिकार समिति की रिपोर्ट लौटाना (पुनरारम्भ)

श्री मूलचन्द जैन: स्पीकर साहब, मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। इस प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट के मामले को लेकर हाउस में बहुत गर्मी पैदा हो रही है उस दिन भी बलदेव तायल कमेटी की रिपोर्ट को लेकर हाउस में काफी गर्मी पैदा हो गयी थी। उस दिन भी सरकार उस कमेटी की रिपोर्ट में नही आने देना चाहती थी।

श्री अध्यक्ष: सरकार कैसे किसी रिपोर्ट को हाउस में आने से रोक सकती है?

श्री मूलचन्द जैन: उस वक्त तो रोका था। यह जो बलदेव तायल कमेटी की रिपोर्ट थी, यह उस दिन इसलिये हाउस में पे 1 नहीं हो सकी थी क्योंकि सरकार उसको हाउस में आने नहीं देना चाहती थी।

गृह मंत्री (श्री कन्हेया लाल पोसवाल): उस समय तो लीकेज का सवाल था।

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, फिर इनको गुड सेंस प्रिवेल की। फिर उन्होंने यह कहा कि चलो, अगले दिन आ जायेगी वरना तो यह सरकार उस कमेटी की रिपोर्ट को भी हाउस

में नहीं आने देना चाहती थी। आखिर में फिर इन्होंने यह माना कि अच्छा आ जायेगी।

Mr. Speaker: I am sorry that the decision was mine. वह मान लिया गया है या नहीं मान यिला गया है यह एक अलग बात है। परन्तु I had taken a decision.

श्री मूलचन्द जैन: उस दिन भी आने मेरे सुझाव को माना था। बजाये इसके कि प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट हाउस में न आये, मैं यह कहता हूँ कि कमेटी की यह रिपोर्ट हाउस में आ जये और उस पर डिस्कान के बाद सरकार मैजोरिटी के बल पर उसे पास न होने दे और रिजैक्ट करवा दे। (व्यवधान एवं भाोर)

चौधरी उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, इन्साफ का तकाजा कुछ और ही हैं एक तरफ तो उसने इन्साफ किया था लेकिन वह बेचारा भी अपनी टिकट की वजह से मजबूर है। स्पीकर साहब, आप ही देख लीजिये कभी बेचारा बाहर जाता है कभी अन्दर आता है.....(व्यवधान एवं भाोर)

श्री अध्यक्ष: आपरेशन से पहले तो मैं आपसे भी और इससे भी ज्यादा जोर से बोल सकता था लेकिन आपरेडान के बाद मैं ज्यादा जोर से नहीं बोल सकता। (व्यवधान एवं भाोर)

श्री मूलचन्द जैन: मेरा सुझाव यह है कि बजाये इसके कि हाउस में बदमजगी पैदा की जाये, गलत ट्रेडीडान कायम किये जये और कोई गलत काम किया जाये, उस रिपोर्ट को हाउस में

आने दें। आप कृपा करके ठंडे दिल से सोचे। चेयरमैन ने कमेटी की रिपोर्ट वापिस लेते वक्त क्या कोई मीटिंग बुलाई थी? स्पीकर साहब, मेरी इत्तलाह के मुताबिक नहीं बुलाई। मैं यह समझता हूँ कि जिस उंची कुर्सी पर आप बैठे हैं, आप उसकी ट्रेडी इनज कायम रखेंगे। चेयरमैन चौधरी हर स्वरूप बुरा अगर कमेटी की मीटिंग बुलाये बगैर आपसे इंडीवीजुअल तोर पर एज हर स्वरूप बुरा कोई रिक्वैस्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में कोई कसर रह गयी है इसलिये आप कृपा करके वापिस कर दें, ऐसी बात बिल्कुल अलाउ नहीं की जानी चाहिये। मैं निहायत अदब और नम्रता के साथ एक प्रार्थना करूँगा कि यह चेयरमैन को बिल्कुल भी अखितयार नहीं है। ऐसा करने से एक गलत ट्रेडी इन कायम हो जायेगी। बजाये इस किस्म के गलत रिवायात डालने के और गलत तरीके की बातें करने के, जिस तरह से बलदेव तायल कमेटी की रिपोर्ट हाउस में आयी है, उसी तरह से यह रिपोर्ट भी हाउस में आ जाये फिर मैजोरिटी की बिनां पर सरकार उसको रिजैक्ट कर दे। (व्यवधान एव भाोर)

श्री कन्हैया लाल पोसवाल: गवर्नमेंट का तो इसमें कोई हाथ है ही नहीं।

श्री मूलचन्द जेन: जिस गलत तरीके से आप प्रिविलेज कमेटी के अन्दर दोबारा उस बात कोलाना चाहते हो, यह कौन नहीं जानता कि यह आपके गलत टैक्टिकस है। मैं आपको गलती करने से बचाना चाहता हूँ ताकि गवर्नमेंट गलती न करे। आप न

माने तो वह अलग बात है। लेकिन मेरा सुझाव यह है कि गलत तरीके अख्तियार करने की बजाये गवर्नमेंट को इस प्रिविलिज कमेटी की रिपोर्ट को हाउस के अन्दर आने देना चाहिये। डिस्कस करके उसको अपनी मैजोरिटी की बिनापर रिजैक्ट करा दे।

Mr. Speaker: I have called a meeting of the Business Advisory Committee at 11.30 A.M. tomorrow, the 30th March, 1982 and I am always open to discuss this matter in this meeting but at present my ruling already given in the matter stands.

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, यह मामला ऐसा हे जो बडा गम्भीर है। आप कृपया इस पर पुनः विचार कर ले। ऐसा कर लीजिये। अगर तो सारी प्रिविलेज कमेटी आपको आकर यह कह दे कि साहब हम अपना पूरा माईड एप्लाई नहीं कर सके। कहीं ऐसा न हो कि ना—इन्साफ हो जाये, इसलिये आप हमें कमेटी की रिपोर्ट वापिस दे दे, फिर तो ठीक है वरना आप इसे हाउस में आने दे। स्पीकरसाहब, आपने बिल्कुल बजा फरमायाहै कि डैमोकसी इवोल्यू नरी स्टैज पर हैं (व्यवधान व भाोर)

Mr. Speaker: When the Chairman of a Committee gives me in writing should I ask him कि आप सारी कमेटी को बुला कर लाओ। (interruptions)

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, बलदेव तायल कमेटी की रिपोर्ट तो इस हाउस में आ चुकी है इसलिये मेरा सुझाव यह है कि(व्यवधान व भाोर)

Mr. Speaker: Dr. Sahib, please sit down. I have already said that I have connened a meeting of the Business advisory Committee at 11.30 A.M. tommorrow, the 30th March, 1982 and I am always open to discuss this matter in this meeting. we can discuss this matter further in this meeting but at present my ruling given already in the matter stands. कमेटी के चेयरमैन की तरफ से एक रिक्वैस्ट आई और When the Chairman of the calibre of Shri Har Swarup Bura whom I think is a very able Chairman of the Committee, writes something, it might have some sound reasons (Interruptions)

डा० मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, मेंबर्ज भी कम काबिल नहीं है ।

श्री अध्यक्ष: ऐसा मैंने कभी नहीं कहा कि मेंबर्ज काबिल नहीं है चौधरी उदय सिंह दलाल बहुत ही समझदार और काबिल मेंबर है ।

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, तायल कमेटी की रिपोर्ट के उपर आपने एक कमेटी बनाई थी जिसका लीकेज को ढूढने का काम था। अच्छा होगा कि अगर उसकमेटी की रिपोर्ट हाउस में आ जाए। (व्यवधान व भाोर)

Mr. Speaker: I have never re-opened my ruling but I am always open for doing justice.

डा० मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, वह हाउस की प्रोपर्टी है। उसमें बडी रिविलिंग बाते हैं.....(व्यवधान व भाोर)

चौधरी राम लाल वधवा: अध्यक्ष महोदय , आपने जो कमेटी बनाई उसने क्या किया और क्यों किया, ये सारी बातें हाउस के नोटिस में आनी चाहिये। (व्यवधान व भाोर)

Mr. Speaker: I do not think it is necessary. That Committee was appointed with a specific purpose to examine the question of leakage and to fix responsibility for the same. We can discuss about this in the Business Advisory Committee.

चौधरी उदय सिंह दलाल: अब सुमेर चन्द भट्ट बतायें कि कहां से उनको कापी मिली? अगर वह नहीं बतात तो उसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन और बन जायेगी (व्यवधान व भाोर)

चौधरी भजन लाल: यह तो सब को पता है कि क्या हुआ.....(व्यवधान व भाोर)

श्री सुरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, चौधरी कंवल सिंह की बात को मद्देनजर रखते हुये आपने एक रूलिंग दी। मैं उस बारे में एक बात सबमिट करना चाहूंगा कि लोक सभ में स्पीकर की जो डायरेक्टिवांज है, उनमें डायरेक्टिव नम्बर 107 और 108 है। उनमें यह दिया हुआ है कि जब हाउस की कोई कमेटी किसी स्पेशल मैटर को लेकर मीट करती है तो वहां पर बहुमत का वोट और माइनोरिटी व्यू रिकार्ड तो हो जायेगा लेकिन जब हाउस में रिपोर्ट पेश होगी तो मैजोरिटी डिजिजन जायेगा। (व्यवधान व भाोर)

Mr. Speaker: Rules are based on logic.

Shri Surender Singh: Exactly true. I do agree.

Mr. Speaker: So without any logic I will not allow.

श्री सुरेन्द्र सिंह: लौजिक यह है कि आज तक इस सदन में जितनी भी रिपोर्ट्स आई, चाहे किसी भी सरकार के वक्त में और किसी भी लैजिस्लेचर में आई हो, उसमें आबजरवेशन आती रही है। अगर किसी कमेटी के नौ मेंबर है तो यह तो हो नहीं सकता कि वे सब एक ही विचार के हों कुछ ही फैसले होते हैं जो सब के विचारों में एक साथ यानि यूनानिमसली होते हैं जो बहुमत का फैसला होता है वही हाउस की टेबल पर आता है लोकसभा के स्पीकर को डायरेक्ट ऑन ऑर कौल एंड भाकधर जिसको आप साइट करते हैं। उस में दी हुई बात को मद्देनजर रखते हुये, मैं गुजारि । करूंगा कि उस रूलिंग को आप रिकॉर्ड करे।

श्री अध्यक्ष: अभी श्री वधवा ने प्रिविलिज कमेटी के बारे में रूलिंग से कनेक्टड बात पढी थी। That clearly provides that dissenting note should be recorded.

चौधरी राम लाल वधवा: रूल 273 में है कि मिनट्स आफ डिसेंट साथ आयेगा। (गोर एवं व्यवधान)

Shri Surender Singh: I have read all the directions of the Lok Sabha and they are easily available.

Mr. Speaker: Any way, this not the point at issue at all. I mentioned it by the way.

Shri Kanwal Signh: Sir, it would be recorded in the minutes of the Committee but it would not be a part of the report.

Mr. Speaker: Please take your seat. Let us resume discussion on Demands for Grants.

वर्ष 1982-83 के बजट के अनुदानों की मांगों पर चर्चा
तथा मतदान (पुनरारम्भ)

कृषि मंत्री (श्री भाम देव सिंह): अध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो डिमांड नं० 17 है, इस पर चौधरी राम लाल वधवा ने कट मोटिवन दी थी। This cut motion was on the slow pace of development of Agriculture in the State. अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं संक्षेप से हाउस को बताना चाहता हूँ कि कृषि के क्षेत्र में हरियाणा में बहुत ट्रिमनूड्स प्रोग्रेस हुई है और जो बढ़ोतरी हुई वह इस तरह से है: धान की पैदावार हरियाणा में छः गुणी बढ़ी है। स्पीकरसाहब, आज से चौदह साल पहले जब हरियाणा बना था उस के मुकाबले में आज गेहू की पैदावार तीन गुनी बढ़ी है। कपास की पैदावार दुगने से ज्यादा बढ़ी है। स्पीकर साहब, 1982-'83 के लिये सरकार ने कृषि की पैदावार का जो लक्ष्य निर्धारित किया है वह 71 लाख टन का किया है जोकि आल टाईम रिकार्ड है। इसके साथ ही साथ छठी पांच साला योजना के खातमें पर एक करोड़ टन कृषि पैदावार होने का हमारा निश्चय है। हम समझते हैं कि हरियाणा इस लक्ष्य को अजीब कर सकेगा। स्पीकर साहब, कृषि की पैदावार को बढ़ाने के

लिये खेती बाड़ी के महकमे ने और सकरार ने जो साधन जुटाये है उनमें एग्रीकल्चर इनपुटस की सप्लाई काएक महत्वपूर्ण स्थान है। मैं संक्षेप में संसदन को बताना चाहता हूँ कि 1966-67 में 2 हजार 902 क्विंटल धान का बीज किसानों को सप्लाई किया गया था और 1982-83 में पच्चीस हजार क्विंटल धान का बीज किसानों को बेचने कालक्ष्य है। इसी प्रकार जहाँ गेहूँ के क्षेत्र में 1966-67 में 35851 क्विंटल बीज किसानों की सप्लाई किया गया था वहाँ 1982-83 में 1 लाख 25 हजार बढ़िया गेहूँ का बीज बेचने कालक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, 1966-67 में 13 हजार टन खाद की खपत थी जो आज बढ़कर 35 हजार तीन सौ टन हो गई है। 1966-67 में 19 लाख हैक्टेयर भूमि एग्रीकल्चर के नीचे कवर करते थे और आज 51 लाख हैक्टेयर भूमि कवर कर पाये है। इसी तरह से 1982-83 में सायल कंजरवे इन में 171 लाख रूपये की खाद इस्तेमाल की करने का लक्ष्य है। स्पीकर साहब, मेरे दो साथियों चौधरी बीरेन्द्र सिंह और चौधरी जगजीत सिंह पोहलू ने कुछ सुझाव सरकार को दिये। एक सुझाव यह दिया गया कि मार्किटिंग बोर्ड के जो सरप्लस फण्डज है, उनको क्रेप इं गोरेंस स्कीम हिसार?, रोहतक, जीन्द में 1981 की खरीफ के समय लागू की गई थी और रबी 1982 में चने के लिये क्रेप इं गोरेंस स्कीम हिसार, सिरसा, रोहतक, सोनीपत और जींद में लागू की गई। अध्यक्ष महोदय, दूसरा सुझाव इनका यह था कि जो मार्किट बोर्ड का सरप्लस फण्ड है, उसको फसल बीमा योजना के लिये इस्तेमाल किया जाये। अध्यक्ष महोदय,

पहले भी यह बात एक बार हाउस के सामने आई थी, और तीन-चार साल पहले इस इ लू पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया थां सुप्रीम कोर्ट ने यह रूल किया कि मार्किट कमेटियां बोर्ड काकोई भी रूपया मार्किट यार्ड के बाहर सरकार या मार्किट बोर्ड खर्च नहीं कर सकती। इस फैसले के बाद सरकार के हाथ बिल्कूल बन्ध चुके थे कि यह फण्डज बीमा योजना या किसी और योजना के लिये जिसका डायरैक्ट इससे ताल्लूक न हो, खर्च नहीं किये जा सकते थे। लेकिन फिर भी आज की मौजूदा सरकार ने एक साल पहले एक कमेटी बनायी थी। उसक कमेटी ने बडी छानबनी की कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के दायरे में रहते हुये, इस रूपये को खर्च किया जाये? किसान और व्यापारी के भले में ही यह रूपया खर्च किया जाना चाहिये और जजमेंट की भी कोई वायले न न हो। इस बात पर विचार इसलिये किया गया ताकि इस के लिये कोई न कोई रास्ता निकाला जाना चाहिये। इसलिये सुप्रीम कोर्ट के आर्डरों की वायेले न न करते हुये, सरकार ने उस पैसे से एप्रोच रोडज, सवीरेज टायलेट इत्यादि ओर भी कई बहुत सारे काम किसानों के भले के लिये मार्किट कमेटियों में मार्किट बोर्ड द्वारा खर्च किये जा रहे है। इसके साथ ही पोहलू साहब ने यह भी कह दिया कि आज जो कप्रस बीमा योजना है वह बेकार है।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर हैं आपको यादा होगा लास्ट ईयर जब बजट सै न था

उस वक्त भी मार्किटिंग बोर्ड के ऐक्ट को अमैंड करने की बात सदन में चली थी। सरकार की तरफ से मुख्य मंत्री महोदय जी द्वारा यह आवासन इस हाउस में दिया गया था कि ऐक्ट में ऐसी तरमीम की जायेगी जिससे कि किसानों का भला हो सके। लेकिन इस ऐक्ट में आज तक कोई तरमीम नहीं हुई है।

श्री भामारे सिंह: स्पीकर साहब, जो आवासन मुख्यमंत्री महोदय ने दिया था, उसके बारे में एक कमेटी पांच-छः सदस्यों की बनाई गई थी और वह कमेटी उस दायरे कमेंडर-2 रहते हुये(गोर एवं व्यवधान)

Chaudhri Birinder Singh: Sir, this is not the thing. Still they can spend in between that.

Mr. Speaker: How can they spend on approach road?

श्री भामारे सिंह: अध्यक्ष महोदय, जो आवासन मुख्यमंत्री महोदय ने यहां पर दिया था, उस आवासन को पूरा करने के लिये एक कमेटी, जिसमें पांच-छः मंत्रीगण भी शामिल थे, बनाई गई थी और उसमें एल0आर0 साहब को भी बुलाकर पूरी तरह से डिस्कस किया गया था। उस कमेटी ने आठ-नौ महीने तक पूरी डैलीब्रे गंज करके, इस पर विस्तार पूर्वक विचारविमर्श किया गया कि आया मौजूदा ऐक्ट में तरमीम करके हम उस रूपये को दूसरे जो एग्रीकल्चर के परपज है उन पर खर्च कर सकते हैं? कानूनी और हर तरह से यह रय थी कि इस ऐक्ट में तरमीम करके

सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है अगर उसकी वायले इन करेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को रीगल आउट कर जायेंगे।

श्री मूलचन्द जेन: स्पीकर साहब, पहली बात तो यह है कि मुख्य मंत्री महोदय के आवासन देने के बाद जो इस किस्म की कमेटी बनाई गयी थी, उसमें इन्होंने अपोजी इन को बिल्कुल भी विवास में नहीं लिया। इनहोंने क्या किया? नये परचेंजिंग सैन्टर डिक्लेयर कर दिये। लेकिन जो असल बात है वह यह है कि मुख्य मंत्री जी ने जो आवासन इस हाउस में दिया था, वह अब तक पूरा नहीं किया गया है। हम यह जानना चाहते हैं कि फिर इस कमेटी को बनाने का क्या रिजल्ट सामने आया है?

Chaudhri Birinder Singh: They have not settled it, Sir. They have not changed the preamble of the Act. (Interruptions)

श्री भामदेव सिंह: स्पीकर साहब, हमने यह कहा था कि हम इसका रास्ता निकालेंगे। ऐसा तो कोई आवासन मुख्य मंत्री महोदय ने नहीं दिया था कि अपोजी इन के मੈंबरोँ को भी इस कमेटी के अन्दर नौमीनेट किया जायेगा। इस तरह से जिस तरीके से दूसरी कमेटियाँ फंक्शन करती हैं, उसी तरह से इस कमेटी ने भी फंक्शन किया है। मेरा बाबू मूलचन्द जैन जी से और चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी से निवेदन है कि वे सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है केवल 50 पेज होंगे, उसको भायद उन्होंने पढा नहीं। अगर वे उस जजमेंट को पढ लेंगे तो यह बातें मानेंगे कि

सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देने का जो नैकसस है वह यह है कि जिस किसी से कोई फीस कुलेक्ट करें उसी के उपर आप को वह फीस का रूपया खर्च करना पड़ेगा जो मार्किट फीस 2 परसेंट या तीन परसेंट व्यापारियों से लेते है ते वह पैसा मार्किट कमेटियों के यार्ड के अन्दर-2 ही खर्च होगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है।

अध्यक्ष महोदय, इन सारी बातों को पूरी तरह से एग्जामिन किया गया था। मैं जैन साहब के बारे में बताना चाहता हूं, अभी-2 मुझे मेरे विभाग की तरफ से लिखकर दिया गया है कि जैन साहब इस मीटिंग में बुलाये गये थे। डिपार्टमेंट के सचिव ने मुझे यह लिख कर दिया है। मूलचन्द जैन जीयाद कर ले, अगर यह बात रिकार्ड के मुताबिक गलत होगी तो मैं अपने भाब्द वापिस लेने के लिये तैयार हूं लेकिन जैसा बताया गया है, उसके अनुसार वे मीटिंग में बुलाये गये थे।

श्री मूलचन्द जैन: स्पीकर साहब, बुलाया होगा, मैं भामिल हुआ था या नहीं, यह मुझे याद नहीं है और न ही मुझे इसकी इतलाह मिली है।

श्री भाम ोर सिंह: स्पीकर साहब, इस कमेटी की मीटिंग में हमने सभी पहलुओं को बड़ी सूझ-बूझ के साथ एग्जामिन किया हैं हम आखिर में इस नतीजे पर पहुंचे है कि हम इस मार्किट फीस से इक्टठे किये हुये रूपये को मार्किट कमेटियों के यार्ड के

योजना की स्कीम के बारे में नहीं मानी और तहसील बेसड योजना के लिये राजी हुई है लेकिन हम बार-2 उनको इस बात के लिये प्रैस करते हैं कि उस के स्कोप को वे वाइडन करे।

इससे आगे स्पीकरसाहब, यह बताना चाहता हूं कि पिछले 15 दिनों से यह हाउस चल रहा है मैं वधवा साहब के कट मो इन के बारे में कहना चाहता हूं। एग्रीकल्चर विभाग के दो सवाल हमारे सामने यहां पर आये थे। एक का जवाब डिप्टी एग्रीकल्चर मिनिस्टर महोदय ने मेरी गैर-हाजिरी में दे दिया था लेकिन फिर भी अपोजीशन वालों ने एग्रीकल्चर विभाग के बारे में कोई ऐसा मो इन या पवायंट रेज नहीं यिका जोकि आबजैव नेबल हो। इससे साफ जाहिर है कि अपोजी इन के मेंबर साहेबान एग्रीकल्चर विभाग की सारी की सारी कारगुजारी से बडी अच्छी तरह से सन्तुष्ट है, इसलिये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन डिमांडज को पास किया जाये।

श्री मूलचन्द जैन: स्पीकर साहब, क्या मैं आपकी इजाजत से मिनिस्टर साहब से एक सवाल पूछ सकता हूं?

श्री अध्यक्ष: हां पूछ सकते हो?

श्री मूलचन्द जैन: स्पीकर साहब, अभी मंत्री महोदय ने बताया कि जी०आई०सी० क्राप इं गोरेंस के बारे में बडी रिलेकटेंट हैं चूंकि स्पीकर साहब, यह सारे दे । का मामला है और सैंटर के एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी इस से सम्बन्धित है इसलिये मैं आपके

द्वारा एग्रीकल्चर मिनिस्टर महोदय से यह कहूंगा कि इस मसले को हल करने के लिये क्या वे भारत सरकार को हाई लैवल पर कोई समिति गठन करने का सुझाव देंगे? इस बारे में क्या हमारे में मंत्री महोदय बातचीत करेंगे ताकि इस मसले का हल किया जा सके। क्या इस बारे में कोई मीटिंग भारत सरकार के साथ करेंगे कि सारी कापस को इस स्कीम के तहत लिया जाये?

श्री भाम देव सिंह: स्पीकर साहब, इस बात पर मैंने भी सारी बात यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर महोदय के नोटिस में लाई है और उन्होंने मुझे इस बात का यकीन दिलाया है कि और ज्यादा कापस को इस स्कीम के तहत शामिल करने की कोशिश करेंगे बाद में जो का एरिया जो था, वह इनक्लूड किया गया। उससे पहले जी०आई०सी० जो के लिये मान नहीं रही थी। उसके बाद हमारे अफसर जी०आई०सी० हेड आफिस बम्बई गये। हम बड़े सीरियसली इस बात के पीछे हैं।

सहकारिता तथा योजना मंत्री (ठाकुर बीर सिंह): स्पीकर साहब, यह हाउस काफी दिनों से चल रहा है। और कोआप्रेटिव का मसला कई बार यहां पहले भी पैदा हुआ। मैं हाउस में कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जो किसी इंडीविजुअल के बारे में हो। स्पीकर साहब, कोआप्रेटिव महकमें ने जितना काम चौधरी भजन लाल की सरकार आने के बाद किया है उतना पहले कभी नहीं हुआ। आज सारे देश में हरियाणा का नाम है पहले जहां महाराष्ट्र, गुजरात और दूसरे प्रान्तों में कोआप्रेटिव मूवमेंट देखने के लिये दूसरे

प्रान्तों के लोग जाया करते थे लेकिन आज महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु तक से हरियाणा प्रान्त में यह मूवमेंट देखने के लिये आत है। भजन लाल सरकार ने आने के बादत यह देखा है कि इस कहकमे का, गरीब किसान जो देहात में रहते है, उनसे ताल्लूक है। जैसे आपको मालूम है, इस महकमे में पहले काफी कफ़ान थी। ये सरी बातें आपके कानों में आई होगी। हमारे मेंबर साहेबान ने काफी जोर- जोर से इस डिपार्टमेंट के बारे में बताने की कोशिश की लेकिन वे एक भी लफज डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग के बारे में नहीं बतासके।(विधन) आप सारे हाउस की प्रोसीडिंगज उठा कर देख लीजिये। एक भी लफज इन्होंने डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग के बारे में नहीं बताया कि कोअप्रेषन महकमे ने कही कोताही की है।

श्री मूलचन्द जैन: दस हजार लोग गिरफतार किये गये इससे ज्यादा कोआप्रेषन डिपार्टमेंट की क्या निन्दा हो सकती है? (जोर)

ठाकुर बीर सिंह: स्पीकर साहब, मैं पहले कह कर चलाहूँ कि मैं किसी भाई पर कोई आक्षेप नहीं करूंगा। मैं सिर्फ फंक्शनिंग के बारे में बताउंगा। पहले मैं क्रेडिट सिस्टम के बारे में बताता हूँ। गरीब किसानो को भोर्ट, टर्म, मीडियम टर्म ओर लोंग टर्म के लोन दिये जाते हैं हाउस में बार-2 यह बातें आई कि सैक्रेटीज ओर आफिस बियरर्ज कज्र ले लेते है ओर लोनीज की नहीं देते। हमने इस सारे सिस्टम को चेंज किया ओर इतना

आसान बनाया है कि एक आदमी का पैसा जमा करवाने के वक्त तो तमलीफ हो सकती है लेकिन लोन लेने के लिये देर नहीं होतीं यह सिस्टम सारे हिन्दुस्तान में केवल हरियाणा में ही है। दूसरी बात यह है कि पहले जहां हजारों केसिज एम्बैजलमेंट के होते थे ओर बैंकों से पैसा लेकर लोगों को नहीं दियार जाता था, वहां आज ऐसा एक भी इंस्टांस अगर कोइ मेंबर बता दे तो मै मान जाउंगा।

चौधरी उदय सिंह दलाल: स्पीकर सह,ब मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। ठाकुर साहब ने यह जो कहा है कि बैंको से कर्ज बिना देरी के मिलता है। मैं यह बताना चाहताहूं कि आप किसी भी जिले की दस फाइलें मंगा ले। चाहे वह किसी भी बैंक की हो। आपको कोई भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसने बगैर पैसे दिये कर्जा लिया हो। आप उनको एग्जामिन कर लो अगर एक भी आदमी कह दे कि बिना पैसा दिये कर्जा मिला है। (ओर)

चौधरी राम लाल वधवा:

.....
.....
.....

Mr. Speaker: this is not point of order. It is a matter of detail. I will not be recorded.

ठाकुर बीर सिंह: स्पीकर साहब, यह बात तो क्रेडिट के बारे में थी। दूसरा सवाल यह है कि जेसेवधवा साहब ओर दलाल

साहब ने लैंड डिवेल्पमेंट की बात उठायी। मैं यह मान कर चलता हूँ कि जो आदमी असलियत को नहीं समझता वह किसी किस्म कारिफार्म नहीं कर सकता। जब हम अपनी आंखों से एक बात को देखते हैं तो उसके बाद निर्णय भी ले सकते हैं। डाक्टर अगर बीमारी को डायगनोज नहीं करेगा तो दवाई किस बात की देगा? लैंड डिवैल्पमेंट बैंक में जो कर्जे दिये जाते थे, वे चाहे डीजल पम्प के लिये हो या मोटरों के लिये हो, उनका बड़ा दुयपयोग होता था। किसान के साथ बड़ी लूट होती थी वोकि लैंड डिवैल्पमेंट बैंक सीधे किसानों को पैसा नहीं देता था बल्कि डीलर्ज को देता था। डीलर्ज पुरानी चीजें किसानों के जिम्मे थोप देते थे। मैंने एक-एक केस को एग्जामिन करवाया है। यह जो डीलर्ज वाला सिस्टम था, उसको हमने टोटली स्टाप कर दिया है। हमने सोचा कि भायद ये डीलर्ज हमारी इस स्कीम को कामयाब होने में रोड़ा अटकायेंगे लेकिन बावजूद सब बातों के हमने वह प्रैक्टिस खत्म कर दी। हमने अब यह किया है कि जैसे हमारे एग्रो-सैन्टर्ज है, वे डायरैक्ट मैनुफैक्चरर्ज से माल लेकर आयेगे और अपना खर्चा और बयाज वगैरा लगा कर रीजनेबल रिटेल प्राइस पर बेच कर सारा मुनाफा जो पहले डीलर्ज खाते थे वह किसान को देगे जो स्टैंडर्ड के मैनुफैक्चरर्ज है, हमने सिर्फ उन्ही के नाम दिये है उनके अलावा किसी से भी मीनरी नहीं ली जा सकेगी। हमने आई0एस0.आई0 मार्क वाली बात भी खत्म कर दी है। क्योकि उसमें भी गडबड हो सकती है। हमने यह रूल बनाया है कि जो भी कर्जा लेगा मोटर या पम्प के लिये वह उन्ही सैन्टर्ज में फिट

करवायेगा। उसकी एक साल तक फ्री सर्विस भी देंगे। एक साल के अन्दर—2 अगर किसान के पम्प या मोटर में कोई गडबड पाई जाती है। तो उसके लिये हम जिम्मेदा होंगे। इसके अलावा हमने यह भी फैसला किया है कि हम एक साल के बाद कर्ज की वसूली करेंगे। स्पीकर साहब, जिस वक्त किसान लकड़ा लेने के लिये बैंक में जाता है तो उस समय किसान को पटवारी से जमाबन्दी, खसरा, गिरदावरी की फर्द वगैरह लेनी पडती है। हमने इस बात को महसूस किया और इसके लिये हमने पिछले महीने कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला कर दिया कि जो कर्जा लेने वाला किसान है, उसे कर्जा लेने के लिये बैंक मैनेजर को एक सिम्पल कागज पर एप्लीकेशन लिखा कर देनी होगी और उस किसान का रैवेन्यू रिकार्ड खुद मैनेजर पटवारी से ले लेगा।

श्री जय नारायण वर्मा: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहब, हाउस में डिमांड नम्बर 22 पर डिस्कशन हुई है। डिस्कशन के दौरान मैम्बर ने कोआपरेशन महकमे के बारे में कुछ प्वायंट्स रेज किये हैं और कुछ सुझावजन दी है। उनके बारे में मंत्री जी ने कोई भी जवाब नहीं दिया है और न ही किसी मैम्बर के प्वायंट को रैफर किया है। मंत्री जी वैसे ही बात टाल रहे हैं।

Mr. Speaker: This is no point of order. Please sit down. The Hon. Minister is at full liberty to explain the improvements in the system of working that he has initiated in the Department.

ठाकुर बीर सिंह: स्पीकर साहब, मैं साथ-2 जवाब दे रहा हूँ। स्पीकर साहब ये मेरे अपोजी उन के भाई किसानों और मजदूरों के हितैशी बनते हैं। मैं किसानों की भलाई की बात कर रहा हूँ फिर भी ये सुनने के लिये तैयार नहीं हैं। स्पीकरसाहब, हमने पिछले महीने ही रूलज बनाये हैं कि जब एक किसान बैंक से कर्जा लेने के लिये एक सिम्पल कागज पर एप्लीके उन मैनेजर को दे दे तो मैनेजर की यह डियूटी होगी कि वह खुद उस किसान की फर्द रैवेन्यू आफिसर से हासिल करेगा। फर्द के लिये जो सरकारी फीस होगी वही वसूल की जायेगी और ज्यादा पैसा वसूल नहीं किया जायेगा। इसके अलावा स्पीकरसाहब, दलाल साहब ने कहा कि आप फाईल मंगवा कर देख लें कि किसी भी बैंक ने किसान को बिना पैसे लिये कर्जा नहीं दिया। स्पीकर साहब, मैं दलाल साहब की बात से सहमत हूँ। इस करण उन को दूर कनरे के लिये हमने काफी स्टैप उठाये हैं। जिनमें से एक सटैप यह उठाया है कि लैंड डिवलपमेंट बैंक को किसानों के कर्ज के केसिज डिस्पोज आफ करने के लिये हमने एक महीने की मियाद दी है। स्पीकर साहब मैं हाउस की जानकारी के लिये बताना चाहता हूँ कि जब से हमने बैंको को यह हिदायत दी है उस समय से 85 परसेंट केसिज की डिस्पोजल विद इन ए मंथ होती है ओर 80 परसेंट केसिज की डिस्बर्समेंट करदी जाती है। कहने का मतलब यह है कि किसानों द्वारा मांगे गये कर्ज की 80 परसेंट एप्लीके गन्ज पर पेमेंट विद इन ए मन्थ कर दी जाती है। स्पीकर साहब, मैं भी समझता हूँ कि जहां डिले होती है वहां

करण इन होती हैं इस तरह की करण इन को दूर करने के लिये मैं हर महीने बैंकों से फिगरज लेता हूँ। केसिज को डिस्पोज आफ करने के लिये हमन बैंक मैनेजर की डियूटी लगाई हुई है। यदि मैनेजर केस को डिस्पोज आफ करने में एक महीने से ज्यादा समय लगाता है तो उसकी एक्सप्लेने इन काल कर ली जाती हैं कि यह डिले क्यों हुई है? उसके खिलाफ एक इन भी लिया जाता है।

श्री मूलचन्द जैन: स्पीकरसाहब, मंत्री जी ने कहा कि बैंक मैनेजर किसान की जमाबन्दी रैवेन्यू पटवारी से खूद लेगा। यह बात इनहोने कब से लागू की है?

ठाकूर बीर सिंह: बाबू जी यह सिस्टम तो हमने पिदली जनवरी से भुरु किया है

चौधरी उदय सिंह दलाल: स्पीकरसाहब, मंत्री जी ने बताया कि गेहूँ निकालने के लिये हम थ्रै र हैफड से खरीदते हैं यदि कोई जमींदार उसी कम्पनी का थ्रै र 1200 रूपये में किसी ओर जगह से ले लेता है और हैफड से वह थ्रै र 1100 रूपये में मिलता है फिर तो हम समझेंगे कि सरकार ने बिचोलिया खत्म कर दिया है। लेकिन हैफड वही थ्रै र अबोहर ओर फाजिल्का से एक हजाररूपये में खरीदकर किसानों को 1400 रूपये में दे तो यह तो ठीक बात नहीं है। आप इसचीज की इन्कवायरी कर लै।

ठाकूर बीर सिंह: स्पीकर साहब, कोआप्रे इन विभाग में जितने काम मैने कि है यदिउन सारे कामों को मैं यहां हाउस में

एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसके अलावा, स्पीकर साहब, भूगर मिलों के बारे में यहां हाउस के बार-2 जिक्र आता रहा है आपने भी देखा होगा, जब से यह सरकार बनी है चाहे यह जनता पार्टी की भी सरकार रही है बार-2 इस बात का जिक्र आया है कि है भूगर मिलों की तरफ से किसानों को पूरा पैसा नहीं मिलता है और पैसे की रैगुलर पेमेंट नहीं होती है स्पीकरसाहब, मैं हाउस की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि हरियाणा की चारों भूगर मिलें किसानों को कै 1 पेमेंट होते हैं। जिस समय किसान अपनी गन्ने की गाड़ी मिल के गेट पर लेकर आता है उसी वक्त उसको पेमेंट दे दी जाती है जो गन्ना सेंअर से आता है उसकी वीकली पेमेंट होती है। इस सरकार ने किसानों की भलाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसे अलावा यहां हाउस में यह भी जिक्र आया कि हरियाणा की भूगर मिलों की तरफ किसानों का लगभग दो तीन करोड़ रूपया बकाया है लेकिन स्पीकरसाहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि भूगर मिलों की तरफ भूगर केन ग्राउअर्ज का कोई पैसा बकाया नहीं है। भूगर मिलों की तरफ से उनको लगातार पेमेंट होती है। इसके अलावा स्पीकर साहब, जो किसान एक एकड़ या दो एकड़ जमीन में गन्ना बोता है 10 एकड़ गन्ना बोता है उस गन्ने के लिये किसान बाउंडिड है कि वह भूगर मिल का गन्ना सप्लाई करेगा। उसके लिये हमने किसानों को फ़ैसिलिटीज भी दी है कि किसान गन्ना पैदा करता है उसके लिये भी कोई न कोई फ़ैसिलिटी अव य होनी चाहिये एीलिये हमने महसूस किया है कि किसान को उसके

अपने बच्चों की भाादी के लिये भी कोई फ़ैसिलिटी होनी चाहिये हमने उसके लिये महकमें की तरफ से यह कानून बना दिया कि जो किसान 200 क्विंटल गन्ना मिल को सप्लाई करता है उसको एक बोरी चीनी मिल रेट पर दी जाएगी। जो किसान 500 क्विंटल 'दगा उसको दो बौरी चीनी दी जायेगी । (गोर)

आवाजें: हमारी बातों का जवाब आना चाहिये । (गोर)

श्री अध्यक्ष: आप वाईन्ड अप करे । (गोर)

ठाकुर बीर सिंह: हमने बहुत सारे काम किये हैं जो आदमी गलत काम करता है उसके खिलाफ एक ान लेते हैं मेरे साथियों ने जो सवाल उठाये है.....(गोर)

Mr. Speaker: Now, the hon'bw1 minister of Irrigation andPower may speak. (Noise & interruptions)

ठाकुर बीर सिंह: सर, मैं सिर्फ एक मिनट में ही अपनी बात खत्म करना चहता हूं । अभी 5-6 बेंको के अन्दर ताजा भर्ती हुई है। मैं सारे फ़ैक्टस एंड फिगर्ज इकट्ठी करके लाया हू। (गोर) जो इल्जाम ये मुझ पर लगाते ठै वे सरासर गलत ओर बेबूनियाद हैं (गोर)

आवाजें: हम साबित कर देंगे । आपको इस सम्बन्ध में हाउस की एक कमेटी बना देनी चाहिये । हम अच्छी तरह साबित करके दिखा देंगे (गोर)

श्री अध्यक्ष: इन्होंने अपना जवाब देने के लिये सिर्फ एक मिनट का समय मांगा है इसलिये इनको जवाब दे देने लीजिये।
(गोर)

आवाजें: स्पीकरसाहब, इस सम्बन्ध में हाउस की कमेटी बना देनी चाहिये। (गोर)

ठाकुर बीर सिंह: यह मुझे सुनना नहीं चाहते। इनको पहले मेरी बात सुन तो लेनी चाहिये। (गोर)

आवाजें: हम इनकी बात नहीं सुनना चाहते। इनको पहले मेरी बात सुन तो लेनी चाहिये। (गोर)

आवाजें: हम इनकी बात नहीं सुनना चाहते। यदि ये हमारी बात को गलत बताते हैं तो हाउस की एककमेटी बना दी जानी चाहिये। (गोर एवं व्यवधान)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): आन ए पवांयट आफ आर्डर सर। मेरा प्वांयट आफ आर्डर यह है कि जब एक मंत्री जी जवाब दे रहे हैं तो इनको जवाब सुन लेना चाहिये। यदि ये सुनना नहीं चाहते तो हम क्या कर सकते हैं।(गोर)

आवाजें: हाउस की कमेटी बना दी जाये।(गोर)

चौधरी भजन लाल: किस बात के लिये हाउस की कमेटी बनाई जाये? (गोर) अध्यक्षमहोदय, इस सदन के सारे सदस्य बड़े ही माननीय औरसम्मान योग्य हैं। लेकिन मैं एक बात

कहना चाहता हूँ कि जब कोई मिनिस्टर जवाब दे रहा हो तो उस कीबात को तो सुन लेना चाहिये। ये किसी दूसरे की भी कोई बात न सुने। तो यह अच्छी बात नहीं है। (गोर) टाईम तो आपने देखना हे कि किस कोकितना टाईम बोलने के लिये देना है। (गोर) कम से कम इनको मंत्री जी की बात तो सुन लेनी चाहिये।

ठाकुर बीर सिंह: इनको मेरी बात तो सुन लेनी चाहिये।

श्री मूलचन्द जैन: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि हमने एवीडेंस एक्ट में यह पढा है।
.....(गोर)

ठाकुर बीर सिंह: ठाकूरवाद और पैसावाद की जो ये बातें कह रहे है यह सरासर गलत है। जो आरोप मुझ पर लगाये जा रहे हे, ये सभी गलत हैं। (गोर)

श्री मूलचन्द जैन: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर सहाब, एवीडेंस एक्ट में हमने यह पढा है कि एक पार्टी यदि किसी दूसरी पार्टी पर इल्जाम लगाती है तो उसको जवाब देना होता है। जो आरोप इन पर लगाये गये है इनको उनका जवाब देना चाहिये। लेकिन ये अपनी तारीफ अपने आप करने लग रहे है। जो प्वायंट हमने रेज किये थे, उनका कोई जवाब नहीं आ रहा। (गोर) यदि इनहोनें एम्पलाएमेंट एक्सचेंजिज से भर्ती किये है और अगर कोई गडबडी नहीं की है तो एक कमी इन बना दे।

यदि कमी उन नहीं बनाना तो हाउस की एक कमेटी बना दे।
(गोर)

सिचाई तथा बिजली मंत्री (सरदार तारा सिंह): स्पीकर सहाब, आज इरीगे उन की डिमांड पर बोलते हुये पक्ष ओर विपक्ष की ओरसे कई सदस्य बोले है। यह मैं मानता हूँ कि हमारा हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है। (गोर)

श्री कंवल सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर , सर।

श्री अध्यक्ष: प्वायंट आफ आर्डर किस बात पर। उन्होंने तो अभी बोलना ही भुरू किया है।

श्री कंवल सिंह: मेरा प्वायंट आफ आर्डर कोआप्रे उन डिपार्टमेंट के सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष: वे तो अपनी बात कह कर बैठ चुके है ओर इरीगे उन एंड पावर मिनिस्टर ने अभी बोलना ही भुरू किया है इसलिये इस समय कोई प्वायंट आफ आर्डर उठाना उचित नहीं है
(गोर)

सरदार तारा सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि हरियाणा एग्रीकल्चरल स्टेट है

श्री अध्यक्ष: मैंबर साहेबान, अभी मिनिस्टर साहेबान ने बोलना ठे । उसके बाद डिमांडज फार ग्रान्टस पर वोटिंग भी

होनी है। इसलिये मेरा ख्याल है कि अगर हाउस की सैन्स हो तो एक घंटा समय बढ़ा लिया जाये।

आवाजें: जी नहीं।

श्री अध्यक्ष: मैं तो अपना काम दस मिनट में कर सकता हूँ लेकिन आप सब चूँकि बोलने के मूड में हैं इसलिये टाईम यदि बढ़ा लिया जाए तो ठीक रहेगा।

आवाजें: जी नहीं।

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, सबेरे 11 बजे से हम लोग बैठे हुये हैं।

सरदार तारा सिंह: स्पीकर सहाब, मैं कह रहा था.....
(गोर)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप लोग मेरे से ज्यादा तजूर्बेकार लेजिस्लेटर हैं लेकिन जहाँ तक मेरे सोचने का तरीका है उसके मुताबिक कोई भी मंत्री महोदय अपने डिपार्टमेंट के बारे में, जो भी उसने काम किया है या आगे करने का इरादा रखता है, बोल सकता है। मैं बर्ज साहेबान को मैंने बोलने के लिये मैं किसमम टाईम दिया हूँ आज भी हम लगातार सात घंटे से बैठे हुये हैं तकरीबन सब मांगों पर कट मो एन्ज आ रही है फिर भी अगर कोई संतुष्ट न हो तो उन पर वे अपनी आत्मा की आवाज

के मुताबिक वोट कर लेना लेकिन कृपया मंत्री महोदय को डिस्टर्ब न करे।

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, में फख से कह सकता हूं कि इरीगे इन डिपार्टमेंट की जितनी ब्रॉचिज है, उन सबका काम बहुत अच्छा है। काम चाहे लाइनिंग का है, चाहे जे०एल०एन० का है, एस०वाई०एल० का है। एम०आई०टी०सी० का है प्रत्येक के उपर आधा-2 घंटा बोलने की गुजांइ। है लेकिन चूंकि टाईम थोडा हे इसलिये इन सब बातें के बारे में मैं फिर जब कभी टाईम मिलेगा कह दूंगा। आज मेरी हाउस से आपके द्वारा यही प्रार्थना है कि इस डिमांड को पास कर दिया जाये।

Mr. Speaker: Now I put the various demands and the cut motions to the vote of the House.

There is a cut motion by Chaudhri Ram Lal Wadhwa to Demand No. 2. I will pujt it to the vote of the House.

Question is-

That the demand be reduced by Rs. 1/-,

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is -

That a sum not exceeding Rs. 84320573 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that willcome in the course of payment for the year 1982-83 in respect of the chargesw under Demand No. 2- General Administration.

The motion was carried.

Mr. Speaker: There is a cut motion by Chaudhri Ram Lal Wadhwa to Demand No. 3. I will put it to the vote of the House.

Question is-

That the demand be reduced by Rs. 1/-,

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is -

That a sum not exceeding Rs. 279233064 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1982-83 in respect of the charges under Demand No.3- Home

The motion was carried.

Mr. Speaker: There is a cut motion by Chaudhri Ram Lal Wadhwa to Demand No. 4. I will put it to the vote of the House.

Mr. Speaker: Question is -

That a sum not exceeding Rs. 49055580 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1982-83 in respect of the charges under Demand No. 4- Revenue.

The motion was carried.

Mr. Speaker: There is a cut motion by Chaudhri Ram Lal Wadhwa to Demand No. 5. I will put it to the vote of the House.

Question is-

That the demand be reduced by Rs. 1/-,

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is -

That a sum not exceeding Rs. 28152650 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1982-83 in respect of the charges under Demand No.5- Excise and Taxation.

The motion was carried.

Mr. Speaker: There is a cut motion by Chaudhri Ram Lal Wadhwa to Demand No. 15. I will put it to the vote of the House.

Question is-

That the demand be reduced by Rs. 1/-,

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is -

That a sum not exceeding Rs. 585787790 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year

1982-83 in respect of the chargesw under Demand No. 15-Irrigation.

The motion was carried.

Mr. Speaker: There is a cut motion by Chaudhri Ram Lal Wadhwa to Demand No. 17. I will pujt it to the vote of the House.

Question is-

That the demand be reduced by Rs. 1/-,

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is -

That a sum not exceeding Rs. 388844510 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that willcome in the course of payment for the year 1982-83 in respect of the chargesw under Demand No.17-Agriculture.

The motion was carried.

Mr. Speaker: There is a cut motion by Chaudhri Ram Lal Wadhwa to Demand No. 22. I will put it to the vote of the House.

Question is-

That the demand be reduced by Rs. 1/-,

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is -

That a sum not exceeding Rs. 42821300 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1982-83 in respect of the charges under Demand No. 22- Cooperation.

The motion was carried.

श्री अध्यक्ष: अब हाउस कल प्रातः साढ़े नौ बजे तक के लिये एडजर्न किया जाता है।

(17.57 बजे)

तत्पश्चात् सदन मंगलवार दिनांक 30-3-1982 को प्रातः 9.30 बजे तक के लिये स्थगित हुआ।)